खण्ड-405, अंक-3
बुधवार, 19 चैत्र, शक संवत् 1914
(8 अप्रैल, 1992 ई0)

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

# कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(ग्यारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1992)

खण्ड 405 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1992

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

## विषय–सूची


| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| उपस्थित सदस्य .. .. | |
| प्रश्नोत्तर .. .. | 1-92 |
| सदन में पर्चे फेंके जाने की सूचना .. | 93 |
| नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं .. | 93-94 |
| पी० सी० एस० तथा तत्सम्बन्धी चयन परीक्षाओं में परीक्षा शुल्क समाप्त करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. | 94 |
| जनपद बांदा में गोविन्दपुर तथा कहला ग्रामों में पम्प नहर के निर्माण के सम्बन्ध में 301 के अन्तर्गत सूचना .. | 94-95 |
| जनपद मऊ के मधुबन बाजार को टाउन एरिया घोषित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. | 95 |
| जनपद फैजाबाद में गन्ना किसानों को पर्ची उपलब्ध न करने तथा बढ़े हुए रेट पर भुगतान न करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. | 95-96 |
| लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र में जल निकासी तथा सीवर की व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. | 96 |
| गढ़वाल जनपद के थलनदी पालीटेक्निक स्वीकृत स्थान पर न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. | 96-97 |
| प्रदेश में गर्भस्थ शिशु लिंग परीक्षण केन्द्र के विज्ञापनों पर रोक लगाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. | 97 |
| नत्थी (ख) तारांकित प्रश्न संख्या-1 के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न .. | 97-98 |
| औचित्य के प्रश्न की सूचनायें .. | 98 |
| राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद के सम्बन्ध में सदन में स्थिति स्पष्ट न करने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न .. | 98-100 |
| राम जन्म भूमि/बाबरी मस्जिद के कथित अन्तर्विरोध पर स्पष्टीकरण देने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न .. | 100-101 |
| दिनांक 23 मार्च, 1992 को सदन के पटल पर रखे गए अध्यादेशों को विधान परिषद् से अनुमोदित न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न .. | 101-104 |
| माध्यमिक परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग के विरुद्ध पुलिस के आचरण के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न .. | 104 |
| श्री अंगद सिंह यादव के अंगरक्षक एवं रिश्तेदार की हत्या किए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न .. | 105-107 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| सुरक्षा हथियारों के लाइसेन्स के सम्बन्ध में सदन के बाहर नीति विषयक घोषणा किए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न .. | 107-109 |
| अल्पसूचित तारांकित प्रश्न को अस्वीकार किए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न | 109-114 |
| जनपद आजमगढ़ की सगड़ी तहसील में महुसा गढ़वाल बांध को चौड़ा करके सड़क बनवाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गयी) .. | 114 |
| कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) .. | 115-117 |
| नियम 311 की सूचनाओं को समेकित रूप से कार्यस्थगन प्रस्ताव के अन्तर्गत लिया जाना .. | 117-137 |
| उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1992 (पारित) .. | 138 |
| उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1992 (पारित) .. | 138-160 |
| वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय व्ययक की मांगों पर चर्चा एवं मतदान .. | 160 |
| अनुदान संख्या 54 लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), (स्वीकृत) .. | 160 |
| अनुदान संख्या-55-लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन), (स्वीकृत) .. | 160 |
| अनुदान संख्या–56–लोक निर्माण विभाग (आवास भवन), (स्वीकृत) .. | 160 |
| अनुदान संख्या– 57-लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) तथा .. | 160 |
| अनुदान संख्या– 58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन), (स्वीकृत) .. | 160-216 |
| अनुदान संख्या– 40-नियोजन विभाग (स्वीकृत) .. | 216 |
| अनुदान संख्या– 61-वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत) .. | 216-217 |
| अनुदान संख्या– 62-वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) (स्वीकृत) | 217 |
| अनुदान संख्या– 63-वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) (स्वीकृत) .. | 217 |
| अनुदान संख्या– 64-वित्त विभाग (राज्य लाटरी) (स्वीकृत) .. | 218 |
| अनुदान संख्या– 65-वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) (स्वीकृत) .. | 218 |
| अनुदान संख्या– 66-वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) (स्वीकृत) .. | 218-219 |
| अनुदान संख्या– 67-विधान परिषद् सचिवालय (स्वीकृत) .. | 219 |
| अनुदान संख्या– 68-विधान सभा सचिवालय (स्वीकृत) .. | 219 |
| अनुदान संख्या– 69-विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल) (स्वीकृत) | 219-220 |
| अनुदान संख्या– 85-सार्वजनिक उद्यम विभाग (स्वीकृत) .. | 220 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| अनुदान संख्या– 88-संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) (स्वीकृत) .. | 220 |
| अनुदान संख्या– 89-संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर) (स्वीकृत) .. | 221 |
| अनुदान संख्या– 90-संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) (स्वीकृत) | 221 |
| अनुदान संख्या– 91-संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) (स्वीकृत) .. | 221-222 |
| वित्तीय वर्ष 1992-93 की मांगों पर चर्चा तथा मतदान, अनुदान संख्या– 25-गृह विभाग (कारागार), अनुदान संख्या– 27-गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) तथा अनुदान संख्या– 28-गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत) .. | 222-241 |
| विचाराधीन कैदी श्री उमाकान्त यादव स०वि०स० को गोरखपुर के न्यायालय से जिला कारागार गोरखपुर में दाखिल किए जाने की सूचना .. | 241 |
| नियम– 51 के अन्तर्गत सूचनाएं .. | 241 |
| नील गायों की बढ़ती संख्या से फसलों की तबाही से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम– 51 के अन्तर्गत वक्तव्य का स्थगन .. | 241 |
| जनपद गढ़वाल के राजकीय महाविद्यालयों में व्याख्याताओं की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम– 51 के अन्तर्गत उच्च शिक्षा, श्रम तथा सेवा योजन मंत्री का वक्तव्य .. .. | 241-243 |
| जनपद गाजीपुर के थाना बरेसर के अन्तर्गत हुई श्री चन्द्र बहादुर गुप्त की हत्या तथा पुलिस की निष्क्रियता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री गामाराम शास्त्री द्वारा नियम– 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन .. | 243 |
| जनपद गाजीपुर के देवकली पम्प नहर के मरदह रजबहा को बिजली न मिलने से कृषकों की क्षति के सम्बन्ध में दिनांक 26 फरवरी, 1992 के अता० प्र० सं०– 55 नत्थी (ग) के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा का स्थगन .. | 243 |
| मध्य गंगा कैनाल को मांट फीडर तथा जेवर रजबहा द्वारा आगरा कैनाल से जोड़े जाने विषयक दि० 11 मार्च, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या– 55 नत्थी (ग) के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा का स्थगन .. | 243 |
| नत्थियां .. .. | 244-251 |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 8 अप्रैल, 1992

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :–

| | | | |
|---|---|---|---|
| अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री | गोण्डा | पूरन सिंह बुन्देला, श्री | ललितपुर |
| अतीक अहमद, श्री | इलाहाबाद | प्रमोद कुमार, श्री | पीलीभीत |
| अफजाल अंसारी, श्री | गाजीपुर | प्रेमलता कटियार, श्रीमती | कानपुर नगर |
| अमर नाथ यादव, श्री | वाराणसी | बनवारी सिंह, श्री | बदायूं |
| अरविन्द कुमार, डा० | ललितपुर | बाबू खां, श्री | हरदोई |
| अशोक कुमार, श्री | लखनऊ | बाबूराम एम० काम०, श्री | जालौन |
| अशोक कुमार सिंह, श्री | रायबरेली | भागीरथी, श्री | इलाहाबाद |
| इस्लाम साबिर, श्री | बरेली | मदन भैया, श्री | मेरठ |
| उमाकान्त यादव, श्री | जौनपुर | मयंकर सिंह, श्री | बहराइच |
| ऊदल, श्री | वाराणसी | महराज सिंह यादव, श्री | इटावा |
| ओमकार सिंह, श्री | बदायूं | मुन्ना चौहान, श्री | देहरादून |
| ओम प्रकाश, श्री | गोरखपुर | मुलायम सिंह यादव, श्री | इटावा |
| ओम प्रकाश, श्री | फतेहपुर | मोहम्मद वसीम हाजी, श्री | रायबरेली |
| कंवर पाल मास्टर, श्री | सहारनपुर | योगेश चन्द्र, श्री | वाराणसी |
| कल्याण सिंह, श्री | अलीगढ़ | रमाकान्त यादव, श्री | आजमगढ़ |
| कृष्ण किंकर सिंह, श्री | बस्ती | राकेश सोनकर, श्री | कानपुर नगर |
| कृष्ण कुमार उर्फ के० के० राज, श्री | इटावा | लल्लू सिंह, श्री | फैजाबाद |
| गुलाब देवी, श्रीमती | मुरादाबाद | विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री | बलिया |
| गोमती प्रसाद, श्री | लखनऊ | विमला राकेश, श्रीमती | सहारनपुर |
| घुरहू, श्री | बलिया | वीरेन्द्र सिंह, श्री | मुजफ्फरनगर |
| चन्द्र शेखर सिंह, श्री | बस्ती | वेद प्रकाश, श्री | बस्ती |
| जगदीश मुनि आचार्य, श्री | हरिद्वार | श्याम बिहारी सिंह, श्री | बरेली |
| नारायण दत्त तिवारी, श्री | नैनीताल | हरेन्द्र सिंह, श्री | मुजफ्फरनगर |

सत्यमेव जयते

**बुधवार, दिनांक 8 अप्रैल, 1992**

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ

## प्रश्नोत्तर

## अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

### ध्वनि प्रदूषण से जनस्वास्थ्य के लिये खतरे को नियंत्रित करने हेतु जानकारी

**1–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ध्वनि प्रदूषण से जनस्वास्थ्य के लिये उत्पन्न खतरे को नियंत्रित करने हेतु सरकार कोई प्रभावी नियम लागू करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कैसे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम,1986 में मानक निर्धारित है जिसके अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश शासनादेश 26-10-91 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को जारी किये जा चुके हैं !

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उत्तर में जिस मानक का उल्लेख किया गया है, उस मानक के मुख्य बिन्दु क्या हैं और इनका कड़ाई से पालन कराने के संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? दूसरा प्रश्न यह है कि क्या इस आदेश में कुछ ऐसे क्षेत्र का चुनाव करने के लिये कहा गया है जिलाधिकारियों को और उन क्षेत्रों का चुनाब करके, उसको शांत क्षेत्र घोषित करके और उन जगहों पर इस प्रकार के जो प्रदूषण होते हैं, उन यंत्रों को चलाये जाने के संबंध में, कड़ाई से पालन करने के लिये कोई निर्देश दिये गये हैं ? यदि हां, तो कड़ाई से सरकार इसका पालन कर रही है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, ध्वनि प्रदूषण के सम्बन्ध में जागरूकता पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि ध्वनि प्रदूषण कम से कम किया जा सके और इसके लिये कि अभी नकल का अभियान चल रहा था, 8–10 वर्षों से यह बीमारी थी, अब हम नियंत्रण में पहुंच सके हैं, उसी प्रकार से 26-10-91 को हमने एक निर्देश जिला मजिस्ट्रेट को जारी किया है और उसको 4 जोन में विभाजित किया गया है । औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय जो उसकी गुणवत्ता होगी वह 75 डेसिबल (ए) होगी तथा रात्रि के समय 70 होगी, व्यावसायिक क्षेत्र में दिन के समय 65 होगी और रात्रि के समय 55 होगी, आवासीय क्षेत्र में दिन के समय 55 होगी और रात्रि के समय 45 होगी । शांत क्षेत्र में दिन के समय 50 होगी और रात्रि के समय में 40 होगी, ऐसे निर्देश दिये गये हैं ।

श्री अध्यक्ष–

दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया, माननीय मंत्री जी ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

कैन्टूनमेंट और चिकित्सालय का एरिया है, कलेक्ट्रेट का एरिया है और सिविल कोर्ट कम्पाउन्ड है, इनको शांत क्षेत्र घोषित किया गया है और उसकी परिधि 100 मीटर रखी गयी है ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या अस्पतालों के साथ शिक्षण संस्थायें भी इसके अन्तर्गत आती हैं ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, सवाल स्पष्ट नहीं हुआ है । दुबारा कह दें ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मेरा तात्पर्य यह है कि जैसे न्यायालय है, अस्पताल है और शिक्षण संस्थायें हैं, यहां पर प्रतिबन्ध लगाये जाने की जरूरत है, तो क्या इस नियम को अस्पताल और शिक्षण संस्थाओं में कड़ाई से लागू करने की व्यवस्था करेंगे । जिन क्षेत्रों को शांत क्षेत्र घोषित किया गया है, वहां पर इस नियम को लागू करने के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

आपका सुझाव है कि विद्यालयों के बारे मे लागू किया जाये, तो इसको देख लिया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष–

श्री चौधरी ने विधान सभा के शून्य प्रहर का उल्लेख नहीं किया है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, आप विधान सभा रोड को ही ले लें, तो जितना प्रदूषण इस क्षेत्र में है और कहीं पर नहीं है । माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 26-10-1991 को निर्देश दिये गये हैं कि कड़ाई के साथ पालन किया जाये । निर्देश जारी किये 6 महीने हो गये हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि जिलाधिकारियों ने विशेष रूप से जिलाधिकारी, लखनऊ ने कितने लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, इसके लिये सूचना की आवश्यकता है । मान्यवर, सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रदूषण की समस्या है, उत्तर दिया गया है कि 26-10-1991 को आदेश जारी किये गये हैं, इन आदेशों को जारी हुए मान्यवर 6 महीने हो गये हैं, लेकिन जिलाधिकारियों ने इसको गम्भीरता से नहीं लिया है और न कोई चालान किया गया है जिन अधिकारियों ने कार्यवाही नहीं की है उनकी सूचना उपलब्ध नहीं है तो आप इस प्रश्न को स्थगित कर दें ।

श्री अध्यक्ष–

मूल प्रश्न में यह नहीं है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, सरकार जो आदेश देती है वह इसलिये देती है, उनका पालन हो । इनके आदेशों का पालन नहीं हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

आप एक अलग से प्रश्न कर लें ।

श्री फरीद महफूज किदवई–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ध्वनि प्रदूषण से आदमी के स्वास्थ्य पर किस प्रकार से असर पड़ता है और इससे कौन सी बीमारी हो जाती है, उसका नाम क्या है । मान्यवर, ध्वनि प्रदूषण की सबसे बड़ी समस्या है कि धार्मिक स्थानों पर सुबह 4 बजे से कैसेट लाउडस्पीकर में लगा दिये जाते हैं और जिस कारण सोना दुर्लभ हो जाता है, पढ़ने वाले छात्रों को नुकसान होता है । इससे लोगों के स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर न पड़े क्या इसके लिये कोई व्यवस्था की गयी है ?

श्री अध्यक्ष–

स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव तो पड़ेगा ही आप दूसरे प्रश्न का उत्तर दें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, माननीय सदस्य की चिन्ता से हम सभी चिन्तित हैं । जो वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण हो रहा है उसकी रोकथाम होनी चाहिए और इसके लिये उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी चिन्तित है और इसके लिये जो हमारे कावाल टाउन हैं, महानगर हैं, यहां के लिये अनुश्रवण की योजना बनाई है जो 40.86 लाख रुपये की लागत की है और इस योजना को केन्द्र के पास भेजा है कि वह अपनी सहमति प्रदान करें कि हम इसे करें ।

श्री फरीद महफूज किदवई–

मान्यवर, मैंने स्पष्ट सवाल किया है कि धार्मिक स्थानों पर कैसेट बजाये जाते हैं जिससे सुबह से शाम तक प्रदूषण रहता है तो क्या इसको रोकने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जो शांत क्षेत्र घोषित किया गया है वहां इस बात का कड़ाई से पालन किया जायेगा कि लाउडस्पीकर न बजे और जहां इस प्रकार पाया जायेगा उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।

श्री राम गोविन्द्र चौधरी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस योजना को इन्होंने केन्द्र के पास भेजा है वह कौन-कौन सी हैं और केन्द्र से उनका कोई उत्तर मिला है ?

श्री अध्यक्ष–

यह तो बड़ा विस्तृत हो जायेगा उस योजना के मुख्य-मुख्य बिन्दु बता दें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, महानगर में साउन्ड लेबिल मीटर लगाया जाना, साउन्ड लेबिल/मीटर स्टैण्ड बनाया जाना, कनवेन्स बैटरी लगाया जाना और असिस्टेन्ट साइन्टिफिक आफिसर की नियुक्ति करने के लिये, यह सब मिल-जुलाकर, जो महानगर हैं, उनके लिये 40.86 लाख रुपये की योजना है ।

डा० दिनेश जौहरी–

मान्यवर, स्वाभाविक है कि वायु प्रदूषण के साथ ध्वनि प्रदूषण भी उतना ही घातक है और यह देखा जाता है कि रात के समय भी लाउडस्पीकर बजते रहते हैं शादी ब्याह के अवसरों पर । तो मान्यवर, क्या इन्हें रोकने के लिये कोई आदेश देंगे या जिलाधीश और सिटी मजिस्ट्रेट जो इसकी अनुमति

देते हैं उनको कोई आदेश देंगे कि ऐसी अनुमति न दें ? इसे वहां के नागरिकों को सोने को मिलेगा तो उनके स्वास्थ्य पर अच्छा असर पड़ेगा और विद्यार्थी भी अपनी पढ़ाई कर सकेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

यही तो किदवई जी ने पूछा है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, हम आशा करते हैं कि इस प्रकार की जागरूकता पैदा करेंगे और आज आवश्यकता है कि हम जहां पर हैं और डा० जौहरी जी जहां आपके पास इस तरह के मरीज आते हैं तो उनमें भी जागरूकता पैदा करने का कष्ट करें और सरकार तो इस दिशा में काम करेगी ही ।

श्री किशन गोपाल–

[ × × × ] (व्यवधान)

(श्री किशन गोपाल एवं श्री लाखी राम जोशी के एक साथ बोलते रहने से व्यवधान बना रहा)

श्री अध्यक्ष–

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं यह लिखा नहीं जा रहा है ।

(श्री लाखी राम जोशी द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयत्न करने पर)

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जा रहा है । आप बैठें । मैंने पहले मोहम्मद आजम खां को अनुमति दी है ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह पूरे प्रदेश ही नहीं देश की समस्या है । उत्तर प्रदेश से बाहर ऐसे राज्य भी हैं जैसे मेघालय, वहां कान तरस जाते हैं हार्न सुनने के लिये अगर हार्न बजते भी हैं तो बहुत आहिस्ते से । जब पहले से नियम हैं कि कैसे हार्न, लाइट और हैवी गाड़ियों में लगाये जा सकते हैं, एक होता है एयर प्रेशर हार्न, यह बिल्कुल कानों के पर्दे फाड़ देने वाली आवाज करता है । जो वर्तमान में कानून हैं, तो क्या आपकी सरकार द्वारा कोई ऐसा आदेश जारी किया जा सकता है कि एयर प्रेशर हार्न का प्रयोग नहीं किया जायगा ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

इस पर दिखवा लेंगे । जो वर्तमान नियम हैं उसी के अन्तर्गत इसे देख लेंगे ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

अगर सरकार के पास सुनने की क्षमता नहीं है तब तो बात दूसरी है । मैं स्पेसिफिकली कह रहा हूं कि एयर प्रेशर हार्न पूरी दुनिया में "बैन" हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश में इसे "बैन" करने के लिये सरकार कोई आदेश देगी ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने उत्तर दे दिया कि दिखवा लेंगे ।

---

नोट :– [ × × × ] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

यातायात के कुछ ऐसे कानून हैं जो पूरी दुनिया में लागू होते हैं । उसी में यह एयर प्रेशर हार्न न बजाये जाने का कानून है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

देखेंगे, अगर किसी कानून का उल्लंघन हो रहा है, तो उसका कड़ाई से पालन किया जायगा ।

श्री लाखी राम जोशी–

मान्यवर, जो रायल होटल में निवास वाले सहयोगी हैं उनकी भावनाओं से और सबकी भावनाओं से आपको अवगत करा देना चाहता हूं । विधायक निवास के पास एक धार्मिक स्थल है । वहां से हर आधे घण्टे, एक घण्टे के बाद बहुत जोर से आवाजें आती हैं । सुबह 5 बजे जब हम लोग सोये रहते हैं, अचानक तेज आवाज आने से नींद खुल जाती है । माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस प्रकार की जो दूसरी आवाजें हैं, उसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

दूसरी बात यह है कि जैसे इन्होंने कहा कि अस्पताल को और कैण्टूनमेंट एरिया को शांत क्षेत्र घोषित किया हुआ है, तो क्या विधायक निवास को भी शांत क्षेत्र घोषित करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, विधायक निवास को शांत क्षेत्र घोषित करने का अधिकार आपके पास है । यदि आप निर्देशित करेंगे तो तद्नुसार कार्यवाही कर लेंगे ।

**पंचायत निदेशालय में तदर्थ नियुक्ति एवं पदोन्नति में नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही**

**2–श्री राम ललित चौधरी–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि वर्तमान में पंचायत निदेशालय में तदर्थ नियुक्तियों और तदर्थ पदोन्नतियों पर रोक लगा दी गयी है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि तदर्थ नियुक्ति तथा तदर्थ पदोन्नति पर रोक की अवधि में उप निदेशक पंचायत पद पर निदेशालय के कुछ लोगों की तदर्थ नियुक्ति पदोन्नति की गयी है ? क्या यह भी सही है कि यह पदोन्नति 1-3-92 से पुनः की जा रही है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? इसके लिये दोषी कौन है ? क्या सभी मण्डलों में सरकार उक्त पदों पर तदर्थ पदोन्नति को समाप्त कर नियमित पदोन्नति प्रदान करने का आदेश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज मंत्री (श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य)–

वर्तमान में शासन की ओर से तदर्थ प्रोन्नतियों/तदर्थ नियुक्तियों पर कतिपय प्रतिबन्धों के अधीन सामान्य रोक लगी हुई है । पंचायत राज निदेशालय के अन्तर्गत उप निदेशक (पंचायत) के पदों पर तदर्थ प्रोन्नतियां फरवरी, 1987 में तत्कालीन शासनादेशों के अन्तर्गत की गयी थीं और नियमित चयन न हो पाने के कारण यह तदर्थ पदोन्नतियां तब से निरन्तर चली आ रही हैं । इन पदों पर नियमित पदोन्नतियां किये जाने हेतु सम्बन्धित सेवा नियमों को अन्तिम रूप दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है । सेवा नियमों को अन्तिम रूप दे दिये जाने के उपरान्त ही प्रश्नगत पदों पर नियमित पदोन्नति सम्भव हो सकेगी।

श्री राम ललित चौधरी–

श्रीमन्, 1987 में कितनी प्रोन्नतियां और कितनी अवधि के लिये की गयीं ? प्रोन्नतियों के समय प्रक्रिया में निदेशालय में कार्यरत अधिकारियों के अतिरिक्त प्रदेश के अन्य भागों के अधिकारियों को शामिल किया गया था ? नियमित चयन के लिये सेवा नियमावली कब बन जायेगी ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

1987 में यह नियुक्तियां एक वर्ष के लिये की गयी थीं । मुख्यालय पर निदेशक और प्रदेश के 6 उपनिदेशकों के लिये की गयी थीं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य ने पूछा है कि सेवा नियमावली कब तक बन जायेगी ।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

यह सेवा नियमावली शीघ्र बनेगी ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, सवाल यह भी था कि जो चयन हुआ उसमें खाली निदेशालय के लोगों को ही सम्मिलित किया गया था या बाहर के कार्यरत अधिकारियों को भी ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य कृपया उत्तर देख लें ।

श्री राम ललित चौधरी–

यह बताया गया कि 1987 में एक वर्ष के लिये तदर्थ नियुक्तियां की गयी थीं उसका समय पूरा हो जाने के बाद शासन का बैन लग गया कि तदर्थ नियुक्तियां नहीं होंगी । फिर तदर्थ नियुक्तियां कैसे की गयीं 1989 के बाद भी ? दूसरे, इसमें निदेशालय के लोगों को ही क्यों अवसर दिया गया, प्रदेश में कार्यरत अन्य लोगों को क्यों नहीं अवसर दिया गया शासनादेश के बावजूद ? क्या वह शासनादेश केवल निदेशालय में कार्यरत अधिकारियों के लिये था ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

मान्यवर, कार्मिक विभाग के 29 मार्च, 1986 के शासनादेश के अन्तर्गत यह नियुक्तियां सन् 1987 में की गयीं यह एक वर्ष के लिये थीं । मगर उसके बाद से यह कार्य हित में यह लोग उन पदों पर चले आ रहे हैं और इस समय नियमित रूप से उनका चयन एक पेनल के अन्तर्गत किया गया ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, शासनादेश के बावजूद यह तदर्थ नियुक्तियां क्यों की गयीं, किस तरह से की गयीं ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

उस समय से, सन् 1988 से यह उन्हीं पदों पर कार्यरत हैं ।

श्री सुरेन्द्र नाथ–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि वर्तमान में गण्डक परियोजना के कर्मचारियों का समायोजन हुआ और अभी संयुक्त सचिव, ग्राम विकास एवं पंचायती राज ने 6 मार्च, 1992 को एक राजाज्ञा निकाली थी चूंकि शासन द्वारा तदर्थ नियुक्तियों, प्रोन्नतियों में बैन लगा दिया गया है इसलिये इनका समायोजन सम्भव नहीं है। मेरा प्रश्न यह है कि जब समायोजन हुआ, समायोजन के आधार पर 60 प्रतिशत लोगों को तदर्थ नियुक्ति के रूप में नियुक्त किया, तो 6 मार्च, 92 को राजाज्ञा निकाली और जब 60 प्रतिशत लोगों की नियुक्ति की गयी तो फिर 40 प्रतिशत लोगों को इसमें समायोजित क्यों नहीं किया गया ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का स्पष्ट उत्तर अभी तक नहीं आया है। एक वर्ष के लिये तदर्थ नियुक्ति की गयी और फिर जब बैन लग गया फिर तदर्थ नियुक्ति किस आधार पर की गयी। दूसरा यह था कि उसी रैंक के दूसरे जो अधिकारी थे प्रदेश में, उन्हें क्यों नहीं मौका दिया गया ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

मान्यवर, मैंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है। 1987 में एक वर्ष के लिये नियुक्ति हुई थी उसके उपरान्त कार्यहित में वह नियुक्तियां चलती रहीं।

श्री अध्यक्ष–

बिना सेवा विस्तारण के कैसे कार्यरत चलते आ रहे हैं ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

क्योंकि, मान्यवर, यह प्रथम श्रेणी के पद हैं, सेवा नियमावली दूसरी श्रेणी के कर्मचारियों के लिये बनी है, प्रथम श्रेणी के पद के लिये नहीं बनी है इसलिये यह निरन्तर चलते आ रहे हैं और उनकी कार्य की आवश्यकता थी इसलिये कार्यहित में इन्हें किया गया और यह किस कारण चलते रहे इसका परीक्षण हम करा लेंगे।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इन्होंने तदर्थ नियुक्ति भी की और फिर तदर्थ प्रोन्नति की। कुछ ऐसे लोग थे, मुख्य रूप से जूनियर इंजीनियर, शारदा सहायक परियोजना के जो हाईकोर्ट चले गये तो मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने लोग हाईकोर्ट में चले गये और वहां से स्टे ले आये और दूसरा यह कि उन्हें प्रमोशन दिया गया तो उनके नाम बतायें और दूसरी बात यह है कि जिनकी प्रोन्नति होनी है क्या उन्हें वही सुविधायें देने का कष्ट करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

आपका प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है इसलिये इस प्रश्न को स्थगित कर दें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं नत्थी "ख" का दूसरा प्रश्न ले रहा हूं ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ]

*1–श्री लाल जी वर्मा–

[7वें बुधवार के लिये स्थगित ]

**राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली चीनी मिलों की विस्तृत जानकारी**

*2–श्री शिवनाथ सिंह कुशवाहा तथा श्री हरिवंश सहाय–

क्या गन्ना विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार द्वारा कितनी चीनी मिलों के लाइसेन्स हेतु केन्द्रीय सरकार को मांग पत्र भेजा गया है और उनकी क्षमता क्या होगी । प्रस्तावित चीनी मिलों हेतु कितनी पूंजी का विनियोजन होगा और उसके लिये क्या सरकार द्वारा व्यवस्था कर ली गयी है ? क्या प्रस्तावित चीनी मिलों के लिये स्थानों का चयन भी कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी चयनित स्थानों की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गन्ना विकास मंत्री (श्री हनुमन्त सिंह)–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री हनुमन्त सिंह–

मान्यवर, इसमें सूचना एकत्रित करने की आवश्यकता होगी इसलिये इसमें मुझे तीन, चार दिन का समय दे दिया जाये ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है ।

**प्रदेश में स्थित गन्ना सोसाइटियों में आयुक्त द्वारा किसानों के बढ़ाये गये सदस्यता शुल्क को वापस लेने की मांग**

*3–श्री नरेश अग्रवाल–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 19-2-92 को गन्ना आयुक्त उ० प्र० ने प्रदेश में स्थित गन्ना सोसाइटियों में गन्ना किसानों की सदस्यता शुल्क 21 रुपया से बढ़ाकर 211 रुपया कर दिया है, जिसकी वसूली भी शुरू हो गयी है ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ? क्या सरकार किसानों के असन्तोष को देखते हुए इसे वापस लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

जी नहीं । लेकिन गन्ना आयुक्त/निबन्धक की नोटिस दिनांक 1-2-1992 द्वारा गन्ना समितियों की प्रति अंशपूंजी का मूल्य 20 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है, किन्तु अभी तक उसका कार्यान्वयन प्रारम्भ नहीं हुआ है ।

गन्ना समितियों के सदस्यों को अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से उक्त संशोधन प्रस्तावित किया गया है । प्रस्ताव गन्ना किसानों के व्यापक हित में है । अतः इससे गन्ना किसानों में असन्तोष उत्पन्न होने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता ।

श्री नरेश अग्रवाल–

श्रीमन्, किसानों का हित कहने वाली सरकार ने किसानों के साथ कितना अहित किया है, वह इस प्रश्न के जवाब से सिद्ध हो जाता है । श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दो प्रश्न जानना चाहता हूं । पहला यह कि समितियों की अंश पूंजी को जो 20 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये किया गया है, यह कितनी लड़ी के सट्टे पर की गयी है और इसका औचित्य क्या है ? दूसरी बात जानना चाहता हूं जैसा कि उत्तर में कहा गया है कि अभी इसका कार्यान्वयन प्रारम्भ नहीं हुआ है, मेरी बात को सत्य मानकर कि मेरे जिले में कटौती शुरू हो गयी है, क्या स्पष्ट घोषणा करेंगे कि जो कटौती हो गयी है, उसका रुपया वापस कर दिया जायेगा ?

श्री हनुमन्त सिंह–

मान्यवर, माननीय नरेश अग्रवाल जी इस सदन के पुराने सदस्य हैं । मैं आपके माध्यम से पहली बात बताना चाहूंगा कि 21 रुपये की कोई अंश पूंजी नहीं है । यह अंश पूंजी 20 रुपये है और गन्ना सहकारी समितियों में सदस्यता के लिये यह ली जाती है । दूसरी बात बताना चाहता हूं कि कोई भी कटौती इस प्रदेश के अन्दर किसी भी सहकारी समिति में नहीं हो रही है । अगर सम्मानित सदस्य ऐसी कोई बात लिखकर दे दें कि कोई ऐसा कर रहा है, तो उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही की जायेगी । एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं चूंकि माननीय सदस्य गन्ना किसानों के मामले में रुचि लेते हैं । चीनी मिल और जो गन्ना किसान हैं, गन्ना समितियां हैं उनके बीच की एक कड़ी है । गन्ना समितियों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है, कृषि यंत्र उपलब्ध कराये जाते हैं, गन्ना मूल्य का भुगतान होता है, इन सारी बातों को लेकर गन्ना आयुक्त की तरफ से सारी समितियों को एक नोटिस दी गयी है, नोटिस के आधार पर सारी समितियों से आब्जेक्शन मांगे जा रहे हैं और आब्जेक्शन आने के बाद उसकी मानीटरिंग होगी । यह किसानों की सरकार है और किसानों के हित में ही कोई निर्णय लेगी।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैंने मंत्री जी का भाषण सुन लिया है, जो बातें मैंने नहीं पूछी थीं, वह भी उन्होंने बता दीं। उनके उत्तर से यह मालूम हुआ कि अंश पूंजी वह है जो किसान द्वारा जमा होती है और बाद में वापस होती होगी । मैं एक बात यह जानना चाहता हूं कि प्रदेश में गन्ना किसानों ने अब तक कितनी अंश पूंजी जमा की है और उसमें से कितना उनको वापस मिला । दूसरी बात जानना चाहता हूं जैसा कि इन्होंने कहा कि यह किसानों की बड़ी हितकारी सरकार है, तभी 20 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपया कर दिया गया। जिसका 1000 रुपया है, उसके लिये भी 20 से 200 कर दिया, इससे किसानों का बड़ा अहित हुआ है । मैं जानना चाहता हूं कि एक लड़ी के सट्टे वालों को और एक हजार वाले, दोनों को ही एक बराबर करने का क्या औचित्य है ।

श्री हनुमन्त सिंह–

मान्यवर, अभी तक जो उपविधियों का प्राविधान है, उसके अनुसार यह आवश्यक है कि किसी भी गन्ना किसान को किसी भी समिति का सदस्य बनने के लिये 20 रुपये अंश पूंजी जमा करना आवश्यक है । माननीय साथी सदस्य ने 200 रुंपये की बात कही है । मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 200 रुपये अंश पूंजी करने के लिये अभी नोटिस गयी है और इसलिये अभी उस पर विचार करने का कोई प्रश्न नहीं उठता । इन सारी बातों को सट्टा के आधार पर क्या होना चाहिए, क्या अंश पूंजी होनी चाहिए, इस सब पर परीक्षण हो रहा है, उसके बाद ही कोई उपविधियों में परिवर्तन होगा ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैंने पूछा था कि विभिन्न सोसाइटियों में कितनी अंश पूंजी जमा हुई और इसमें से कितनी वापस की गयी । दूसरा, माननीय मंत्री जी ने 200 रुपये का प्रस्ताव कर दिया और मैंने इस सम्बन्ध में अपनी निश्चित जानकारी भी उन्हें दी ।

श्री हनुमन्त सिंह–

मान्यवर, अंश पूंजी वापस करने का कोई प्राविधान नहीं है । कितनी जमा है, इसके लिये सूचना एकत्र करनी पड़ेगी । 31 लाख किसान इससे प्रदेश में लाभान्वित हो रहे हैं । एक्चुअल फिगर्स क्या हैं, इसे देखना होगा ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, अंश-पूंजी और फीस में अन्तर होता है । अंश-पूंजी के रूप में अगर कोई किसान अपना पैसा जमा करता है तो इसका मतलब यह है कि वह अपनी उस जमा धरोहर को वापस भी ले सकता है । फीस का मतलब यह है कि यदि हमने एक रुपये फीस जमा कर दी है तो हम उसे वापस नहीं ले सकते हैं । मैंने स्पष्ट प्रश्न किया था कि अंश-पूंजी के रूप में कितना पैसा जमा है और उसमें से कितना वापस किया गया । दूसरा, आपने 200 रुपये का प्रस्ताव कर दिया और मैंने एक निश्चित जानकारी भी दी कि हरदोई में इसकी कटौती की जा रही है । जिन लोगों ने कटौती की है, अगर उनके बारे में मैं लिखकर दे दूं तो क्या आप उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री हनुमन्त सिंह–

मान्यवर, अंश-पूंजी के बारे में जो सवाल किया गया, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इसके लिये सूचना एकत्र करनी पड़ेगी । दूसरा, उन्होंने कहा कि हरदोई में कटौती की जा रही है, मैं कहना चाहता हूं कि केवल हरदोई ही नहीं अपितु उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई कर्मचारी इस तरह के कार्य में लिप्त है तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, इस सीमित से प्रश्न का माननीय मंत्री जी ने बड़ा व्यापक उत्तर दिया । किसानों की गन्ना अदायगी के लिये माननीय मंत्री जी बहुत चिन्तित हैं । क्या माननीय मंत्री जी के संज्ञान में यह बात है कि रामपुर चीनी मिल में 25 प्रतिशत की टैगिंग की जा रही है, जबकि इसका मैक्सिमम परसेन्टेज 10 से 15 प्रतिशत है । इस टैगिंग का मकसद यह है कि जो फैक्ट्री है और उससे जुड़े हुए जो खर्चे हैं, वह उससे निकाला जाता है और यह पैसा सीधा किसानों का होता है । 25 प्रतिशत टैगिंग का मतलब यह

हुआ कि एक या दो महीने में लगभग दो करोड़ रुपये किसानों का फैक्ट्री पर बाजिब हो गया और जो अदा नहीं किया जा सका । जिलाधिकारी ने आदेश दिया कि इस टैगिंग की ज्यादा कटौती न की जाय । [ × × × ] क्या माननीय मंत्री जी इसको देखेंगे जो टैगिंग के नाम पर जो इतना ज्यादा पैसा लिया जा रहा है, उसको रोका जाय ?

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय सदस्यों को बता देना चाहता हूं चाहे वह इस पक्ष के हों या उस पक्ष के, किसी भी माननीय सदस्य को आरोपित करने व किसी मंत्री को व्यक्तिगत रूप से आरोपित से पहले वह अपने साथ प्रमाण अवश्य रखें । मैं कभी भी प्रमाण मांग सकता हूं । इस प्रकार के प्रमाणहीन आरोपों को मैं कार्यवाही ने निकाल दूंगा ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, प्रमाण के रूप में जिलाधिकारी को पत्र लिखा गया है, वह मैं आपको दे सकता हूं ।

मान्यवर, उस हिस्से को निकाल कर बाकी का जवाब दिलवा दीजिये कि क्या कोई पैसा किसी की कोठी पर खर्च हुआ है, किसानों की इतनी बड़ी रकम किसी की कोठी पर खर्च हुई है ?

श्री अध्यक्ष–

इसके लिये आप लिखित सूचना दे दीजिये । मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री नरेश अग्रवाल–

[ × × × ]

श्री अध्यक्ष–

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं (व्यवधान) बिना अनुमति के बोलने पर लिखा नहीं जायेगा ।

श्री नरेश अग्रवाल–

[ × × × ]

(श्री नरेश अग्रवाल सदन त्याग कर चले गये)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ]

*1–श्री हाजी मोहम्मद वसीम–

[6ठे बुधवार के लिये स्थगित]

---

नोट :– [ × × × ] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

[बुधवार, दिनांक 8 अप्रैल, 1992 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

**जनपद लखीमपुर खीरी की बिलरायां सहकारी चीनी मिल को खपत के अनुरूप गन्ना आपूर्ति की मांग**

*1–श्री निर्वेन्द्र कुमार (अनुपस्थित)–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद लखीमपुर की बिलरायां सहकारी चीनी मिल परिक्षेत्र में भूमि रकबा अत्यधिक होने के बाद भी उक्त चीनी मिल की खपत चीनी मिल परिक्षेत्र के गन्ने से पूरी नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि मिल क्षेत्र के कुछ गांवों को गन्ना विक्रय करने हेतु "कोई निकट क्रय केन्द्र न होने के कारण" अत्यधिक दूरी तय करनी पड़ती है जिस कारण कृषक गन्ना भूमि रकबा नहीं बढ़ाते हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी चीनी मिल की खपत मिल परिक्षेत्र से पूरी करने की दृष्टि से कुछ वाह्य क्रय केन्द्र खुलवाने तथा किसानों को गन्ना भूमि रकबा बढ़ाये जाने में प्रोत्साहन दिये जाने सम्बन्धी कोई कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री हनुमन्त सिंह–

जी नहीं । चीनी मिल के पास उसकी आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त गन्ना उपलब्ध है ।

शेष का प्रश्न नहीं है ।

**प्रदेश में घाटे में चल रही सहकारी चीनी मिलों में आवश्यक सुधार कर पूरी क्षमता से चलाए जाने की मांग**

*2–श्री सुरेश प्रताप गांधी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में सहकारी चीनी मिल संघ की अधिकांश मिलों में उत्पादन गिरने, चीनी की रिकवरी कम होने व मिलों की मशीनरी आदि की दशा खराब होने के कारण क्या हैं ? इस वर्ष सहकारी संघ की कितनी मिलें घाटे में चलीं तथा संघ की मिलों का कुल घाटा क्या है ? मिलों में घाटे के लिये उत्तरदायी अक्षम व अकुशल प्रबन्ध तंत्र में सुधार लाने, संघ की मिलों में चीनी का उत्पादन बढ़ाने, मिलों को पूरी क्षमता से चलाने व उनकी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हनुमन्त सिंह–

प्रदेश की सहकारी चीनी मिलों में 91-92 में उत्पादन बढ़ा है तथा चीनी का परता भी बढ़ा है। 31-3-92 तक सत्र 1991-92 में कुल चीनी का उत्पादन 68,34,800 बोरे रहा है, जबकि इसी अवधि में (31-3-91) तक गत वर्ष चीनी का उत्पादन 53,05,400 बोरे था । इस अवधि में चीनी का परता इस वर्ष 9.38 प्रतिशत रहा है, पूर्व वर्ष में चीनी का परता 9.05 प्रतिशत था । इस प्रकार संघ की अधिकांश चीनी मिलों का उत्पादन घटा नहीं है और चीनी के परते में भी कमी नहीं आई है । मिलों में मशीनरी आदि की दशा भी खराब नहीं है ।

वर्ष 1990-91 में 7 सहकारी चीनी मिलों को नकद लाभ तथा एक सहकारी चीनी मिल को शुद्ध लाभ हुआ था । 24 सहकारी चीनी मिलों को नकद हानि और 30 सहकारी चीनी मिलों को शुद्ध हानि हुई थी । संघ की चीनी मिलों की कुल शुद्ध नकद हानि वर्ष 90-91 तक 32.61 करोड़ रु० थी और कुल शुद्ध हानि 362.94 करोड़ रु० थी । वर्ष 91-92 के लेखे अभी पूर्ण किये जा रहे हैं ।

सहकारी क्षेत्र की कार्यरत चीनी मिलों का संघ के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अनुश्रवण तथा मूल्यांकन समय-समय पर किया जाता है, जिससे संघ की चीनी मिलों की कार्यकुशलता बढ़ाने में पूर्ण सहयोग मिलता है तथा चीनी का उत्पादन उनकी पूर्ण क्षमता में चलने पर प्राप्त होता है । अकुशल एवं अक्षम उत्तरदायी व्यक्ति को प्रबन्धतंत्र में सुधार लाने हेतु निर्देशित किया जाता है ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी एक तरफ कह रहे हैं कोई घाटा नहीं है और दूसरी तरफ जो विस्तृत विवरण दिया है सहकारी संगठन की जितनी मिलें हैं उनमें से मात्र एक मिल शुद्ध लाभ अर्जित कर रही है शेष सब घाटे में हैं । गत वर्ष का घाटा 32.61 करोड़ है और पूरा घाटा लगभग 362.94 करोड़ रुपया बताया है और 1991-92 के लिये कहा अभी बैलेंशशीट नहीं आई । इस घाटे के कारण बताये मिलों का पूरी क्षमता से न चलना । उपाय और निराकरण बताया है अकुशल एवं अक्षम उत्तरदायी व्यक्ति को प्रबन्धतंत्र से सुधार लाने हेतु निर्देशित किया है । तो मात्र निर्देशित करने से मैं नहीं सोच सकता हूं कि पूरी क्षमता से कार्य करेंगे । मैं पूछना चाहता हूं कि हमारी जितनी संघ की मिलें हैं उनमें 3/4 में पी० सी० एस० अधिकारी सामान्य प्रबन्धक के पद पर नियुक्त हैं । उन्हें न तो दक्षता प्राप्त है और न ही अनुभव ।

श्री अध्यक्ष–

अनुपूरक प्रश्न ही पूछियेगा ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, उन पी० सी० एस० अधिकारियों के स्थान पर विभागीय अधिकारियों को, जो कि योग्यता और अनुभव रखते हैं सामान्य प्रबन्धक नियुक्त किया जायेगा ?

श्री हनुमन्त सिंह--

मान्यवर, मेरे सम्मानित सदस्य ने एक बात जो कही है कि यूटीलाइजेशन कैपेसिटी कम हुई है तो मान्यवर उसके बारे में मैंने अभी बताया कि 96 प्रतिशत यूटीलाइजेशन कैपेसिटी इस वर्ष उत्तर प्रदेश चीनी मिलों की रही है जो कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में आज तक कभी नहीं रही है । दूसरी बात मेरे सम्मानित सदस्य ने कही है कि पी० सी० एस० अधिकारियों को जानकारी नहीं है । मैं इसके बारे में मान्यवर, आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि यह प्रशासनिक दृष्टिकोण से व्यवस्था की गई है इसलिये उनको हटाने की बात पर अभी कोई विचार नहीं है । बहुत से पी० सी० एस० अधिकारियों की परफौरमेन्स अच्छी रही है ।

श्री भागवत पाल–

मान्यवर, मैं माननीय गन्ना मंत्री जी से पूछना चाहता हूं जैसा इन्होंने कुबूल किया है कि चीनी मिलें पूरी क्षमता से नहीं चलीं इसका कारण था अधिकारियों की अकुशलता । इस कारण प्रदेश को नुकसान हुआ । ऐसे कितने अधिकारियों के खिलाफ इन्होंने कार्यवाही की है ।

श्री हनुमन्त सिंह–

मान्यवर, ऐसा है कि मैंने अभी आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को भी व पूरे सदन की चीनी मिलों की जो यूटीलाइजेशन कैपेसिटी 96 प्रतिशत है, वह बताई । इसके बाद भी यह सोचना कि मिलें क्यों घाटे में चल रही हैं । मान्यवर, मैंने 1991-92 की स्थिति बताई और उससे पहले की स्थिति भी बताई कि तब क्या स्थिति थी ।

श्री भागवत पाल–

मान्यवर, अभी मंत्री जी ने कहा था कि चीनी मिलें पूरी क्षमता से नहीं चलीं इसलिये घाटा पूरा करने के लिये पूरी क्षमता से चलाई जायेंगी । एक तरफ आपने कहा कि अधिकारियों की अकुशलता की वजह से नहीं चलीं और दूसरी तरफ आप अधिकारियों की प्रशंसा कर रहे हैं । आप बात को बदल रहे हैं, इसलिये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

कुछ उत्तर इन्होंने इस वर्ष के बारे में दिया और उत्तर के कुछ अंश पिछले वर्षों की क्षमता से सम्बन्धित थे ।

श्री रवीन्द्र प्रताप–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय गन्ना मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि देवरिया जनपद, जो कि गन्ना उत्पादन का मुख्य क्षेत्र है.....

श्री अध्यक्ष–

मूल प्रश्न की परिधि में ही प्रश्न करियेगा ।

श्री रवीन्द्र प्रताप–

मान्यवर, देवरिया में कारपोरेशन की तमाम सारी चीनी मिलें घाटे में चल रही हैं और मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है कि जब तक समस्त गन्ने की पेराई नहीं हो जायेगी तब तक एक भी चीनी मिल बंन्द नहीं होगी । समय-समय पर आपने छापे भी डलवाये हैं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आश्वस्त होना चाहता हूं कि कौन से ऐसे उपाय किये जा रहे हैं कि देवरिया जनपद के समस्त गन्ना काश्तकारों के गन्ने की पेराई निश्चित समय पर सुनिश्चित रूप से हो जाय एक जानकारी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि चीनी मिलों में अव्यवस्था करने के लिये कितने अधिकारियों के खिलाफ अभी तक कार्यवाही की गई ?

श्री हनुमन्त सिंह–

मान्यवर, हमारे सम्मानित सदस्य ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है । इस समय उत्तर प्रदेश के अन्दर सार्वजनिक क्षेत्र की 35 चीनी मिलें हैं, जो सिक हो चुकी थीं । सरकार ने टेक ओवर किया है । इनकी इक्नोमिक वायबिलिटी भी नहीं है । मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि यह चीनी मिलें उद्योग ही नहीं है, सोशल इन्स्टीट्यूशन हैं । हमारी सरकार कटिबद्ध है कि उत्तर प्रदेश में गन्ने की पेराई निश्चित रूप से समय पर कराई जायेगी ।

श्री हरिशंकर तिवारी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी ने उत्तर में बताया कि गन्ना मिलें पूरी क्षमता से चल रही हैं, जब पूरी क्षमता से चल रही हैं तो फिर गन्ना किसानों का पूरा गन्ना न लेने के क्या कारण हैं ? दूसरी बात प्रतिबन्धित क्षेत्र होता है अगर गन्ना प्रतिबन्धित क्षेत्र का है और दूसरे एरिया में नहीं जा सकता है, तो प्रतिबन्धित क्षेत्र का गन्ना नहीं लिया जाता है तो क्या सरकार उसके मूल्यों का भुगतान करेगी ?

(रिपोर्टस टेबिल का माइक खराब होने के कारण ठीक से सुनाई नहीं दे सका)

श्री हनुमन्त सिंह–

चीनी मिलों में गन्ना समिति उसके मूल्यों को गिराने के लिए बाध्य करती है अभी माननीय सदस्य द्वारा कहा गया कि गन्ने की पेराई नहीं हो रही है, तो मैं कहना चाहता हूं कि इस उत्तर प्रदेश के अन्दर 264 लाख टन गन्ने की पेराई हुई है, जो ऐतिहासिक है । यह पिछले वर्षों की अपेक्षा 24-25 लाख टन ज्यादा हुई है हमारे माननीय सदस्य कह रहे हैं कि गन्ने की पेराई नहीं हो पायेगी । मैं रोजाना इस बात की समीक्षा में गन्ने की क्या स्थिति है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि यह सरकार किसानों की सरकार है । जितनी चीनी मिलें हैं उनको देखा गया है । गन्ने की पेराई करायी जाएगी और प्राथमिकता के आधार पर भुगतान कराया जाएगा ।

(व्यवधान)

श्री बृजराज त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय गन्ना मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सहकारी चीनी मिलों का चुनाव क्या निकट भविष्य में करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है ।

(व्यवधान)

(रिपोर्टर्स टेबिल का स्पीकर खराब होने के कारण ठीक प्रकार सुनाई नहीं दे रहा था)

(व्यवधान)

श्री कासिम हसन सैय्यद–

मान्यवर, फतेहपुर में 40 प्रतिशत से ज्यादा पेराई नहीं हो रही है 60 प्रतिशत गन्ना खड़ा है किसान रिश्वत दे रहे हैं । 100-100 रुपये किसानों द्वारा रिश्वत देकर पेराई करायी जा रही है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय कासिम जी ने जो सूचना दी है उसको संज्ञान में लेकर आवश्यक कार्यवाही करें ।

(व्यवधान)

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की सम्पूर्ण चीनी मिलें चाहे कोआपरेटिव की हों चाहे कारपोरेशन की हों, सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश की पेराई क्षमता क्या है ? उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन क्या है, इसको बता दें ?

श्री हनुमन्त सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि यह सरकार 21 जून, 91 को चुनकर आयी उस समय उत्तर प्रदेश में जो चीनी मिलें हैं उनकी पेराई क्षमता 1,79,991 टन प्रतिदिन थी । हमारी सरकार जो किसानों की व्यावहारिक समस्यायें हैं उनका लगातार समाधान कर रही है, इस समय 2,14,491 टन प्रतिदिन पेराई हो गयी है । (शोर)

श्री स्वामी नाथ यादव–

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

श्री अब्दुल ए० सलाम–

मान्यवर, जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर की इन्क्वायरी करायी गयी वहां का वाटर लेबिल नीचे चला गया है । अभी जनपद फैजाबद और अकबरपुर से पर्चियां ली जा रही हैं । 80 प्रतिशत गन्ना अभी खेतों में खड़ा है । अप्रैल का महीना चल रहा है वाटर लेबिल और नीचे चला जायगा । मैंने बराबर आपको अवगत कराया है इसके लिए आप क्या कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी अगर प्रश्न का उत्तर दे सकते हों तो दे दीजिये ।

(शोर)

एक सदस्य–

इस पर चर्चा करा दीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

चर्चा कराने का कोई औचित्य नहीं है ।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

मान्यवर, यह प्रश्न सुलझने के बजाय उलझता जा रहा है । मैं आग्रह करूंगा कि नियम 49 के अन्तर्गत इस पर आधे घण्टे की चर्चा करा दीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

गन्ना विकास विभाग के अनुदान की मांगों पर चर्चा होगी उस समय इस पर विस्तृत रूप से चर्चा हो जायेगी ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है । माननीय गन्ना मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है और जो वास्तविकता है उसमें विरोधाभास हैं । मंत्री जी कह रहे हैं 96 प्रतिशत क्षमता एक्वायर की गयी है । मैं बताना चाहता हूं कि बागपत चीनी मिल जो निगम की मिल है उसकी अधिष्ठापित क्षमता 25 हजार क्विंटल प्रतिदिन है ।

(प्रतिवेदकों की मेज पर लगा माइक खराब होने के कारण स्पष्ट सुनाई नहीं दिया)

उसके विपरीत उसे मात्र 18 हजार क्विंटल प्रतिदिन की क्षमता से चलाया जा रहा है । मान्यवर, माननीय मंत्री जी की कथनी और वास्तविक स्थिति में विरोधाभास है । दूसरे जो जानकारी मांगी थी 1991-92 की, मंत्री जी ने कहा कि बैलेन्स शीट नहीं बनी । एक तरफ कह रहे हैं कि पूरी क्षमता से चल रही है और लाभ अर्जित कर रहे हैं और दूसरी तरफ 1991-92 की स्थिति नहीं बताते, तो मैं मांग करूंगा कि इस पर चर्चा स्वीकार कर ली जाय ।

श्री अध्यक्ष–

चर्चा के लिए लिखित रूप से दे दें ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

हां, मैं दे रहा हूं ।

**प्रदेश की मण्डी समितियों के चुनाव शीघ्र कराये जाने की मांग**

*3–श्री राम स्वरूप वर्मा–

क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश की मण्डी समितियों के चुनाव संबंधित अधिनियम के अनुसार कब तक कराने का सरकार का विचार है ताकि किसानों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके और उनका शोषण न हो सके ?

कृषि मंत्री (श्री गंगाा भक्त सिंह)–

मण्डी समितियों का चुनाव कराने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है । दिनांक 7-2-92 की अधिसूचना द्वारा निदेशक, कृषि विपणन को निर्वाचक निदेशक नियुक्त कर दिया गया है । अग्रिम कार्यवाही उनके द्वारा की जायेगी ।

श्री राम स्वरूप वर्मा–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि अधिसूचना जारी होने के कितने दिनों के अन्दर चुनाव सम्पन्न हो जाने चाहिए और उस हिसाब से किस तारीख तक चुनाव पूरे हो जायेंगे ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

मान्यवर, 1964 से, जब से कृषि उत्पादन मण्डी समिति अधिनियम बना है, तब से अभी तक कभी चुनाव नहीं हुए हैं । अब चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है । इसकी लम्बी प्रक्रिया है, उसमें जितना समय लगेगा, उसके बाद ही चुनाव हो पायेंगे ।

श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, कम से कम समय तो बता दें कि लगभग कितना समय लगेगा ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

मेरी ओर से प्रयास होगा कि यथाशीघ्र चुनाव हो जायं ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह कहा कि सन् 1964 से उसका गठन हुआ था । हम लोग जानते हैं कि 62 या 60 में हुआ था । जो भी सरकार आयी, चुनाव कराने से कतराती रही । हम लोग भी दोषी हैं । ये कहते हैं कि पिछली सरकारों से अलग शकल दे रहे हैं प्रदेश के सामने । यह भी वही काम कर रहे हैं जो पिछली सरकारों ने किये हैं । चुनाव न होने से मण्डी समिति जिस लाभ के लिए गठित की गयी थी, उसका लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है । हर जगह यही दिख रहा है । क्या माननीय मंत्री जी इस सदन में स्पष्ट आश्वासन देंगे कि इस मण्डी समिति का चुनाव 3 माह के अन्दर सम्पन्न करा देंगे और अगर नहीं करा देंगे तो कभी भी इस सदन में पिछली सरकारों से तुलना नहीं करेंगे । इसका आश्वासन सदन में देंगे ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

मान्यवर, मैंने कह दिया है कि चुनाव प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है । चुनाव में जितना समय लगेगा, लम्बी प्रक्रिया है, उसमें जितना समय लगेगा, उतना लगेगा । मैं कैसे कह दूं कि कब तक करा दूंगा ।

श्री महक सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि मण्डी समिति में चुनाव क्यों नहीं कराये जा रहे हैं । क्या यह सही है कि मण्डी समिति में किसानों को जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था, व्यापारियों को दे दिया गया है, इसका क्या कारण है ? यह किसानों की सरकार किसानों के साथ न्याय क्यों नहीं कर रही है ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

मान्यवर, जो प्रक्रिया है, उसके अनुसार चुनाव होगा और उस चुनाव के पहले नामांकन किया जा सकता है, क्योंकि बराबर यह मांग होती रही है कि प्रशासनिक लोगों को हटा दिया जाय और मण्डी समिति का कार्य जन प्रतिनिधियों के द्वारा हो । अतः वहां पर समितियां गठित कर दी गयी हैं । नियम उसका यह है कि एक कमीशन एजेंट या आढ़ती होगा, एक व्यापारी होगा, पांच कृषक होंगे । एक अध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य हो सकते हैं, जिसके बारे में मैंने जवाब दिया है । आप नियम पढ़ लें, 11 सदस्यों की एक समिति होगी ।

(व्यवधान)

श्री सोमांश प्रकाश–

मान्यवर, जो व्यापारी हैं, वह इसके चेयरमैन नहीं हो सकते, यह ऐक्ट में है । मेरा इसमें स्पष्ट आरोप है कि जो मण्डी समितियों में चेयरमैन बनाये गये हैं वे व्यापारी बनाये गये हैं । इसमें यह है कि जिसके नाम जमीन हो, वह चेयरमैन हो सकता है । मेरी जानकारी को सुनिश्चित मानते हुए मैं बताना चाहता हूं कि मुजफ्फरनगर मण्डी समिति में जो चेयरमैन बनाये गये हैं, वह शुद्ध व्यापारी हैं, वह कमीशन एजेंट हैं, उनको चेयरमैन नियुक्त कर दिया है, जो बिल्कुल नियम विरुद्ध है ।

(घोर व्यवधान)

श्री गंगा भक्त सिंह–

जो माननीय सदस्य ने जानकारी दी है, उसमें थोड़ी सी इनकी भूल है । इस प्रकार की समितियां जो हैं, उसमें कोई ऐसा प्रतिबन्ध नहीं है कि वहां व्यापारी अध्यक्ष नहीं बन सकते । निर्वाचन में कृषक ही उसका अध्यक्ष होगा ।

श्री सोमांश प्रकाश–

नहीं मान्यवर, ऐक्ट को देख लीजिए ।

श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में एक ददरौल ब्लाक पड़ता है, जो शाहजहांपुर मण्डी समिति के अन्तर्गत है । हमारे यहां पर व्यापारी और शहर के जो भी बासिंदा हैं, उन्हें चेयरमैन और डाइरेक्टर नामिनेट किया गया है, दुख इस बात का है कि ददरौल ब्लाक जो पूर्णतया शाहजहांपुर समिति के अन्तर्गत है, उसमें से

एक भी किसान परिवार या किसी को भी सदस्य तक नामिनेट नहीं किया गया है, जिससे ददरौल ब्लाक के किसानों की खुली उपेक्षा की गयी है, जिसके संबंध में मेरी स्पष्ट और सुनिश्चित जानकारी है कि यह सरकार व्यापारी को महत्व देकर, किसानों की उपेक्षा कर रही है ।

(कोई उत्तर नहीं आया)

श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

मान्यवर, जबाब तो दिलवा दीजिए ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है और वह कई स्तरों पर होनी है, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि चुनाव की प्रक्रिया किस स्तर तक हो गयी है, कौन-कौन से चरण हो गये हैं ।

श्री गंगा भक्त सिंह–

मान्यवर, चुनाव की प्रक्रिया में चुनाव अधिकारी का नियुक्त किया जाना है, इसके लिये निदेशक को चुनाव अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है । इसके बाद परिसीमन का कार्य होगा, मण्डी का क्षेत्र जो है उसकी सीमा बनानी होगी, फिर वोटर लिस्ट बनायी जाती है और जब वोटर लिस्ट तैयार हो जाती है, तो चुनाव कराये जाते हैं ।

श्री माया शंकर पाठक–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या ऐसा नियम है कि किसान जिसके पास जमीन हो वही मण्डी समिति का चेयरमैन हो सकता है । मैंने भी नियमों को पढ़ा है और माननीय कृषि मंत्री जी ने बताया है कि यह नियम लागू नहीं होता है और नियमों में ऐसा नहीं है । मान्यवर, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं चाहे एडहाक नियुक्ति हो या और किसी प्रकार की नियुक्ति हो, सभी के लिये यह आवश्यक है कि वह किसान हो, उसके पास जमीन हो और नगरपालिका की सीमा के अन्दर न रहता हो, उसे ही चेयरमैन बनाया जा सकता है । उत्तर प्रदेश शासन अपने विवेक से ऐसी नियुक्ति कर सकती है, वह नियम माननीय मंत्री जी सदन के समक्ष प्रस्तुत कर दें ।

श्री गंगा भक्त सिंह–

मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि यह गलत समझा जा रहा है । जो नामांकित समितियां हैं उनके लिये और चुनाव के लिये अलग-अलग शर्तें हैं । जो नामांकित समिति है उसके लिये यह आवश्यक है कि 5 कृषक हों, आढ़ती हों, लेकिन जब चुनाव होगा तो केवल कृषकों को ही अध्यक्ष बनाया जा सकता है और किसी को नहीं बनाया जा सकता है ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह नहीं स्पष्ट किया है.....

श्री महक सिंह–

मान्यवर, मुझे अपनी बात कहने का अवसर नहीं दिया जा रहा है । इसलिए मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री महक सिंह सदन त्याग कर चले गये)

**नारकोटिक्स ड्रग्स एवं सब्सटेन्सेस ऐक्ट के अन्तर्गत मुकदमों के शीघ्र निस्तारण हेतु विशेष न्यायालयों के गठन की मांग**

*4–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार को जानकारी है कि नारकोटिक्स ड्रग्स एवं साइकोट्रषिक सब्सटेन्सेस ऐक्ट के अन्तर्गत चलाये जा रहे मुकदमों का शीघ्र निस्तारण विशेष न्यायालयों के गठन के अभाव में नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार विशेष न्यायालयों के गठन पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई, न्याय तथा विधायी मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

जी नहीं, ऐसा नहीं है ।

भारत सरकार के अनुरोध पर मा० उच्च न्यायालय ने नारकोटिक्स ड्रग्स एवं सब्सटेन्सेस ऐक्ट, 1985 के अन्तर्गत मामलों के शीघ्र निस्तारण हेतु एक-एक अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को नामित कर दिया है किन्तु अलग से विशेष न्यायालयों का गठन नहीं किया गया है ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मैं माननीय मंत्री जी द्वारा दिये गये उत्तर के संदर्भ में मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो इस ऐक्ट के अन्तर्गत भारत सरकार के मुताबिक जो न्यायाधीश नामित किये गये हैं यह कब से और कौन से जिलों में अब तक नामित किये जा चुके हैं और उन अदालतों में अब तक कितने मुकदमें दर्ज हुए और कितनों का निस्तारण हुआ ? दूसरा प्रश्न यह है कि इस प्रकार के अपराध की दृष्टि से कौन से जिले अधिक संवेदनशील हैं और जो बाकी जिले हैं उनमें इस प्रकार के न्यायाधीशों को नामित करने पर क्या सरकार विचार कर रही है ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, अब तक 15 जिलों में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को इस ऐक्ट के अन्तर्गत मुकदमों के निस्तारण करने की विशेष जिम्मेदारी दी गयी है । यह जिले हैं आगरा, इलाहाबाद, अलीगढ़, बरेली, फैजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, नैनीताल, सहारनपुर, वाराणसी यह 15 जिलों में विशेष अदालतें बल्कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को विशेष जिम्मेदारी दी गयी है । भारत सरकार इस ऐक्ट के अन्तर्गत अलग से विशेष न्यायालयों की स्थापना करने की इच्छुक है इसलिये उन्होंने इस सिलसिले में एक प्रोफार्मा भेजा है यह जानकारी करने के लिये कि विभिन्न न्यायालयों में कितने मुकदमें इस ऐक्ट के अन्तर्गत लम्बित हैं इसलिये इस प्रकार के प्रोफार्मा के अनुसार मार्च में माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से सभी जिला न्यायाधीशों से यह सूचना मांगी गयी है । जो पिछली पुरानी सूचना है उसके अनुसार दिसम्बर, 90 में कुल 2040 मुकदमें प्रदेश में लम्बित थे इसके बाद यह सूचना अभी एकत्र की जा रही है । माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से पूरी सूचना प्राप्त हो जाने के बाद ही बतलाया जा सकता है कि इस समय प्रदेश में इस ऐक्ट के अन्तर्गत कितने मुकदमें लम्बित हैं और किस जिले में कितने हैं ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, इसकी भी इनफार्मेशन दें कि अधिक संवेदनशील कौन से जिले हैं और बाकी जिले कौन हैं जहां कि वहां पर विशेष न्यायाधीश नियुक्त करने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री अध्यक्ष–

वह उच्च न्यायालय से सूचना आ जायेगी कि कितनी संख्या है तो माननीय मंत्री जी बता देंगे ।

डा० दिनेश जौहरी–

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है चौधरी साहब ने । मान्यवर, प्रदेश में विद्यार्थियों को और युवा पीढ़ी को एल० एस० डी०, मार्फीन, पैथाडीन और स्मैक यह सब उपलब्ध कराने का धन्धा

तेजी से हो रहा है और इनको बेचे जाने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है । मैं माननीय मंत्री जी से अपनी निश्चित जानकारी के अनुसार जानना चाहता हूं कि जो लोग स्कूलों और पान की दुकानों के बाहर बच्चों को नारकोटिक्स बेचते हैं उनका चालान बहुत कम हुआ है तो मैं जानना चाहता हूं कि जो मामले लम्बित हैं यह मामले कौन हैं और जो स्कूलों के बाहर या पान की दुकानों पर विद्यार्थियों को नारकोटिक्स बेचते हुए पकड़े गये हैं उनकी संख्या क्या है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर पुलिस विभाग से ऐसे मुकदमों की सूचना मंगानी है तो पुलिस से मंगाना पड़ेगा और अगर न्यायालय में दाखिल मुकदमों की जानकारी करनी है तो माननीय उच्च न्यायालय से मंगाना पड़ेगा और जो प्रशासनिक प्रश्न किया है जो सुझाव दिया है उसको सरकार कार्यान्वित कर रही है, कोई विशेष जगह की बात होगी तो देख लिया जायेगा ।

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

मान्यवर; मुकदमें का शीघ्र निस्तारण न होने के कारण यह जो ड्रग्स एवं सब्सटेन्स ऐक्ट के बन्दी हैं वह जेलों में लम्बी अवधि तक बने रहने के कारण और इस प्रकार के अन्य अपराधी के भी जेलों में बन्द होने से ये लोग ड्रग्स बनाने का माध्यम बना लेते हैं तो क्या कोई ऐसी योजना विचाराधीन है कि ऐसे बन्दियों को किसी अलग जेल में जब तक उनका मामला निस्तारित न हो जाय रखने की योजना विचाराधीन है जिससे इस अपराध का विस्तार न हो सके ।

श्री अध्यक्ष–

यह मूल प्रश्न की परिधि से बाहर है, उसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है ।

*5–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[दि० 1-4-92 को ता० प्र० सं० 4 द्वारा उत्तरित]

*6–श्री राम आसरे वर्मा–

[मा० उपाध्यक्ष होने के कारण हटाया गया]

**मण्डी परिषद् में कार्यरत वर्कचार्ज कर्मचारियों को नियमावली के अनुरूप वेतन उपलब्ध कराने के संबंध में**

*7–श्री राम लखन वर्मा–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, निर्माण निगम, निर्माण खण्ड के अन्य विभागों में वर्कचार्ज कर्मचारियों की नियुक्ति लोक निर्माण विभाग के नियमों के अनुरूप होती है ? यदि हां, तो मण्डी परिषद् में वर्कचार्ज कर्मचारियों की नियुक्ति उपरोक्त विभाग के नियमों के अनुरूप न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या यह सही है कि इस विभाग में वर्कचार्ज कर्मचारियों को अन्य विभाग के वर्कचार्ज कर्मचारियों से कम वेतन दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों ? कब तक वर्कचार्ज नियमावली के अनुरूप वेतन मण्डी परिषद् के वर्कचार्ज कर्मचारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

मण्डी परिषद् निगमित निकाय है अतः वर्कचार्ज कर्मचारियों को परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर वेतन दिया जाता है जिसमें यह विचार रखा जाता है कि वेतन न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में निर्धारित वेतन से कम न हो ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम लखन वर्मा–

माान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्कचार्ज कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, निर्माण निगम, निर्माण खण्ड के अन्य विभागों में वर्कचार्ज कर्मचारियों की नियुक्तियों में कोई अन्तर है या कि बराबर का नियम है ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

मैंने उत्तर दिया है कि सबकी नियमावली अलग-अलग है । मण्डी परिषद् की नियमावली के हिसाब से करने की बात है, यह स्वायत्तशासी संस्था है, अलग नियमावली है, बोर्ड परिषद् इसको नियत करता है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न काल समाप्त हुआ । [1]

**जनपद देवरिया में उत्पादित गन्ने को बाहर भी भेजे जाने की जानकारी के संबंध में**

*8–श्री स्वामी नाथ यादव–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के दक्षिणी व उत्तरी दोनों में कुल कितनी गन्ने की पैदावार 1991-92 सत्र में हुई है ? क्या देवरिया जनपद की समस्त चीनी मिलें इस सत्र में किसानों का सम्पूर्ण गन्ना की पेराई कर लेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? क्या इस जनपद का गन्ना बाहरी जनपदों में भी भेजा जायेगा ? यदि हां, तो क्या गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिश्चित कर लिया गया है ? कितना गन्ना बाहर भेजा जायेगा तथा उसका मूल्य क्या होगा ?

श्री हनुमन्त सिंह–

देवरिया जनपद में वर्ष 1991-92 में लगभग 700 लाख कुन्टल गन्ना उत्पादन का अनुमान है ।

गन्ना समितियों द्वारा आफर किये गये सम्पूर्ण गन्ने की खरीद चीनी मिलों द्वारा कर ली जायेगी ।

जून, 1992 तक ।

जी हां ।

जी हां ।

लगभग 41.26 लाख कुन्टल गन्ना की खरीद का आफर गोरखपुर जनपद की सरदार नगर चीनी मिल को दिया गया है, जिसका अनुमानित मूल्य लगभग 180.00 लाख रु० है ।

*9–श्री विजय सिंह (सोनभद्र)–

[6ठे गुरुवार में ता० प्र० सं० 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ]

---

[1]नोट :–नत्थी 'घ' के तारांकित प्रश्न संख्या–7 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हुआ ।

**जनपद बलिया में गंगा नदी की कटान से गांवों को बचाने हेतु परियोजना को बरसात से पूर्व पूरा करने की मांग**

*10–श्री भरत सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि गंगा के कटान से बलिया जनपद के जय प्रकाश नगर एवं अन्य ग्रामों को बचाने हेतु सिंचाई विभाग से एक परियोजना बनी थी ? क्या इस परियोजना के पूर्ण न होने से वहां का टिपरी गांव नदी में कटकर मिल गया है ? क्या सरकार ने उस परियोजना के निर्माण हेतु मण्डलीय मीटिंग में तुरन्त कार्य प्रारम्भ करने हेतु आश्वासन भी दिया था ? यदि हां, तो अब तक कार्य प्रारम्भ न होने का क्या कारण है ? क्या इस वर्षा से पूर्व इसका निर्माण हो जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं , तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जय प्रकाश नगर बांधों के सुरक्षित क्षेत्र में है । दो अन्य ग्रामों को बचाने हेतु सिंचाई विभाग द्वारा एक परियोजना बनायी गयी थी ।

परियोजना कार्य धन न प्राप्त होने के कारण प्रारम्भ नहीं हो सका । बाढ़ 91 में ग्राम टिपरी गांव आंशिक रूप से कट गया है ।

धन आवंटन होने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ करने की बात कही गयी थी ।

स्वीकृत परियोजनाओं पर कार्य पारस्परिक प्राथमिकता तथा धन उपलब्ध होने के आधार पर कराया जाता है ।

*11–श्री मारकण्डेय सिंह–

[ दो विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त ]

**विद्युत परिषद् द्वारा समान उपभोग के लिए समान भुगतान की नीति लागू कर सभी नागरिकों को समान सुविधा दिलाया जाना**

*12–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में रोशनी पंखा आदि घरेलू कार्यों के लिए उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के कर्मचारी, अधिकारीगण तथा किसानों से मीटर रीडिंग के अनुसार विद्युत मूल्य न अदा करने बल्कि एक निश्चित धनराशि ही प्रतिमाह जमा करने के एवज में मनचाही बिजली खर्च करने की सुविधा प्रदान करते हुए राज्य विद्युत परिषद् द्वारा जारी किये गये आदेश प्रभावी हैं ? यदि हां, तो संविधान में प्रत्येक नागरिक को दिये गये समान अधिकार और समान सुविधाओं की अवधारणा के बावजूद अन्य उपभोक्ताओं पर मीटर रीडिंग के अनुसार विद्युत मूल्य अदा करने जैसे भार को लादने के क्या कारण हैं ? क्या विद्युत परिषद् द्वारा समान उपभोग के लिए समान भुगतान की नीति लागू कराकर सरकार प्रदेश के सभी नागरिकों को समान सुविधा उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा मंत्री (श्री लाल जी टण्डन)–

जी हां । किसानों एवं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अधिकारियों व कर्मचारियों के अतिरिक्त बिना मीटर की विद्युत आपूर्ति जनता कनेक्शन, कुटीर ज्योति कनेक्शनों तथा राजकीय नलकूप कनेक्शनों पर भी शासन की नीतियों के अनुसार की जाती है । विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की

धारा 49 में परिषद् को विभिन्न प्रक्रिया के उपभोक्ताओं को उनके विद्युत उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए भिन्न-भिन्न टैरिफ निर्धारित करने का अधिकार प्रदत्त हैं । इन अधिकारों में संविधान द्वारा प्रदत्त समानता के अधिकारों का हनन नहीं होता है ।

विद्युत आपूर्ति द्वारा सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु विद्युत दरें इस विषय में शासन की नीति एवं परिषदीय नियमों/निर्णयों के आधार पर निर्धारित की जाती हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**सिंचाई विभाग के अधीनस्थ शारदा सहायक खण्ड-2, आजमगढ़ में कार्यरत श्री हरीनाथ शर्मा अवर अभियन्ता के विरुद्ध दिये गये शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही**

*13–श्री अब्दुल ए० सलाम–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग के अधीनस्थ शारदा सहायक खण्ड–2, आजमगढ़ में कार्यरत श्री हरीनाथ शर्मा, अवर अभियन्ता के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी प्रश्नकर्ता का दिनांक 2 नवम्बर, 91 व दिनांक 6-12-91 का परिवाद-पत्र उन्हें प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो उक्त परिवाद-पत्र में उल्लिखित तथ्यों की जांच तथा दोषी अवर अभियन्ता एवं अधिकारियों के विरुद्ध विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है । यदि नहीं, तो कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

परिवाद-पत्रों में उल्लिखित शिकायतों की जांच की गयी है । श्री शर्मा अवर अभियन्ता के विरुद्ध उक्त जांच में कोई अनियमितता नहीं पायी गयी है । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

**प्रदेश में कृषि रक्षा दवाओं का वितरण कार्य कृषि रक्षा इकाइयों द्वारा कराये जाने की मांग**

*14–श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि प्रान्त की कृषि रक्षा इकाइयों द्वारा कृषकों को कृषि रक्षा दवाओं का वितरण कार्य बन्द कर इस कार्य को सहकारी समिति/संघ को दे दिया गया है जो पूर्णतः सामान्य वितरण में अक्षम सिद्ध हो चुके हैं ? क्या शासन इस नीति को समाप्त कर पूर्व व्यवस्था लागू करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

रबी 1991-92 में दस प्रमुख कृषि रक्षा रसायनों के संबंध में ही यह निर्णय लिया गया था । इन रसायनों के अलावा शेष रसायनों के संबंध में ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया था ।

वर्ष 1992-93 में कृषि रक्षा रसायनों का वितरण पूर्व की भांति कृषि विभाग, सहकारिता विभाग एवं यू० पी० एग्रो द्वारा किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**करहल जिला मैनपुरी में घोषित समय सीमा के अनुसार विद्युत आपूर्ति न होने के संबंध में**

*15 –श्री बाबूराम यादव–

क्या सरकार के संज्ञान में है कि करहल मैनपुरी में सरकार द्वारा घोषित समय सीमा के अनुसार 14 घण्टे विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या यह सही है कि कस्बा करहल में विद्युत आपुर्ति गत 6 वर्ष से कटगरी प्रथम की रही है ? यदि हां, तो क्या अब इसे समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री लाल जी टण्डन–

करहल नगर जनपद मैनपुरी को 14.00 घण्टे प्रतिदिन 3-फेस विद्युत आपूर्ति करने का हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है । पिछले तीन माह में मैनपुरी जनपद के अन्तर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों जिनमें करहल भी शामिल है, को निम्न तालिका के अनुसार 3-फेस औसत विद्युत आपूर्ति की गयी :–

| माह | मैनपुरी जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति (घण्टे प्रतिदिन) |
|---|---|
| दिसम्बर–91 | 13.27 |
| जनवरी–92 | 12.28 |
| फरवरी–92 | 12.58 |

किसी भी ग्रामीण क्षेत्र को 14 घंटे प्रतिदिन निर्धारित कार्यक्रम के सापेक्ष उसी दशा में कम दी जाती है जब विद्युत की मांग उपलब्धता के सापेक्ष बहुत बढ़ जाती है या जब कभी वोल्टेज बहुत कम हो जाता है तब प्रदेश की विद्युत प्रणाली को पूर्णतया ठप्प होने से बचाने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों की भी आपातकालीन कटौती करानी पड़ती है ।

परिषद् की वर्तमान नीति के अनुसार प्रथम श्रेणी नगर का स्तर सामान्यतः उन नगरों को दिया जाता है जिनकी जनसंख्या 1981 की जनगणना के अनुसार 25,000 या उससे अधिक होती है । करहल नगर जनपद मैनपुरी की जनसंख्या 1981 की जनगणना के अनुसार केवल 12,405 हैं । इसलिये यह नगर प्रथम श्रेणी के नगरों की श्रेणी में नहीं आता है । अतः यह ग्रामीण क्षेत्र है । पिछले वर्षों में इसे अस्थायी रूप से शासन के आदेशों पर कभी कभी विभिन्न कारणों से प्रथम श्रेणी के नगर का स्तर दिया गया था परन्तु पिछले कई महीनों से करहल ग्रामीण क्षेत्रों की श्रेणी में है ।

**सिंचाई विभाग में वर्ष 1977 व पूर्व से कार्यरत अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के अवर अभियन्ताओं को प्रोन्नति दिए जाने की मांग**

*16– श्री पूरन चन्द्र–––

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग के सन् 1977 व इससे पूर्व के अनुसूचित जाति के अवर अभियन्ताओं की पदोन्नति अब तक किन कारणों से नहीं हो पायी ? कब तक इनकी पदोन्नति सहायक अभियन्ता के पदों पर होगी ? क्या समान वर्ग के अवर अभियन्ताओं के पदों पर होगी ? क्या सामान्य वर्ग के अवर अभियन्ताओं की पदोन्नति 14 अगस्त, 1989 से क्रमबद्ध रूप से शासन द्वारा की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

**यांत्रिक संवर्ग**

सिंचाई विभाग में वर्ष 1977 व इससे पूर्व के अनुसूचित जाति के पात्र एवं उपयुक्त अवर अभियन्ताओं की प्रोन्नति की जा चुकी है । वर्तमान में अनुसूचित जाति एवं जन जाति में रिक्त डिप्लोमाधारी श्रेणी के 4 पदों पर अवर अभियन्ताओं की प्रोन्नति के .संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है, जिसके लिए समय-सीमा का निर्धारण किया जाना सम्भव नहीं है ।

दिनांक 14-8-1989 के बाद से अब तक सामान्य वर्ग के डिप्लोमाधारी अनुसूचित जाति के डिप्लोमाधारी एवं सामान्य श्रेणी के डिप्लोमाधारी की प्रोन्नति तदर्थ रूप से क्रमशः वर्ष 1989 एवं 1991 में सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) के पद पर की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**सिविल संवर्ग**

सिंचाई विभाग में वर्ष 1977 या इससे पूर्व के अनुसूचित जाति के पात्र एवं उपयुक्त अवर अभियन्ताओं की प्रोन्नति तत्समय के नियमानुसार की जा चुकी है । शेष अनुसूचित जाति के अवर अभियन्ताओं की पदोन्नति वर्तमान नियमानुसार पात्रता क्षेत्र में आने एवं उपयुक्त पाये जाने पर ही की जा सकेगी, जिसके लिए समय सीमा का निर्धारण किया जाना सम्भव नहीं है ।

सामान्य वर्ग के पात्र अवर अभियन्ताओं को उपयुक्त पाये जाने पर वर्तमान नियमों के अन्तर्गत क्रमशः वर्ष 1989 एवं 1991 में तदर्थ रूप से प्रोन्नति किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-2 में वर्ष 1961 से कार्यरत कर्मचारियों को स्थाई किये जाने एवं उनकी सूची की मांग**

*17—श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-2 में निरन्तर 1961 से सेवारत कितने कर्मचारी ऐसे हैं जो अभी तक स्थायी नहीं किये गये हैं ? उनको अभी तक स्थायी न करने का कारण क्या है ? क्या सरकार इन कर्मचारियों को स्थायी करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? क्या सरकार प्रदेश स्तर पर कार्यरत कृषि वर्ग सेवा-2 में कार्यरत कर्मचारियों की सूची भी प्रेषित करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह—

55 कर्मचारी ।

इन 55 कर्मचारियों ने स्थायीकरण के लिए अनिवार्य विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है तथा उनके संबंध में अन्य औपचारिकतायें भी पूरी नहीं हैं ।

जी हां ।

स्थायीकरण के लिए औपचारिकतायें पूर्ण होने पर उनके स्थायीकरण पर विचार किया जायेगा ।

अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-2 का पद आयोग की परिधि में है । अनुमोदित सदस्यों की ही ज्येष्ठता सूची रखी जाती है । वर्ष 1966 तक अनुमोदित सदस्यों की सूची को मेरे कक्ष में अवलोकित किया जा सकता है ।

**प्रदेश में सरकार द्वारा गन्ना किसानों को घोषित वर्तमान गन्ना मूल्य का भुगतान किया जाना**

*18–श्री राम ललित चौधरी–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार द्वारा घोषित वर्तमान गन्ना मूल्य का भुगतान प्रदेश के गन्ना किसानों को किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

जी हां ।

शेष का प्रश्न नहीं है ।

**जनपद बांदा में भुरेडी पम्प कैनाल स्थापित तथा पथरी पम्प कैनाल चालू कराये जाने की मांग**

*19–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा में केन नदी से भुरेडी पम्प कैनाल गत वर्षों में स्वीकृत हुई थी ? यदि हां, तो उक्त पम्प कैनाल कब तक स्थापित की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या वहां पथरी पम्प कैनाल भी खुलवायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

केन नदी में पर्याप्त पानी उपलब्ध न होने के कारण ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

केन नदी में पर्याप्त पानी उपलब्ध न होने के कारण ।

**टिहरी बांध निर्माण परियोजना में अब तक हुए व्यय तथा उसे भूकम्प से बचाने हेतु उपायों की जानकारी**

*20–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी बांध निर्माण परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है ? क्या इसके निर्माण के पूर्व भूवैज्ञानिक से सलाह ली गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ? अभी हाल में जो भूकम्प आया है क्या उसका बांध निर्माण स्थल पर कोई कुप्रभाव पड़ा है ? क्या सरकार कोई ऐसा उपाय कर रही है कि वह क्षेत्र भूकम्प से निष्प्रभावी रहे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

माह फरवरी तक इस परियोजना पर 667 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं ।

निर्माण से पूर्व भारतीय एवं रूसी भू-वैज्ञानिकों से सलाह ली गयी थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

चूंकि भूकम्प एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और स्थानीय क्षेत्र भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा जारी भूकम्प मानक के अनुसार टिहरी क्षेत्र जोन-4 के अन्तर्गत आता है । किसी भी क्षेत्र को भूकम्प से पूर्णतया निष्प्रभावित नहीं किया जा सकता । कारपोरेशन द्वारा स्थानीय भौगोलिक तथा भूकम्पीय परिमानों को आधार रखते हुए बांध से संबंधित सभी कार्यों का परिकल्पन वर्तमान सुरक्षा आयामों को ध्यान में रखते हुए किया गया है । बांध स्थानीय अधिकतम सम्भावित भूकम्प की दृष्टि से सुरक्षित है ।

## अतारांकित प्रश्न

## शक्ति भवन मुख्यालय में कार्यरत जन सम्पर्क अधिकारी/सहायक जन सम्पर्क अधिकारी के स्वीकृत पदों की संख्या एवं उनके किया कलापों की जानकारी

1–श्री रवीन्द्र प्रताप–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अधीन शक्ति भवन मुख्यालय में जनसम्पर्क अधिकारी/सहायक जन सम्पर्क अधिकारी के कितने पद स्वीकृत हैं तथा वर्तमान में कितने कार्यरत हैं ? उनको किस प्रकार का कार्य दिया गया है ? क्या इस स० ज० स० अ० में से कुछ अधिकारी दूरदर्शन एवं प्रेस तथा अन्य स्थानों पर भी कार्य करते हैं ? यदि हां, तो इसके लिए परिषद् ने कोई अनुमति पत्र जारी किया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उस पत्र को सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

विद्युत परिषद् मुख्यालय में जन सम्पर्क अधिकारी का कोई पद स्वीकृत नहीं है । सहायक जन सम्पर्क अधिकारी का एक पद स्वीकृत है । वर्तमान में परिषद् मुख्यालय में तीन सहायक जन सम्पर्क अधिकारी कार्यरत हैं । उक्त में से दो सहायक जन सम्पर्क अधिकारी अन्यत्र स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत है । इनके द्वारा निम्नलिखित कार्य सम्पन्न किये जा रहे हैं :–

1–परिषदीय पत्रिकाओं का प्रकाशन ।

2–प्रेस विज्ञप्ति बनाना व प्रकाशित करना ।

3–प्रदर्शनियों का कार्य ।

4—जन सम्पर्क के अन्य कार्य जैसे प्रेस/आकाशवाणी/दूरदर्शन आदि से परिषदीय कार्य के संबंध में समन्वय ।

5–प्रेस कांफ्रेस एवं सेमिनार आयोजित करना ।

6–समाचार-पत्रों से समाचारों की कटिंग एवं दैनिक समीक्षा ।

7–विज्ञापन बीजकों का सत्यापन ।

जी नहीं । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

2–श्री रवीन्द्र प्रताप–

[दि० 26-2-92 का अता० प्र० सं० 44 द्वारा उत्तरित ]

**उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के शक्ति भवन मुख्यालय में स्वीकृत चतुर्थ श्रेणी के पदों की संख्या एवं कार्य की जानकारी**

3–श्री रवीन्द्र प्रताप–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत शक्ति भवन मुख्यालय में कितने चतुर्थ श्रेणी के पद स्वीकृत पद हैं ? वर्तमान में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या इन कर्मचारियों से पदवार स्थिति के अनुरूप कार्य लिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् मुख्यालय में चतुर्थ श्रेणी के स्वीकृत पद एवं उन पर कार्यरत कर्मचारियों का विवरण निम्नवत् है :–

| क्र० सं० | पदनाम | स्वीकृत पदों की संख्या | कार्यरत कर्मचारियों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | हेडगार्ड | 1 | 1 |
| 2 | गार्ड | 20 | 20 |
| 3 | प्लम्बर | 1 | 1 |
| 4 | स्टोर जमादार | 1 | 1 |
| 5 | डिस्पैच राइडर | 1 | 1 |
| 6 | जमादार | 6 | 6 |
| 7 | मेट | 3 | 3 |
| 8 | साइक्लोस्टाइल आपरेटर | 3 | 3 |
| 9 | दफ्तरी | 3 | 3 |
| 10 | माली | 2 | 2 |
| 11 | फेरोटाइपराइटर | 1 | 1 |
| 12 | पेट्रोलमैन | 1 | 1 |
| 13 | लाइन कुली | 1 | 1 |
| 14 | काउन्टर पैकर | 4 | 3 |
| 15 | हेड स्वीपर | 1 | 1 |
| 16 | लिफ्ट अटेन्डेन्ट | 4 | 4 |
| 17 | बोर्ड रूम अटेन्डेन्ट | 1 | × |
| 18 | साइकिल चौकीदार | 3 | 3 |
| 19 | दफादार | 1 | 1 |
| 20 | कुली केयरटेकर/स्टेशनरी | 8 | 6 |
| 21 | हेल्पर | 7 | 7 |
| 22 | स्वीपर | 11 | 9 |
| 23 | फर्राश | 5 | 2 |
| 24 | बुक लिफ्टर | 1 | 1 |
| 25 | चपरासी | 135 | 135 |
| 26 | बण्डल लिफ्टर | 3 | 2 |
| | | 228 | 218 |

समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से उनकी उपयोगितानुसार चतुर्थ श्रेणी पदों के अनुरूप कार्य लिया जा रहा है ।

4–श्री रवीन्द्र प्रताप–

[दि० 11-3-92 को अता० प्र० सं० 85 द्वारा उत्तरित ]

**जिला बस्ती के ग्राम पिटाउट के गन्ना किसानों द्वारा दिये गये शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही**

5–श्री राम ललित चौधरी–

क्या गन्ना विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ग्राम पिटाउट पो० अमरोली सुमाली जिला बस्ती के गन्ना किसानों की कोई शिकायत प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 30-12-91 के साथ उन्हें प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री हनुमन्त सिंह–

जी हां ।

जांच करायी गयी ।

प्रश्न नहीं है ।

जांच के आधार पर किसी कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

प्रश्न नहीं है ।

**प्रदेश में चीनी का उत्पादन बढ़ाने हेतु खाण्डसारी इकाइयों में वैकूम पैन की व्यवस्था**

6–श्री राम ललित चौधरी–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि वैकूम पैनवाली बड़ी शुगर मिलों की औसत रिकवरी लगभग 10 प्रतिशत और खाण्डसारी इकाइयों की औसत रिकवरी 6.5 प्रतिशत है ? यदि हां, तो क्या दोनों में 3.5 प्रतिशत का अन्तर है ? क्या यह अन्तर खाण्डसारी इकाइयों में वैकूम पैन के व्यवस्था के अभाव में है ? यदि हां, तो क्या यह 3.5 प्रतिशत चीनी का अन्तर्राष्ट्रीय क्षति है ? क्या इस अन्तर को समाप्त कराने के लिए सरकार खाण्डसारी इकाइयों में वैकूम पैन की व्यवस्था की इजाजत देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

जी नहीं । वैकूम पैन वाली बड़ी शुगर मिलों की औसत रिकवरी लगभग 9.5 प्रतिशत आंकलित की गयी है तथा खाण्डसारी इकाइयों की औसत रिकवरी 6.5 से 7.0 प्रतिशत तक आंकलित की गयी है ।

जी नहीं, दोनों में से 2.5 से 3.0 प्रतिशत का अन्तर है ।

अन्तर का यह मुख्य कारण दोनों प्रक्रियों में गन्ने से रस निकालने की क्षमता जो मशीनरी के आकार व प्रकार पर आधारित है । खाण्डसारी इकाइयों द्वारा 65 प्रतिशत गन्ने का रस निकाला जाता है. जबकि चीनी मिलों द्वारा यह मात्रा 90 से 95 प्रतिशत तक होती है । इस तरह से लगभग डेढ़ से दो प्रतिशत रिकवरी में अन्तर आ जाता है तथा शेष प्रतिशत तक का अन्तर ही वैकूम पैन प्रणाली के कारण है ।

जी हां । वर्तमान समय में उ० प्र० द्वारा उत्पादित समस्त गन्ना में से लगभग 32 प्रतिशत गन्ना ही चीनी मिलों द्वारा पेरा जाता है । कुछ गन्ना गुड/बीज के रूप में प्रयुक्त हो जाता है । खाण्डसारी में प्रयुक्त होने वाले गन्ने का परता कम होने से चीनी की उत्पादकता में कमी राष्ट्रीय क्षति है ।

वैकूम पैन के लाइसेंस भारत सरकार द्वारा जारी किये जाते हैं ।

**केन यूनियन बस्ती एवं वाल्टरगंज द्वारा वर्ष 91-92 में गन्ना क्रय में बांधली विषयक शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी**

7–श्री राम ललित चौधरी–

क्या गन्ना विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में केन यूनियन बस्ती एवं केन यूनियन वाल्टरगंज द्वारा वर्ष 91-92 के गन्ने मूल्य का पूरा भुगतान न किये जाने तथा भुगतान करने पर उसमें घूस लेने पर अंकुश लगाने एवं गन्ना सट्टे में की गयी अनियमितता की जांच और गन्ना सेन्टरों पर तौल में धांधली आदि के संबंध में दिनांक 30-12-91 का प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

प्रश्न में संदर्भित शिकायती पत्र इस कार्यालय में प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है ।

शेष का प्रश्न नहीं है ।

**जनपद सुल्तानपुर की ग्राम सभा पिछौरा तथा नवाडीह पूरबगांव में जले हुए ट्रांसफार्मरों को ठीक करने में शिथिलता बरतने के विरुद्ध कार्यवाही**

8–श्री तेजभान सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक शाहगढ़ जनपद सुल्तानपुर के ग्राम सभा पिछौरा तथा ग्राम सभा नवाडीह पूरबगांव में लगे ट्रांसफार्मरों के जलने की सूचना कब किस तारीखों में प्राप्त हुई है, इन पर प्रत्येक पर कितने-कितने कनेक्शन किन-किन उपभोक्ताओं के हैं ? इनकी विद्युत आपूर्ति बन्द होने से प्रत्येक उपभोक्ता को कितना आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है ? क्या मंत्री जी शिथिलता बरतने की जांच कर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जनपद सुल्तानपुर के ग्राम सभा पिछौरा में स्थापित ट्रांसफार्मरों के एक फेज के जलने की सूचना 3-7-91 तथा ग्राम नवाडीह पूरब में स्थापित ट्रांफार्मरों के एक फेज के जलने की सूचना 25-8-91 को प्राप्त हुई थी ।

ग्राम सभा पिछौरा में स्थापित ट्रांसफार्मर से निम्न उपभोक्ताओं को कनेक्शन दिया गया था :–

1–श्री देवमणि त्रिपाठी पुत्र गंगा बक्श त्रिपाठी ग्राम पिछौरा–औद्योगिक ।

2–श्री हरि नारायण त्रिपाठी पुत्र श्री देव मनि त्रिपाठी ग्राम पिछौरा–पंखा बत्ती ।

ग्राम सभा नेवाडीह पूरबगांव में स्थापित ट्रांसफार्मर से निम्न उपभोक्ताओं को कनेक्शन दिया गया था :–

1–श्री बाबू राम ग्राम नेपाडिया–पंखा बत्ती ।

2–श्री राम लखन ग्राम नेवादिया–पंखा बत्ती ।

ग्राम पिछौरा में श्री देवमनि त्रिपाठी पुत्र श्री गंगा बक्श त्रिपाठी के औद्योगिक कनेक्शन की विद्युत आपूर्ति दूसरे ट्रांसफार्मर से तथा श्री हरि नारायण त्रिपाठी के पंखा एवं बत्ती को जले ट्रांसफार्मर के दूसरे फेज से विद्युत आपूर्ति कर दी गयी है ।

ग्राम नेवाडिया पूरबगांव के सर्वश्री बाबू राम एवं राम लखन के पंखा एवं बत्ती कनेक्शन को जले ट्रांसफार्मर के दूसरे सही फेज से जोड़ कर विद्युत आपूर्ति दे दी गयी । अतः उपरोक्त किसी भी उपभोक्ता को आर्थिक नुकसान का प्रश्न नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

9–श्री राम आसरे वर्मा–

[मा० उपाध्यक्ष होने के कारण हटाया गया ]

**सिंचाई निर्माण विभाग कर्वी जिला बांदा में कार्यरत अवर अभियन्ताओं की संख्या एवं आवंटित कार्य की जानकारी**

10–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सिंचाई निर्माण विभाग कर्वी (बांदा) में कुल कितने अवर अभियन्ता कार्यरत हैं ? उनमें से अनुसूचित जाति के कितने हैं । इन सभी अवर अभियन्ताओं में से कितने ऐसे अवर अभियन्ता हैं जिनके पास कोई कार्य नहीं है ? इन अवर अभियन्ताओं को अधिशासी अभियन्ता द्वारा कार्य न दिये जाने का क्या कारण है ? अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवर अभियन्ताओं को कार्य का वितरण कब किया गया था और किस अवर अभियन्ता को क्या-क्या कार्य दिया गया ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**जनपद बांदा के सिंचाई निर्माण खण्ड कर्वी से स्थानान्तरित दो अवर अभियन्तओं को रिलीव किये जाने के संबंध में**

11–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि आदेश संख्या–4262/2 वी-273एस०/सामान्य स्थानान्तरण/89-90, लखनऊ दिनांक मई 25, 1989 क्रमांक 394 के द्वारा श्री श्रीकान्त सिंह अवर अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड (कर्वी) बांदा को अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड, महोबा के लिए स्थानान्तरण के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या बाद में उक्त आदेश में संशोधन करके श्री श्रीकान्त का स्थानान्तरण ड्रेनेज डिवीजन फतेहपुर के लिए किया गया है ? यदि हां, तो क्या इसी प्रकार श्री रमेश चन्द्र कन्नौजिया, अवर अभियन्ता का स्थानान्तरण सिंचाई निर्माण खण्ड, कर्वी बांदा से रिहन्द बाध, खण्ड पिपरी मिर्जापुर के लिए हो गया है ? यदि हां, तो इन्हें अभी तक कर्वी में ही रोके रखने का

क्या कारण है ? क्या अधिशासी अभियन्ता सिंचाई निर्माण खण्ड, कर्वी द्वारा उक्त स्थानान्तरण में अनियमितता की गयी है ? यदि हां, तो क्या दोनों स्थानान्तरित अवर अभियन्ताओं को शीघ्र रिलीव किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**उप कृषि निदेशक (प्रसार) बांदा द्वारा अपने आवास पर कुछ कर्मचारियों को अनियमित रूप से नियुक्त किये जाने की जांच**

12–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या कृषि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उप कृषि निदेशक (प्रसार) बांदा ने अपने निवास पर अपनी सेवा हेतु सर्वश्री सतीश, जलतबहादुर, मोती, पंचाराम, बाबा, रामसेवक, राम गोपाल धुरिया, राम सनेही, सत्य नारायण, विश्राम सागर आदि को नियुक्त कर रखा है ? यदि हां, तो उक्त अनियमितता बरतने के संबंध में उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या ये उपरोक्त व्यक्तियों की ड्यूटी उनके निवास पर न होकर दूसरे स्थान पर निर्धारित दिखायी जाती रही है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच करवाई जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों /

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्तगत कर्मचारी अपनी तैनाती के स्थान पर ही कार्यरत हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद मथुरा के गांव नावली में शीघ्र विद्युतीकरण कराये जाने की मांग**

13–श्री विजय पाल सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री की जानकारी में है कि गांव नावली ब्लाक नौहझील-जनपद मथुरा को विद्युत चयन समिति ने 3 वर्ष पूर्व ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु चयन किया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि गांव के उपभोक्ताओं ने नये कनेक्शन हेतु तीन साल पहले, करीब 40 हजार रुपया सिक्योरिटी के भी विभाग में जमा करा दी है और गांव में खम्भे भी लग चुके हैं लेकिन तार अभी तक नहीं लगे हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी प्राथमिकता के आधार पर उक्त गांव का विद्युतीकरण कराने के निर्देश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

विद्युतीकरण का कार्य करने हेतु एल० टी० लाइन के खम्भे खड़े किये जा चुके हैं तथा संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण लाइन के निर्माण हेतु बाकी कार्य नहीं किये जा सके ।

इस कार्य को पूरा करने के लिए 11 के० वी० की 1 कि०मी० तथा 1 कि०मी- लम्बी एल० टी० लाइन का निर्माण करना होगा जिसको संसाधन उपलब्ध होते ही पूरा किया जा सकता है ।

**वर्ष 1986 में इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी कानपुर द्वारा चयनित सहायक अभियन्ताओं (यांत्रिक) के सेवा व्यवधान को समाप्त कर सेवा में निरन्तरता प्रदान करने की मांग**

14–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1986 में इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, कानपुर द्वारा चयनित एवं विभाग में नियुक्त 58 सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) के सेवा में व्यवधान वर्ष 1987 में शासनादेश सं०-1557/दो-82-23-सिं०-2/23-85, दिनांक 18-8-87 द्वारा डाला गया था जो अभी तक समाप्त नहीं किया गया था ? क्या उक्त सहायक अभियन्ताओं (यांत्रिक) के सेवा व्यवधान को समाप्त कर उनकी सेवाओं में निरन्तरता प्रदान करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्न में उल्लिखित शासनादेश में 73 (न कि 58) अभ्यर्थियों की सेवाओं में कुछ दिनों का व्यवधान देने के पश्चात् उन्हें पुनः सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) के पद पर तदर्थ रूप से पुनर्नियुक्ति प्रदान की गयी थी । सम्प्रति उक्त 73 अभ्यर्थियों में से केवल 55 अभ्यर्थी ही सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) के पद पर तद्वर्थ रूप से कार्यरत हैं, जिनमें से पात्र 52 सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) की सेवा में हुए व्यवधान के मर्षण हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है, उपरोक्त कार्यवाही प्रगति पर है जो यथाशीघ्र पूर्ण कर ली जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**श्री वीरेन्द्र सिंह, अधिशासी अभियन्ता (यांत्रिक) ऊपरी गंगा नहर आधुनिकीकरण विश्व बैंक खण्ड-3 रुड़की जिला हरिद्वार को निलम्बित किये जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही**

15–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि नरेन्द्र कुमार यादव अध्यक्ष भ्रष्टाचार निरोधक समिति रुड़की जनपद हरिद्वार का पत्र सं०-17-1 दिनांक 17-12-91 तथा प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20-12-91 व उसी पत्र के क्रम में अनुस्मारक पत्र सं०-81 (1) दिनांक 8-1-92 जो कि उसी तिथि को सिंचाई मंत्री के कार्यालय में प्राप्त हुए हैं जिसमें उल्लिखित श्री वीरेन्द्र सिंह अधिशासी अभियन्ता (यांत्रिक) ऊपरी गंगा नहर आधुनिकीकरण विश्व बैंक खण्ड-3, रुड़की जिला हरिद्वार के क्रिया कलापों के संबंध में उनको निलम्बित करके जांच करवाई गयी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्नगत शिकायती पत्र दिनांक 17-12-91 एवं 20-12-91 प्राप्त हुए हैं परन्तु अनुस्मारक दिनांक 8-1-92 प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता । प्रश्नगत शिकायती पत्रों में उल्लिखित शिकायतों की जांच मुख्य अभियन्ता नलकूप (पश्चिम) से करायी गयी । जांच आख्या प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक) को प्राप्त हो गयी है जो उनके परीक्षणाधीन है ।

प्रमुख अभियन्ता से आख्या प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

16–श्री श्रीराम (जालौन)–

[8वे गुरुवार में अता० प्र० सं० 157 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ]

**चम्बल डाल सिंचाई योजना के अन्तर्गत जनपद आगरा/इटावा में कराये गये कार्यों में धांधली की जांच टी० ए० सी० से कराने की मांग**

17–श्री चन्द्रभान मौर्य–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चम्बल डाल सिंचाई योजना में जनपद आगरा/इटावा में कितनी धनराशि नहर की खोदाई, माइनर की खोदाई, पुल/पुलियों के निर्माण में अब तक व्यय की जा चुकी है ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि उक्त नहर तथा माइनर की खोदाई में निर्धारित मानकों-चौड़ाई, गहराई तथा लम्बाई के विपरीत कार्य करके फर्जी कार्य अभिलखों में पूरा दिखाकर लाखों रुपयों का घोटाला किया गया है ? यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि इस योजना में व्यय से अधिक भुगतान कर्मचारियों के वेतन पर खर्च किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उपरोक्त योजना की मौके पर जांच टी० ए० सी० से कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

चम्बल डाल सिंचाई परियोजना पर नहरों की खुदाई पर रुपया 101.0 लाख तथा पुलों एवं पक्के कार्यों पर रुपया 555.0 लाख अब तक व्यय किये गये हैं ।

जी नहीं, नहरों की खुदाई अनुमोदित लम्ब छिन्नकों में दर्शायी गयी लम्बाई, चौड़ाई तथा गहराई के अनुसार निर्धारित मानकों के आधार पर ही कराई गयी है ।

जी नहीं, इस परियोजना पर कार्यों पर रुपया 1260.0 लाख तथा कर्मचारियों के वेतन पर लगभग रुपया 160.0 लाख अब तक व्यय किये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**आगरा में शाहजहां पार्क के जलाशय में पार्क माइनर से अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराने के संबंध में**

18–श्री विजय सिंह राणा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का आगरा में शाहजहां पार्क के जलाशय में पार्क माइनर से अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था विषयक मुख्य मंत्री को लिखा गया पत्र दिनांक 28-8-91 शासन में मिला हैं ? यदि हां, तो उक्त संदर्भ में क्या कार्यवाही हुई ? क्या सीवर कैनाल को एक कैनाल के रूप में विकसित किया जा रहा । यदि हां, तो वह कार्य कब प्रारम्भ हो जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह––

मा० प्रश्नकर्ता का मा० मुख्यमंत्री जी को संबोधित पत्र दिनांक 29-8-91 (न कि दिनांक 28-8-91) इस कार्यालय में दिनांक 24-10-91 को प्राप्त हुआ है ।

पार्क माइनर से शाहजहां पार्क के जलाशय में अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है । इस विभाग में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**आवास विकास परिषद् की विकास नगर कालोनी लखनऊ के सेक्टर-6 में विद्युत पोलों को ठीक कराकर प्रकाश की उचित व्यवस्था की मांग**

19– श्री कृष्ण कुमार—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् द्वारा संचालित विकास नगर, लखनऊ योजना में सेक्टर-6 स्थित डिस्प्ले सेन्टर पार्क के कार्नर पर लगा विद्युत पोल संख्या-(वी० एन०-6/34/2 ) वर्ष 1991 जुलाई मास में आयी आंधी व तूफान में गिरने से एक व्यक्ति एवं दो भैसों की बिजली से चिपक कर मृत्यु हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या वह विद्युत पोल अभी तक टूटा पड़ा है और लाइन उसमें चालू है ? यदि हां, तो क्या शीघ्र ही उसे ठीक कराकर लाइट आदि की पुनः व्यवस्था पोल पर ट्यूब लाइट लगाकर की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि उसी पार्क के बाहर सड़क की ओर स्थित कार्नर का बिजली का पोल भी कालोनी निर्माण के वर्ष से अभी तक टूटा पड़ा है ? यदि हां, तो इसे ठीक कराकर कब तक उस पर प्रकाश की व्यवस्था कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन—

संदर्भित पोल वर्ष 1991 जुलाई माह में आयी आंधी और तूफान से नहीं गिरा है बल्कि उसका ऊपरी हिस्सा चिटकने के कारण तिरछा हो गया है । उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद्, सहायक विद्युत सुरक्षा निदेशक अथवा सम्बन्धित पुलिस चौकी को एक व्यक्ति एवं 2 भैसों की बिजली से चिपककर मृत्यु होने की कोई सूचना नहीं है । संबंधित क्षेत्र के निवासियों ने भी इसकी पुष्टि की है । संदर्भित पोल का एक भाग अभी भी चिटक कर तिरछा पड़ा है परन्तु लाइन चालू नहीं है किन्तु प्रभावित भवनों की विद्युत व्यवस्था पास के बने हुए दूसरे विद्युत लाइन से जोड़कर दी गयी थी ।

संदर्भित लाइन से सटे यूकेलिप्टस के लगभग 20 ऊंचे-ऊंचे पेड़ हैं, जिनके बिना काटे विद्युत लाइन ठीक नहीं की जा सकती है । आवास एवं विकास परिषद् को माह मार्च 1992 में उक्त यूकेलिप्टस के पेड़ों को काटने के लिये निवेदन किया गया है । विद्युत पोलों पर टयूबलाइट को लगाकर मार्ग प्रकाश की व्यवस्था उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् द्वारा की जाती है उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् द्वारा पेड़ों को काटने के उपरान्त एक माह के अन्दर संदर्भित पोल बदलकर विद्युत लाइन ठीक कर दी जायेगी ।

पार्क के बाहर सड़क की ओर कार्नर का संदर्भित पोल को बदलने में आने वाले व्यय की प्राक्कलित धनराशि माह मार्च 1992 में भुगतान हेतु आवास एवं विकास परिषद् को लिखा जा चुका है । प्राक्कलित धनराशि प्राप्त होते ही एक सप्ताह के अन्दर निर्माण के वर्ष से ही टूटे पोल को बदल दिया जायेगा ।

**जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र निजामाबाद के आवेदकों को वरीयता क्रम में ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाने की मांग**

20– श्री अंगद सिंह यादव—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र निजामाबाद में कितने किसानों ने ट्यूबवेल कनेक्शन के लिये आवेदन पत्र दिया है ? क्या उन आवेदकों को ट्यूबवेल कनेक्शन दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि कनेक्शन दिया जायेगा, तो कब तक ?

श्री लाल जी टण्डन—

प्रश्नगत विधान सभा क्षेत्र के तीनों ब्लाकों यथा रानी की सरायं, मोहम्मदपुर, पल्हनी विकास खण्डों के 189 किसानों ने ट्यूबवेल कनेक्शन हेतु आवेदन पत्र दिया है ।

उक्त में से 67 आवेदकों को ट्यूबवेल के कनेक्शन दे दिये गये हैं । शेष आवेदकों को वार्षिक लक्ष्य एवं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कनेक्शन दिये जा सकते हैं ।

21– श्री अंगद सिंह यादव—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र निजामाबाद में वरीयता क्रम के ट्यूबवेल कनेक्शन के आवेदकों को कनेक्शन न देकर उसके विपरीत क्रम के लोगों को कनेक्शन दे दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन—

जी नहीं !

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र निजामाबाद में ट्यूबवेल कनेक्शनों के क्रम के अनुसार ही दिये गये हैं । केवल उन आवेदकों को बीच-बीच में छोड़ा गया है जिनका या तो अधिष्ठान अपूर्ण पाया गया या जिन्होंने ट्यूबवेल कनेक्शन हेतु नियमानुसार निर्माण सामग्री विद्युत परिषद् के भंडार से अपने ट्यूबवेल के साइट तक नहीं पहुंचाया है ।

**जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दिये जाने की मांग**

22–श्री सुखदेव–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज में कितने किसानों ने ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन पत्र दिया हैं ? क्या उन आवेदकों को ट्यूबवेल कनेक्शन दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि कनेक्शन दिया जायेगा ? तो कब तक ?

श्री लाल जी टण्डन–

प्रश्नगत विधान सभा क्षेत्र के 359 किसानों ने ट्यूबवेल हेतु आवेदन-पत्र दिये हैं ।

उक्त में से 99 आवेदकों को ट्यूबवेल कनेक्शन दे दिया गया है । शेष आवेदकों को निजी नलकूप के लिए निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों के अनुसार कनेक्शन दिये जाने की कार्यवाही की जायेगी ।

**जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज में ट्यूबवेल कनेक्शन के विपरीत क्रम में देने के कारणों की जानकारी**

23–श्री सुखदेव–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज में वरीयता क्रम के ट्यूबवेल कनेक्शन के आवेदकों को कनेक्शन न देकर उसके विपरीत क्रम के लोगों को कनेक्शन दे दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं ।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज में ट्यूबवेल कनेक्शनों के आवेदकों को विद्युत कनेक्शन वरीयता क्रम के अनुसार ही दिये गये हैं। केवल उन आवेदकों को बीच-बीच में जोड़ा गया है जिनका या तो अधिष्ठान अपूर्ण पाया गया था जिन्होंने ट्यूबवेल कनेक्शन हेतु नियमानुसार निर्माण सामग्री विद्युत परिषद के भण्डार से अपने ट्यूबवेल के साइट तक नहीं पहुंचाया है।

**जनपद आजमगढ़ में विद्युतीकरण हुए अनुसूचित जाति के गांवों की संख्या की जानकारी**

24–श्री सुखदेव–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में कितने अनुसूचित जाति के गांवों की अनुसूचित जाति की बस्तियों का विद्युतीकरण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक विद्युतीकरण कर दिया जायेगा ?

श्री लाल जी टण्डन–

वर्ष 1991-92 में जनपद आजमगढ़ के 13 अनुसूचित जाति के गांवों की अनुसूचित जाति की बस्तियों को विद्युतीकरण हेतु लिया गया है।

विद्युतीकरण कर दिया गया है।

**जनपद इलाहाबाद में नूरपुर माइनर तथा डडरी रजबहा मार्ग पर अधूरे बने हुए पुलों के निर्माण के संबंध में**

25–श्री महेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद में शारदा सहायक नहर की नूरपुर माइनर पर नूरपुर और बनतरिया मार्ग पर दो पुल और डडरी रजबहा पर अन्दावा ग्राम में दो पुल गत वर्ष बनने प्रारम्भ हुए थे किन्तु निर्माण बीच में ही रोक दिया गया है जिससे किसानों को बहुत परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो पुलों का निर्माण क्यों रोका गया और ये पुल कब तक बन जायेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

जी नहीं।

आगामी वर्षों में उपलब्ध संसाधनों के अनुसार अवशेष कार्य को पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

**जनपद इलाहाबाद के झूंसी विधान सभा क्षेत्र की असिंचित पड़ी भूमि को सिंचित करने की मांग**

26–श्री महेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि इलाहाबाद जनपद झूंसी विधान सभा क्षेत्र की सात हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि शारदा सहायक नहर कमाण्ड से बाहर कर दी गयी है जिससे वहां की अधिकांश भूमि असिंचित पड़ी है ? इस भूमि के सिंचन हेतु सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ? यह असिंचित भूमि कब तक सिंचित कर दी जायेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

इस क्षेत्र में विकलनीय व्यवस्था के रूप में नलकूप लगाये जाना विचाराधीन है।

27-29—श्री राम आसरे वर्मा—

[मा० उपाध्यक्ष होने के कारण हटाये गये ]

**श्री के० एम० चतुर्वेदी प्रभारी बीज भण्डार शिवरामपुर (बांदा) के निलम्बन तथा बहाली के कारण**

30—श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी—

क्या कृषि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री के० एम० चतुर्वेदी, प्रभारी बीज भण्डार शिवरामपुर (बांदा) को निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो तुरन्त बहाल करके केन्द्रीय बीज भण्डार बांदा से सम्बद्ध कैसे किया गया ? क्या इन्हें दोष मुक्त कर दिया गया है ? इन्हें निलम्बित करने व बहाल करने के क्या कारण हैं ?

श्री गंगा भक्त सिंह—

जी हां । श्री के० एम० चतुर्वेदी को दिनांक 8-1-91 को सेवा से निलम्बित किया गया था ।

श्री के० एम० चतुर्वेदी को जांचोपरान्त दिनांक 25-9-91 को बहाल किये जाने पर दिनांक 11-10-91 को केन्द्रीय बीज भण्डार, बांदा पर सम्बद्ध किया गया ।

जी नहीं ।

श्री के० एम० चतुर्वेदी को चार्ज हस्तान्तरण के आदेश की अवहेलना तथा बीज के स्टाक में कमी होने के आरोप में निलम्बित करके अनुशासनिक कार्यवाही की गयी तथा निम्नलिखित दण्ड देते हुए उन्हें सेवा में बहाल किया गया :—

(1) निलम्बन काल में दिये गये जीवन निर्वाह भत्ते के अतिरिक्त कुछ देय न होगा ।

(2) उनसे रुपया 13,660.60 पै० की शासकीय क्षति की वसूली के आदेश दिये गये ।

(3) प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी ।

**श्री वी० पी० पाण्डेय उप कृषि निदेशक प्रसार बांदा के निलम्बित होने एवं बहाल होने के कारण**

31—श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी—

क्या कृषि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री वी० पी० पाण्डेय, उप कृषि निदेशक (प्रसार) बांदा जब सुल्तानपुर में तैनात थे तब क्या इन्हें निलम्बित किया गया ? यदि हां, तो इन्हें किन-किन मामलों में दोषी पाये जाने के कारण निलम्बित किया गया था ? क्या इन्हें दोष मुक्त कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो इन्हें बहाल होने के क्या कारण हैं ?

श्री गंगा भक्त सिंह—

जी हां ।

श्री पाण्डेय की प्रथम दृष्टया कतिपय नियुक्यिों में निर्धारित चयन प्रक्रिया न अपनाने, भूमि संरक्षण ईकाइयों हेतु साइनबोर्डों के क्रय में वित्तीय नियमों का उल्लंघन करने, राजकीय आवास का किराया जमा न करने एवं राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली का पालन न करने का दोषी पाये जाने पर निलम्बित कर नियमित विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी ।

जी नहीं, विभागीय कार्यवाही में जांचोपरान्त उन्हें वित्तीय अनियमितता एवं पर्यवेक्षीय दायित्व में शिथिलता बरतने का दोषी पाया गया जिस हेतु उनकी एक वार्षिक वेतन-वृद्धि भावी प्रभाव के साथ रोकते हुए प्रतिकूल प्रविष्टि देकर विभागीय कार्यवाही समाप्त की गयी ।

**जनपद सीतापुर के ग्राम सभा सरैया कला व गजनीपुर बाजार तथा अन्य गांवों में विद्युत आपूर्ति की मांग**

32–श्री राम सरन–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के ग्राम सभा सरैया कला व गजनीपुर बाजार तथा ग्राम सभा से संबंधित अन्य ग्रामों में विद्युत आपूर्ति हेतु लाइन मंजूरी लगभग 2 वर्ष पूर्व शासन द्वारा दे दी गयी थी ? यदि हां, तो अभी तक उक्त गांवों को विद्युत आपूर्ति न करने का क्या औचित्य है ? क्या सरकार उक्त गांवों में विद्युत आपूर्ति शीघ्र करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

ग्राम सरैया कला ब्लाक सकरा जनपद सीतापुर के अन्तर्गत एक राजस्व ग्राम है । यह ग्राम ब्लाक सकरा की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत लिया गया है जो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत हैं । ग्राम गंजनीपुर बाजार कोई राजस्व ग्राम नहीं है । यह किसी ग्राम का मजरा है ।

ग्राम सरैयां कला के विद्युतीकरण न होने का कारण इसका अभी तक विद्युत सलाहकार समिति द्वारा चयन न होना है । जैसे ही इस ग्राम का चयन विद्युत सलाहकार समिति द्वारा कर लिया जायेगा इसके विद्युतीकरण हेतु कार्यवाही शुरू कर दी जायेगी । ग्राम गजनीपुर बाजार एक मजरा है तथा वर्तमान में परिषद् द्वारा मजरों के विद्युतीकरण की कोई योजना स्वीकृत नहीं है ।

**विद्युत वितरण खण्ड सुल्तानपुर एवं जगदीशपुर में कर्मचारियों/अधिकारियों की वेतन राशि एवं वेतन अंश के आवंटन की जानकारी**

33–श्री तेजभान सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वि० वि० खण्ड सुल्तानपुर व जगदीशपुर (गौरीगंज) में अलग-अलग कर्मचारियों/अधिकारियों (दैनिक वेतन भोगी सहित) का वेतन राशि कितनी है ? उक्त दोनों खण्डों हेतु वेतन अंश का अलग-अलग आवंटन कितना है ?

श्री लाल जी टण्डन–

विद्युत वितरण खण्ड, सुल्तानपुर में कर्मचारियों एवं अधिकारियों की वार्षिक वेतन क्रमशः 125.64 लाख रुपये एवं 7.92 लाख रुपये है तथा इस खण्ड का सकल वेतन वार्षिक आय-व्ययक आवंटन 127.96 लाख रुपये है ।

विद्युत वितरण खण्ड जगदीशपुर (गौरीगंज) में कर्मचारियों एवं अधिकारियों की वार्षिक वेतन राशि क्रमशः 66.24 लाख रुपये एवं 3.60 लाख रुपये है तथा इस खण्ड का सकल वेतन अंश का वार्षिक आय-व्ययक आवंटन 70.0[illegible] लाख रुपये है ।

**शारदा सहायक खण्ड- 42 रायबरेली के सहायक अभियन्ता के विरुद्ध दिये गये शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही**

34–श्री तेजभान सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें संबोधित प्रश्नकर्ता का दिनांक 3-1-92 का पत्र जिसमें शारदा सहायक खण्ड-42, रायबरेली से सहायक अभियन्ता के विरुद्ध भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोपों की जांच की मांग की है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो जांच के बाद क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां । प्रश्नगत प्राप्त शिकायती पत्र में लगाये गये आरापों की जांच अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से कराकर आख्या तथा संस्तुतियां उपलब्ध कराने हेतु मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक) को दिनांक 10 जनवरी, 1992 को लिखा गया है । जांच निष्कर्ष अभी तक शासन को प्राप्त नहीं हो सके हैं । जांच आख्या प्राप्त होने के बाद आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

35–श्री विजय सिंह राणा–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ]

**श्री ए० एन० गुप्त अधिशासी अभियन्ता के स्थानान्तरित न होने के कारणों की जानकारी**

36–श्री विजय सिंह राणा–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 87 के तीसरे शुक्रवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-80 के उत्तर के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री ए० एन० गुप्ता, अधि० अभियन्ता को कतिपय अनियमितता के संदर्भ में जो प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया था तथा उनके स्पष्टीकरण पर समुचित विचारोपरान्त राज्य विद्युत परिषद् द्वारा उन्हें निन्दा की प्रविष्टि दी गयी थी ? इस निन्दा प्रविष्टि का उनकी सेवा या नियुक्ति पर क्या प्रभाव पड़ा ? क्या यह सत्य है कि मुख्य मंत्री ने प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 6-1-88 पर श्री गुप्ता के स्थानान्तरण के आदेश किये हैं ? यदि हां, तो अभी तक उसका स्थानान्तरण न होने का क्या कारण है ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

श्री गुप्ता की निन्दा प्रविष्टि की एक प्रति उनकी चरित्र पंजिका में रख दी गयी है । जब कभी श्री गुप्ता की प्रोन्नति/नियुक्ति आदि के संबंध में विचार करने का समय आयेगा उनकी चरित्र पंजिका संबंधित विषय की विभागीय चयन समिति/सक्षम अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत की जायेगी जो श्री गुप्ता की चरित्र पंजिका के साथ-साथ उसमें रखी निन्दा प्रविष्टि का भी अवलोकन कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय करेंगे । विभागीय चयन समिति/सक्षम अधिकारी द्वारा सेवा संबंधी मामलों में इस निन्दा प्रविष्टि पर नियमानुसार महत्व दिया जायेगा ।

जी हां । संबंधित अधिकारी के स्थानान्तरण आदेशों का कार्यान्वयन न होने के संबंध में शासन द्वारा विद्युत परिषद् से आख्या मांगी गयी है, जो अभी तक प्रतीक्षित है ।

**बरेली महानगर में विद्युत सेवा हेतु नान नगरीय वितरण खण्डों में कार्य के असमान बटवारे से संबंधित पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी**

37–डा० दिनेश जौहरी–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनको विद्युत उपभोक्ताओं की बेहतर सेवा के लिए बरेली महानगर में सृजित नान नगरीय वितरण खण्डों में उपभोक्ताओं एवं कार्य का असमान बटवारा किये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 17-12-91 प्राप्त हुआ था, जिसे उनके द्वारा 23-12-91 को अध्यक्ष, विद्युत परिषद् को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया था ? यदि हां, तो इस प्रकरण में अभी तक क्या कार्यवाही की गयी यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

मुख्य अभियन्ता (वितरण), बरेली क्षेत्र से पूर्ण विवरण मांगा गया था जो प्राप्त हो गया है । प्राप्त सूचना पर परिषद् स्तर पर विचार करने के उपरान्त वर्तमान में तीनों खण्डों में कार्य का किया गया वितरण उपयुक्त पाया गया है ।

**जनपद आगरा की तहसील ऐत्मादपुर में हरनद ड्रेन की खुदाई में किसानों की अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे के संबंध में**

38–श्री चन्द्रभान मौर्य–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील ऐत्मादपुर जिला आगरा में हरनद ड्रेन की खुदाई कब की गयी थी ? इस नाले की खुदाई में सैकड़ों किसानों की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा अब तक किसानों को न मिल पाने के क्या कारण हैं ? क्या यह सत्य है कि किसानों को गुमराह करके अधिगृहीत भूमि का बैनामा कर्मचारियों ने अपने नाम से करा लिया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उपरोक्त प्रकरण की निष्पक्ष जांच किसी उच्च अधिकारी से कराने तथा असली भू-स्वामियों को मुआवजा दिलाने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

हरनद ड्रेन की खुदाई वर्ष 1970-71 में प्रारम्भ कर वर्ष 1975-76 में पूर्ण की गयी थी ।

इस नाले की खुदाई हेतु अधिगृहीत भूमि का मुआवजा वितरण हेतु धनराशि 8.91 लाख रुपये विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, संयुक्त संगठन, आगरा को इनकी मांग अनुसार उपलब्ध करा दी गयी है ।

सिंचाई विभाग में जानकारी नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद उन्नाव की पुरवा रजबहा की बनिगांव माइनर/रतवसिया माइनर में टेल तक पानी पहुंचाये जाने की मांग**

39—श्री हृदय नारायण दीक्षित—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले की पुरवा रजबहा बनिगांव माइनर/रतवसिया माइनर में टेल तक पानी नहीं जाता है ? यदि हां, तो पानी पहुंचने के क्या प्रबन्ध किये जा रहे हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी नहीं । इन दोनों नहरों की टेल पर पानी जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**श्री ओमकार सिंह चण्डयोक अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड प्रथम गोरखपुर द्वारा नियम विरुद्ध विदेश यात्रा भत्ता आदि का भुगतान प्राप्त करने के संबंध में**

40—श्री राम गोविन्द चौधरी—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि श्री ओम कार सिंह चण्डयोक, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड प्रथम, गोरखपुर गत कई वर्षों से हर माह में बी गैप बाध नैपाल स्थिति निरीक्षणगृह में अनाधिकृत रूप में रात्रि विश्राम करते चले आ रहे हैं और विदेश का यात्रा-भत्ता आदि का भुगतान भी लेते रहे हैं ? यदि हां, तो अनाधिकृत रूप से नियम विरुद्ध यात्रा भत्ता आदि का भुगतान लेने वाले अधिकारी के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

प्रश्नगत अधिकारी द्वारा नेपाल स्थित बी-गैप निरीक्षण गृह में कार्य की आवश्यकतानुसार समय-समय पर रात्रि विश्राम किया गया है जो अनाधिकृत एवं नियम विरुद्ध नहीं है ।

**आगरा पश्चिम के क्षेत्र में विद्युत पोलों की कमी व विद्युत आपूर्ति ठीक कराए जाने की मांग**

41—श्री किशन गोपाल—

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि आगरा पश्चिम के अधिकांश क्षेत्र नयावास-जोशियाब, घड़ी भदौरिया किशोर पुरा अल्कापुरी, जगदीशपुरा, बाहरखम्बा व अन्य क्षेत्रों में बिजली सायं 6 बजे के बाद प्रति दिन चली जाती है ? क्या यह भी जानकारी है कि विद्युत पोलों की अत्यन्त कमी है तव विद्युत तार की कमी को पूरा करने व विद्युत सप्लाई ठीक कराने के आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन—

प्रश्नगत क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति करने वाले 33 के० वी० फीडर पर 200/1 की सी० टी० लगी थी । इस पर धीरे-धीरे भार बढ़ता गया और सामान्यतः सायं काल पीक आवर के समय विद्युत भार 200 एम्पीयर से अधिक हो जाने के कारण कुछ समय के लिये फीडर काटना पड़ता था । सी० टी० को बदल कर 400/1 अनुपात की सी० टी० उक्त फीडर पर लगा दी गयी है और प्रश्नगत समस्या का समाधान हो गया है ।

कुछ स्थानों पर जहां तार जर्जर हालत में थे उन्हें ठीक करा दिया गया है । परिषद के सीमित संसाधनों के कारण सभी पुराने खम्भों तथा तारों को बदल पाना संभव नहीं है ।

**जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर में स्थित वरुणा नदी की खुदाई हेतु धनराशि की स्वीकृति**

42–श्री विक्रमाजीत मौर्य, श्री भोला सिंह, श्री विश्राम दास तथा श्री महेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर में स्थित वरुणा नदी की खुदाई हेतु निर्धारित योजना की धनराशि कब तक स्वीकृत कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वरुणा नदी एक प्राकृतिक नदी है । प्राकृतिक नदियों की खुदाई किया जाना शासन नीति के अन्तर्गत नहीं आता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद बांदा में भूमि संरक्षण अधिकारी के रिक्त पदों की संख्या एवं भरने की मांग**

43–श्री राम प्रसाद सिंह(बांदा)–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा अन्तर्गत भूमि संरक्षण अधिकारी के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो कितने एवं कितने समय से ? क्या यह भी बतायेंगे कि इन पदों की पूर्ति की जाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद मैनपुरी में बेवर फीडर परियोजना के निर्माण में किसानों की अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे की मांग**

44–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार को जानकारी है कि मैनपुरी जनपद में बेवर फीडर परियोजना के निर्माण में ग्राम छाछा, तिलियानी एवं तिसौली आदि ग्रामवासियों की सैकड़ों एकड़ भूमि अधिगृहीत की गई ? क्या अधिग्रहीत भूमि के काश्तकारों के मुआवजों का समूचा भुगतान हो गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मैनपुरी जनपद में बेवर फीडर परियोजना के निर्माण में ग्राम-छाछा की 10.67 एकड़ तथा ग्राम तिसौली की 24.89 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गयी है । ग्राम तिलियानी की कोई भी भूमि बेवर फीडर परियोजना हेतु अधिग्रहीत नहीं की गयी है ।

अधिग्रहण की औपचारिकताएं पूर्ण न होने के कारण मुआवजे का वितरण नहीं हो सका है ।

**जनपद मैनपुरी की बेवर फीडर परियोजना का निर्माण समय से पूर्ण न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही**

45–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद मैनपुरी को बेवर फीडर परियोजना जो कि विधान सभा क्षेत्र भोगांव से होकर बनाई जा रही है का निर्माण पूरा हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इसका लक्ष्य 1983 तक पूर्ण होने का था ? यदि हां, तो इस निर्माण में देरी करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

बेवर फीडर परियोजना का निर्माण कार्य अभी प्रगति में है । मूल योजना के अनुसार नहर का हेड डिस्चार्ज 350 क्यूसेक था । भविष्य में नहर की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से पक्के कार्यो का निर्माण 1,000 क्यूसेक क्षमता के अनुसार कराया गया तथा भूमि 1,000 क्यूसेक की नहर की आवश्यकता को देखकर ली गयी । परियोजना का स्वरूप बदलने, भूमि के अधिग्रहण एवं धन की कमी के कारण इसका निर्माण वर्ष 1994 में पूर्ण होने की आशा है । निर्माण में देरी के लिये कोई अधिकारी दोषी नहीं है, अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

**उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण की श्रेणी-1 के अधिकारियों की ज्येष्ठता की अंतिम सूची के विरुद्ध की गई शिकायत पर कृत कार्यवाही की जानकारी**

46–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री को इस बात की जानकारी है कि शासनादेश सं०-6724/58-1-91-180/87, दिनांक 27-9-91 द्वारा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण की श्रेणी-1 के अधिकारियों की ज्येष्ठता की अंतिम सूची के विरुद्ध शिकायत अक्टूबर, 1991 में की गई ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी हां ।

परीक्षणोपरान्त डा० राम कृपाल पाठक का नाम ज्येष्ठता सूची से निकाले जाने का निर्णय लिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**आगरा में जे० 8/9 लारेन्स कालेनी को उ० प्र० विद्युत विभाग से खाली कराया जाना**

47–डा० दिनेश जौहरी तथा श्री नन्द राम–

क्या ऊर्जा मंत्री को दिनांक 18-12-1991 को आगरा में जे० 8/9, लारेन्स कालेनी आगरा को उ० प्र० इलेक्ट्रीसिटी विभाग से खाली कराये जाने के विषय में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र मिला था जिसे 23-12-91 को अध्यक्ष विद्युत परिषद को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया ? यदि हां, तो इस प्रकरण में अभी तक क्या कार्यवाही हुई ? क्या मंत्री जी प्रार्थी की जनहित में की गयी प्रार्थना पर कृपा पूर्वक विचार कर उक्त भवन खाली करने के निर्देश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

भवन स्वामी द्वारा इस संबंध में तृतीय अति० जिला जज, आगरा के न्यायालय में वाद योजित किया गया है । उक्त वाद न्यायालय में निर्णयाधीन है । न्यायालय के अनुसार ही आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

**केन कैनाल तृतीय प्रखण्ड बांदा के अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध दोबारा भुगतान लेने के संबंध में जानकारी की मांग**

48–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के अधिशासी अभियन्ता केन कैनाल तृतीय प्रखण्ड बांदा द्वारा एग्रीमेंट नं० 17/87-88 का 25,000 रुपया दुबारा भुगतान कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या गबन का केस चलाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

49–51–श्री राम आसरे वर्मा–

[मा० उपाध्यक्ष होने के कारण हटाये गये ]

**गबन हेतु दोषी जिला गन्ना अधिकारी लखीमपुर श्री भूप नारायण सिंह को निलम्बित करने का मामला**

52–श्री बाला प्रसाद–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि जून, 91 से 31 दिसम्बर, 91 तक के बीच में आयुक्त गन्ना ने जनपद लखीमपुर खीरी में आडिट कराया था जिसमें एक लाख रुपये से अधिक का गबन का मामला पकड़ा गया था ? क्या यह सही है कि इसमें तत्कालीन जिला गन्ना अधिकारी श्री भूप नारायन सिंह एवं प्रधान लिपिक तथा कोषाध्यक्ष दोषी पाये गये थे और इस आरोप में प्रधान लिपिक तथा कोषाध्यक्ष निलम्बित कर दिये गये ? क्या तत्कालीन जिला गन्ना अधिकारी को निलम्बित नहीं किया गया ? यदि हां, तो जिला गन्ना अधिकारी को निलम्बित न करने के कारण क्या थे ?

श्री हनुमन्त सिंह–

गन्ना आयुक्त कार्यालय के सहायक लेखा अधिकारी के नेतृत्व में जनपद लखीमपुर खीरी में जांच की जा रही है ।

अभी जांच चल रही है किन्तु जिला गन्ना अधिकारी, खीरी एवं संयुक्त गन्ना आयुक्त (मध्य क्षेत्र) लखनऊ की आख्या पर प्रथम दृष्ट्या दोषी पाये जाने के कारण प्रधान लिपिक एवं कोषाध्यक्ष को निलम्बित कर दिया गया ।

जी हां ।

अभी जांच चल रही है और जांच पूर्ण होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

**नगर महापालिका गोरखपुर में नवीन मण्डी में निर्मित दुकानों के आवंटन में सुधार तथा आवंटन में की गयी हेरा फेरी की जांच के संबंध में**

53–श्री स्वामीनाथ यादव–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महानगर पालिका गोरखपुर में नवीन मण्डी का निर्माण हुआ है ? यदि हां, तो कितनी दुकानें सब्जी विक्रेताओं को तथा कितनी दुकानें फल विक्रेताओं को आवंटित की गयी हैं ? क्या यह सत्य है कि सब्जियों के विक्रेताओं को कम दुकानें आवंटित होने से महानगर पर उसका कुप्रभाव पड़ा है तथा आवश्यक वस्तुएं महंगी हुई हैं ? यदि हां, तो इस बारे में क्या सुधार किये जा रहे हैं ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी हां ।

सब्जी के थोक व्यापारियों को "बी" श्रेणी की 8 दुकानें तथा "सी" श्रेणी की 28 दुकानें एवं फल के थोक व्यापारियों को "बी" श्रेणी की 22 दुकानें तथा "सी" श्रेणी की 36 दुकानें आवंटित की गयी । इसके अतिरिक्त व्यापारियों की सहमति से केला भट्ठी की दुकानों में से 8 सब्जी के व्यापारियों को एवं 9 फल के थोक व्यापारियों को व्यवसाय हेतु आवंटित की गयी है ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

54–श्री स्वामीनाथ यादव–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महानगर पालिका गोरखपुर में नवीन मण्डी के निर्माण के पश्चात् बी० श्रेणी तथा सी० श्रेणी की कितनी दुकानें बनायी गयी हैं ? इनमें से बी० श्रेणी या सी० श्रेणी की कितनी दुकानें छोटे लाइसेंस-सब्जियों के व्यापारियों को दी गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि दुकानों के आवंटन में काफी हेराफेरी की गयी है ? क्या इसकी जांच सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

नवीन फल एवं सब्जी मण्डी के निर्माण के पश्चात् "बी" श्रेणी की दो तथा "सी" श्रेणी की सात दुकानों का निर्माण प्रगति पर है ।

निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है अतः आवंटन का प्रश्न नहीं उठता ।

**मुन्सफी न्यायालय देवरिया से सलेमपुर (मझौलीराज) में स्थानान्तरित किया जाना**

55–श्री स्वामी नाथ यादव–

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया अन्तर्गत सलेमपुर तहसील में मुन्सफी न्यायालय स्थानान्तरित करने हेतु मझौलीराज में प्राइवेट भवन की व्यवस्था की जा रही है ? यदि हां, तो मुन्सफी न्यायालय देवरिया से सलेमपुर (मझौलीराज) को कब तक स्थानान्तरित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद देवरिया में अधूरे बने दुदही, अमवा खास मार्ग में विभागवार व्यय तथा उसको पूर्ण कराया जाना**

56–श्री नन्द किशोर मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड दुदही, जनपद देवरिया में दुदही, अमवा खास मार्ग चीफ शाखा निर्माण खण्ड, देवरिया द्वारा बनवाने हेतु स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो कब ? इस मार्ग के निर्माण में अद्यावधि किन-किन विभागों द्वारा कितना-कितना धन किन-किन वर्षों में व्यय किया गया है । क्या सत्य है कि यह मार्ग आज भी अधूरा पड़ा है ? यदि हां, तो इस मार्ग का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कराया जायेगा ? सिंचाई विभाग के विभिन्न खण्डों से मार्ग का निर्माण कराने का औचित्य क्या है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

57–श्री नन्द किशोर मिश्र–

[दो विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त ]

**श्री अशोक कुमार ओझा सहायक अभियन्ता अनुसन्धान एवं नियोजन खण्ड राबर्ट्सगंज के क्रिया कलापों की जांच आख्या सदन के पटल पर रखने की मांग**

58–श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री अशोक कुमार ओझा, सहा० अभि०, अनुसन्धान एवं नियोजन खण्ड, राबर्ट्सगंज में तीन वर्ष के कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा कार्यों की जांच सरकार करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सहा० अभि० द्वारा सर्वेक्षण के नाम पर बनाये गये मस्टररोल से किये गये फर्जी भुगतान की जांच विजिलेंस से कराकर जांच आख्या सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मुख्य अभियन्ता सोन, वाराणसी की सूचना के अनुसार श्री अशोक कुमार ओझा सहायक अभियन्ता अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड, राबर्ट्सगंज के लगभग तीन वर्ष के कार्यकाल के दौरान उनके कार्यों के संबंध में कोई शिकायत खण्ड में प्राप्त नहीं हुई है । अतः जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता है । सहायक अभियन्ता द्वारा सर्वेक्षण कार्यों के अनुसार मस्टररोल बनाकर भुगतान किये गये हैं । उनके विरुद्ध खण्ड में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । अतः जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

**लोअर खण्ड आगरा नहर, आगरा के अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध लिखे गये पत्र पर की गयी कार्यवाही**

59–श्री विजय सिंह राणा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे लोअर खण्ड आगरा नहर, आगरा के अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध लिखे प्रश्नकर्ता के दिनांक 30-4-1990 के संदर्भ में सचिव, मुख्य मंत्री द्वारा प्रश्नकर्ता की

अभिसूचनार्थ लिखे गये पत्र संख्या-सी० एम० वि० को० एम०-3/28-58/-90आ०, दिनांक 25 मई, 1990 के संदर्भ में क्या कोई कार्यवाही हुई अथवा नहीं ? यदि हुई, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मा० प्रश्नकर्ता सदस्य के संदर्भित शिकायती पत्र दिनांक 30-4-90 में उल्लिखित आरोपों की प्रारम्भिक जांच प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ से प्राप्त हो गयी है जिसका परीक्षण किया जा रहा है ।

**जनपद उन्नाव में लक्ष्य के अनुरूप सरकारी नलकूप लगाये जाने की मांग**

60–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले में वर्ष 1991-92 में कितने सरकारी नलकूप लगाये जाने का लक्ष्य मई, जून एवं जुलाई, 91 में निर्धारित किया गया था ? उन्हें किन-किन स्थानों पर लगाया जाना था ? क्या यह सच है कि वित्तीय वर्ष के 8 माह पूरा हो जाने के बाद भी एक भी नलकूप न बन सकने के कारण लक्ष्य का पुनर्निर्धारण किया गया ? यदि हां, तो लक्ष्य के पुनर्निर्धारण की वजह से छूट गये स्थानों पर कब तक नलकूप लगा दिये जायेंगे ? समय पर नलकूप न लगा सकने के लिए दोषी लोगों पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

कोई लक्ष्य नहीं निर्धारित किया गया था ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

61–श्री राम आसरे वर्मा

[मा० उपाध्यक्ष होने के कारण हटाया गया ]

62–श्री रवीन्द्र प्रताप–

[दि० 26-2-92 को अता० प्र० सं० 8 द्वारा उत्तरित ]

63–श्री राम आसरे वर्मा–

[मा० उपाध्यक्ष होने के कारण हटाया गया]

**जनपद हरदोई के माधोगंज में नवनिर्मित मण्डी स्थल पर व्यापार कार्य सम्पन्न कराया जाना**

64–श्री सोमांश प्रकाश एवं श्री समीउल्ला–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के माधोगंज में मण्डी स्थल का निर्माण हो जाने के बाद भी उसे अब तक व्यापारियों को स्थानान्तरित न किये जाने के क्या कारण हैं और मण्डी स्थल पर व्यापार कार्य कब तक सम्पन्न करा दिया जायेगा ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

व्यापार स्थानान्तरण के संबंध में दि० 3-4-92 को अधिसूचना जारी कर दी गयी है ।

**सम्पूर्णा नगर यूनिट के साइट इंचार्ज सहायक अभियन्ता द्वारा नियम विरुद्ध कार्य करने के विरुद्ध कृत कार्यवाही की जानकारी**

65–श्री खालिद गौरी–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि किसान सहकारी चीनी इकाई तिलहर जनपद शाहजहांपुर तथा सह० चीनी इकाई सम्पूर्णा नगर के सिविल ठेकेदार मेसर्स कुमार, ब्रदर्स बरेली के मालिक के भतीजे पहले तिलहर और अब सम्पूर्ण नगर यूनिट के साइट इंचार्ज सहायक अभियन्ता हैं ? यदि हां, तो नियम विरुद्ध कार्य हेतु कौन दोषी है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री हनुमन्त सिंह–

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद आगरा तथा फिरोजाबाद में बन्द पड़े राजकीय नलकूपों को चालू कराने में लापरवाही करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही**

66–श्री चन्द्रभान मौर्य–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा तथा फिरोजाबाद जनपदों में राजकीय नलकूपों के अधिकतर खराब होने तथा बचे नलकूपों को औसतन विद्युत आपूर्ति उपलब्ध न होने एवं विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण किसानों की हजारों एकड़ भूमि परवेट के हित में इन सिंचाई साधनों की कमियों के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

दिनांक 1-10-91 को जनपद आगरा व फिरोजाबाद में क्रमशः 302 एवं 296 चलित कूप हैं । जिनमें 19-3-92 को बन्दी रिपोर्ट के अनुसार जनपद आगरा में 46 यांत्रिक दोष से, 4 विद्युत दोष से तथा जनपद फिरोजाबाद में 40 यांत्रिक दोष से, 6 विद्युत दोष से बन्द हैं ।

इस वर्ष रबी फसल में नलकूपों पर 25-2-92 तक जनपद आगरा एवं जनपद फिरोजाबाद में विद्युत आपूर्ति क्रमशः 10.8 व 11.67 घण्टे प्रतिदिन औसतन प्राप्त हुई है ।

इस वर्ष रॅबी फसल में दिनांक 25-2-92 तक इसी अवधि में गत रवी की अपेक्षाकृत जनपद आगरा में 1825 हैक्टेअर एवं जनपद फिरोजाबाद में 195 हैक्टेअर अधिक सिंचित क्षेत्र की सिंचाई हुई । अतः इस वर्ष परवेट (पलेवा) अधिक हुई ।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

**जनपद आगरा तथा फिरोजाबाद की रजबहों में रोस्टर के अनुसार पानी दिये जाने की मांग**

67–श्री चन्द्रभान मौर्य–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि आगरा जनपद की दघेंटा रजबहा, सहपऊ रजबहा, वरहन रजबहा तथा फिरोजाबाद रजबहा में मौजूद रबी की फसल के लिए भी रोस्टर के अनुसार पानी नहीं दिया जा रहा है ? क्या तीनों रजबहों की टेल तक पानी न पहुंचने के कारण हजारों एकड़ भूमि परवेट के लिए पड़ी है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी किसानों के हित में किसी उच्च अधिकारी से मौके की जांच

कराने तथा रोस्टर के मुताबिक नहरों से पानी उपलब्ध कराने की आज्ञा प्रदान करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**अनुसन्धान एवं नियोजन (जल संसाधन) खण्ड मिर्जापुर का मुख्यालय मध्य क्षेत्र में स्थापित करना एवं प्रखण्ड में स्थापित गेज डिस्चार्ज साइटों की संख्या**

68–श्री दिनेश चन्द्र सोनकर, श्री विश्राम दास तथा श्री विक्रमाजीत मौर्य एडवोकेट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनु० एवं नियो० (ज० स०) खण्ड मिर्जापुर का मुख्यालय इलाहाबाद न रखकर, मिर्जापुर में क्यों रखा गया है ? यह खण्ड स्थायी अथवा अस्थायी है ? क्या अनुसंधान एवं नियोजन (जल संसाधन) खण्ड मिर्जापुर के अन्तर्गत आवासी भवन, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए जनपद मिर्जापुर अथवा इलाहाबाद में निर्मित हैं ? जनपद मिर्जापुर में इस प्रखण्ड के अन्तर्गत कितने गेज साइट पदास्थापित हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जल गुणवत्ता प्रयोगशाला मण्डल कार्यालय से सम्बद्ध है या प्रखण्ड से ? यदि जल गुणवत्ता प्रयोगशाला खण्ड से संबंधित है, तो इस खण्ड का मुख्यालय मिर्जापुर रखने का क्या औचित्य है । प्रखण्ड के अन्तर्गत किन-किन जिलों में, कितने गेज डिस्चार्ज साइट स्थापित हैं ? क्या खण्ड का मुख्यालय कार्य क्षेत्र के मध्य में है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

अनुसंधान एवं नियोजन (ज० स०) खण्ड, मिर्जापुर का सृजन वर्ष 1979 में हुआ था । उस समय मिर्जापुर, खण्डीय कार्य क्षेत्र के मध्य में पड़ता था । यह खण्ड अस्थायी है ।

जनपद मिर्जापुर में उक्त खण्ड के अन्तर्गत कोई आवासीय भवन निर्मित नहीं है । जनपद इलाहाबाद में आवासीय भवन निर्मित है, जिनमें से उक्त खण्ड के 4 अवर अभियन्ताओं एवं एक सहायक अभियन्ता के लिए आवासीय भवन निर्मित हैं ।

जनपद मिर्जापुर में उस प्रखण्ड के अन्तर्गत वर्तमान में कोई गेज डिस्चार्ज साइट नहीं है ।

जल गुणवत्ता प्रयोगशाला अनुसंधान एवं नियोजन (जल संसाधम) खण्ड, मिर्जापुर के उप खण्ड चतुर्थ मुख्यालय इलाहाबाद से सम्बद्ध है ।

अनुसंधान एवं नियोजन (जल संसाधन) खण्ड मिर्जापुर का इलाहाबाद स्थित चतुर्थ उप खण्ड जल गुणवत्ता प्रयोगशाला इलाहाबाद का कार्य देख रहा है, जो औचित्य पूर्ण है ।

जनपद बांदा तथा जनपद इलाहाबाद में दो-दो गेज डिस्चार्ज साईट स्थापित हैं ।

जी नहीं ।

वर्ष 1989 में मिर्जापुर खण्ड के द्वितीय उप खण्ड के अनुसंधान एवं नियोजन (ज० स०) खण्ड, वाराणसी में समायोजित होने के उपरान्त मिर्जापुर, खण्डीय कार्यक्षेत्र के मध्य में नही है ।

**जनपद उन्नाव के विद्युत सब स्टेशन मौरावां में आवासीय क्वार्टर में जबरन कब्जे के संबंध में दिए गये पत्र पर कृत कार्यवाही**

69–श्री हृदय नारायण दीक्षित––

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मौरांवा (जिला-उन्नाव) के विद्युत सबस्टेशन के आवासीय क्वार्टर मे एक व्यक्ति द्वारा जबरिया कब्जा किये रहने से उत्पन्न परिस्थितियों के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्रांक-84/91 दिनांक 1–8–91 डी० एम०, उन्नाव को मिला है ? यदि हां, तो पत्र की जांच किसने की ? क्या इसी पत्र की प्रति एस० पी० उन्नाव को व अधिशासी अभियन्ता (विद्युत वितरण) उन्नाव को भी मिली है ? यदि हां, तो पूरे प्रकरण पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन––

जी हां ।

प्रश्नगत पत्र परिषद् कर्मचारी द्वारा परिषदीय आवास को अनाधिकृत रुप से काविज रखने के कारण अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, उन्नाव को पृष्ठांकित था । स्थानान्तरण के उपरान्त सम्बन्धित कर्मचारी से आवास खाली कराने तथा स्टैन्डर्ड रेन्ट वसूलने के सम्बन्ध मे कार्यवाही शुरु की गयी । परन्तु कुछ समय बाद उक्त कर्मचारी की मौरावां विद्युत उपगृह पर पुनः तैनाती हो जाने के कारण उक्त कार्यवाही सम्पन्न नहीं की जा सकी ।

**पावर हाउस मौरावां जनपद उन्नाव से सम्बन्धित अनियमितताओं के सम्बन्ध में दिये गये शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही**

70–श्री हृदय नारायण दीक्षित––

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के क्षेत्र के पावर हाउस मौरांवा (उन्नाव) से सम्बन्धित तमाम अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के मुख्य मंत्री को प्रेषित पत्रांक-45, दिनांक 6–7–91 जिसकी प्रतियां सचिव ऊर्जा, उ० प्र० शासन अध्यक्ष, उ० प्र० रा० वि० परिषद् व मुख्य अभियन्ता को भी प्रेषित है, पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि कोई जांच हुई है तो जांच के निष्कर्ष क्या है ?

श्री लाल जी टण्डन––

33/11 के० वी० उप गृह मौरावां उन्नाव से सम्बन्धित अनियमितताअें के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के द्वारा प्रेषित शिकायती/पत्र पर जांच की गई जिसके फलस्वरुप उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर अवर अभियन्ता को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है ।

**जनपद वाराणसी के कतिपय गावों की भूमि को सिंचाई खण्ड जौनपुर के सीवेज से बचाये जाने हेतु**

71–श्री ऊदल––

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव असवारी, दारापुर, बीकापुर, मकसूदन पट्टी, बरई ब्लाक बड़ागांव जिला वाराणसी की खेती की हजारों एकड़ जमीन तातपुर रजबाहा सिंचाई खण्ड जौनपुर के सीवेज से पूरे वर्ष डूबी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर सीवेज को ठीक करायेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी नहीं । ग्राम असवारी, दारापुर, बीकापुर मकसूदन पट्टी बरई ब्लाक बड़ागांव जिला वाराणसी की खेती की जमीन बावतपुर रजबाहा से सीवेज से नहीं डूबती है । वर्षा के जल निकासी की समस्या अवश्य है ।

अतः सीपेज संबंधी जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता है ।

**जनपद जौनपुर की पुरवा डिबाई मड़ियाहूं ब्रांच नहर की मरम्मत एवं निर्माण कार्य पूर्ण कराकर टेल तक पानी पहुंचाए जाने की मांग**

72–श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुरवा डिबाई मड़ियाहूं ब्रांच ज़िला-जौनपुर की लम्बाई 22 किलोमीटर है, जिसकी खुदाई सन् 80 से की जा रही है और सन् 85 तक सिर्फ 5 किलोमीटर व 90-91 में 13 कि० मी० तक ही पानी पहुंचाया गया है ? यदि हां, तो इस नहर पर सन् 80 से लेकर 90-91 तक कितना रुपया खर्चा किया गया है ? क्या इस वर्ष 91-92 में टेल तक पानी पहुंचाया गया है ? पूरी नहर कब तक बना दी जायेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

73–श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि पुरवा डिबाई मड़ियाहूं ब्रांच जिला-जौनपुर के 11 से 12 किलो मीटर व 18 से साढ़े 18 तक बहुत ही रद्दी जमीन है जिसको पक्का कराने में तीन लाख रुपया खर्च होंगे? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर तीन लाख रुपया देकर हेड बहेड़ी तक भविष्य में पानी पहुंचाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**बावतपुर रजबहा सिंचाई खण्ड जौनपुर में वर्षा ऋतु के पानी से कतिपय ग्रामों को डूबने से बचाने हेतु साइफन का निर्माण**

74–श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बावतपुर रजवाहा सिंचाई खण्ड जौनपुर गांव हमीरापुर धमहापुर-कुवार, खटौरा ब्लाक बड़ागांव वाराणसी में साइफन न लगाने से वर्षा काल का पानी नहीं निकल पाता और हजारों एकड़ जमीन डूबी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार नहर के नीचे से साइफन बनाने का आदेश देगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां, बावतपुर रजबहा पर साइफन न बनने के कारण वर्षा ऋतु में बड़ागांव ब्लाक-जनपद वाराणसी के ग्राम हमीरापुर, धमहापुर, कुवार में जल जमाव की समस्या हो जाती है । ग्राम खटौरा में जल जमाव की कोई समस्या नहीं है ।

जल जमाव की समस्या के निराकरण हेतु बावतपुर रजबहा के कि० मी० 028.350 पर एक ड्रेनेज साइफन के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

**जनपद इलाहाबाद में शारदा सहायक नहर में ली गई कतिपय ग्रामों की भूमि का मुआवजा किसानों को दिलाया जाना**

75–श्री भोला सिंह, श्री विश्राम दास, श्री विक्रमाजीत मौर्य एडवोकेट तथा श्री महेन्द्र प्रताप सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद के शारदा सहायक नहर में ली गयी लोकापुर, कसाईपुर, गोपालपुर आदि ग्रामों तथा बेलन नहर में ली गयी कोहड़ार इसौटा, पताई तथा शाहपुर ग्रामों की भूमि का मुआवजा अब तक न देने का क्या कारण है ? उक्त ग्रामों के किसानों को ब्याज सहित मुआवजा कब तक दिलवा दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

इलाहाबाद जनपद में शारदा सहायक नहर के अन्तर्गत ग्राम करनाईपुर तथा गोपालपुर में भूमि का मुआवजा विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, इलाहाबाद द्वारा वितरित किया जा चुका है । ग्राम लोकापुर की नहर निर्माण में कोई भूमि न लेने के कारण मुआवजा देने का प्रश्न नहीं उठता है ।

वेलन नहर के अन्तर्गत जनला रजवाहा का निर्माण सुखोन्मुख क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत किया गया था । इसी राजवाहा के निर्माण में कोहड़ार, इसौटा, पताई तथा शाहपुर ग्रामों की भूमि ली गयी है । उक्त ग्रामों के संबंधित कृषकों को मुआवजे के भुगतान की कार्यवाही शीघ्र की जायेगी ।

**जनपद फैजाबाद के अकबरपुर विकास खण्ड में विश्व बैंक परियोजनान्तर्गत लगाये गये नलकूपों की मरम्मत एवं व्यय आदि के सम्बन्ध में जानकारी**

76–श्री पवन कुमार पाण्डेय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद के अकबरपुर विकास खण्ड में विश्व बैंक के कुल कितने नलकूप लगाये गये हैं ? उक्त नलकूपों से वर्ष 1990-91 के मध्य कुल कितने रुपये राजस्व की प्राप्ति हुई ? वर्तमान में कुल कितने नलकूप सुचारु रूप से कार्य कर रहे हैं ? क्या बिगड़े हुए नलकूपों की मरम्मत करायी गयी ? यदि हां, तो कुल कितना राजस्व उक्त मरम्मत कार्य में व्यय किया गया ? उस मरम्मत कार्य का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड, अकबरपुर में विश्वबैंक परियोजना के कुल 33 पब्लिक नलकूप हैं ।

उक्त नलकूपों से वर्ष 1990-91 में रु० 2,06,669.07 की सिंचाई राजस्व अर्जित हुआ ।

वर्तमान में उक्त सभी नलकूप सुचारु रूप से कार्य कर रहे हैं ।

जी हां ।

इन नलकूपों के मरम्मत कार्य पर वर्ष 1990-91 में रु० 1,45,350 व्यय किया गया ।

सिंचाई विभाग द्वारा नलकूपों पर स्थापित खराब हुए उपकरणों की मरम्मत करायी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद शाहजहांपुर के विद्युत सब स्टेशन मदनापुर के छेदापट्टी फीडर की विद्युत आपूर्ति सुचारु बनाने एवं पूर्ण विद्युत सप्लाई की मांग**

77–श्री श्रीराम (जालौन) तथा श्री राम मूर्ति सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विद्युत सब स्टेशन मदनापुर से छेदापट्टी फीडर से विद्युत सप्लाई व्यवस्था बहुधा खराब रहती है ? यदि हां, तो क्या इसका विद्युत भुगतान अनाधिकृत रूप से काश्तकारों को करना पड़ता है ? क्या यह सत्य है कि इसी वजह से कई कनेक्शन कट चुके हैं ? यदि हां, तो पूर्ण सप्लाई कब तक मिलेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

माह अगस्त, 1991 में जनपद शाहजहांपुर के मदनापुर विद्युत सब-स्टेशन के ट्रांसफार्मर में तकनीकी खराबी आ जाने के कारण इस विद्युत सब-स्टेशन से निकलने वाले छेदापट्टी फीडर को मीरानपुर कटरा विद्युत सब-स्टेशन से जोड़ दिया गया था। इस फीडर की लम्बाई अधिक होने के कारण कभी-कभी कुछ विद्युत व्यवधान उत्पन्न हुए इनका निराकरण भी उसी समय कर दिया गया !

माह जनवरी, 1992 में मदनापुर विद्युत सब-स्टेशन के ट्रांसफार्मर के बदले जाने पर प्रभावी क्षेत्र की विद्युत आपुर्ति सुचारु रूप से चल रही है। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार उक्त कारण से कोई विद्युत कनेक्शन नहीं कटा।

**भूमि संरक्षण अधिकारी उन्नाव में पम्प हाउस आपरेटर/चौकीदार के सात माह के अवशेष वेतन के भुगतान की मांग**

78–श्री भगवती सिंह विशारद–

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि उन्नाव में भूमि संरक्षण अधिकारी गोमती के यहां भूमि आवंटी परियोजना ग्राम बेहटा गोपी विकास खण्ड बीघापुर, तहसील पुरवा, जनपद उन्नाव के अन्तर्गत पम्प हाउस आपरेटर/चौकीदार के सात माह के वेतन भुगतान न किये जाने का प्रकरण लम्बित पड़ा है ? यदि हां, तो उक्त संदर्भ में संबंधित आपरेटर/चौकीदार को उसका अवशेष वेतन कब तक दें दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी नहीं।

सम्पूर्ण अवशेष का भुगतान किया जा चुका है।

79–श्री महेन्द्र जैन–

[ स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ]

**उ० प्र० कृषि सेवा श्रेणी-2 सेक्शन "सी" (रसायन शाखा) के पदों पर कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधिधारकों को वरीयता प्रदान किया जाना**

80–श्री महेन्द्र जैन–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि के विभागीय विज्ञापन सं०-3/91-92, दिनांक 16 नवम्बर, 91 के माध्यम से कृषि विभाग, उ० प्र० कृषि सेवा श्रेणी-2 सेक्शन "सी" (रसायन शाखा)

के पदों पर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कृषि स्नातक व भूमि संरक्षण में कृषि स्नातकोत्तर उपाधिधारकों की उपेक्षा करते हुए विज्ञान स्नातक एवं रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधिधारकों को विज्ञापित पदों की पात्रता परिधि में रखा गया है जो कि कृषि क्षेत्र हेतु अर्ह पाठ्यक्रम से पूर्णतया अनभिज्ञ होते हैं ? यदि हां, तो क्या कृषि क्षेत्र वांछित पदों की पात्रता परिधि में रखे गये विज्ञान स्नातकोत्तर उपाधिधारक उपेक्षित अभ्यर्थियों से अधिक उपयुक्त हैं ? यदि नहीं, तो क्या उपेक्षित उपाधिधारकों को पदों की पात्रता परिधि में रखा जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**उ० प्र०राज्य विद्युत परिषद् में सार्वजनिक अवकाश के दिन किसी अधिकारी को अनुपस्थित घोषित किया जाना**

81–श्री राम कृष्ण–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् में कोई ऐसा नियम है कि जिससे सार्वजनिक अवकाश के दिन कार्यालय बन्द होने पर किसी अधिकारी को अनुपस्थित घोषित किया जा सके ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं । तथापि उ० प्र० सरकारी नियमावली, 1956 के नियम–3 सामान्य (1) के अन्तर्गत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से पूर्व निष्ठा एवं कर्तव्यपरायणता सुनिश्चित करने की अपेक्षा हर समय की जाती है । अतएव पाली में कार्यरत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को सार्वजनिक अवकाश के दिनों में भी परिषदीय कार्यहित में अपने दायित्वों का निर्वाह करना पड़ता है ।

**उ० प्र० विद्युत परिषद् में अधिकारियों के स्थानान्तरण के दौरान "अनिवार्य प्रतीक्षा काल" की स्वीकृति से संबंधित लम्बित मामलों की जानकारी**

82–श्री राम कृष्ण–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् में अधिकारियों के स्थानान्तरण के दौरान "अनिवार्य प्रतीक्षा काल" स्वीकृत करने से संबंधित कितने मामले लम्बित पड़े हैं ? क्या उक्त स्वीकृति के संबंध में क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं से आख्या मंगायी जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

चौदह अधिकारियों के "अनिवार्य प्रतीक्षा काल" के मामले लम्बित हैं ।

यदि आवश्यक होता है तो नियंत्रक अधिकारी से आख्या मंगायी जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**सिंचाई कार्य मण्डल-VI लखनऊ के शारदा नहर खण्ड हरदोई एवं शाहजहांपुर में मिट्टी के कार्य एवं सिल्ट सफाई की दरों की जानकारी**

83–श्री खालिद गौरी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई कार्य मण्डल-VI लखनऊ के शारदा नहर खण्ड हरदोई में मिट्टी के कार्य तथा सिल्ट सफाई की क्या दरें हैं ? उपरोक्त कार्यों की शाहजहांपुर खण्ड में क्या दरें हैं ? यदि कोई अन्तर है तो उसका क्या कारण है तथा कब तक सामान्य दरें लागू कर दी जायेंगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

षष्टम मण्डल सिंचाई कार्य लखनऊ के हरदोई खण्ड शारदा नहर हरदोई में मिट्टी तथा सिल्ट सफाई के विभिन्न कार्यों के लिये विभिन्न दरें है, जिसकी न्यूनतम 0.20 रुपये से लेकर अधिकतम 55.00 रुपये के बीच दरें निर्धारित की गई है ।

शाहजहांपुर में भी उसी प्रकार उपरोक्त कार्यों की न्यूनतम 0.10 रुपये से लेकर अधिकतम 209.60 रुपये की बीच विभिन्न दरें निर्धारित है ।

स्वीकृत दर सारिणी प्रत्येक कमिश्नरी की अलग अलग होती है और कमिश्नरी के अन्तर्गत कार्यरत सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियन्ताओं की समिति द्वारा निर्धारित की जाती है । जनपद शाहजहांपुर बरेली कमिश्नरी तथा हरदोई लखनऊ कमिश्नरी में है । अतः अन्तर होना स्वभाविक है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**श्री वीरबल यादव सहायक कृषि निरीक्षक मढ़िया सैदपुर जिला गाजीपुर को न्यायालय के आदेशानुसार बहाल न करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में**

84–श्री किशोरी लाल यादव–

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री वीरबल यादव सहायक कृषि परीक्षक मढ़िया सैदपुर गाजीपुर के 1978 के निलम्बन एवं पदच्युत को मुख्य दण्डाधिकारी गाजीपुर तथा लोक सेवा अधिकरण के पेटीशन नं० 198/एफ/III/1980 दिनांक 11/13-5/91 के रद्द करने के बावजूद अब तक श्री यादव को क्यों नहीं बहाल किया गया ? अब तक बहाल न करने वाले अधिकारी के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

मुख्य दण्डाधिकारी द्वारा नहीं, किन्तु मा० लोक सेवा अधिकरण द्वारा निलम्बन तथा पदच्युति के आदेश को रद्द किया गया है । मा० अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर दी गई है । उक्त स्थिति में किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

**उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद के आदेशानुसार विद्युत् परिषद् बाल विद्यालय कासिम्पुर अलीगढ़ की सहायक अध्यापिकाओं का वेतन दो प्रकल्पित वेतन वृद्धियां देकर निर्धारण की मांग**

85–श्री रवीन्द्र प्रताप–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत् परिषद् ने अपने आदेश संख्या-1022-पी/रा० वि० प०-62-पी/66 दिनांक 27-12-1986 द्वारा समस्त कर्मचारियों को 1-4-1979 से लागू वेतनमानों में 2 प्रकल्पित वेतन वृद्धियां देकर वेतन निर्धारण करने का आदेश किया है ? यदि हां, तो क्या इस विद्युत् परिषद् बाल विद्यालय (माण्टेसरी स्कूल) कासिमपुर, अलीगढ़ में कार्यरत सहायक अध्यापिकाओं का 1-4-1979 से 2- प्रकल्पित वेतन-वृद्धियां देकर वेतन निर्धारण किया गया हैं ? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है तथा किस तिथि तक उक्त आदेशानुसार वेतन निर्धारण कर दिया जायेगा ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

जी नहीं । प्रश्नगत सहायक अध्यापिकाओं को विद्यालय की पूर्व प्रबन्ध समिति द्वारा शासन/परिषद् आदेशों के विपरीत दिनांक 1-4-79 से वेतनमान रुपये 465-644 के स्थान पर उच्च वेतनमान रुपये 530-810 स्वीकृत कर दिये गये थे । जिसके कारण अनियमितता उत्पन्न हो गयी । उपरोक्त विसंगति को दूर करके अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

86–श्री रवीन्द्र प्रताप–

[दि० 11-3-92 को अता० प्र० सं० 139 द्वारा उत्तरित ]

87-88–श्री लल्लू सिंह–

[दि० 1-4-92 को अता० प्र० सं० 115-116 द्वारा उत्तरित ]

**जनपद बांदा के मौजा पड़ेरी मरझा व शेखपुर के मध्य स्थित ट्यूबवेल को चालू कराया जाना**

89–श्री विश्म्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा में ब्लाक जसपुरा के अन्तर्गत ग्राम पड़ेरी अन्तर्गत मात्र दो ट्यूबवेल सिंचाई हेतु हैं जिसमें मौजा पड़ेरी मौजा मरझा व शेखपुर के मध्य एक ट्यूबवेल है ? क्या यह ट्यूबवेल इस भयंकर सूखे में चालू नहीं किया गया ? ऐसा क्यों ? यदि चालू कराया जायेगा, तो कब तक ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

मौजा पड़ेरी मरझा व शेखपुर के बीच लगे राजकीय नलकूप की बिजली की लाइन के तार चोरी हो जाने के कारण यह 25-12-90 से बन्द है ।

विद्युत् परिषद् से बिजली की लाइन के तार लगाये जाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं । बिजली के तार लगने पर नलकूप चालू हो सकेगा ।

90–श्री हरिवंश सहाय–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ]

91–श्री राम आसरे वर्मा–

[मा० उपाध्यक्ष होने के कारण हटाया गया ]

**उ० प्र० राज्य विद्युत् परिषद् के हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना से स्थानान्तरित अवर अभियंताओं से आवास खाली कराया जाना**

92–श्री रवीन्द्र प्रताप–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत् परिषद् के अधीन हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना, कासिमपुर (अलीगढ़) से स्थानान्तरित हो चुके कितने अवर अभियंताओं ने परियोजना कालोनी स्थित परिषदीय आवासों को रिक्त नहीं किया है ? ऐसे अवर अभियंताओं के नाम, परियोजना के कार्यमुक्त होने की तिथि तथा आवासों की संख्या क्या है ? क्या इन अवर अभियंताओं के विरुद्ध नियमानुसार कोई अनुशासनिक कार्यवाही तथा आवासों के पेनल-रेन्ट की वेतन से कटौती की जा रही है ? यदि नहीं, तो उसके लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है ? ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध विद्युत् परिषद् क्या कार्यवाही करेगा ? क्या हरदुआगंज तापीय परियोजना स्थित आवासों को, स्थानान्तरित हो चुके अवर अभियंताओं से रिक्त करा दिया जायेगा ? यदि हां, तो किस तिथि तक ?

श्री लाल जी टण्डन–

कुल तेरह स्थानान्तरित अवर अभियंताओं द्वारा परियोजना कालोनी स्थित परिषदीय आवास रिक्त नहीं किये गयें हैं ।

<u>सूचना संलग्न है ।</u>

तेरह अवर अभियंताओं में से चार का स्थानान्तरण शैक्षिक सत्र के मध्य होने के कारण उन्हें सत्र के अन्त तक आवास में रहने की अनुमति दी गई है । शेष नौ अवर अभियंताओं के विरुद्ध पेनल रेन्ट की वसूली करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं और नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आवास खाली कराने के यथा सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 245 पर)

**राजकीय कृषि प्रक्षेत्र बाल चन्दपुर जनपद बहराइच में कार्यरत श्री विद्यापति शुक्ल को अन्यत्र स्थानान्तरण एवं निलंबन का मामला**

93–श्री बलराम यादव–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कृषि प्रक्षेत्र, बालचंदपुर, जनपद बहराइच पर कार्यरत श्री विद्यापति शुक्ल के विरुद्ध शिकायत में जांच होने पर दोषी पाये जाने के फलस्वरुप कृषि निदेशक के अ० शा० पत्रांक ए-बी- 2/4759/90, दिनांक 12-11-90 द्वारा प्रक्षेत्र से हटाये जाने के बाद तथा न्यायालय में स्थानान्तरण की याचिका निरस्त हो जाने के बाद पुनः उसी स्थान पर नियुक्त किया गया है ? यदि हां, इसका क्या औचित्य है ? क्या यह सत्य है कि उक्त कर्मचारी, सक्षम अधिकारी द्वारा निलम्बित भी किया जा चुका है ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी हां ।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29-3-91 के अनुपालन में श्री विद्यापति शुक्ल प्रक्षेत्र पर कार्यरत है ।

उक्त कर्मचारी को संयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार), फैजाबाद द्वारा निलम्बित किया गया था, जिसे मा० उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित कर दिया गया है ।

**जनपद बहराइच के बफर गोदाम की मरम्मत के फर्जी बिल के भुगतान किये जाने से संबंधित जानकारी**

94–श्री बलराम यादव–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कृषि विभाग के बहराइच जनपद के बफर गोदाम के फर्जी मरम्मत के बिलों को मार्च, 89 में तत्कालीन जिला कृषि अधिकारी ने भुगतान न करके निरस्त कर दिया था ? यदि हां, तो क्या उसी कार्य के बिलों को जिसकी धनराशि 49477.10 रु० है, मार्च, 90 में दूसरे अधिकारी ने भुगतान कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों और कैसे ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी नहीं ।

बफर गोदाम की विशेष मरम्मत से संबंधित बिलों/ वाउचर्स का भुगतान आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण न होने के कारण रोका गया था ।

जी नहीं ।

वफर गोदाम की विशेष मरम्मत का आगणन रु० 29,800.00 स्वीकृत था जिसके सापेक्ष रु० 28,665.55 पैसे का भुगतान मार्च 1990 से किया गया है ।

मार्च 89 के वफर गोदाम की विशेष मरम्मत से संबंधित बिल/वाउचर्स का भुगतान समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराने व जिला शासकीय अधिवक्ता सिविल की विधिक राय प्राप्त करने के उपरान्त किया गया ।

**जनपद आगरा तथा फिरोजाबाद में निजी नलकूपों के विद्युतीकरण का कोटा बढ़ाये जाने की मांग**

95–श्री चन्द्र भान मौर्य–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि विकास खण्ड खन्दौली व ऐत्मादपुर, जनपद आगरा तथा विकास खण्ड टूण्डला व नारखी, जिला फिरोजाबाद में निजी नलकूपों के कनेक्शन की स्वीकृति में तथा विद्युतीकरण के लिये सामग्री के वितरण में तथा लम्बित वी० एण्ड एल० फार्म की उपलब्धियों में भारी अनियमिततायें करके किसानों को परेशान किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उपरोक्त जनपदों का निजी नलकूपों के कनेक्शनों का कोटा किसानों के हित में बढ़ाने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

प्रश्नगत दोनों जनपदों में निजी नलकूपों के कनेक्शन हेतु प्राप्त बी० एण्ड० एल० फार्मों की संख्या जनपदों के लिये निर्धारित लक्ष्यों से अधिक होने के कारण कनेक्शन हेतु किसानों को प्रतीक्षा करनी पड़ती है किन्तु नलकूपों का कनेक्शन तैयार की गयी प्राथमिकता सूची के आधार पर ही किया जाता है ।

अधिक संसाधन उपलब्ध होने पर निजी नलकूपों के कनेक्शन का लक्ष्य बढ़ाया जा सकता है ।

**जनपद शाहजहांपुर में नहरों के किनारे पटरियों पर लगे शीशम के पेड़ों की अवैध कटाई रोकने की मांग**

96–श्री राम मूर्ति सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में नहरों के किनारे पटरियों पर लगे शीशम के पेड़ों की कटाई विभागीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों की मिली भगत से हो रही है ? क्या कटी हुई शीशम की लकड़ी पुवायां में माह दिसम्बर, 1991 में पकड़ी गयी ? यदि हां, तो सरकार ने दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? पेड़ों की नहरों पर अवैध कटान को रोकने हेतु क्या कदम उठाये गये है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अवैध कटान को रोकने हेतु पुलिस व प्रशासन की सहायता ली जा रही है । ऐसी सभी घटनाओं की प्राथमिकी रिपोर्ट (एफ० आई० आर०) सिंचाई विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा थानों में कराई जाती है । नहर विभाग के पेड़ों की सुरक्षा हेतु उन्हें वन विभाग को स्थानान्तरित किये जाने का भी प्रस्ताव विचाराधीन है ।

**जनपद शाहजहांपुर की तहसील में अनियमित नलकूप चालकों की नियुक्ति एवं मनमाने ढंग से नियुक्त अमीनों की जगह अनियमित लोगों की नियुक्ति की मांग**

97–श्री राममूर्ति सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद के अधिकांश नलकूप अप्रशिक्षित चालकों के कारण खराब ही रहते हैं ? क्या यह भी सत्य है कि अमीनों की नियुक्तियां मनमाने ढंग से की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों को हटाकर अनुभवों एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों को नियुक्ति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

नलकूपों पर प्रशिक्षित एवं अनुभवी कर्मचारी ही पदस्थापित किये गये है, शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद कानपुर देहात की डेरापुर तहसील के 40 डी० जी० नलकूप के कमाण्ड में आने वाली सम्पूर्ण भूमि को सिंचित किये जाने हेतु पाइप डलवाना**

98–श्री राम मूर्ति सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि कानपुर देहात की डेरापुर तहसील के 40 डी० जी० नलकूप के कमाण्ड में आने वाली सम्पूर्ण भूमि को सिंचित किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या कमाण्ड में आने वाले चक नं० 134, 28, 26, 62, 63 आदि को सिंचित करने के लिये पाइप डलवाने की कोई व्यवस्था सरकार करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

नलकूप के कमाण्ड में आने वाली सम्पूर्ण भूमि की सिंचाई नहीं हो रही है क्योंकि विद्युत आपूर्ति पूरे समय नहीं मिलती ।

चक संख्या– 28, 26, 62 63 की सिंचाई हुई है । नलकूप पर निर्धारित पाइप लाइन बिछाई जा चुकी हैं और किसी चक-विशेष को सिंचित करने के लिये पााइप लाइन की व्यवस्था करना सम्भव नहीं है।

**जनपद मैनपुरी में विद्युत विभाग से संबंधित भ्रष्टाचार एवं अन्य शिकायतों का निस्तारण अधिशासी अभियंता द्वारा किये जाने के संबंध में**

99–श्री राम औतार शाक्य–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी जनपदीय विद्युत विभाग से संबंधित भ्रष्टाचार एवं अन्य शिकायत को निस्तारित करने के लिये मैनपुरी के अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, मैनपुरी ने क्या प्रक्रिया अपनायी है तथा माह दिसम्बर, 91 तक कितनी शिकायतें उनके स्तर पर लम्बित है ? क्या शिकायतकर्ता को निस्तारण के परिणाम से अवगत करा दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि अधिशासी अभियंता, मैनपुरी जानबूझ कर ऐसी शिकायतों का निस्तारण विलम्ब से करते हैं जोकि भ्रष्टाचार से संबंधित होती है ? यदि हां, तो उन्होने अपने कार्यकाल में कितनी शिकायतों का निस्तारण किया और क्या परिणाम से शिकायतकर्ता को अवगत कराया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

मैनपुरी जनपदीय विद्युत विभाग से संबंधित भ्रष्टाचार एवं अन्य शिकायत को निस्तारित करने के लिये शिकायतों को उपखण्ड अधिकारी अथवा उनके अधीनस्थ से जांच कराकर उनका निस्तारण किया जाता है। गम्भीर शिकायतों को अधिशासी अभियंता स्तर पर भी देखा जाता है।

माह दिसम्बर, 1991 तक खण्ड स्तर पर 19 शिकायतें लम्बित थी।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

अधिशासी अभियंता ने अपने कार्यकाल में 7 शिकायतों का निस्तारण किया है।

जांच के दौरान शिकायतकर्ता को पूर्ण तथ्यों से अवगत करा दिया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

100–श्री राम आसरे वर्मा–

[ मा० उपाध्यक्ष होने के कारण हटाया गया]

**सरकार द्वारा आगामी तीन सालों में नई पम्प कैनाल योजना न लेने के संबंध में**

101–श्री राम स्वरुप वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि धनाभाव के कारण सरकार ने अगले तीन वर्षों तक सिर्फ पुरानी योजनाओं को पूरा करने की नीति बनायी है और कोई नयी पम्प कैनाल योजना अगले तीन सालों तक लेने का विचार सरकार का नहीं है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

शासन द्वारा ऐसी कोई नीति नहीं बनायी गयी है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

**केन नहर प्रखण्ड बांदा के अन्तर्गत ग्राम बछौधा के पास टूटी हुई नहर के कुलाबा से हुए नुकसान के लिये क्षतिपूर्ति की मांग**

102–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन नहर प्रखण्ड बांदा के अन्तर्गत ग्राम बछौधा के पास कुलाबा नं०–7 टूटी पड़ी है, जिससे सारा ही पानी नहर का नालों में बेकार बहकर गडरा नाला में गिरा जा रहा है ? यदि हां, तो क्या अक्टूबर, नवम्बर, 1991 में नहर के पानी से गडरा नाला में बाढ़ आ गयी थी व पानी आगे नहर में कई मील तक नहीं पहुंच सका है ? यदि हां, तो क्या इसके कारण सूखे की स्थिति में किसानों का भारी नुकसान हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें क्षतिपूर्ति दिलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

103–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

[ 6ठें मंगल में अता० प्र० सं० 9 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

**जनपद उन्नाव के पुरवा क्षेत्र में बिजली के कम वोल्टेज की समस्या के निदान हेतु कार्यवाही की मांग**

104–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के क्षेत्र पुरवा उन्नाव के टोपरा व दरहेटा ग्रामों में विद्युत वोल्टेज बहुत कम शक्ति का प्रेषित हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त ग्रामों में कम वोल्टेज के कारण जलते हुये बल्बों से कोई प्रकाश नहीं मिलता है और ट्यूबलाइट जल ही नहीं पाती है ? क्या सरकार उक्त क्षेत्र की विद्युत वोल्टेज की समस्या के निदान हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं ।

इस प्रकार की कोई शिकायत संबंधित उपकेन्द्र पर प्राप्त नहीं हुयी है ।

कभी-कभी उपकेन्द्र पर एवं लाइनों में तकनीकी खराबी आ जाती है जिसे तुरन्त दूर कर दिया जाता है ।

105–श्री राम औतार शाक्य–

[ 6ठें मंगलवार में अता० प्र० सं० 158 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

106–श्री राम मूर्ति सिंह–

[ पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

**जनपद सीतापुर के अतिरिक्त गन्ने को खपाने हेतु जनपद में नई चीनी मिल लगाने की योजना की जानकारी**

107–श्री अनिल कुमार–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में कुल उत्पादित होने वाले गन्ने का 32-33 प्रतिशत गन्ना चीनी मिलों को जाता है ? यदि हां, तो शेष गन्ने के उत्पादन को खपाने के लिये कोई चीनी मिल जनपद में लगाने की शासन की योजना है ? यदि हां, तो उक्त मिल कहां लगाई जायेगी और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

जी नहीं ।

25.5 प्रतिशत गन्ना चीनी मिलों को जाता है ।

जी हां ।

रामगढ़ में चीनी मिल स्थापना की कार्यवाही की जा रही है ।

शेष का प्रश्न ही नहीं उठता ।

**जनपद सीतापुर में विकास खण्ड लहरपुर सकरना, रेउसा व बेहटा के बीच चीनी मिल लगाये जाने की जानकारी**

108–श्री अनिल कुमार–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में विकास खण्ड लहरपुर सकरना, रेउसा व बेहटा के बीच में चीनी मिल लगाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

श्री हनुमन्त सिंह–

इस समय शासन के समक्ष कोई प्रकरण लम्बित नहीं है । लेकिन पूर्व में एक उद्यमी का प्रार्थना-पत्र भारत सरकार को भेजा गया है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद बरेली के सेहीखेड़ा व नेकपुर चीनी मिलों के सामान्य प्रबन्धकों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच आख्या**

109–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि सेहीखेड़ा चीनी मिल व नेकपुर चीनी मिल बरेली के सामान्य प्रबन्धकों के विरुद्ध पद के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं के गम्भीर आरोप है ? यदि हां, तो क्या उनकी जांच कराई गयी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

जी हां, दोनों सामान्य प्रबन्धकों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

जी हां ।

जांच आख्या प्रतीक्षित है ।

**दि किसान सहकारी चीनी मिल लि० घोसी, जनपद मऊ में नियुक्ति पर लगे प्रतिबन्ध के बावजूद नियुक्ति करने एवं छटनी शुदा कर्मचारियों को पुनः सेवा में लेने तथा उनके बकाया भुगतान की मांग**

110–श्री राम लखन वर्मा–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "दि किसान सहकारी चीनी मिल लि०" (डिस्टीलरी) घोसी, मऊ में "नियुक्ति पर लगे प्रतिबन्ध" की अवहेलना करते हुये अधिकारियों द्वारा विगत वर्ष में नियुक्तियां की गयी हैं ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ? क्या यह सही है कि छटनी शुदा कर्मचारी श्री लोचन यादव की नियुक्ति उनमें नहीं की गयी है ? क्या यह भी सही है कि पिछड़े वर्ग की कोई नियुक्तियां नहीं की गयी हैं ? यदि हां, तो दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या श्री लोचन यादव एवं मो० कादिर की सेवायें उक्त मिल से जून, 1991 में समाप्त की गयी थी ? यदि हां, तो क्या श्री यादव का मार्च, अप्रैल, मई, 1991 का वेतन भी बकाया है ? यदि हां, तो उन्हें वेतन न दिये जाने के क्या कारण है ? क्या मो० कादिर की भांति श्री लोचन यादव को पुनः सेवा में लेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

जी नहीं । किसान सहकारी चीनी मिल (आसवानी) में अधिकारियों द्वारा नियुक्ति पर लगे प्रतिबन्ध की अवहेलना नहीं की गयी है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जून, 1991 में अथवा इससे पूर्व मो० कादिर नाम के व्यक्ति से कोई भी कार्य नहीं लिया गया है । निर्माणाधीन आसवनी का निर्माण कार्य ठेकेदार द्वारा कराया जा रहा है । श्री लोचन यादव से आसवनी के निर्माणस्थल की सफाई इत्यादि (साइट डेवलपमेन्ट) हेतु निर्धारित अल्पावधि के लिये मस्टर रोल पर कार्य कराया गया था, जिसका उन्हें भुगतान कर दिया गया था । श्री लोचन यादव का कोई भुगतान अवशेष नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

111–श्री राम आसरे वर्मा–

[ मा० उपाध्यक्ष होने के कारण हटाया गया]

**जनपद जौनपुर की शाहगंज चीनी मिल में अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति में अनुसूचित जाति/जनजाति का आरक्षण कोटा पूरा कराने की मांग**

112–श्री अंगद सिंह यादव–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहगंज जनपद जौनपुर की गन्ना मिल में अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति में क्या उसमें अनु० जाति/जनजाति का आरक्षण कोटा पूरा किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक यह आरक्षण कोटा पूरा कर दिया जायेगा ?

श्री हनुमन्त सिंह–

जी हां ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

113–श्री अंगद सिंह यादव–

[ विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

**आत्म हत्या में सहायक सल्फास कीट नाशक की खुले बाजार में होने वाली बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाये जाने**

114–श्री बृज राज त्रिपाठी–

क्या शासन के संज्ञान में है कि सल्फाज कीटनाशक औषधि से उ० प्र० में प्रति वर्ष तमाम आत्म हत्यायें होती हैं ? यदि हां, तो विगत वर्ष 1991 में कितनी आत्म हत्यायें सल्फाज कीटनाशक के खाने से हुई हैं ? क्या इस जान लेवा औषधि के उत्पादन एवं बाजार में खुले माल वितरण पर शासन प्रतिबन्ध लगाने का विचार कर रहा है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी नहीं, प्रदेश में सल्फाज कीटनाशक खाकर आत्महत्या करने की रिपोर्ट किसी सक्षम अधिकारी से प्राप्त नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा पूर्व में ही इसके खुले आम वितरण एवं बिक्री पर पूरे प्रदेश में प्रतिबन्ध लगा हुआ है ।

**जनपद वाराणसी में आवेदित किसानों को पम्पिंग सेटों के विद्युत कनेक्शन दिये जाने की मांग**

115–श्री ऊदल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में ब्लाकवार कितने किसानों ने पम्पिंग सेट के कनेक्शन हेतु जनवरी, 91 से जुलाई, 1991 के महीनों में एस्टीमेट का पूरा रुपया जमा करके एग्रीमेन्ट किया है ? उनको आज तक लाइन न दिये जाने का कारण क्या है ? क्या सरकार आवेदित कनेक्शनों की पूरी संख्या बतायेगी ? क्या सरकार सामान जैसे तार, ट्रान्सफार्मर, क्लैम्प, खम्भा की आपूर्ति कराकर जल्द से जल्द कनेक्शन दिलवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र निजामाबाद में अवशेष हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण का कार्य पूरा कराया जाना**

116–श्री अंगद सिंह यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ अंतर्गत निजामाबाद विधान सभा क्षेत्र की कितनी हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण कराया गया है ? कितनी हरिजन बस्ती में अभी तक विद्युतीकरण नहीं हो पाया तथा इसका क्या कारण है ? कब तक वहां विद्युतीकरण पूरा कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

प्रश्नगत विधान सभा क्षेत्र में 60 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया गया है ।

129 अदद हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया जाना अभी शेष है । इनका विद्युतीकरण भी उपलब्ध संसाधनों के अनुसार निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर किया जा सकता है ।

**जनपद आजमगढ़ की सठियांव चीनी मिल में कर्मचारियों की नियुक्ति में अनुसूचित जाति/जनजाति का आरक्षण कोटा पूर्ण करने की मांग**

117–श्री अंगद सिंह यादव–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के अंतर्गत सठियांव चीनी मिल में इस वर्ष में जो तदर्थ/नियमित कर्मचारियों की नियुक्तियां की गयी हैं, क्या इसमें अनुसूचित जाति/जनजाति का आरक्षण कोटा पूरा किया गया है ? यदि हां, तो उनके नाम एवं पद नाम सहित

विवरण सदन के पटल पर रखने का आदेश करेंगे ? यदि नहीं, तो यह आरक्षण कोटा कब तक पूरा किया जायेगा ?

श्री हनुमन्त सिंह–

जनपद आजमगढ़ के अंतर्गत सठियांव चीनी मिल में इस वर्ष मृतक के आश्रितों की नियुक्ति को छोड़कर कोई तदर्थ/नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की गई । मृतक आश्रितों की नियुक्ति में आरक्षण का प्रश्न नहीं होता ।

इसकी आवश्यकता नहीं है ।

आरक्षण कोटे की पूर्ति यथासमय नियमानुसार की जायेगी ।

118–श्री राम आसरे वर्मा–

[ मा० उपाध्यक्ष होने के कारण हटाया गया ]

**शारदा नहर प्रखण्ड बाराबंकी में वर्ष 1991-92 में दरियाबाद शाखा पर लाइनिंग कार्य पर हुये खर्च की विस्तृत जानकारी**

119–श्री हरदेव सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा नहर प्रखण्ड बाराबंकी में वित्तीय वर्ष 1991-1992 में दरियाबाद शाखा पर लाइनिंग का कार्य हुआ ? यदि हां, तो कितने अनुबन्ध कितनी-कितनी लागत के किये गये ? अब तक शासन द्वारा लाइनिंग हेतु कितना धन दिया गया व कितना भुगतान किया गया ? कितना भुगतान अवशेष है ? क्या यह सत्य है कि निविदाओं में प्रत्येक लाट पर समान दरें आई व निगोशियेशन के भी प्रत्येक लाट पर समान दरें आई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

दरियाबाद शाखाओं पर लाइनिंग के कार्य हेतु कुल रु० 1,78,70,697.75 के किये गये ।

शासन द्वारा आवंटित बजट में से रुपये 1,32,00,000 लाइनिंग कार्य हेतु चिन्हित किया गया तथा उसके विरुद्ध रुपये 1,31,38,764.00 का भुगतान किया गया ।

पूर्ण हुये कार्यों के प्रति भुगतान किया जा चुका है । पांच अनुबन्धों के अंतर्गत कार्य पूर्ण होना अभी शेष है जिनके पूर्ण होने पर अवशेष भुगतान की राशि निश्चित हो सकेगी ।

जी नहीं । 8 लाटों की निविदाओं में से 5 लाटों की निविदाओं समान आई इन 5 लाटों की निगोशिएशन के उपरान्त भी दरें समान ही आई अतः इनको दो भागों में बांटकर अनुबन्ध किया गया । निविदा की निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत ही निर्णय लिया गया ।

**दि किसान सहकारी चीनी मिल पुवायां (शाहजहांपुर) में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी सुरक्षा गार्डों के विनियमितीकरण की मांग**

120–श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दि किसान सहकारी चीनी मिल पुवायां (शाहजहांपुर) में श्री सुरेश पाल सिंह, श्री मछकन्दर सिंह व श्री दुर्गेश पाल सिंह, दैनिक वेतन भोगी

सुरक्षा गार्ड कब से कार्यरत हैं । क्या यह सच है कि यह लगभग छः वर्षों से इस पद पर कार्य कर रहें हैं ? यदि हां, तो क्या इन्हें नियामेत किया जा रहा है तथा नियमानुसार इन्हें नियुक्ति पत्र निर्गत किये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, पुवायां, शाहजहांपुर में श्री सुरेश पाल सिंह, श्री मछकन्दर सिंह व श्री दुर्गेश पाल सिंह माह जनवरी, 1988 से मात्र सीजन के दौरान दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में कार्यरत रहे हैं ।

जी नहीं ।

यदि नियमों की परिधि में आये तो नियमितीकरण पर यथा समय विचार किया जायेगा ।

**जनपद शाहजहांपुर के सहकारी गन्ना समिति पुवायां में पर्ची वितरकों की अनियमित नियुक्तियों को रद्द किया जाना**

121–श्री राममूर्ति सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी गन्ना समिति पुवायां जनपद शाहजहांपुर में गत वर्ष नौ पर्ची वितरकों की नियुक्ति की गयी थी ? क्या यह सही है कि इसमें किसी प्रकार के नियमों का पालन नहीं किया गया एवं मनमाने ढंग से श्री गुलाब चन्द्र मिश्रा सचिव श्री विश्राम लाल वर्मा, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक पुवायां द्वारा नियुक्ति की गयी है ? क्या इसमें जिलाधिकारी श्री सी० बी० पालिवाल द्वारा जांच करायी गयी एवं नियुक्ति अनियमित पाई गयी जिसकी रिपोर्ट गन्ना आयुक्त एवं सचिव गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग उ० प्र० शासन को भेजी गयी है ? उस पर अभी तक नियुक्तियां निरस्त न होने तथा विधिवत् कार्यवाही न होने का क्या कारण है ?

श्री हनुमन्त सिंह–

जी हां ।

नियुक्तियों में कतिपय अनियमिततायें पायीं गयीं ।

जी हां ।

नौ पर्ची वितरकों की सेवायें समाप्त किये जाने का प्रकरण जोनल गन्ना सेवा प्राधिकरण के विचाराधीन है ।

**वित्तीय वर्ष 1990-91 एवं 91-92 में द्वादशम् मण्डल सिंचाई कार्य खण्ड माल एवेन्यू लखनऊ के अन्तर्गत सिंचाई खण्ड महानगर द्वारा किये गये कार्यों के अनुबन्धों से बिक्रीकर की कटौती का मामला**

122–श्री हरदेव सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1990-91 व 1991-92 में द्वादशम् मण्डल सिंचाई कार्य खण्ड माल एवेन्यू लखनऊ के अन्तर्गत सिंचाई खण्ड महानगर लखनऊ द्वारा किये गये कार्यों के अनुबन्धों से बिक्रीकर शासन के आदेशानुसार भुगतान होने वाले बिलों से काटा गया है ? यदि हां, तो कितने अनुबन्ध फाईनल किये गये व उनमें से कितना बिक्रीकर किस दर से काट कर बिक्रीकर के मद में कब जमा हुआ ? क्या सभी अनुबन्धों पर समान रूप से बिक्रीवार कर योग्य सामग्री

पर काटा गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या किसी अनुबन्ध से बिक्रीकर समायोजित करके भी काटा गया है ? यदि हां, तो कैसे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

वर्ष 1990-91 व 1991-92 में कर योग्य सिविल संविदाओं के कुल 47 अनुबन्ध किये गये जिसमें अधीक्षण अभियन्ता स्तर के 4 अधिशासी अभियन्ता स्तर के 3 एवं सहायक अभियन्ता स्तर के 40 अनुबन्ध हैं । इन अनुबन्धों में अधीक्षण अभियन्ता स्तर का एक एवं सहायक अभियन्ता स्तर के 23 अनुबन्ध फाइनल किये गये जिसमें कुल रुपये 36,945.00 की कटौती बिक्रीकर हेतु की गयी है । बिक्रीकर की कटौती उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम की धारा-7 डी एवं बिक्रीकर विभाग द्वारा लागू समाधान योजना के अन्तर्गत की गयी । की गयी कटौती महालेखाकार को सम्प्रेक्षित मासिक लेखे में उसी माह बिक्रीकर के लेखा शीर्षक 0040 के अन्तर्गत क्रेडिट की गयी ।

सभी अनुबन्धों पर समान रूप से बिक्रीकर नहीं काटा गया है बल्कि बिक्रीकर की कटौती उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम की धारा-7 डी एवं बिक्रीकर विभाग द्वारा लागू समाधान योजना के अन्तर्गत (जिस प्रकरण में जो लागू थी) की गयी है ।

बिक्रीकर कटौती का विवरण संलग्न है ।

बिक्रीकर की काटी गयी राशि बिक्रीकर लेखा शीर्षक 0040 से महालेखाकार के माध्यम से समायोजित की गयी है ।

संविदादाता को भुगतान होने वाले माह के मासिक लेखे में बिक्रीकर की कटौती की राशि क्रेडिट दर्शायी जाती है जो बुक एडजस्टमेंट के माध्यम से महालेखाकार बिक्रीकर विभाग को उपलब्ध कराते हैं ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 246 पर)

**शारदा नहर प्रखण्ड बाराबंकी में कार्यरत अधिशासी अभियन्ता द्वारा सरयू मुख्य नहर की खुदाई में किये गये घपले से संबंधित शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही**

123–श्री हरदेव सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा नहर प्रखण्ड बाराबंकी में कार्यरत अधिशासी अभियन्ता जब जनपद बहराइच में सरयू मुख्य नहर पर कार्यरत थे तो सरयू मुख्य नहर के कि०मी० 40 से 46 कि०मी० में लगभग एक मीटर (1.00 मीटर) ग्राउण्ड लेबिल से ऊपर खुदवायी थी जिसकी शिकायत तत्कालीन मुख्य अभियन्ता सरयू द्वारा शासन को दी गयी थी ? यदि हां, तो शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? कितना अधिक भुगतान किया गया और शासन को उससे क्या हानि हुई ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जिलाधिकारी बांदा द्वारा की गयी अनियमित नियुक्ति से संबंधित शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही**

124—श्री विशम्भर प्रसाद निषाद—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का जिलाधिकारी बांदा के आदेश सं०-1332/4-कृषि/स्वा०/91-92, दिनांक 4-9-91 अनियमित होने संबंधी पत्र दिनांक 14-12-91 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या जिलाधिकारी तथा लाभार्थी आत्माराम मिश्रा के खिलाफ सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गंगा भक्त सिंह—

जी हां ।

जिलाधिकारी बांदा द्वारा की गयी अनियमित नियुक्ति को निरस्त करने के आदेश दे दिये गये हैं ।

उत्तरदायित्व निर्धारित करने के संबंध में जांच करायी जायेगी ।

**उत्तर प्रदेश में ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु किये जा रहे उपायों एवं जनपद मैनपुरी में ग्राम सभा में ऊसर सुधार योजना की जांच आख्या**

125—श्री राम औतार शाक्य—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि समस्त उ० प्र० में ऊसर भूमि का कितना क्षेत्रफल है ? जून, 91 के बाद उ० प्र० सरकार ने ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए क्या कोई नये एवं ठोस उपाय किये हैं ? क्या यह सच है कि मैनपुरी जनपद के विकास खण्ड मैनपुरी में स्थित गांव सभा नौनेर एवं उससे लगे क्षेत्रफल में ऊसर सुधार योजना के अन्तर्गत करोड़ों रुपये के घपले की जांच जिलाधिकारी मैनपुरी द्वारा की जा रही है ? यदि हां, तो वह जांच कब तक पूर्ण हो जायेगी ? क्या अभी तक प्रथम दृष्ट्या में किसी दोषी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह—

समस्त उत्तर प्रदेश में लगभग 11.50 लाख हैक्टेयर ऊसर क्षेत्र है ।

जी नहीं । पूर्व लागू योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**प्रदेश में जनपदीय न्यायालयों में कार्यरत शासकीय अधिवक्ताओं के रिनूवल में धांधली**

126—श्री राम औतार शाक्य—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में जनपदीय न्यायालयों में कार्यरत शासकीय अधिवक्ताओं कें रिनूवल किये जाने की प्रक्रिया कब तक पूर्ण हो जायेगी ? क्या यह सच है कि वर्तमान प्रदेश सरकार पूर्व सरकार द्वारा नियुक्त सभी शासकीय अधिवक्ताओं को हटा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह भी सच है कि मैनपुरी के जिलाधिकारी द्वारा अधिकांशतः पिछड़े वर्गों से संबंधित किसी शासकीय अधिवक्ता की रिनूवल के लिए संस्तुति नहीं की है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह भी सच है कि वर्तमान प्रदेश सरकार पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अल्पसंख्यक समुदाय के कार्यरत

शासकीय अधिवक्ताओं का रिनूवल निरस्त कर एक विशेष संगठन के अधिवक्ताओं की नियुक्ति करने जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो मैनपुरी के जिलाधिकारी से पुनः रिपोर्ट क्यों मांगी गई ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रदेश में जनपदीय न्यायालयों में कार्यरत शासकीय अधिवक्ताओं के कार्यकाल भिन्न-भिन्न तिथियों को समाप्त होते हैं और जिन-जिन अधिवक्ताओं के कार्यकाल समाप्त होते हैं उनके कार्यकाल में रिनूवल की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाती है ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जी नहीं । जनपद स्तर पर कार्यरत अधिवक्ताओं की कार्यावधि समाप्त होने पर विधि परामर्शी निदेशिका के प्रस्तर-7.08 के अधीन जिला जज एवं जिलाधिकारी की संस्तुति पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त कार्यरत अधिवक्ताओं के कार्यकाल में वृद्धि/ कार्यकाल की समाप्ति की जाती है । इस प्रक्रिया का पालन करने समय किसी वर्ग विशेष का ध्यान नहीं रखा जाता है क्योंकि विधि परामर्शी निदेशिका के प्रस्तर-7.03 के अधीन नियुक्ति करते समय भी किसी वर्ग विशेष के आधार पर नियुक्ति न कर श्रेष्ठता के आधार पर की जाती है ।

**सिंचाई खण्ड गोण्डा में करोड़ों रुपये के फर्जी भुगतान से संबंधित शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही**

127–श्री बाला प्रसाद

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री घनश्याम शुक्ल विधायक व छेदी लाल विधायक भा० ज० पा० जनपद गोण्डा ने मंत्री जी को 15 जनवरी, 1992 से 20 जनवरी, 1992 के बीच में कोई शिकायती पत्र इस आशय का दिया था कि सिंचाई खण्ड, गोण्डा में करोड़ों रुपयों का फर्जी भुगतान कराया गया है उसका भौतिक सत्यापन कराया जाय ? यदि हां, तो सरकार इस शिकायती पत्र पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां । मा० श्री घनश्याम शुक्ल व श्री छेदी लाल, विधायकगण का प्रश्नगत संयुक्त शिकायती पत्र दिनांक 15 जनवरी, 1992 प्राप्त हुआ है ।

टी० ए० सी० से जांच कराये जाने के आदेश दे दिये गये हैं ।

**विद्युत वितरण खण्ड मऊ में प्रशिक्षण प्राप्त दैनिक श्रेणी लिपिकों का विभागीय सेवा में समायोजन**

128–श्री अंगद सिंह यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रशिक्षु अधिनियम सन् 1961 के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षु विद्युत वितरण खण्ड मऊ में दैनिक श्रेणी लिपिक के पद पर सन् 85/88 में कार्य कर चुके हैं ? यदि हां, तो उन्हें अब तक उ० प्र० रा० विद्युत परिषद् में क्यों नहीं समायोजित किया गया है ? यदि समायोजित किया जायेगा तो कब तक ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं ।

केवल प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत जनरल क्लर्क प्रशिक्षु के रूप में प्राप्त किये हैं।

प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षुओं को विभागीय नियमित सेवा में समायोजित करने का अधिनियम में कोई प्राविधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

**किसान सहकारी चीनी मिल, सम्पूर्णानगर, जनपद खीरी में डिस्टलरी फैक्ट्री का निर्माण पूर्ण कराये जाने की मांग**

129–श्री अनिल कुमार–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसान सहकारी चीनी मिल, सम्पूर्णानगर, जनपद-खीरी में डिस्टलरी फैक्ट्री का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ?

श्री हनुमन्त सिंह–

जी हां।

सम्पूर्णानगर, जनपद खीरी में आसवनी का निर्माण कार्य मार्च, 1991 में पूर्ण कर लिया गया है तथा आसवनी ने अपना उत्पादन कार्य प्रारम्भ कर दिया है।

**बांदा की भूमि संरक्षण अधिकारी इकाई द्वारा खप्टिहा कला चमरहा तालाब में कराये गये कार्यों की जांच के संबंध में पत्र पर कृत कार्यवाही**

130–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि भूमि संरक्षण अधिकारी इकाई, बांदा को खप्टिहा कला चमरहा तालाब में ट्रैक्टर द्वारा कराये गये कार्य एवं मानव दिवस संबंधी कार्य के संबंध में रजिस्टर्ड पत्र सं०-2546, दिनांक 31-12-91 पत्र सं०-ख 830278 प्रश्नकर्ता द्वारा दिया गया है ? यदि हां, तो उसका उत्तर न देने का कारण क्या है ? क्या फर्जी मस्टर रोल बनाकर ट्रैक्टर से कराने वाले कार्यों की जांच कराकर दोषी कर्मचारियों एवं अधिकारियों के खिलाफ सरकारी गबन का केस चलाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी हां। रजिस्टर्ड पत्र सं०-2546, दिनांक 31-12-91 प्राप्त हुआ है। पत्र सं०- ख 830278 कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है।

प्राप्त पत्र सं०-2546, दिनांक 31-12-91 का उत्तर भूमि संरक्षण अधिकारी, बांदा के पत्रांक 914/प्रा० अनु०/वि०स०प्र०/91-92, दिनांक 7-1-92 द्वारा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

मिट्टी का ठोस कार्य ट्रैक्टर से लिया गया जो श्रमिकों की शक्ति से बाहर था। फर्जी मस्टर रोल नहीं बनाया गया है।

131–श्री भगवती प्रसाद शुक्ला–

[दिनांक 1-4-92 को अता० प्र० सं० 119 द्वारा उत्तरित]

**मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) द्वारा तदर्थ नियुक्तियों के संदर्भ में अनियमितता करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही**

132–श्री भगवती प्रसाद शुक्ला–

दशम् विधान सभा के प्रथम सत्र 1991 के दूसरे बुधवार के अतारांकित प्रश्न सं०-135 के उत्तर के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) के तदर्थ नियुक्ति करने के संबंध में परिषद् से कोई आदेश लिया गया था ? यदि हां, तो मंत्री जी आदेश की प्रति सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? तदर्थ कर्मचारियों के नाम, पदनाम, तैनाती स्थान क्या हैं ? इस गम्भीर अनियमितताओं के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध आज तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

आदेश की प्रति मेरे कार्यालय में उपलब्ध रहेगी । माननीय सदस्य इसका अवलोकन कर सकते हैं ।

सूची अनुलग्नक "क" संलग्न है ।

इन तदर्थ नियुक्तियों में भ्रष्टाचार के शिकायत की जांच परिषद् सतर्कता द्वारा करायी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 246-247 पर)

**विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय, बुलन्दशहर के अन्तर्गत शिकारपुर की शिवलोक कालोनी के विद्युतीकरण के संबंध में**

133–श्री रवीन्द्र प्रताप–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय, बुलन्दशहर के अन्तर्गत शिकारपुर के शिवलोक कालोनी का विद्युतीकरण नियमित तरीके से किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

नियमानुसार किसी भी कालोनी के विद्युतीकरण के लिए कालोनी के विकासकर्ता को विद्युतीकरण का व्यय परिषद् के पास जमा करना होता है । इस कालोनी के विकासकर्ता द्वारा इस मद में कोई धन नहीं जमा किया गया है ।

उक्त विषय में किसी अधिकारी/कर्मचारी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता ।

**विद्युत वितरण खण्ड, बुलन्दशहर के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 में उपभोक्ताओं के ऐसेसमेंट बिल माफ करने एवं उपभोक्ताओं की सूची सदन के पटल पर रखने की मांग**

134–श्री रवीन्द्र प्रताप–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत वितरण मण्डल, बुलन्दशहर के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 में कितने विद्युत उपभोक्ताओं के ऐसेसमेंट बिल माफ किये गये और उनका क्या आधार था ? क्या उक्त उपभोक्ताओं की सूची सहित विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

विद्युत वितरण मण्डल, बुलन्दशहर के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 में 27 उपभोक्ताओं के ऐसेसमेंट बिलों का पुनः निर्धारण किया गया । उपभोक्ताओं की सूची तथा ऐसेमेंट बिलों के पुनः निर्धारण का आधार संलग्न तालिका में दिया गया है, जिसकी प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गई हैं ।

**उ० प्र० विद्युत मजदूर संघ द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, रुड़की को प्रेषित पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की जानकारी**

135–श्री रवीन्द्र प्रताप–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विद्युत मजदूर संघ सम्बद्ध भारतीय मजदूर संघ का पत्र सं०-139/उ०प्र०वि०म०सं०/91, दिनांक 25-6-91 कतिपय समस्याओं के निदान हेतु अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत मण्डल, रुड़की को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें उठाये गये बिन्दुओं की बिन्दुवार स्थिति क्या है ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां । कर्मचारी समस्याओं के निदान के लिए वार्ता करने हेतु संघ से पत्र प्राप्त हुआ है । संघ के पत्र के संदर्भ में अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, रुड़की द्वारा अपने पत्रांक–5236-वि०वि०म०रु०/जी/ईसी-1/यू-7/वि०म० संघ, दिनांक 28-6-91 के माध्यम से विद्युत मजदूर संघ के मण्डल मंत्री श्री खैराती लाल शर्मा से कुछ स्पष्टीकरण व विवरण मांगे हैं, जो अभी तक प्रतीक्षित हैं, जिस कारण बिन्दुवार वार्तालाप संघ से नहीं सम्भव हो सका है ।

**उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के मण्डलीय मंत्री श्री के० एल० शर्मा द्वारा सचिव ,विद्युत परिषद् को प्रेषित पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की जानकारी**

136–श्री रवीन्द्र प्रताप–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत श्री के० एल० शर्मा, मण्डलीय मंत्री, उ० प्र० विद्युत मजदूर संघ सम्बद्ध भारतीय मजदूर संघ का पत्र सं०-121/उ०प्र०म०सं०/91, दिनांक 20-4-91 विद्युत वितरण मण्डल, रुड़की के अधिकारियों द्वारा की गयी अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के संबंध में सचिव, उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसकी बिन्दुवार स्थिति क्या है ?

श्री लालजी टण्डन–

श्री के० एल० शर्मा, मण्डलीय मंत्री, उ० प्र० विद्युत मजदूर संघ सम्बद्ध भारतीय मजदूर संघ का पत्र सं०–121/उ०प्र०वि०म०सं०/91, दिनांक 20-4-91 परिषद् को प्राप्त नहीं हुआ है ।

**विद्युत वितरण मण्डल, बुलन्दशहर, मेरठ, गाजियाबाद, आजमगढ़, जौनपुर द्वारा वर्ष 1988 से 1991 तक दिये गये निजी नलकूप कनेक्शन का लोड एवं सामानों की सूची सदन के पटल पर रखने की मांग**

137–श्री रवीन्द्र प्रताप–

क्या उर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत वितरण मण्डल, बुलन्दशहर, मेरठ, गाजियाबाद, आजमगढ़, जौनपुर में कितने निजी नलकूप कनेक्शन वर्ष 1988 से वर्ष दिसम्बर, 1991 तक दिये

गये ? क्या उनकी स्वीकृति लोड एवं दिये गये सामानों की सूची का विवरण संदन के पटल पर रखेंगे ? क्या नलकूप कनेक्शन के साथ लाइन में अर्थ का तार लगाया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

विद्युत वितरण मण्डल, बुलन्दशहर, मेरठ और गाजियाबाद में वर्ष 1988 तक दिये गये निजी नलकूप कनेक्शनों की संख्या क्रमशः 4082, 5266 एवं 1691 है ।

इन नलकूप कनेक्शन के लिए कुल स्वीकृत भार क्रमशः 20631, 31596 हार्स पावर एवं 6058.80 किलोवाट है । उपरोक्त कनेक्शनों में उपयोग की गयी सामग्री का विवरण क्रमशः संलग्नक "क", "ख" एवं "ग" में दिया गया है ।

या तो अर्थ तार लगाया गया है अथवा खम्भों को अर्थ किया गया है । भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 के अनुसार या तो अर्थ का तार लगाया जाना अथवा खम्भों को अर्थ किया जाना आवश्यक है ।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 248–250 पर)

138-140–श्री राम आसरे वर्मा–

[ मा० उपाध्यक्ष होने के कारण हटाये गये ]

**जनपद लखीमपुर खीरी के कतिपय ग्रामों में विद्युत बिल तथा बल्ब आदि के फर्जी भुगतान लिए जाने की शिकायत**

141–श्री राम सरन–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद खीरी लखीमपुर में गांव भलिंया व रामपुर, ताजपुर आदि गांवों में बिजली के खम्भे बिछे हुए हैं ? यदि हां, तो प्रति माह क्या उक्त ब्लाक में बल्ब आदि के खर्च दिखाये जाते हैं ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जनपद खीरी लखीमपुर के गांवों भलिंया-बुजुर्ग (विकास खण्ड लखीमपुर) का एल० टी० मेन्स बिछाकर मार्च, 1992 में विद्युतीकरण कर दिया गया है । ग्राम रामपुर (विकास खण्ड लखीमपुर) एवं ताजपुर (विकास खण्ड बिजुआ) में बिजली के खम्भे नहीं गाड़े गये हैं ।

उपरोक्त गांवों में बल्ब आदि पर कोई खर्चा नहीं दिखाया गया है ।

वर्ष 1992-93 में यदि रामपुर और ताजपुर का चयन जिला ऊर्जा सलाहकार समिति द्वारा कर लिया जाता है तो उपरोक्त गांवों का भी विद्युतीकरण किया जा सकता है ।

**जिला कृषि अधिकारी, बांदा कार्यालय में सहायक लेखाकार के पद पर कनिष्ठ लिपिक की अनियमित नियुक्ति एवं दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही**

142–श्री राम प्रसाद सिंह (बांदा)–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के अन्तर्गत जिला कृषि अधिकारी, बांदा के अधिष्ठान में सहायक लेखाकार पद पर जिला अधिकारी, बांदा द्वारा दिनांक 4-9-91 को नियुक्ति की गयी है ? यदि हां, तो क्या सहायक लेखाकार के पद पर कनिष्ठ लिपिक की पदोन्नति की गई है ? क्या यह सही है कि पदोन्नति प्राप्त कनिष्ठ लिपिक से वरीयता क्रम में ज्येष्ठ कर्मचारी भी हैं ? यदि हां, तो ज्येष्ठ के रहते कनिष्ठ की प्रोन्नति का क्या औचित्य है ? क्या यह भी बतायेंगे कि संयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार), झांसी मण्डल, झांसी ने अपने पत्रांक-2578/स्था/लिवर्गीय/91-92, दिनांक 25-10-91

द्वारा जिला कृषि अधिकारी, बांदा से उक्त कनिष्ठ लिपिक की पदोन्नति लेखाकार पद पर किये जाने के आधार पर एवं मापदण्ड की आख्या मांगी गयी है ? यदि हां, तो क्या लिपिकीय वर्ग की वरीयता सूची वहां बनायी जाती है ? यदि हां, तो इस नियुक्ति में कौन दोषी है ? क्या इस प्रकरण में उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो क्या और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी हां ।

जी नहीं । अन्तरोधन व्यवस्था में जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय के कनिष्ठ लिपिक की सहायक लेखाकार के पद पर नियुक्ति की गयी ।

उपरोक्तानुसार नियुक्त किये गये कनिष्ठ लिपिक से ज्येष्ठ कर्मचारी हैं ।

उक्त नियुक्ति अनियमित है, जिसे निरस्त करने के आदेश दे दिये गये हैं ।

जी हां ।

जी नहीं । लिपिकीय वर्ग की वरिष्ठता सूची जिला स्तर पर नहीं बनायी जाती है ।

उत्तरदायित्व निर्धारित करने के संबंध में जांच करायी जायेगी ।

**जनपद आजमगढ़ के उपकेन्द्र सोफीपुर में विद्युत आपूर्ति में सुधार की मांग**

143–श्री अंगद सिंह यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत उपकेन्द्र सोफीपुर, वि०ख० तहबरपुर में विद्युत की आपूर्ति कभी भी सही प्रकार से नहीं होती है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? कब तक आपूर्ति सही तरीके से होगी ?

श्री लालजी टण्डन–

जून, 1991 में प्रश्नगत उपकेन्द्र पर आग की दुर्घटना में 11 के० वी० का एक अदद इनकमिंग तथा दो अदद आऊटगोइंग स्विचगियर जलकर क्षतिग्रस्त हो गये थे । इसके पश्चात् उपरोक्त उपकेन्द्र से विद्युत आपूर्ति दो ग्रुपों में की जा रही है । 11 के० वी० स्विचगियर्स को बदलने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है और संसाधन उपलब्ध होते ही कार्य को पूरा कर दिया जायेगा ।

**जनपद आगरा में वर्ष 1987 से 1991 तक चयनित सभी ग्रामों में विद्युतीकरण के कार्य को पूर्ण किये जाने की मांग**

144–श्री विजय सिंह राणा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1987 से वर्ष 1991 तक जनपद आगरा में कुल कितने गांवों को विद्युतीकरण करने के लिए चयनित किया गया है ? उन चयनित गांवों में से कितने गांवों का विद्युतीकरण पूरा हुआ है और कितने गांव शेष रह गये हैं ? शेष गांवों का विद्युतीकरण अब कब तक पूरा हो जायेगा और अभी तक उनके पूरा न होने के क्या कारण हैं ?

श्री लालजी टण्डन–

जनपद आगरा में वर्ष 1987(1-4-87) से वर्ष 1991 (31-3-91) तक कुल 176 गांवों को विद्युतीकरण के लिए चयनित किया गया और उन चयनित गांवों में से 58 गांवों के विद्युतीकरण का कार्य पूरा किया गया । 118 ग्राम शेष रह गये हैं ।

शेष चयनित ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार किया जा सकता है ।

**जनपद फैजाबाद के ग्राम बरौली पूरे, अल्पी दुबे में विद्युतीकरण का कार्य पूरा कराने की मांग**

145–श्री किशोरी लाल (जौनपुर) तथा श्री मो० मुकीम–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद, तहसील बीकापुर, परगना खण्डासा के अन्तर्गत आने वाले गांव ग्राम बरौली पूरे, अल्पी दुबे में विद्युतीकरण के लिए 3 वर्ष पूर्व ही खम्भे गाड़ दिये गये

हैं परन्तु न तो तार खींचे गये हैं और न विद्युतीकरण ही किया गया है.? क्या सरकार तत्काल खम्भों में तार खिंचवाकर विद्युतीकरण की कार्यवाही पूरी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

प्रश्नगत ग्राम के 18 अदद निवासियों ने वर्ष 1988 में रुपये 25 प्रति व्यक्ति की दर से अग्रिम धनराशि कनेक्शन हेतु जमा की । तत्पश्चात् सर्वेक्षण कराकर एवं प्राक्कलन बना कर संबंधित ग्राम-वासियों को कनेक्शन हेतु धनराशि जमा करने एवं बी० एण्ड एल० फार्म तथा अनुबन्ध करने हेतु नियम व शर्तें प्रेषित की गयीं । किसी भी सम्भावी उपभोक्ता ने उक्त औपचारिकतायें पूर्ण नहीं कीं । इस हेतु तार खींच कर लाइन के निर्माण का कार्य पूरा नहीं किया गया है ।

**उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ० प्र०, लखनऊ के वर्ग–1 एवं वर्ग–2 में अनुसूचित जाति कोटे से हुई पदोन्नतियों की जानकारी**

146–श्री विश्व नाथ–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ० प्र०, लखनऊ में वर्ग-2 से वर्ग–1 में अनुसूचित जाति कोटे से पदोन्नतियां कब-कब हुईं और निकट भविष्य में कब हो रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ० प्र०, लखनऊ में वर्ग-2 से वर्ग-1 में अनुसूचित जाति के कोटे से पदोन्नतियां वर्ष 1989 में की गयी थीं । शासनादेश सं०-13/33/90-का-1/1990, दिनांक 29-10-90 द्वारा उन संवर्ग में पदोन्नतियों पर रोक लगायी गयी है जिनकी सेवा नियमावलियां नहीं प्राप्त हुई हैं । अतः पदोन्नति हेतु चयन करने में कठिनाई है । उक्त सेवा नियमावली के प्रख्यापन के उपरान्त ही पदोन्नतियां की जा सकेंगी ।

**जनपद सुल्तानपुर के खण्ड-49 में बनने वाली ड्रेनों के निर्माण की अवधि तथा ड्रेनों से संबंधित मुआवजा बांटने में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही**

147–श्री तेजभान सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के खण्ड-49 के अन्तर्गत बनने वाली गोरीपुर, हरकरनपुर, हरदोइया, मौसगांव, कमालपुर ड्रेनों का कितने किसानों का मुआवजा बना था ? उनमें कितनों को मुआवजा बांट दिया गया है ? कितनों को अभी तक बांटा नहीं गया ? इनमें से कितने किसान ऐसे हैं जिनका मुआवजा ही नहीं बनाया जा सका है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त ड्रेनें किस-किस सन् में निर्माण की गयी हैं ? अब तक समस्त किसानों को मुआवजा न बांटने के क्या कारण हैं ? क्या उस संबंध में विभागीय अधिकारियों की शिथिलता की जांच कर कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् की अनपारा तापीय परियोजना में कार्यरत कम्पाउण्डरों के पदनाम परिवर्तन की मांग**

148–श्री रवीन्द्र प्रताप–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत कार्यरत अनपरा तापीय परियोजना के कम्पाउण्डर जिनकी शैक्षिक योग्यता डिप्लोमा इन फार्मेसी तथा उ० प्र० फार्मेसी कौंसिल में पंजीकृत हों उनका पदनाम, कम्पाउण्डर से फार्मेसिस्ट करने संबंधी पत्र सं०-5137म०प्र०/अनु०-2/अ०ता०प०/ई०23-(एनजी), दिनांक 16-12-91, जो कि सचिव, उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् को संबोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी तथा कब तक पदनाम परिवर्तन कर दिया जायेगा ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

परिषदान्तर्गत सभी परियोजनाओं में कम्पाउण्डर पदनामधारी कार्यरत हैं, जिनके पदनाम में परिवर्तन किया जाना परिषद् के विचाराधीन है । इस संबंध में अनपारा सहित सभी परियोजनाओं से प्रस्ताव मांगे गये हैं । वांछित प्रस्तावों की प्राप्ति के उपरान्त ही इस विषय पर सम्पूर्णता के आधार पर कार्यवाही की जायेगी ।

**उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् में माह दिसम्बर-91 तक कर्मचारियों के लम्बित देयकों के मामलों का निस्तारण किये जाने की मांग**

149–श्री रवीन्द्र प्रताप–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् में कितने कर्मचारियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी/जी०पी०एफ० के मामले माह दिसम्बर, 1991 तक लम्बित हैं तथा इन लम्बित मामलों को कब तक निस्तारित कर दिया जायेगा ?

श्री लालजी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**जनपद आजमगढ़ की सठियांव चीनी मिल द्वारा अपने ही जनपद के किसानों का गन्ना पेराई हेतु लेने की मांग**

150–श्री अंगद सिंह यादव–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत सठियांव चीनी मिल में जनपद के किसानों के गन्ने की आपूर्ति न लेकर जनपद के बाहर से आपूर्ति ली जा रही है ? क्या शासन द्वारा कोई ऐसी नीति बनायी गयी ? यदि नहीं, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है ? क्या जनपद के किसानों के गन्ने की आपूर्ति इस पेराई सत्र में पूरी कर ली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

सठियांव चीनी मिल द्वारा अधिकांश गन्ना जनपद आजमगढ़ से ही क्रय किया जा रहा है तथा नियमतः पारित सुरक्षण आदेशों के अन्तर्गत कुछ गन्ना बाहर के जनपदों से भी लिया जा रहा है ।

गन्ना कृषकों के व्यापक हित में उक्त व्यवस्था की गयी है ।

जी हां ।

**जनपद आजमगढ़ के ग्राम गौसपुर में शासन द्वारा स्वीकृत 133 के० वी० विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण**

151–श्री अंगद सिंह यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के ग्राम गौसपुर, विकास खण्ड मिर्जापुर में शासन द्वारा विद्युत उपकेन्द्र 133 के० वी० स्वीकृत है ? यदि हां, तो कब तक उसका निर्माण कार्य शुरू कराया जायेगा ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद आजमगढ़ के सिंचाई खण्ड-2 शा०स० बनगांव–फरिहा माइनर की सफाई कराकर किसानों को जल की आपूर्ति**

152–श्री अंगद सिंह यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत सिंचाई विभाग खण्ड-2 शा०स० के बनगांव-फरिहा माइनर में इस वर्ष सफाई के अभाव में पानी की सप्लाई किसानों को नहीं दी गयी है ? यदि हां, तो कब तक पानी की सप्लाई दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

जनपद आजमगढ़ में सिंचाई खण्ड-2 के अन्तर्गत आजमगढ़ राजवाहा से निकलने वाली फरिहा माइनर कुल 13.500 कि०मी० तक ही निर्मित है । यह सही नहीं है कि सफाई के अभाव में पानी की सप्लाई किसानों को नहीं दी गयी है, वरन् इसमें 1399 फसली रवी में लगभग 9.500 कि०मी० तक पानी गया है ।

आगामी रवी में रोस्टर के अनुसार तथा नहर में पानी की उपलब्धता के अनुसार पानी दिया जाना प्रस्तावित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद खीरी की सम्पूर्णानगर चीनी मिल में स्टेशनरी क्रय में व्यय**

153–श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चीनी मिल, सम्पूर्णानगर (खीरी) में स्टेशनरी की खरीद पर पिछले वर्ष की अपेक्षाकृत इस वर्ष कितना मूल्य ज्यादा खर्च किया गया है ?

श्री हनुमन्त सिंह–

चीनी मिल सम्पूर्णानगर (खीरी) में वर्ष 1991-92 में स्टेशनरी मद में दिनांक 29-2-92 तक गत वर्ष की तुलना में रुपये 47866.29 अधिक व्यय किया गया ।

**चीनी मिल, सम्पूर्णानगर, जनपद खीरी में वित्तीय संकट के बावजूद बागवानी एवं सुन्दरीकरण में व्यय**

154–श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अत्यधिक वित्तीय संकटों के बावजूद भी चीनी मिल, सम्पूर्णानगर, खीरी के बागवानी व सुन्दरीकरण हेतु धन व्यय किया गया है ? यदि हां, तो कितना ?

श्री हनुमन्त सिंह–

मिल समिति द्वारा बागवानी, सफाई व फैक्ट्री बिल्डिंग की पेंटिंग पर रुपये 8,930.80 व्यय किया गया ।

**जनपद सीतापुर के किसानों का गन्ना कम मूल्य पर खरीदे जाने के औचित्य एवं जबरन इन्दिरा विकास पत्र खरीदने हेतु बाध्य करने की जानकारी**

155–श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर) तथा श्री अनिल कुमार–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जनपद में किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित गन्ना मूल्य रुपये 45 के स्थान पर रुपये 41 नकद दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि रुपये 4 प्रति कुन्तल की आवश्यक रूप से कटौती के आदेश करके किसानों को जबरन इन्दिरा विकास पत्र खरीदने के लिए बाध्य करने हेतु जिलाधिकारी, सीतापुर को प्रदेश सरकार ने आदेश दिये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो क्या दोषी अधिकारी को दण्डित किया जायेगा ?

श्री हनुमन्त सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं है ।

156–158–श्री राम आसरे वर्मा–

[उपाध्यक्ष होने के कारण हटाया गया]

**जनपद बांदा के क्षेत्र नरैनी के गांव खरैच में विद्युतीकरण हेतु पत्र पर कृत कार्यवाही**

159–श्री राम प्रसाद सिंह (बांदा)–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के क्षेत्र नरैनी के गांव खरैच के युवक मंगल दल का ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु लाइन खींचे जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र तत्कालीन मुख्य मंत्री को दिया गया है ? क्या संयुक्त सचिव, ऊर्जा अनुभाग-1, उ० प्र० शासन ने अपने अ०शा० पत्र सं०-1202एम०एम०पी०-1/90-23, दिनांक 27 नवम्बर, 1990 को कार्यवाही हेतु सचिव, उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् को निर्देश सहित भेजा गया है जिसकी सूचना प्रश्नकर्ता को दी गयी है ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक वहां लाइन खींच कर विद्युतीकरण कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**श्री बी० डी० चौधरी/हरिचरन यादव, अवर अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, गोण्डा के स्थानान्तरण को स्थगित करने के औचित्य की जानकारी**

160–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री बी० डी० चौधरी/हरि चरन यादव, अवर अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, गोण्डा का स्थानान्तरण जून, 1991के बाद जनपद के बाहर किया गया था और बाद में स्थगित कर दिया गया है ? स्थानान्तरण का कारण क्या था तथा स्थगित करने का औचित्य क्या है ? क्यां सरकार भविष्य में शासन नीति के अनुसार स्थानान्तरण करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

161–श्री घनश्याम शुक्ल–

[दिनांक 11-3-92 को अता० प्र० सं० 64 द्वारा उत्तरित]

**आगरा के आर० बी० एस० कालेज को कृषि विश्वविद्यालय बनाये जाने के संबंध में अतिरिक्त व्यय भार आदि की जानकारी**

162–श्री विजय सिंह राणा–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में आर० बी० एस० कालेज को कृषि विश्वविद्यालय बनाये जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस कालेज को कृषि विश्वविद्यालय बनाये जाने के संबंध में शासन ने क्या कार्यवाही की है ? विद्यालय ने विश्वविद्यालय बनाये जाने से संबंधित कितनी औपचारिकतायें पूरी कर ली हैं ? इस विश्वविद्यालय को कृषि विश्वविद्यालय बनाये जाने पर कितना व्यय भार पड़ेगा ? विद्यालय को कृषि विश्वविद्यालय बनाये जाने के संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक कर दिया जायेगा ? क्या शासन विद्यालय को कृषि विश्वविद्यालय बनाये जाने से सहमत है ? यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी हां ।

इस कालेज को कृषि विश्वविद्यालय बनाये जाने के संबंध में शासन द्वारा भारत सरकार तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली को संस्तुति सहित प्रस्ताव भेजा गया ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने 8वीं पंचवर्षीय योजना में इस नये कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराना सम्भव नहीं बताया है और न ही वे इस राज्य में अब किसी अन्य कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के पक्ष में है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद फैजाबाद के सिंचाई खण्ड, टाण्डा के सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता द्वारा किये गये घपलों से संबंधित प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही**

163–श्री राम लखन–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई खण्ड, टाण्डा (फैजाबाद) के सहायक अभियन्ता, श्री कन्हैया प्रसाद तथा अवर अभियन्ता, श्री के० के० तिवारी द्वारा किये गये घपले के संबंध में प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 19 नवम्बर, 91 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मा० प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 19-11-91 प्राप्त हुआ जिसके साथ श्री विजय कान्त सोनी, महामंत्री, भा०ज०पा०, बसखारी, फैजाबाद व अन्य का शिकायती पत्र नत्थी था । उक्त शिकायती-पत्र में श्री कन्हैया प्रसाद, सहायक अभियन्ता के नाम का उल्लेख है किन्तु उसमें अवर अभियन्ता श्री के० के० तिवारी के नाम का उल्लेख नहीं है ।

प्राप्त शिकायती पत्र पर जांच हेतु शासन के पत्र दिनांक 29-11-91 द्वारा मुख्य प्राविधिक परीक्षक को आदेश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद सीतापुर की विद्युत लाइनों का आधुनिकीकरण तथा महमूदाबाद में विद्युत कटौती का समय**

164–श्री अनिल कुमार–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत 4 माह से महमूदाबाद (सीतापुर) में विद्युत की कटौती की जा रही है ? यदि हां, तो कटौती करने का समय क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि सीतापुर जनपद की विद्युत लाइनों का आधुनिकीकरण होना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

सीतापुर जनपद के अन्तर्गत महमूदाबाद क्षेत्र की कोई अलग से विद्युत कटौती स्थानीय स्तर से नहीं की जाती है । जो भी कटौती मुरादाबाद कन्ट्रोल के निर्देश पर की जाती है उसको पूरे जनपद के ग्रामीण/शहरी क्षेत्र में बराबर लागू किया जाता है । आकस्मिक विद्युत कटौती का कोई समय निर्धारण नहीं है जो विद्युत उत्पादन के घटने पर ही लागू किया जाता है ।

सीतापुर शहर की विद्युत लाइनों के आधुनिकीकरण की एक योजना 211.98 लाख की बनायी गयी है जिस पर कार्य संसाधन उपलब्ध होने पर ही सम्भव है । ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इस प्रकार की कोई योजना वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है ।

**जनपद सीतापुर की चीनी मिल महमूदाबाद में घटतौली रोककर गन्ना किसानों को पर्ची दिलाया जाना**

165–श्री अनिल कुमार–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि चीनी मिल महमूदाबाद, सीतापुर में गन्ना किसानों के साथ लगातार घटतौली होती है व तौली हुई भरी बैलगाड़ी की पर्ची गन्ना किसानों को नहीं दी जाती है? यदि हां, तो इस संबंध में विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

जी नहीं ।

कृषकों के हितों की सुरक्षा हेतु मिल के क्रय केन्द्रों में आकस्मिक निरीक्षण समय-समय पर किये गये हैं ।

शेष का प्रश्न नहीं है ।

**जनपद खीरी की सम्पूर्णानगर चीनी मिल में गन्ना परिवहन के टेण्डर को अधिक मूल्य पर स्वीकृत करने के औचित्य की जानकारी**

166–श्री अनिल कुमार–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना ढुलाई हेतु चीनी मिल, सम्पूर्णानगर (खीरी) में इस वर्ष ठेकेदारों को टेण्डर पिछले वर्षों की अपेक्षाकृत ज्यादा मूल्य पर स्वीकृत किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

जी नहीं । इस वर्ष चीनी मिल के गन्ना परिवहन की दरों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है ।

**जनपद सीतापुर के महमूदाबाद की चीनी मिलों में उपलब्ध शीरे की मात्रा की जानकारी**

167–श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चीनी मिल महमूदाबाद, सीतापुर के शीरा टैंकों में इस समय शीरा कितना है व अभिलेखों में चीनी मिल के रिकार्डों में शीरा कितना है ? यदि रिकार्ड से ज्यादा शीरा टैंक में है, तो क्यों और कैसे ?

श्री हनुमन्त सिंह–

चीनी मिल महमूदाबाद, सीतापुर के टैंकों में दिनांक 27-3-92 को 22,243.25 क्विंटल शीरा है जो चीनी मिल के अभिलेखों के अनुसार है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद सीतापुर की चीनी मिल महमूदाबाद की बन्दी हेतु दोषी कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही**

168–श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि चीनी मिल महमूदाबाद, सीतापुर बन्दी में उ० प्र० में प्रथम स्थान पर है ? यदि हां, तो क्या दोषी कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

जी हां । सहकारी चीनी मिल, महमूदाबाद का विस्तारीकरण 1250 टी० सी० डी० से 2500 टी० सी० डी० तक किया गया, जिसके कारण सीजन के प्रारम्भ में कुछ नई स्थापित मशीनरी एवं कुछ पुरानी मशीनरी के शिफ्टिंग के कारण मिल संचालन में समस्या आयी जिसके लिए मिल समय-समय पर कुल 119 घण्टे बन्द रही । मिल के विस्तारीकरण को दृष्टिगत रखते हुए मिल की बन्दी अधिक नहीं है ।

कोई कर्मचारी बन्दी के लिए दोषी नहीं है । इसलिए उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

**चीनी मिल सम्पूर्णानगर, जिला खीरी के प्रधान प्रबन्धक द्वारा बैगास की बिक्री कम दर पर करने की शिकायत**

169–श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रधान प्रबन्धक, चीनी मिल, सम्पूर्णानगर (खीरी) ने फेडरेशन द्वारा निर्धारित मूल्य से कम दर पर बैगास की बिक्री की है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

जी हां ।

चीनी मिल सम्पूर्णानगर अत्यधिक अविकसित क्षेत्र में होने के कारण तथा परिवहन पर अत्यधिक भार आने के कारण खुली बैगास का उठान संघ द्वारा निर्धारित दर से कम पर मिल के हित को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1991-92 में समाचार-पत्रों में निविदायें प्रकाशित कराकर नियमानुसार अधिकतम् दर पर प्रशासक, चीनी मिल के अनुमोदनोपरान्त किया गया ।

**वर्ष 1991-92 में जनपद खीरी के सम्पूर्णानगर चीनी मिल में मस्टर रोल/दैनिक वेतन पर सेवा में रखे गये श्रमिकों की जानकारी**

170–श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1991-92 में चीनी मिल सम्पूर्णानगर (खीरी) में कितने नये श्रमिक को मस्टर रोल/दैनिक वेतन पर शासन द्वारा रोक लगी होने के बावजूद सेवा में रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

वित्तीय वर्ष 1991-92 में कोई भी श्रमिक दैनिक वेतन भोगी के रूप में नहीं रखा गया है । आकस्मिक कार्यों जैसे बैगास हटाने एवं ड्रायर हाउस के कार्य आदि पर मस्टर रोल पर श्रमिक आवश्यकतानुसार लगाये जाते हैं ।

**वर्ष 1988 से 1992 तक भूमि संरक्षण इकाई, डी० पी० ए० पी०, बलरामपुर, गोंडा को आवंटित धनराशि, सृजित मानव दिवस तथा धनराशि के भौतिक सत्यापन की मांग**

171–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1988-89/89-90/90-91/91-92 में कितनी धनराशि किस-किस कार्य के लिए भूमि संरक्षण इकाई, डी० पी० ए० पी०, बलरामपुर, गोण्डा को आवंटित की गयी है ? आवंटित धनराशि से कितना मानव दिवस सृजन कराया गया ? क्या सरकार शासन स्तर से अधिकारियों को भेज कर इसका भौतिक सत्यापन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

भूमि संरक्षण इकाई, डी०पी०ए०पी०, बलरामपुर, गोंडा, को वर्ष 1988-89 में रुपये 37,34,980.00, 1989-90 में रुपये 60,52,715.99, 1990-91 में रुपये 7016,441.00 एवं वर्ष 1991-92 में रुपये 1,10,68,321.00 का आवंटन प्राप्त हुआ था । कुल आवंटित धनराशि से 8,05,254 मानव दिवस सृजित कराया गया ।

जी नहीं ।

विभिन्न निष्पादित कार्यों का शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन विभिन्न स्तरों से कराया गया है तथा उच्च अधिकारियों ने भी निरीक्षण किया है ।

**किसान सहकारी चीनी मिल महमूदाबाद, सीतापुर में आसवनी भट्टी का निर्माण**

172–श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसान सहकारी चीनी मिल महमूदाबाद, सीतापुर में प्रस्तावित आसवनी भट्टी का लाइसेंस स्वीकृत होने के बाद निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? यदि हां, तो उसे कब तक पूरा कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

जी नहीं ।

आसवनी का निर्माण कार्य वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण अभी प्रारम्भ नहीं किया जा सका है ।

**टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना, टाण्डा, जनपद फैजाबाद में परियोजना के निर्माण से प्रभावित किसान परिवारों की सेवा में लिया जाना**

173–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना, टाण्डा, जनपद फैजाबाद में परियोजना के निर्माण से प्रभावित किसान परिवार के सदस्यों को परियोजना में नौकरी दिये जाने के बारे में वर्ष 1990-91 तथा वर्ष 1991-92 में सार्वजनिक विज्ञप्तियां प्रकाशित करा कर एवं परियोजना अधिकारियों द्वारा अभ्यर्थियों से स्वस्थता प्रमाण-पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र आदि मांगने की औपचारिकता पूरी कर लिए जाने के बाद भी, परियोजना में उन्हें नौकरी क्यों नहीं दी गयी है ? शासन द्वारा प्रभावित किसान परिवारों के ऐसे अभ्यर्थी, जिनके सारे वांछित प्रमाण-पत्र जमा कराये गये है, सहित अन्य लोगों को परियोजना में कब तक सेवा का अवसर उपलब्ध करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

चूंकि टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना के निर्माण से प्रभावित किसान परिवार के सदस्यों को परियोजना में नौकरी दिये जाने के संबंध में वर्ष 1990-91 तथा वर्ष 1991-92 में कोई भी सार्वजनिक विज्ञप्तियां प्रकाशित नहीं करायी गयी थीं, अतः विज्ञप्ति के माध्यम से प्राप्त आवेदन-पत्रों के आधार पर स्वस्थता प्रमाण-पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र प्राप्त करने एवं उन्हें सेवायोजन प्रदान करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

परगनाधिकारी, टाण्डा द्वारा प्रभावित कृषकों की सूची में से 62 कृषकों का चिकित्सीय परीक्षण तथा चरित्र पूर्व वृत्त भी पुलिस द्वारा इस आशय से कराया गया था कि परियोजना के लिए जब भी अतिरिक्त पद स्वीकृत होंगे तो इनकी नियुक्ति पर विचार किया जायेगा ।

जब भी परियोजना के लिए अतिरिक्त स्वीकृत पद उपलब्ध होंगे, इन कृषकों को सेवायोजन दिये जाने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

**आवास विकास परिषद् की शेखूपुरा कालोनी, अलीगंज, लखनऊ के मकान नं० 396 से 401 तक के सामने से विद्युत खम्भों को हटाये जाने की मांग**

174–श्री अजय प्रताप सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् द्वारा निर्मित शेखूपुरा कालोनी, अलीगंज, लखनऊ के मकान नं० 396 से 401 तक के मकानों के पास लगे विद्युत लाइन के खम्भे हटाकर सामने खुला स्थान/पार्क में लगवाने के संबंध में विधायक श्री रामपाल वर्मा का पत्र दिनांक 3-4-91 ऊर्जा मंत्री (मा० मुख्य मंत्री), ऊर्जा सचिव को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो क्या खम्भे हटवाकर खुला स्थान/पार्क में लगवा दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अब तक विद्युत लाइन के खम्भे न हटवाने का उत्तरदायित्व शासन निर्धारित करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी नहीं ।

शेखूपुरा कालोनी का विद्युतीकरण उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् द्वारा किया गया था । संदर्भित मकान अल्प आय वर्ग के लिए बने मकानों के क्षेत्र में स्थित हैं । अल्प आय वर्ग के बने मकानों को विद्युत लाइन से उर्ध्वाधर एवं क्षितिज दूरियां विद्युतीकरण के समय भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 की धारा 79 के अन्तर्गत सही थी क्योंकि उक्त अल्प आय वर्ग के मकान एक मंजिले थे ।

संदर्भित मकानों के स्वामियों ने भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 की धारा 82 के प्राविधानों का अनुपालन न कर मकानों का विस्तार करा लिया, जिसके कारण विद्युत लाइनों के सजीव तारों की दूरी प्राविधानित क्लीयरेंस से कम हो गयी है । संबंधित मकानों के स्वामियों द्वारा भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 की धारा 82(1) के अन्तर्गत उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् को सूचित करने पर तकनीकी सम्भावयता देखते हुए लाइनों एवं पोलों को हटाने के लिए आने वाले व्यय की प्राक्कलित धनराशि सूचित कर दी जायेगी तथा मकानों के स्वामियों द्वारा प्राक्कलित धनराशि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् को भुगतान करने के उपरान्त मकानों से पर्याप्त सुरक्षित दूरी पर लाइन एवं पोलों को हटाने का कार्य किया जा सकता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

**जौनपुर ब्रांच में कि०मी० 18 में स्यूम पाइप डालकर साइफन बनाया जाना**

175–श्री शिव दर्शन–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि जौनपुर ब्रांच में कि०मी० 18 में एक साइफन बनाये जाने हेतु पर्याप्त मात्रा में स्यूम पाइप सन् 1986 से पड़े हैं ? यदि हां, तो उक्त वांछित साइफन कब तक बन जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

अब प्रस्तावित नहीं है ।

इस स्थान पर साइफन बनाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन होने के कारण स्यूम पाइप डाल दिये गये थे । नहर के दोनों क्षेत्र की जनता में आपसी विवाद होने के कारण इस साइफन के प्रस्ताव पर तकनीकी दृष्टि से पुनर्विचार किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि जल निकास वर्तमान स्थित ड्रेनों के माध्यम से किया जाना उपयुक्त रहेगा । अतः अब तक उक्त स्थल पर साइफन बनाये जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती है ।

**जनपद रायबरेली की टाउन एरिया बछरावां में एक लाख बत्तीस हजार के०वी० के विद्युत पावर हाउस की स्थापना**

176–श्री शिव दर्शन–

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि टाउन एरिया बछरावां, जिला रायबरेली में विद्युत पावर हाउस (एक लाख बत्तीस हजार के०वी० का) लगभग सन् 1985 से बनाये जाने हेतु वहां स्थान घेर रखा गया है ? यदि हां, तो क्या जनहित में उसे शीघ्र बनाये जाने की कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

टाउन एरिया बछरावां, जिला रायबरेली में 132के०वी० का विद्युत उपकेन्द्र स्वीकृत है परन्तु वित्तीय संसाधनों के अभाव में अभी इस उपकेन्द्र के निर्माण का कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया है ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर इस उपकेन्द्र का निर्माण कार्य सम्भव हो सकेगा ।

**मुख्य अभियन्ता (सरयू), सिंचाई विभाग, उ० प्र०, फैजाबाद द्वारा स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध किये गये स्थानान्तरणों के संबंध में कार्यवाही की मांग**

177–श्री घनश्याम शुक्ल–

**क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 30 अप्रैल, 1991 के बाद शासन के स्थानान्तरण नीति के अनुसार तथा प्रशासनिक आधार पर मुख्य अभियन्ता (सरयू), सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, फैजाबाद ने अपने स्तर से किस-किस खण्ड के किस-किस सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता का स्थानान्तरण किया और स्थानान्तरण करने के बाद किस-किस सहायक अभियन्ता ने तथा अवर अभियन्ता ने स्थानान्तरण आदेश का अनुपालन किया और किस-किस सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता का स्थानान्तरण स्थगित और निरस्त कर दिया गया ? क्या सरकार मुख्य अभियन्ता के विरुद्ध स्थानान्तरण स्थगित और निरस्त करने के आरोप के संबंध में कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?**

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्नगत अवधि में मुख्य अभियन्ता (सरयू) के स्तर पर सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता के किये गये स्थानान्तरण की सूची संलग्न है ।

उक्त सूची में से श्री सुखदयाल, सहायक अभियन्ता को छोड़कर शेष ने स्थानान्तरण आदेशों का अनुपालन कर लिया है ।

संलग्न सूची में से कोई स्थानान्तरण आदेश निरस्त नहीं किये गये केवल सर्वश्री राजेन्द्र एवं कौशल किशोर श्रीवास्तव, अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण आदेश दिनांक 30-4-92 तक स्थगित किये गये ।

अब तक प्राप्त जानकारी के आधार पर किसी कार्यवाही का औचित्य नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 251 पर)

178–श्री लालजी वर्मा–

[ दिनांक 1-4-92 को अता० प्र० सं० 12 द्वारा उत्तरित ]

**सिंचाई खण्ड, गोण्डा के अभियन्ताओं द्वारा जनवरी, 1990 से जनवरी, 1992 तक विभागीय कार्य हेतु किराये पर ली गयी टैक्सी/जीप पर हुए व्यय की जानकारी**

179–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी, 1990 से 15 जनवरी, 1992 के बीच में सिंचाई खण्ड, गोण्डा के अधिशासी अभियन्ता तथा सहयक अभिन्ताओं ने विभागीय कार्य हेतु कितनी टैक्सी/जीपें /कारें किराये पर लीं और विभाग द्वारा कितनी धनराशि किराये के रूप में भुगतान की गयी ?

क्या टैक्सी, कारें, जीपें किराये पर लेने के लिए शासन से अनुमति ली गयी थी ? यदि नहीं, तो क्या सरकार भविष्य में वित्तीय अनियमितताओं को रोकने के लिए कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

दिनांक 1-1-1990 से 15-1-92 तक अधिशासी अभियन्ता ने कोई टैक्सी/जीप/कार किराये पर नहीं ली ।

इसी अवधि में सहायक अभियन्ताओं ने दो जीपें विभागीय कार्यों हेतु किराये पर लीं । विभाग द्वारा रुपये 27,250 किराये के रूप में भुगतान किया गया ।

जी नहीं ।

महत्वपूर्ण कार्य की देख-रेख हेतु जीप किराये पर ली गयी थी ।

**सिंचाई खण्ड, गोण्डा के विरुद्ध करोड़ों रुपये के फर्जी भुगतान जांच से संबंधित दिये गये पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी**

180–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने 15 जनवरी, 1992 से 20 जनवरी, 1992 के बीच में कोई शिकायती पत्र सिंचाई खण्ड गोण्डा के विरुद्ध करोड़ों रुपये के फर्जी भुगतान के संदर्भ में उन्हें दिया था और सतर्कता अधिष्ठान अथवा टी० ए० सी० से जांच कराने की मांग की थी ? यदि हां, तो जांच किस एजेन्सी से करायी गयी ? दोषी कौन-कौन लोग पाये गये ? सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां । शिकायती पत्र दिनांक 15-1-92 प्राप्त हुआ है ।

टी० ए० सी० से जांच कराये जाने के आदेश दे दिये गये हैं । जांच आख्या अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

181–श्री अकबर हुसैन–

[ स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ]

**मेसर्स इण्डियन ड्रग्स एवं फार्मास्युटिकल्स लि०, ऋषिकेश, जनपद हरिद्वार पर बकाया विद्युत बिलों की धनराशि की वसूली के संबंध में जानकारी**

182–कुं० सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री बच्चा पाठक, श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय तथा श्री भारत सिंह रावत–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मेसर्स इण्डियन ड्रग्स एवं फार्मास्युटिकल्स लि०, ऋषिकेश, जनपद हरिद्वार पर आज तक के बकाया विद्युत बिलों की कितनी धनराशि की वसूली की जानी है ? इस संदर्भ में राज्य विद्युत परिषद् ने वसूली न करने वाले दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ? वसूली न हो पाने की दशा में क्या राज्य विद्युत परिषद् ने आई० डी० पी० एल०, ऋषिकेश का विद्युत कनेक्शन विच्छेद किया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

मेसर्स आई० डी० पी० एल० के विरुद्ध आज तक रुपये 249.39 लाख की धनराशि वसूल की जानी है । मेसर्स आई० डी० पी० एल० के लिए वर्ष 89-90 में उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् द्वारा लागू की गयी दरों के विरुद्ध उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से वर्ष 1991 में स्थगन आदेश पारित हो गये थे, इसलिए इनके संयोजन का विच्छेदन नहीं किया जा सका जिसके लिए कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है ।

**बरेली मण्डी समिति में विद्युत परिषद् द्वारा स्वतंत्र फीडर की स्थापना**

183–डा० दिनेश जौहरी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली मण्डी समिति ने लगभग 12 वर्ष पूर्व विद्युत में स्वतंत्र फीडर के लिए उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के बरेली स्थित विद्युत खण्ड, प्रथम में धन जमा कराया था ? यदि हां, तो अब तक यह स्वतंत्र फीडर वहां क्यों नहीं लगाया गया है ? क्या यह फीडर शीघ्र वहां लगा दिया जावेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

प्रश्नगत 11 के०वी० स्वतंत्र फीडर के निर्माण का कार्य माह अक्टूबर, 1983 में पूर्ण करके इसे 33/11 के०वी० आवास विकास परिषद् के विद्युत उप-केन्द्र से जोड़ दिया गया था एवं बरेली मण्डी समिति की विद्युत आपूर्ति इसी स्वतंत्र फीडर से चालू कर दी गयी थी ।

**जनपद बांदा में विद्युत आपूर्ति में अवर अभियंन्ताओं द्वारा की जा रही गड़बड़ी से संबंधित शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही**

184–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा में विद्युत आपूर्ति में अवर अभियन्ताओं द्वारा की जा रही गड़बड़ी संबंधी प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र मुख्य मंत्री को दिनांक 3-9-91 को पत्रांक 'क' नं०-195682 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसका विवरण क्या है ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां । प्रश्न में संदर्भित पत्र मुख्य मंत्री कार्यालय विधायक कोष्ठक द्वारा दिनांक 5-9-91 को जिलाधिकारी, बांदा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया है ।

**जनपद आगरा के फाउण्ड्री नगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित फैक्ट्रियों में विद्युत विभाग द्वारा डाले गये छापे में दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही**

185–श्री विजय पाल सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के फाउण्ड्री नगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित फैक्ट्री में जयश्री प्लास्टिक एवं जयश्री पैकिंग कम्पनी में दिनांक 7-11-88 को विद्युत विभाग द्वारा डाले गये छापे में क्या-क्या अनियमिततायें पायी गयीं थीं ? क्या उक्त सम्पूर्ण प्रकरण स्टेट विजीलेंस को जांच हेतु सौंपा गया था ? क्या उसमें स्टेट विजीलेंस की रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त रिपोर्ट को सदन के पटल पर प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो प्राथमिक रिपोर्ट

प्राप्त होने पर दोषी लोगों को दण्डित किये जाने की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री लालजी टण्डन–

दिनांक 7-11-88 को मे० जयश्री प्लास्टिक एवं जयश्री पैकिंग कम्पनी, आगरा के परिसर में कोई भी चेकिंग नहीं की गयी थी अपितु दिनांक 8-11-88 को सतर्कता दल आगरा द्वारा चेकिंग की गयी थी उक्त चेकिंग के दौरान दोनों ही उपभोक्ताओं के परिसर में स्वीकृत भार से अधिक भार पाया गया ।

1–मे० जयश्री पैकिंग में स्वीकृत भार 95 हा० पावर था किन्तु 177.65 हा० पावर पाया गया जो स्वीकृत भार से 82.65 हा० पावर अधिक था ।

2–इसी तरह मे० जयश्री प्लास्टिक प्रो० ए० के० मित्तल को स्वीकृत भार 100 हा० पावर था किन्तु चेकिंग के समय 348.50 हा० पावर पाया गया जो कि स्वीकृत भार से 248.50 हा० पावर अधिक था ।

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं । जनहित में रिपोर्ट सदन के पटल पर रखना उचित नहीं है ।

सतर्कता जांच की संस्तुतियों के अनुसार कार्यवाही करने के लिए उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् को निर्देश दिये जा चुके हैं लेकिन विद्युत परिषद् द्वारा मामले में विभागीय जांच की कार्यवाही की जा रही है । विभागीय जांचोपरान्त ही जांच में दोषी पाये गये कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद्, लखनऊ के अधीन वितरण खण्डों में निजी तथा राजकीय नलकूपों पर लगाये गये सेंपुल मीटरों की जानकारी**

186–श्री रमाकान्त यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् में वितरण जोन, लखनऊ के अधीन वितरण खण्ड उन्नाव, बाराबंकी, फैजाबाद (प्रथम) , फैजाबाद (द्वितीय) एवं अकबरपुर में परिषद् के नियमानुसार निजी तथा राजकीय नलकूपों पर विद्युत उपभोग के लिए सेंपुल मीटर लगाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो जनवरी, 1990 से 31 अगस्त, 1991 तक उपरोक्त खण्डों में, प्रतिमाह कुल कितने निजी एवं राजकीय नलकूपों पर सेंपुल मीटर कार्यरत अवस्था में थे ? उन पर प्रति हा० पा० विद्युत का उपभोग, माहवार कितना आया ? कुल कितने एच० पी० पर उपभोग किया गया ? निजी नलकूप, जिन पर सेंपुल मीटर लगाये गये हैं उन उपभोक्ताओं का नाम पूरा पता तथा एस० सी० नम्बर क्या हैं ? राजकीय नालकूप, जिन पर सेंपुल मीटर लगाये गये हैं उनके ग्राम का नाम एवं ग्रुप नम्बर क्या है ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां । प्रश्न में उल्लिखित वितरण खण्ड उन्नाव, बाराबंकी एवं फैजाबाद/अकबरपुर से संबंधित विवरण क्रमशः संलग्नक (1), (2) एवं (3) में दिया गया है, जिसकी प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गयी हैं ।

**विद्युत वितरण खण्ड जोन लखनऊ के अधीन वितरण खण्डों द्वारा रेवेन्यू कैश बुक एवं लेजर का रिकन्सीलियेशन न करने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही**

187–श्री रमाकान्त यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत वितरण जोन, लखनऊ के अधीन विद्युत वितरण खण्ड, उन्नाव, बाराबंकी, फैजाबाद (प्रथम) फैजाबाद (द्वितीय) एवं अकबरपुर में विद्युत परिषद् के नियमों के अधीन रेवेन्यू कैश बुक एवं लेजर के मिलान (रिकन्सीलियेशन) का प्राविधान किया गया है ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त खण्डों में प्रत्येक माह में रेवेन्यू कैश बुक लेजर का रिकन्सीलियेशन माह अप्रैल, 89 से 31 अगस्त, 1991 तक किया गया है ? यदि नहीं, तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री लालजी टण्डन–

विद्युत वितरण जोन लखनऊ के अधीन विद्युत वितरण खण्ड उन्नाव, बाराबंकी, फैजाबाद (प्रथम) व फैजाबाद (द्वितीय) में विद्युत परिषद् के नियमों के अधीन अब रेवेन्यू कैश बुक तथा लेजर के मिलान करने का प्राविधान नहीं है, क्योंकि कम्प्यूटर विलिंग प्रणाली के अन्तर्गत लेजर का रख-रखाव नहीं होता है ।

अतः रेवेन्यू कैश बुक लेजर के माह अप्रैल, 1989 में अगस्त, 1991 तक मिलान करने का कोई प्रश्न ही नहीं है । उपरोक्त परिस्थितियों में किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई औचित्य नहीं है ।

**जनपद मऊ के ग्राम लोकीपुर पो० दूवारी में विद्युत ट्रांसफार्मर लगाये जाने की मांग**

188–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के अन्तर्गत ग्राम लोकीपुर, पो० दूवारी में ट्रांसफार्मर न रहने के कारण उपभोक्ताओं को बिजली नहीं मिल पा रही है ? क्या इसके संबंध में प्रश्नकर्ता ने दिनांक 11 अक्टूबर, 1990 को उन्हें कोई पत्र दिया था ? क्या इस ग्राम सभा में ट्रांसफार्मर लगाने हेतु श्री सुखदेव सिंह उप सचिव, ऊर्जा (3) के द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 1991 को प्रश्नकर्ता को सूचना दी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त ग्राम सभा में ट्रांसफार्मर लगा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**जनपद सिद्धार्थनगर में मोहली एवं ठेवरुआ में विद्युत सब-स्टेशन का बनवाया जाना**

189–श्री शिव लाल मित्तल–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिद्धार्थनगर जनपद में मोहली एवं ठेवरुआ (शिवनगरी) सब-स्टेशन बनवाने का उनका विचार है ? यदि हां, तो इन्हें कब तक बना दिया जायेगा ?

श्री लालजी टण्डन–

प्रश्नगत विद्युत सब-स्टेशनों के निर्माण का निर्णय लिया जा चुका है और विद्युत सब-स्टेशनों के निर्माण हेतु भूमि भी उपलब्ध है। 33/11 के०वी० विद्युत सब-स्टेशन मोहली के निर्माण का प्रारम्भिक कार्य शुरू किया जा चुका है। संसाधन उपलब्ध होते ही निर्माण कार्य पूर्ण किया जा सकेगा।

**जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्डों के कतिपय गांवों में अधूरे विद्युतीकरण के कार्य को पूरा कराने के संबंध में जानकारी**

190–श्री शिव लाल मित्तल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिद्धार्थनगर जनपद के विकास खण्ड बढ़नी, जोगिया, नौगढ़, उस्का, शोहरतगढ़, बर्डपुर के किन-किन गांवों में विद्युतीकरण अधूरा है ? क्या यह सत्य है कि वहां पर न खम्भे गड़े हैं और न ही तार खीचा गया और वहां ट्रांसफार्मर भी नहीं है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या खम्भा, तार ट्रांसफार्मर लगे स्थानों को लाइन से जोड़ा जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त अधूरे कार्य पूरे किये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लाल जी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है।

191–श्री शिव लाल मित्तल–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

**उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अधीन ताप परियोजनाओं में कार्यरत मस्टर रोल कर्मचारियों/संविदा श्रमिकों के विभिन्न पदों पर वेतन की असमान दर को समाप्त कर समान वेतन भुगतान की मांग**

192–श्री लल्लू सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अधीन ओबरा, हरदुआगंज तथा पनकी व परीच्छा ताप परियोजना में कार्यरत मस्टर रोल कर्मचारियों/संविदा श्रमिकों के विभिन्न पदों पर वेतन भुगतान की दरें अलग-अलग परियोजनाओं में अलग-अलग हैं ? यदि हां, तो एक ही उद्योग में एक ही वेतन नीति के आधार पर परीच्छा व हरदुआगंज तापीय परियोजना की भांति अनपरा तापीय परियोजना के अन्तर्गत जल आपूर्ति व्यवस्था में कार्यरत ठेका श्रमिकों को वेतन का भुगतान किया जायेगा ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके लिए कौन अधिकारी उत्तरदायी है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री लालजी टण्डन–

परियोजनाओं की क्षेत्रीय परिस्थितियों, श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी एवं न्यूनतम टेण्डर आदि के आधार पर ऐसे श्रमिकों की मजदूरी निर्धारित की जाती है जिनमें भिन्नता होती है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

[समय 12 बजकर 20 मिनट]

## सदन में पर्चे फेंके जाने की सूचना

श्री अध्यक्ष–

सदन को एक सूचना देनी है । उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 7 अप्रैल, 1992 के उपवेशन में श्री एस० पी० इंसान, श्री बजरंग बहादुर सिंह, श्री रमाकान्त एवं श्री बबलू ने जालसाजी करके दर्शक दीर्घा का प्रवेश-पत्र प्राप्त किया था और उक्त चारों व्यक्तियों ने दर्शक दीर्घा में नारेबाजी करने एवं पर्चा फेंकने का प्रयास किया था एवं दीर्घा में तैनात एक महिला सुरक्षा कर्मचारी के साथ हाथापाई की थी तथा उसके कपड़े फाड़ दिये थे । सदन के दिनांक 7 अप्रैल, 1992 के निश्चयानुसार उक्त चारों व्यक्तियों को ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ की अभिरक्षा में सौंपा गया था । उनके मामले पर आज सदन में निर्णय लिया जाना है कि उन्हें कोई दण्ड दिया जाय अथवा उन्हें छोड़ दिया जाय ।

मेरे विचार से ऐसे उच्छृंखल व्यक्तियों को अनावश्यक महत्व दिया जाना उचित नहीं होगा, अतः सदन यदि सहमत हो तो उक्त चारों व्यक्तियों को सदन के दिनांक 7 अप्रैल, 1992 के निदेशानुसार उन्हें अभिरक्षा में रखे जाने के समय को पर्याप्त दण्ड मानते हुए चारों व्यक्तियों को छोड़ दिया जाय ।

(विपक्ष की ओर से "पर्चे में लिखा क्या था" ? की आवाजें आने पर)

सदन के संज्ञान में नारेबाजी हुई थी, उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है । मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि इस दण्ड से सदन सहमत है ?

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

कल जैसी बात हुई थी कि अपने विचार व्यक्त करने के लिए और किसी विषय में प्रोटेस्ट करने के लिए अपने तरीके हैं लेकिन उस तरीके का कोई समर्थन नहीं करेगा, जैसा उस लाबी में किया गया ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने उनके इस कृत्य की निन्दा की है । यहां प्रश्न यह है कि क्या अभिरक्षा में रखे जाने के समय को पर्याप्त दण्ड मानते हुए उक्त चारों व्यक्तियों को छोड़ दिया जाय ?

(सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया)

चूंकि सदन के सभी सदस्य सहमत हैं, अतः चारों व्यक्तियों को, जो मार्शल की अभिरक्षा में हैं, छोड़ दिया जाय ।

## नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 8 अप्रैल, 1992 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 25 सूचनायें प्राप्त हुईं । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गयी :—

पहली सूचना श्री बलराम यादव की लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित पी० सी० एस० तथा तत्संबंधी चयन परीक्षाओं में परीक्षा शुल्क समाप्त करने के संबंध में है ।

दूसरी सूचना श्री सुखदेव राजभर की बांदा के ग्राम गोविन्दपुर (ब्लाक महुआ तथा ग्राम कहला ब्लाक बडोखर खुर्द) में पम्प नहर के निर्माण के संबंध में है ।

तीसरी सूचना श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय की जनपद मऊ के मुख्य बाजार मधुबन को टाउन एरिया घोषित करने के संबंध में है ।

चौथी सूचना श्री पवन कुमार पाण्डेय की फैजाबाद में गन्ना किसानों को गन्ना विक्रय करने हेतु पर्ची उपलब्ध न कराने तथ बढ़े रेट पर भुगतान न करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ।

पांचवीं सूचना श्री सतीश भाटिया की लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र में जल निकासी तथा सीवर की व्यवस्था के संबंध में है ।

छठी सूचना श्री भारत सिंह रावत की गढ़वाल जनपद के थलनदी पालीटेक्निक स्वीकृत स्थान पर न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ।

सातवीं सूचना डा० दिनेश जौहरी की प्रदेश के गर्भस्थ शिशु लिंग परीक्षण केन्द्र के विज्ञापनों पर रोक लगाने के संबंध में है ।

(सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई)

## पी० सी० एस० तथा तत्सम्बन्धी चयन परीक्षाओं में परीक्षा शुल्क समाप्त करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बलराम यादव–

[मान्यवर, लोक सेवा आयोग द्वारा प्रदेश की प्रशासनिक न्यायिक सेवाओं तथा तत्संबंधित अन्य सेवा सम्वर्गों में परीक्षायें ली जाती हैं । प्रदेश में भयंकर बेरोजगारी तथा आर्थिक विपन्नता भी है । बेरोजगार होनहार प्रतिभावान नवजवान आर्थिक कठिनाइयों के कारण इस चयन प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पा रहे हैं भारत के अन्य प्रान्तों में बेरोजगारी का भत्ता दिया जा रहा है तथा साथ ही साथ मध्य प्रदेश जैसे प्रान्त में उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए कोई भी परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाता है । हरियाणा तथा पश्चिम बंगाल में भी शिक्षित बेरोजगार नवजवानों को काफी सुविधायें हैं । ऐसी स्थिति में लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित परीक्षाओं में परीक्षा शुल्क लेना न्याय संगत नहीं प्रतीत होता है उक्त शुल्क लेने से छात्रों नवजवानों में भारी रोष है ।

अतएव इस निश्चित अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर लोक सेवा आयोग परीक्षाओं में लिया जा रहा परीक्षा शुल्क समाप्त करने की मांग करता हूं ।]

## जनपद बांदा के गोविन्दपुर तथा कहला ग्रामों में पम्प नहर के निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुखदेव–

[ मान्यवर, मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूं कि ग्राम गोविन्दपुर ब्लाक महुआ व ग्राम कहला ब्लाक बडोखर खुर्द इन दोनों ग्रामों में न तो केन नहर है, न ही ट्यूबवेल है और न ही कोई चेक डैम हैं अर्थात सिंचाई के कोई साधन नहीं हैं जिसके कारण किसानों द्वारा जो बीज बोया जाता है पैदावार के रूप में वह भी वापस नहीं मिल पाता इन ग्रामों में किसानों के भूखों मरने की नौबत आ गई है यह दोनों

---

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

ग्राम केन नदी के बिल्कुल किनारे बसे हैं इसलिए केन नदी से आसानी से दोनों ग्रामों में पम्प नहरें निकाली जा सकती हैं ।

अतः आपसे अनुरोध है कि सरकार को निदेश देने का कष्ट करें कि उपरोक्त दोनों ग्रामों में पम्प हर निर्माण करवाने की कार्यवाही करें ]

**जनपद मऊ के मधुबन बाजार को टाउन एरिया घोषित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनपद मऊ के नत्थूपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाली मुख्य बाजार मधुबन के तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। मधुबन को टाउन एरिया की घोषणा करने हेतु विगत वर्षों से लगातार प्रयास करता आ रहा हूं लेकिन इस पर शासन का ध्यान नहीं पहुंच रहा है जबकि मधुबन एक ऐसी स्थली है जहां हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई में 36 लोगों को एक ही साथ गोली लगी थी, यह एक ऐतिहासिक स्थली है ।

अतः इस अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए अनुरोध करूंगा कि मधुबन को टाउन एरिया घोषित करने के लिए शासन की स्थिति स्पष्ट कराने की कृपा करें । ]

**जनपद फैजाबाद में गन्ना किसानों को पर्ची उपलब्ध न कराने तथा बढ़े हुए रेट पर भुगतान न करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री पवन कुमार पाण्डेय–

[मान्यवर, मुझे सदन और सरकार की जानकारी में लाना है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में गन्ना उत्पादक किसानों का गन्ना पर्याप्त मात्रा में गन्ना विक्रय करने हेतु पर्ची न मिलने से खेतों में सूख रहे गन्ना को देख-देख कर किसान और पर्ची वितरण करने वाली समितियां के कर्मचारियों तथा चीनी मिल के कर्मचारियों प्रबन्धतंत्र के बीच आये दिन विवाद हो रहे हैं कहीं-कहीं अच्छी खासी मारपीट और फौजदारी हो जा रही है ।

इस तरह अनेकों जिलों में सरकार द्वारा गन्ना मूल्य घोषित करने के पूर्व मिल मालिकों द्वारा गन्ना केवल तौल अंकित करके क्रय किया गया है पर्चियों पर दर नहीं लिखी गयी थी अब सरकार द्वारा बढ़ा रेट घोषित किये एक लम्बा समय बीत जाने के बाद भी किसानों को बिना जिद्दो जिहाद के बढ़ा मूल्य नहीं मिल पा रहा है । कहीं-कहीं पर तो मिल मालिकों द्वारा बढ़ा मूल्य दिया ही नहीं जा रहा है परिणाम-स्वरूप आये दिन संघर्ष हो रहे हैं। पुलिस में फौजदारी की रिपोर्ट दर्ज हो रही है।

जनपद फैजाबाद में गन्ने के वास्तविक काश्तकार पर्ची के लिये दर-दर भटक रहे हैं और फर्जी सट्टे के आधार पर अथवा गेट पर्ची के आधार पर दूसरे जनपद से आया गन्ना मिल मालिक क्रय कर रहे हैं।

गन्ना किसान परेशान होकर पूरे जिले में संगठित होकर गन्ना क्रय करने वाली संबंधित चीनी मिलों के विरुद्ध बड़े संघर्ष की रूपरेखा बनाकर घेराव प्रदर्शन की तैयारी में लगे हैं जिससे स्थिति विस्फोटक हो सकती है ।

---

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को आपके माध्यम से सरकार और सदन के संज्ञान में लाते हुये मांग करता हूं कि किसानों का गन्ना खरीदे जाने तथा पर्चियों पर भुगतान बढ़ी दरों के अनुसार कराये जाने की व्यवस्था तत्काल करायी जाय । ]

**लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र में जल निकासी तथा सीवर की व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री सतीश भाटिया–

[ मान्यवर, प्रदेश की राजधानी के कैन्टूनमेन्ट विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत आलमबाग, लखनऊ गत 41 वर्ष पूर्व लखनऊ नगर महापालिका में सम्मिलित किया गया था यह एक ऐतिहासिक महत्व का भी क्षेत्र हैं जहां पर 1857 का अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध भी हुआ था । कालान्तर में अब यह आलमबाग का क्षेत्र थाना, आलमबाग से एल० डी० ए० कालोनी तक कानपुर रोड के दोनों और लगभग 36 वर्ग किलोमीटर में स्थिति है । आलमबाग के इस क्षेत्र के निवासियों जिसकी आबादी वर्तमान में लगभग 5 लाख है को इतनी लम्बी अवधि के पश्चात भी अभी तक सीवर जैसी नागरिक सुविधा उपलब्ध नहीं है । यह क्षेत्र इतनी लम्बी अवधि तक इस सुविधा से उपेक्षित है । लगभग 15-16 वर्ष पूर्व बरसाती पानी की निकासी के लिये एक ड्रिनेज योजना जल संस्थान के द्वारा तैयार की गई थी जिसके अंतर्गत कुछ क्षेत्रों में पाईप लाइन विछायी गयी है किन्तु इस योजना के तहत पूर्ण क्षेत्र में अभी तक पाइप लाइन बिछाने का कार्य भी पूरा नहीं किया गया ।

यह क्षेत्र नगर का उद्योग बाहुल्य क्षेत्र भी है सरकारी एवं गैर सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के भी उद्योग कार्यशालायें यहां पर हैं । निर्बल वर्ग तथा श्रमिकों की बस्तियां भी यहां पर हैं । वर्ष 1947 में भारत विभाजन के पश्चात् यहां पर सरकारी एवं गैर सरकारी स्रोतों से शरणार्थियों को भी बसाया गया है ।

नगर महापालिका लखनऊ के द्वारा गत 41 वर्षों में सीवर की अभी तक व्यवस्था न होने के कारण सभी मैला बहता हुआ दिखाई देता है । इससे यहां के निवासियों के स्वास्थ्य को गम्भीर खतरा हो गया है। निरन्तर इस क्षेत्र की सीमा एवं आबादी के बढ़ने के साथ सीवर के अभाव में गन्दगी भी बढ़ती जा रही है वर्षा के मौसम में यह गन्दगी जगह-जगह पर सड़कों, गलियों और कूपों पर भी दिखाई देती है । बच्चों को विद्यालय आदि जाने में अत्यधिक कठिनाई होती है । इतनी लम्बी अवधि में इस क्षेत्र में सीवर का प्राविधान न किये जाने और उपेक्षा का क्या कारण है । अब भी समय रहते इसका निदान नहीं किया गया तो आने वाले वर्षा से इस क्षेत्र में नागरिकों का स्वास्थ्य व जीवन संकटमय हो जायेगा । मैं आलमबाग क्षेत्र के निवासियों के स्वास्थ्यमय जीवन हेतु सीवर की व्यवस्था के लिये ध्यानाकर्षित करते हुये यह जानना चाहूंगा कि इस कार्य को कब तक पूरा कर दिया जायेगा ।]

---

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

**गढ़वाल जनपद के थल नदी पालीटेक्निक स्वीकृत स्थान पर न होने से उत्पन्न स्थिति पर नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री भारत सिंह रावत–

[ मान्यवर, गढ़वाल जनपद के स्थान थलनदी में सन् 1987-88 में विश्व बैंक की सहायता से ग्रामीण पालिटेक्निक स्वीकृत हुआ है । स्थान थल नदी में भवन भी बन गये हैं गत 13 वर्ष से थल नदी पालिटेक्निक नाम से कक्षाएं भी चल रही हैं बल्कि थल नदी स्थान से 1150 कि० मी० दूर श्रीनगर गढ़वाल में चल रही है जहां कि छात्रों को अनेक कठिनाइयों को सामना करना पड़ रहा है । उनकी पढ़ाई की समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है । पढ़ाई में व्यवधान के कारण उनका भविष्य अंधकारमय हो गया है । यदि स्थान थल नदी में कुछ असुविधा थी तो सुविधाजनक स्थान कोटद्वार या दुगड्डा नगर में पढ़ाई हो सकती थी । विचित्र बात यह है कि पालीटेक्निक थल नदी का प्रधानाचार्य एवं अध्यापक न थल नदी में रहते हैं और न श्रीनगर गढ़वाल में जिससे छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है उनके अभिभावक चिन्तित हैं । जनता में थलनदी में कक्षाएं न चलने से रोष हैं ।

अतः मैं अविलम्बनीय इस लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर आपसे अनुरोध करता हूं कि सरकार को निर्देशित कर दें कि स्थान थलनदी में पालिटेक्निक चालू किया जाए । ]

**प्रदेश के गर्भस्थ शिशु लिंग परीक्षण केन्द्र के विज्ञापनों पर रोक लगाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

डा० दिनेश ज़ौहरी–

[ प्रदेश के अनेक मुख्य नगरों में गर्भस्थ शिशु लिंग परीक्षण केन्द्र स्थापित हो गये हैं जिनमें गर्भावस्था में ही शिशुओं के लिंग का निर्धारण किया जाता है । जिसको बड़े-बड़े होर्डिंग्स द्वारा विज्ञापन किया जाता है बहुत से मां बाप जो कि केवल पुत्र ही चाहते हैं यह पता लगने पर कि गर्भ में कन्या है तुरन्त गर्भपात करा लेते हैं । यह कृत्य अमानवीय एवं मेडिकल इथिक्स के खिलाफ है ।

अतः मैं मांग करता हूं कि प्रदेश में गर्भस्थ शिशु लिंग परीक्षण केन्द्र के विज्ञापनों पर सरकार की ओर से रोक लगाई जावे । ]

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मेरी सूचना का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष–

यह तो श्लाका के आधार पर आती है, इसमें आपकी सूचना नहीं है ।

**नत्थी (ख) तारांकित प्रश्न संख्या 1 के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न**

श्री लालजी वर्मा–

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न है ।

मान्यवर, आज का नत्थी (ख) का तारांकित प्रश्न संख्या–1 देखें । मेरा प्रश्न सीधा सा था, जवाब भी कोई बहुत बड़ा नहीं आना था, यही लखनऊ से जवाब एकत्र होना था कि नीति क्या है ? क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को किसी प्रतियोगिता में बिना आरक्षण का लाभ लिये हुए शामिल होने का अधिकार प्राप्त है ? इसमें कहीं अन्यत्र

---

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

से सूचना मांगने का सवाल नहीं है, दूसरे भाग का सवाल कृषि विश्वविद्यालय से सम्बन्धित था । उसको स्थगित कर दिया गया । मान्यवर, यह पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति के वर्गों के साथ ज्यादती का सवाल है इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं दि० 16-2-92 यह मेरा प्रश्न लगाया गया था, इतना समाप्त हो गया इसकी सूचना मंगायी जा सकती थी क्योंकि इस तरह से पिछडे वर्गों और अनुसूचित जाति के वर्गों के छात्रों का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

किसी भी प्रश्न का उत्तर दिया जायेगा तो वह पूरा उत्तर दिया जायेगा । आधा प्रश्न तो आपका नीति गत था और शेष प्रश्न तो आपकी सूचना के आधार पर ही उत्तरित किया जा सकता है । शासन की ओर से कहा गया कि सूचना एकत्र की जा रही है । मैं एक अनुस्मारक भेजकर कहूंगा कि इसका उत्तर शीघ्र उपलब्ध करा दें ।

## औचित्य के प्रश्न की सूचनाऐं

आज नियम 300 के अन्तर्गत जो सूचनायें प्राप्त हुई हैं उनमें पहली सूचना श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय की विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के तीसरे मंगल के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 123 का स्पष्ट उत्तर न दिये जाने के संबंध में हैं । यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आ रही है, मैंने इसको अग्राह्य घोषित कर दिया है ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, एक मिनट सुन लें ।

## राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद के सम्बन्ध में सदन में स्थिति स्पष्ट न करने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

कोई आवश्यकता नहीं है ग्राह्यता पर सुनने की । नियम 300 (2 देखें)

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, केवल एक मिनट सुन लें ।

मान्यवर, मैंने बड़ा स्पष्ट प्रश्न किया था कि क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में अयोध्या में कोई बाबरी नाम की मस्जिद है ? यदि हां, तो क्या उसकी सुरक्षा को दृष्टिकोण में रखते हुए नई सरकार ने राम मंदिर बनाने की कोई योजना तैयार कर ली है ? यदि हां, तो वह योजना कौन सी है ?

माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया कि ''कदाचित'' प्रश्नकर्ता का तात्पर्य अयोध्या स्थित विवादित ढांचे से है । सरकार द्वारा स्वयं राम मन्दिर बनाने की कोई योजना नहीं है । मान्यवर, मेरा बड़ा स्पष्ट प्रश्न था उसका सीधा उत्तर नहीं दिया गया है । आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि स्पष्ट उत्तर क्या है उसको बताया जाय । मान्यवर, मस्जिद के नाम से यह सरकार घबड़ा रही है मस्जिद का नाम नहीं लेना चाहती है ।

श्री अध्यक्ष–

जो सदन में उत्तर दिया जाता है उससे कुछ माननीय सदस्य संतुष्ट हो सकते हैं और कुछ सदस्य संतुष्ट नहीं हो सकते हैं । अगर संतुष्ट नहीं होते हैं तो प्रक्रिया और निदेश के अन्तर्गत पर्याप्त प्राविधान हैं। नियम 300 के अन्तर्गत मेरे विचार से यह प्रश्न नहीं आता है, इसलिए अग्राह्य घोषित करता हूं । दूसरी सूचना श्री मोहम्मद आजम खां की है, यह भी नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय अध्यक्ष जी, कानून की नजर में सब बराबर हैं और जब सरकार पक्ष बनती है, तो अदालत में, तो मोटे अल्फाज में सरकार बनाम जिससे मुकदमा हो उसका नाम आता है । सरकार कोई हो उसकी पार्टी का नाम नहीं आता है । 1947 के बाद से इस प्रदेश में और देश में बहुत सी सरकारें आयीं लेकिन जो अदालतों में मुकदमा चला वह किसी दल के नाम से नहीं जाना गया बल्कि सरकार के नाम से जाना गया । एक ऐतिहासिक मुकदमा उत्तर प्रदेश में जमाने से चला आ रहा है जिसमें सरकार पक्ष है और सरकार बनाम जिससे मुकदमा है, उसका नाम आता है । मान्यवर, 1950 में एक हलफनामा जो उस जमाने के कलक्टर व डिप्टी कमिश्नर, श्री जी० एन० उग्रा के नाम से है, उसकी फोटो कापी मेरे पास है.....

श्री अध्यक्ष–

उसकी आवश्यकता नहीं है । पहले आप यह बतायें कि यह आपने संविधान के किस अनुच्छेद के अन्तर्गत उठाया है ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, जाहिर है जब मुकदमा इस प्रदेश की अदालत में चल रहा है तो संविधान की परिधि में चल रहा है, कानून की परिधि में चल रहा है तो यह प्रश्न नहीं उठता कि एक मुकदमा जो हाई कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट में है, वह संविधान की परिधि से बाहर हो । एक चीज का हवाला मैं दे रहा हूं.....

श्री अध्यक्ष–

पहले आप यह बतायें कि प्रक्रिया नियमावली के किस नियम या संविधान के किस अनुच्छेद के अन्तर्गत आपने यह उठाया है ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैंने संविधान के आर्टिकल 25 के तहत इसे उठाया है । मान्यवर, इसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो खुद उधर मालूम नहीं हैं अगर यह कुछ कानूनी चीजों को समझ लेंगे तो बहुत सी समस्याएं हल हो सकती हैं । मैं सरकार का आज का पक्ष जानना चाहता हूं । वह इसलिए कि क्योंकि यह मामला तो भारतीय जनता पार्टी का है, न जनता दल का हैं और न ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का है न ही समाजवादी जनता पार्टी का हलफनामें की बात कर रहा हूं । 1950 में जिला कलेक्टर ने पैरा नम्बर, 12,13,14 में कहा है कि यहां पर कभी मंदिर नहीं था यह बाबरी मस्जिद थी इसलिए यह बड़ा ही गम्भीर प्रश्न है । आज इस समय 12.31 मिनट पर आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की सरकार का हलफनामा हाईकोर्ट में मौजूद है कि यह बाबरी मस्जिद है लिहाजा संवैधानिक संकट पैदा हो जायेगा और इसका जवाब आना चाहिये था तो सरकार यह कहती है कि "राम लला हम आयेंगे मंदिर वहीं बनायेंगे".....

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपकी पूरी लिखित सूचना पढ़ी है और यह नियम–300 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिए मैंने इसे अग्राह्य कर दिया है । यदि कोई भी बात इसके अन्दर आती तो मैं इसे स्वीकार कर लेता ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं अगर [x x x ]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा । मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

[ x x x ]

श्री अध्यक्ष–

यह कार्यवाही में नही लिखा जायेगा । मैं आपको इस पर बोलने की अनुमति नहीं देता हूं ।

**राम जन्म भूमि/बाबरी मस्जिद के कथित अन्तर्विरोध पर स्पष्टीकरण देने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न**

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह किसी सदस्य के अधिकारों का हनन होगा । पूरे प्रदेश को इसकी जानकारी होनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष–

यह नियम–300 में किसी भी प्रकार नहीं आता । आपने जो कुछ कहा है, उसको पूरा विचार कर लें कि कहीं से नियम–300 में यह आता है ।

* श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

इस मसले पर काफी बहस हो चुकी है और सौभाग्य से आप काफी विद्वान अध्यक्ष हमको मिले हैं । मान्यवर, मंत्रि-परिषद जो कहती है, वह विधान सभा की कार्यवाही का अंग होता है और जब सरकार वहां पर कह रही है कि यह बाबरी मस्जिद है और यहां पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री तथा राजस्व मंत्री कहते हैं कि वह रामजन्म भूमि है, तो इस प्रकार यह अन्तर्विरोध हो गया । सरकार विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है, इस अन्तर्विरोध के कारण लोगों पर गलत प्रभाव पड़ रहा है, इसलिये स्थिति स्पष्ट होनी चाहिये । जो सन् 1950 का हलफनामा है, क्या उसके प्रति सरकार का दृष्टिकोण बदल गया है, इस पर आप सरकार का स्पष्टीकरण दिलवा दें ।

(सत्ता पक्ष की ओर से अनेक सदस्यों द्वारा बीच में टोकाटाकी करने पर–व्यवधान)

---

नोट :– [ × × × ] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेश से कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद का नाम यहां आये, तो क्या जरूरी है कि हल्ला हो । आप लोग शान्त रहें और बीच में व्यवधान न करें ।

मैंने अपनी व्यवस्था पहले ही दे दी है कि यह नियम 300 में नहीं आता । मेरे सामने एक बहुत सीधा सा प्रश्न था कि यह नियम 300 में आता है अथवा नहीं, इस मामले पर बेनी प्रसाद वर्मा जी ने जो विचार व्यक्त किये, मैंने उनको भी सुन लिया । मेरे विचार में यह सूचना नियम 300 में किंसी भी प्रकार नहीं आती । अब श्री हृदय नारायण जी अपनी बात कहें ।

श्री शिव कुमार बेरिया–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

मेरी व्यवस्था पर व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

[ x x x]

श्री अध्यक्ष–

लिखा नहीं जायेगा । मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मेरी आपसे कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन यह सरकार हिन्दुओं और मुसलमानों के रिश्ते को खराब करके राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है, इसलिए मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री मोहम्मद आजम खां सदन छोड़कर चले गये । )

श्री शिव कुमार बेरिया–

एक व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री अध्यक्ष–

मैंने कह दिया न, मेरी व्यवस्था पर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता ।

**दिनांक 23 मार्च, 1992 को सदन के पटल पर रखे गए अध्यादेशों को विधान परिषद् से अनुमोदित न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न**

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, जो विषय मैं उठाने जा रहा हूं, वह बड़ा गम्भीर है । नियम 300 की जो पहली धारा है, इसी से सदन के नियमों और संविधान के अनुच्छेदों से इस सदन का काम चलता है, आप अवगत हैं कि पहले जब सत्र चल रहा था, 6 अध्यादेश लाये गये थे.....

---

[ x x x ] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेश से कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

वे अध्यादेश विधान परिषद् से अनुमोदित नहीं हुए । उन अध्यादेशों को फिर से लाया गया । संविधान के किसी अनुच्छेद की तकनीकी कमी का लाभ उठाकर अध्यादेशों को लाना बिल्कुल अलोकतांत्रिक है और अनुचित है । श्रेष्ठ परम्परा बनाना, आपकी और सरकार की तथा हमारी जिम्मेदारी है । मैं आपकी अनुमति से 1947 में विधान सभा अध्यक्षों का जो सम्मेलन हुआ था और उसमें लोक सभा अध्यक्ष श्री मावलंकर जी ने जो कहा था, उसके कुछ उद्धरण मैं यहां पर देना चाहता हूं । उन्होंने कहा था–"कार्यपालिका के लिए यह परिपाटी स्पष्ट रूप से गलत थी कि वह केवल समयाभाव के कारण अध्यादेश का प्रख्यापन करे । इस शक्ति का प्रयोग केवल उस समय किया जाना चाहिये था, जब कोई आपातकालीन स्थिति हो और विधान मण्डल की बैठक न हो सकती हो ।" अब यहां मान्यवर, आप देखें कि विधान मण्डल की बैठक चल रही थी उच्च सदन का सत्रावसान कराकर अध्यादेश लाए गए । एक उद्धरण और देना चाहता हूं । 22-2-1952 को अन्तकालीन संसद के वाद-विवाद के दौरान श्री मावलंकर जी ने कहा "मैं स्वयं अध्यादेशों के प्रख्यापन को पसन्द नहीं करता हूं । अध्यादेश केवल तभी जारी किया जाना चाहिये, जब उसके सिवा कोई और चारा न हो सामान्यतया कोई अध्यादेश जारी नहीं किया जाना चाहिये ।"

अध्यक्ष श्री मावलंकर जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री पं० नेहरू जी को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा है "पहली लोक सभा होने के नाते परम्परायें स्थापित करने की जिम्मेदारी हम पर आती है । प्रश्न सरकार के प्रस्तुत सदस्यों का नहीं है बल्कि नजीरों का है । यदि परिपाटी बनाकर हम अध्यादेश का प्रख्यापन केवल उन दशाओं तक सीमित नहीं कर सकते, जबकि अध्यादेश का जारी करना बहुत अधिक आवश्यक और अविलम्बनीय हो, तो उसका परिणाम यह भी हो सकता है कि भविष्य में सरकार अध्यादेश ही जारी करती जाये और लोक सभा के सामने सिवाय इसके कोई चारा न रहे कि वह अध्यादेश को स्वीकार करती जाये ।" यह पत्र उन्होंने 17 जुलाई, 1954 को प्रधान मंत्री जी को लिखा था । अब मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 213 में अध्यादेश को जारी करने की प्रक्रिया बताई गई है कि राज्य का विधान मण्डल सत्र में न हो, तब अध्यादेश लाया जा सकता है । लेकिन मान्यवर, यह कहीं नहीं कहा गया है कि विधान मण्डल का सत्र चल रहा हो और अध्यादेश लाने हेतु अपर सदन का सत्रावसान कर दिया जाय । मैं तो कहना चाहता हूं कि इससे ज्यादा अलोकतांत्रिक, निकम्मापन और तानाशाही से भरा और कोई कदम हो ही नहीं सकता । विधान परिषद् ने उन अध्यादेशों को अनुमोदित नहीं किया और न ही उन अध्यादेशों को फिर से लाने हेतु कोई आपातकालीन स्थिति थी । अब वह अध्यादेश क्या था ? हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट की परीक्षायें होने जा रही थीं । लड़के व लड़कियों को जेल में बन्द कर उन्हें मानसिक यंत्रणायें देने की बात थी । विधान परिषद् की एक राय थी और उसने उस अध्यादेश को अनुमोदित नहीं किया । परन्तु इस सरकार ने उस सदन की राय को व्यर्थ माना । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह सरकार घर में बैठकर कानून चलाना चाहती है । इससे मान्यवर, इस सदन की भी अवमानना हुई है । अपर सदन की राय को माना जाना चाहिये था ।

श्रीमन्, जब हम कोई नोटिस किसी नियम के तहत देते हैं तो अगर आप चाहते हैं तो कह देते हैं कि इसे दुबारा आप दे सकते हैं, नहीं तो जो हमारी नोटिस होती है, उसे आप मूल रूप में ही अस्वीकार कर देते हैं । इसलिए मान्यवर, ये 6 अध्यादेश भी उन्हीं नोटिसों के रूप में हैं और उसी रूप में यहां लाये भी गये हैं । इसलिए मैं इस परं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, श्री दीक्षित जी ने बहुत अच्छी-अच्छी बातें कहीं । लेकिन दिक्कत यह है कि परिपाटियों और परम्पराओं की बात उनकी समझ में बहुत देर से आयी ।.....

अपनी परिपाटी को वह भूल गये । जो हुआ है उसमें कुछ नया नहीं हुआ है । बहुत जरूरी परिस्थितियों में जो होना चाहियें था वह किया । हमारी संविधान के प्रति प्रतिबद्धता है उसमें है कि जब दोनों सदनों में से कोई भी सदन सत्र में न हो तो हम अध्यादेश जारी कर सकते हैं । मैं लम्बे विवाद में नहीं जाना चाहता हमने संविधान के अनुसार ही कार्य किया है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

दूसरे सदन का सत्रावसान क्यों करा दिया, यह मैं जानना चाहता हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, सोये हुये को जगाया जा सकता है लेकिन जागे हुये जो मक्कर किये पड़े हों उसे कौन जगा सकता है ? पिछली बार जब सत्रावसान करके अध्यादेश जारी किये जाते थे, तब आप कहां थे ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

पिछली बार मैंने ही विरोध किया था । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी यही कहा था कि यह परम्परा गलत है आप कार्यवाही उठा कर देख लें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

उस समय मैंने कहा था परम्परा गलत है, आपको याद होगा मावलंकर की इसी बात को और बाधवा की पुस्तक का जिक्र करके कहा था बिहार के संबंध में जिन्होंने कहा था ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

परम्परा और नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है सिर्फ इनकी बोली में परिवर्तन हुआ है उधर बैठने से ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

हमने अध्यादेश जारी किया किन परिस्थितियों में हुआ विधान परिषद् में बहुत से मामले प्रवर समिति में चले गये । बहुत से ऐसे कार्य थे जो पूर्वगामी प्रभाव से लागू होने थे, लैप्स होने से दूरगामी प्रभाव पड़ता था तो हमने अध्यादेश जारी किया । हमने संविधान और नियमों का पालन किया । आपने अच्छे ज्ञान का परिचय दिया हमने उसे सुना ।

श्री अध्यक्ष–

संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार यदि विधान मण्डल के दोनों सदन सत्र में न हो तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार राज्यपाल महोदय को है । चूंकि विधान परिषद् के सत्रावसान का प्रश्न है इस पर सदन में चुनौती नहीं दी जा सकती है । यह राज्यपाल का विवेक है, परिस्थितियों पर विचार करके सत्रावसान किया होगा । नियम 302 (2) में जब सदन के पटल पर रखा गया था उस समय आपको बात उठानी चाहिये थी । इसलिए मैं इसको नियम 300 में अग्राह्य करता हूं ।

श्री फरीद महफूज किदवई साहब अनुपस्थित हैं, आगे श्री स्वामी नाथ जी की है ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

हमारी भी सूचना है ।

श्री अध्यक्ष–

वह अन्त में रखी है आपके विचारों से हम लाभान्वित होना चाहेंगे ।

**माध्यमिक परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग के विरुद्ध पुलिस के आचरण के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न**

श्री स्वामीनाथ यादव–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान उनके द्वारा सदन में दिये गये आश्वासन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी ने संज्ञेय अपराध के संदर्भ में जब हमने कहा था इसका दुरुपयोग होगा जैसा कि इमरजैंसी में हुआ था । तो आज स्थिति यह है कि जो उन्होंने सदन में आश्वासन दिया था कि इसका दुरुपयोग नहीं होगा । वही हो रहा है । उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि हमारे जनपद देवरिया में एक इण्टर कालेज शिव धारिया में एक छात्र के लंगोट से डी० डी० आर० द्वारा चिह्न पकड़ा गया तथा .....

श्री अध्यक्ष–

यह नियम 300 में कैसे आता है ?

श्री स्वामीनाथ यादव–

वहां डी० डी० आर० ने एफ० आई० आर० लिखा दी और एस० ओ०, एस० पी० को वायरलेस करता है छात्रों को गिरफ्तार करने के संबंध में तो एस० पी० कहता है कि छात्र को ही नहीं अध्यापकों पर भी यह लागू होता है । 10.30 बजे जब परीक्षा समाप्त हो जाती है उसके बाद अध्यापकों पर भी एफ० आई० आर० लिखकर संज्ञेय अपराध यह लगा दिया गया । तो सदन में जो आश्वासन दिया गया था कि किसी प्रकार की बदले की भावना से कार्य नहीं किया जायेगा उस आश्वासन का उल्लंघन हुआ है । कहा गया था कि इस कानून के अन्तर्गत किसी प्रकार की बदले की भावना से किसी को जेल नहीं डाला जायेगा । वह आज साबित हो रहा है । नकल का हम लोग विरोध कर रहे हैं लेकिन इस कानून का जो दुरुपयोग हो रहा है मान्यवर, वह ठीक नहीं है । सदन में आश्वासन के बाद भी कि पुलिस आज भी कमरों के बाहर रहेगी, कमरों में नहीं जायेगी । पुलिस आज भी कमरों में जा रही है । नकल में 10.00 बजे तक ही पकड़ें तो कोई बात है 10.30 बजे जब अध्यापक घर चले जा रहे हैं उनके खिलाफ एफ० आई० आर० दर्ज कराई जा रही है । सदन में आश्वासन के बाद भी इस संज्ञेय अपराध के कानून को, लोगों को आतंकित करने के लिये लगाया जा रहा है । यह सरकार की बहुत ही गलत नीति है इसलिये यह नियम–300 के अन्तर्गत ग्राह्य करने योग्य है ।

श्री अध्यक्ष–

श्री स्वामी नाथ यादव जी की सूचना सदन में दिये गये आश्वासन के विपरीत पुलिस कार्यवाही और छात्रों के प्रति व्यवहार के बारे में है । यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती इसलिए मैं इसे अग्राह्य कर रहा हूं ।

**श्री अंगद सिंह यादव के अंगरक्षक एवं रिश्तेदार की हत्या किए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न**

श्री अंगद यादव जी के बारे में 5 माननीय सदस्यों ने सूचना दी है। मैं समझता हूं आपको सुन लूं।

श्री अंगद सिंह यादव–

मान्यवर, सब को दो-दो मिनट सुन लें। मान्यवर, आजमगढ़ जनपद से 10 विधायक और दो सांसद चुने जाते हैं। विगत चुनाव में आजमगढ़ से पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति के ही जनप्रतिनिधि चुने गये। वहां की जनता ने चुना हैं। वहां पर उच्च जाति के खासकर ठाकुर जाति के लोगों में रोष है, जो विधायक होना अपनी बपौती समझते थे। उन लोगों ने पुलिस महानिदेशक, प्रकाश जी, जो आजमगढ़ के रहने वाले हैं उनसे कह कर अपनी रिश्तेदार प्रवीण सिंह को वहां तैनात करवा लिया है और आज वहां वहीं हो रहा है जो वह लोग चाहते हैं।

पिछड़े अल्प संख्यक और अनुसूचित जाति के लोग मारे जा रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं। वहां किसी भी समय कोई भी विधायक मार दिया जा सकता है। 10–10 विधायक असुरक्षित हैं। हम सब को दो-दो मिनट सुन लें। हम लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था करा दें। मैंने लाइसेंस के लिये कहा, लाइसेंस नहीं दे रहे हैं। कहते हैं देख लिया जायेगा, शासन को भेज देंगे। सभी जनप्रतिनिधियों की जान की सुरक्षा की जाय। आप संरक्षक हैं। वहां बहुत आतंक है। वह अपनी बिरादरी में कहते हैं कि जो भी इन विधायकों को मारेगा हम उसे दो लाख रुपया देंगे। मान्यवर, हम सब की जान खतरे में है। हमारे परिवारजनों की व हमारी सुरक्षा की व्यवस्था करा दें। मान्यवर, यह नियम–300 में आता है और ग्राह्य किये जाने योग्य है।

श्री देवेन्द्र सिंह–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

व्यवस्था का प्रश्न कब उठाया जाता है ? अभी नहीं। आप अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र सिंह–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। इन्होंने किसी अधिकारी के खिलाफ आरोप लगाया तो ठीक है हो सकता है लेकिन यह एक जाति के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। यह ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री अंगद सिंह यादव जी को सुन लिया है। अपनी समस्याएं आपने यहां सदन में रख दी हैं। कल मेरे कक्ष में भी आपने अपनी समस्या कही थी। शासन के संज्ञान में लाई जायेगीं और शासन का ध्यान इसकी ओर आकृष्ट कर रहे हैं। माननीय सदस्यों की सूचना 300 के अन्तर्गत नहीं आती लेकिन मैं शासन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, माननीय सदस्य की जान की सुरक्षा का सवाल है। माननीय गृह मंत्री जी इस पर कोई व्यवस्था करा दें।

श्री अध्यक्ष–

पांच लोग एक साथ बोलेंगे तो कुछ सुनाई नहीं देगा ।

(व्यवधान)

श्री सुख देव–

मान्यवर, नियम 300 में सदस्यों ने दिया है ग्राह्यता के बारे में मैं कह रहा हूं । जनपद आजमगढ़ में जिला योजना की मीटिंग चल रही थी हमारे प्रदेश के उप मंत्री पतिराज हैं उन्होने बोलना शुरु किया तो उसमें व्यवधान डाला गया । माननीय मंत्री जी ने जब बायकाट कर दिया तो वहां के जिलाधिकारी उनसे पूछने भी नहीं गए । गर्ग साहब भी गए थे जब यह पूछा गया कि वहां मीटिंग में एस० एस० पी० आते हैं लोगों ने बताया कि नहीं आते हैं । मान्यवर, जिला योजना की बैठक में प्रदेश के उप मंत्री बायकाट करके चले आए और जिलाधिकारी बुलाने भी नहीं गए इस तरह से उनका अपमान किया गया । समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है अंगद यादव जी का शैडो मार दिया गया । मान्यवर, मैं किसी वर्ग का नाम नहीं लूंगा लेकिन एस० एस० पी० और सी० ओ० के निर्देशों पर अवैध कब्जे कराए जा रहे हैं । कोई प्रभारी मंत्री जिला योजना की बैठक करता है तो एस० एस० पी० को बैठना चाहिये । मंत्री जी फिर बायकाट मीटिंग का करें और पूछने भी न जाया जाए यह तो बड़े ही अपमान की बात है । हांडी के एक चावल को टोहकर पूरे प्रदेश को जाना जा सकता है । जब मंत्री जी का अपमान इस तरह से होगा तो हम लोगों की क्या सुरक्षा रहेगी ? जनपद आजमगढ़ में 6 अनुसूचित जाति के लोगों को मरवाया गया इन्काउंटर कराया गया । इसमें न्यायिक जांच होनी चाहिए । अगर मान्यवर, पुलिस के लोग दोषी हैं तो कार्यवाही की जानी चाहिए । मान्यवर, हम लोग असुरक्षा की बात करते हैं तो हमें शौक नहीं है सदन में बोलने का । हम सुरक्षा की बात करते हैं तो हमें शौक नहीं है सदन में बोलने का । हम सुरक्षा की बातें करते हैं सही सूचना देते हैं अगर डी० एम० और एस० एस० पी० का यही रवैया रहा तो एक दिन सदन में हम लोगों के लिए दुख व्यक्त करेंगे । मेरी आपसे मांग है कि सब विषयों नियमों के तहत निलम्बित करके इस विषय पर चर्चा करायें ।

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मैं अंगद यादव जी के बारे में कहना चाहूंगा ।

(व्यवधान)

श्री बी० आर० वर्मा–

दो-दो मिनट का समय जिन माननीय सदस्यों के नाम हैं उनको दे दें ।

(व्यवधान)

उप मंत्री जी भी बैठे हैं वह भी कुछ कहना चाहेंगे उनको भी सुन लें ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय अध्यक्ष जी, श्री अंगद यादव की सुरक्षा के बारे में विगत दिवस बड़ी विस्तार से चंर्चा हुई थी, तो हमने स्वीकार किया था कि जो घटना घटी है वह दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है । मैंने इस बात की जानकारी भी दी थी कि पुलिस की सतर्कता का परिणाम यह हुआ कि नामजद रिपोर्ट होने लगी और

उसके बाद अब तक जो अद्यतन जानकारी है उसके अनुसार 4 मुलजिम गिरफ्तार किये जा चुके हैं। मान्यवर, अंगद जी के लिये सुरक्षार्थ हेड कान्सटेबिल ए० पी० इन्द्रदेव यादव को ड्यूटी में लगा दिया गया है और उनके निवास पर आर्म्ड गार्ड की व्यवस्था कर दी गयी है। माननीय यादव जी की सुरक्षा के लिये पूरी व्यवस्था की जा रही है। उनके परिवार की सुरक्षा में गार्ड लगा दिये गये हैं। लाइसेंस के बारे में बात हुई थी। मैंने कहा था कि लाइसेंस के बारे में भी विचार करेंगे, उसके बारे में भी जानकारी दे दूं। लेकिन मुझे यह भी निवेदन करना है कि यह सही है कि हम लोगों के जान-माल की रक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन क्या यह भी सच नहीं है कि हमारी सुरक्षा के लिये जो खतरा है, वह दो कारणों से बनता है। एक कारण यह है कि हम किसी की सुरक्षा के लिये खतरा बने हैं या फिर दूसरा कारण यह है कि हमने जो समाज सेवा की है, तो दुश्मनी के कारण हमारी जान-माल के लिये खतरा बना होगा।

मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन आजमगढ़ की स्थिति गम्भीर इसीलिये है। इसलिये अच्छा होगा कि उस स्थिति पर सदन में चर्चा करके समय नष्ट न करें, अलग से बात कर लेंगे। यहां समय नष्ट न करें,। चर्चा करने से वह भी मुद्दे निकलेंगे जिनसे माननीय विधायक के चरित्र पर धब्बा लगा है, इसको भी आप देख लें। इसलिये मैं विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं, उस दिन भी मैंने कहा था कि जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी के कमरे में बैठकर चर्चा हुई थी, फिर हम आप बैठकर चर्चा कर लेंगे और सुरक्षा की दृष्टि से जो भी करना होगा, पूरी व्यवस्था की जाएगी (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

(घोर व्यवधान के मध्य यह अधिकार नहीं है। हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करना है। मैंने अंगद यादव जी की समस्या से शासन को अवगत करा दिया है। यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता, मैं इसको अग्राह्य कर रहा हूं (घोर व्यवधान)

श्री बी० आर० वर्मा–

(घोर व्यवधान के मध्य) मान्यवर, आज जितने भी जन प्रतिनिधि हैं...(घोर व्यवधान के कारण सुना नहीं जा सका )....मान्यवर, आजमगढ़ जनपद की एक विशेष स्थिति है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैंने कह दिया कि अलग से बात कर लेंगे।

**सुरक्षा हथियारों के लाइसेंस के सम्बन्ध में सदन के बाहर नीति विषयक घोषणा किए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न**

श्री नरेश अग्रवाल–

श्रीमन्, अभी माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी के औचित्य के प्रश्न में कुछ अध्यादेशों का प्रश्न उठा और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने परिपाटी और परम्पराओं का उल्लेख किया। श्रीमन्, इस सदन में परिपाटी और परम्परा अब नहीं रह गयी है। आपकी पीठ से बार-बार आदेश दिये गये हैं कि जब सदन चल रहा हो तो मंत्री या विभाग नीतिगत प्रश्नों की सदन में ही घोषणा करेंगे, बाहर नहीं करेंगे। पिछली बार राज्य शिक्षा मंत्री के बारे में उठाया था, आपने खारिज कर दिया। राजस्व मंत्री ने नीतिगत घोषणा कर दी, 31 तारीख को अखबार वालों को सूचना दी और जिलाधिकारियों को कुछ निर्देश दिये जिसमें शासन द्वारा जो सुरक्षा के लिये लाइसेंस दिये जाते हैं, उनके लिये जो नियम पिछली

सरकारों में थे, उनको कुछ बदला और कुछ नये नियम लागू किये । सत्र चल रहा है, ऐसी कोई जल्दी नहीं थी कि ऐसी आवश्यकता पड़ गयी कि सरकार इसकी घोषणा सदन में न करके बाहर करती । इन्होंने सदन के बाहर घोषणा कर दी , जबकि सदन चल रहा हो इस तरह से आपके आदेशों की अवहेलना हुई है ।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने जो परिपाटी और परम्परा की बात कही, जब वे इधर बैठते थे तो कुछ और थीं और उधर बैठने लगे तो कुछ और हो गयीं और अध्यक्ष जी के आदेशों को मानने में परिपाटी और परम्परा को पता नहीं किस नियम के तहत सुन लिया ?

हम नहीं समझ पाये, मेरा आपसे श्रीमन् निवेदन है, आप स्पष्ट आदेश दें कि जब यह सत्र चल रहा हो, कोई भी मंत्री, कोई भी विभाग का सचिव इस सदन के बाहर कोई घोषणा नहीं करेगा, इससे इस सदन की परिपाटी और आपके आदेशों की अवहेलना होगी । मान्यवर, हमको जो विशेषाधिकार मिला हुआ है कि हम उसको पहले सदन में जान लें, उसके बाद वह जनता के बीच में जायं । श्रीमन्, इससे हमारे विशेषाधिकारों का उल्लंघन होता है ।

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मुझे बड़ी खुशी होती है, हम इसको बुरा नहीं मानते हैं । हम वहां जब बैठते थे.....

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

इसका मतलब श्रीमन् इसको माननीय मंत्री जी गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

जब हम उधर बैठते थे, हमने बराबर मांग की थी कि लाइसेंस देने की नीति में उदारता बरतनी चाहिए । आज शासन में आकर हमने इस बात का अनुभव किया और मान्यवर, कदाचित नरेश अग्रवाल जी को याद होगा, लेकिन दिक्कत यह है कि सदन में वह बैठते कम हैं, जब मैं बजट यहां से पढ़ रहा था, मैंने किसी संदर्भ में माननीय अग्रवाल जी का नाम भी लिया था, अगर यह रहे होते, तो सुन लिये होते । मैंने इस नीति की घोषणा अपने बजट भाषण में कर दी थी और उसके बाद अखबार में मामला चला गया, प्रशासनिक मामला था, इसलिये न मैंने किसी संसदीय परिपाटी और न किसी विधि और न माननीय अध्यक्ष के आदेशों की अवहेलना की, मैं तो समझता था कि अगर माननीय अग्रवाल जी आज खड़े होंगे, तो वह सरकार को बधाई देंगे । आज हमने इस आवश्यकता को पूरा कर दिया कि हर आदमी जिसका आपराधिक इतिहास नहीं है और उसके जीवन को खतरा है, तो हम उसे आग्नेयास्त्र का लाइसेंस दे देंगे । इसलिए मैं समझता हूं कि मैंने अच्छा काम किया है, अच्छा भोजन अच्छे पात्र में होना चाहिए । हमने श्रीमन्, अच्छा काम तो किया, लेकिन हमने किसी विधि या परम्परा की अवहेलना नहीं की है । अगर ये अखबार को पढ़ लिए होते तो इस आदरणीय सदन का मूल्यवान समय नष्ट न होता । इसलिए मान्यवर, मैं समझता हूं कि इसमें किसी विधि या परम्परा या माननीय अध्यक्ष के आदेशों की अवहेलना नहीं की है, इसलिए यह निरस्त करने की कृपा करें ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री के स्पष्टीकरण और माननीय नरेश अग्रवाल को सुनने के बाद मैं इसको अस्वीकार करता हूं।

(श्री राम गोविन्द चौधरी के नाम पुकारे जाने पर)

(घोर व्यवधान)–

श्री अब्दुल ए० सलाम–

मान्यवर, हमारे प्रस्ताव को नहीं माना गया, इसलिए मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री अब्दुल ए० सलाम सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष–

मैं तो केवल एक आदमी को बोलने के लिए अवसर दूंगा।

**अल्पसूचित तारांकित प्रश्न को अस्वीकार किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न**

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मैंने जो नियम 300 के अन्तर्गत प्रश्न उठाया है, वह संविधान के प्राविधानों के अनुरूप है तथा नियमावली के नियमों के सभी शर्तों को पूरा करता है। मान्यवर, संविधान की धारा 164 की उप धारा (2) में यह व्यवस्था की गयी है कि ऐसे सभी विषयों के बारें में जिसके लिए शासन उत्तरदायी है, प्रश्नों के द्वारा सूचना प्राप्त करना अथवा ऐसे लोक महत्व के विषयों के बारे में सुझाव देना माननीय विधायकों का अधिकार है.....और इसीलिए इसकी स्पष्ट व्यवस्था नियमावली के नियम 26 में भी है, जिन प्रश्नों को नहीं पूछा जा सकता है, उसकी स्पष्ट व्यवस्था नियमावली के नियम 28 में की गयी है।

माननीय विधायक लक्ष्मीपुर कुंवर अखिलेश सिंह ने एक अल्प सूचित तारांकित प्रश्न पूछने की सूचना लिखित रूप में आपको दिया था, जो नियम 26 की शर्तों को पूरी तरह से पूरा करती है और नियम 28 के किसी भी उप नियम की परिधि में नहीं आता है। इसके बावजूद उक्त प्रश्न को विभाग की आन्तरिक प्रक्रिया एवं सूचनाओं का उल्लेख होने का कारण दिखाकर निरस्त कर दिया गया है। मान्यवर, जो प्रश्न किया गया था, वह यह था कि क्या खाद्य तथा रसद मंत्री जा बतायेंगे कि पूर्व खाद्य मंत्री रवीन्द्र नाथ तिवारी ने 4 दर्जन से अधिक वरिष्ठ हाट निरीक्षकों की प्रोन्नतियों को विभागीय अधिकारियों और मुख्य सचिव की आख्या पर विचार करने के बाद उसे गलत मानते हुए निरस्त कर दिया था। क्या यह भी सही है कि 1991 में आम चुनाव के बाद खाद्य सचिव ने अपनी आख्या के साथ पत्रावली को पूर्व खाद्य मंत्री के समक्ष पुनर्विचार के अनुरोध के साथ प्रस्तुत किया था जिस पर तत्कालीन खाद्य मंत्री ने उसे वर्तमान खाद्य मंत्री के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था यदि हां तो क्या खाद्य मंत्री उक्त संबंध में श्री प्रभात कुमार आई० ए० एस० और मुख्य सचिव की आख्या और तत्कालीन खाद्य मंत्री के आदेशों और उक्त मामले में अपने द्वारा लिये गये निर्णय समेत सारे तथ्यों को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे।

श्रीमन्, यह प्रश्न था। मैंने अपनी सूचना के साथ उस प्रश्न को भी नत्थी कर दिया था। मैं कहना चाहता हूं कि यह प्रश्न पूछने से नियमावली का कोई नियम आड़े नहीं आता है। प्रश्न नियमावली के नियम 26 की सभी शर्तों को पूरा करता है। नियमावली के नियम 28 में है कि कौन-कौन से प्रश्न नहीं

पूछे जा सकते हैं ? मैं नियमावली का नियम 28 उप नियम 9 को पढ़ रहा हूं, उसमें यह है कि ? "किसी न्यायाधीश या न्यायालय के जिसको भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार हो, आचरण के विषय में किसी ऐसी बात का निदेश नहीं होगा जो उसके न्यायिक कृत्यों से सम्बद्ध हो ।"

श्री अध्यक्ष–

आप उप नियम 15 को पढ़ें ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, उसमें कोई गोपनीयता नहीं थी और न ही मंत्रि परिषद् के किसी निर्णय के बारें में सूचना मांगी गयी थी और न ही राज्यपाल से किसी भी प्रकार से संबंधित था, बल्कि तत्कालीन खाद्य मंत्री ने 4 दर्जन से अधिक वरिष्ठ हाट निरीक्षकों की प्रोन्नतियों को गलत माना था और उस पर खाद्य सचिव से आख्या मांगी थी और फिर मुख्य सचिव से आख्या मांगी थी । तत्कालीन सचिव ने लिखा है कि कुछ गड़बड़ हुई है । यह बहुत गम्भीर मामला है जिसको दबाया जा रहा है । इसमें मुख्य सचिव से आख्या मांगी गयी मुख्य सचिव ने इस बात को स्वीकार किया कि गड़बड़ियां हुई हैं । तत्कालीन मंत्री जी ने कहा कि यह बहुत गम्भीर मामला है इसको छोड़ा जाना सम्भव नहीं है । उसके बाद चुनाव आ गये । चुनाव के बाद फिर खाद्य सचिव आख्या लेकर आये कि इस पर पुनर्विचार करें तो तत्कालीन मंत्री जी ने कहा था कि चुनाव हो गये हैं दूसरी पार्टी जीत कर बहुमत में आयी है, वह सरकार बनायेगी इसलिए इसमें उन्होंने टिप्पणी लिखी कि अगले खाद्य मंत्री जी के सामने पत्रावली प्रस्तुत की जाय । श्रीमन्, मुख्य सचिव कहते हैं कि गड़बड़ियां हुई हैं, सचिव कहते हैं कि गड़बड़ियां हुई हैं और मंत्री जी ने भी स्वीकार किया है गड़बड़ियां हुई हैं ।

यह प्रश्न 15 के प्राविधानों के अन्तर्गत नहीं आता है । उसकी तीनों शर्तें इस प्रश्न पर लागू नहीं होती हैं । मैं आपकी कृपा दृष्टि चाहता हूं, यह आपके भी अधिकारों का हनन हो रहा है, चाहे [xxx] से हो रहा हो, चाहे [× × × ] से हो रहा हो, आपके अधिकारों के हनन की प्रक्रिया चलायी जा रही है। इस सवाल को निरस्त कराया गया जबकि यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है । चाहे अधिकारी रहे हों या चाहे मंत्री रहे हों, जो कोई भी हो, इसमें 61 लाख रुपये की गड़बड़ी की गयी है । आप मान्यवर, कहेंगे कि आप प्रमाण लाइये । मैं कहना चाहता हूं कि रिश्वत देने या लेने का विधिक प्रमाण क्या कोई होता है ? पूरे हिन्दुस्तान में कोई लिखित प्रमाण कहीं नहीं मिल सकता है । इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस प्रश्न को केवल इसलिए अस्वीकार कर दिया गया है कि इसमें किसी न किसी के द्वारा मैं नाम नहीं लेता, चाहे अधिकारी हों या चाहे मंत्री हों, 61 लाख रुपये की गड़बड़ी की गयी है इसलिए इस प्रश्न को निरस्त कर दिया गया । मैंने जब इस संबंध में पूरी सूचना मांगी कि पूरे तथ्यों को सदन के पटल पर रखिये तो प्रश्न निरस्त कर दिया गया इसलिए आपके अधिकारों पर भी कुठाराघात हुआ है। माननीय सदस्यों को नियमावली में और संविधान में जो प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया उस अधिकार का भी हनन हुआ है । इससे भ्रष्टाचार में जो लोग लिप्त हैं इससे उनका मनोबल बढ़ेगा । इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं । मैं पहले भी इस तरह के मामले आपके संज्ञान में ला चुका हूं । दबाव डालकर अपने विरुद्ध आने वाली बातों के संबंध में जो प्रश्न होते हैं उनको स्थगित करा दे रहे हैं जिससे इतने बड़े घपले हो रहे हैं । जो चीज नियमों की परिधि में आती है उसको क्यों निरस्त किया–

---

नोट :–[ × × × ] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेश से कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

गया, इसके पीछे कौन से कारण हैं, यह मैं जानना चाहता हूं ? यह जो 61 लाख रुपये की गड़बड़ी की गयी है इसकी जांच कराकर कार्यवाही करें । मैंने इस मामले की ग्राह्यता पर कह दिया है । इस प्रश्न को एक्सेप्ट कर लें ताकि मेरा प्रश्न आये और तब जाकर सब बातें साफ हो जायेंगी कि क्यों इसको निरस्त किया गया है ।

[ समय 1बजकर 20 मिनट ]

श्री अखिलेश –

मान्यवर, पिछली सरकार के खाद्य एवं रसद मंत्री श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी ने चार दर्जन से ऊपर हाट निरीक्षकों की प्रोन्नति संबंधी पत्रावली को विभागीय सचिवों की टिप्पणियों से सहमत होते हुए वापस कर दिया था कि प्रोन्नतियां नियमानुसार नहीं हैं । (शोर) मान्यवर, मैं अपनी निश्चित जानकारी के आधार पर कह रहा हूं कि इस तरह की आशंका व्यक्त की जा रही है कि पुराने 4 दर्जन एम० आई० के प्रमोशन में 61 लाख रुपये लिये गये हैं । यह एक गम्भीर प्रकरण है । पिछले खाद्य एवं रसद मंत्री द्वारा उसमें जो प्रविष्टियां की गयी हैं, सचिवों द्वारा जो प्रविष्टियां की गयी हैं अगर उसको सदन के पटल पर रख दिया जाय तो स्थिति स्पष्ट हो जायेगी । पुराने खाद्य एवं रसद मंत्री के पास वर्तमान मंत्रिमण्डल के गठन के 48 घण्टे पूर्व दुबारा फाइल प्रस्तुत की गयी थी तो उन्होंने उस पर लिखा है कि इस फाइल को अगले मंत्रिमण्डल के अगले खाद्य मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाय । मान्यवर, वर्तमान खाद्य मंत्री ने इन सारी प्रविष्टियों को, सचिवों की आख्या को ताक पर रख कर इन 4 दर्जन से अधिक लोगों को वरिष्ठ खाद्य निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति दे दी और यह प्रोन्नति करके उन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम किया है । मैं चाहूंगा कि इस संदर्भ में पूरी पत्रावली सदन के पटल पर रखी जाय । स्थिति स्वतः स्पष्ट हो जायेगी ।

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, माननीय राम गोविन्द चौधरी जी ने कई नियम पढ़े, अच्छा होता कि वह नियम 45, नियम 43 और नियम 314 को भी पढ़ लेते तो स्थिति स्पष्ट हो जाती ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, आप हमको भरमाइये नहीं । आपका और हमारा जन्म इस विधान सभा में साथ ही हुआ है लेकिन मैं आपकी इज्जत करता हूं जो अध्यक्ष जी ने स्वयं कहा था कि नियम 15 को आप देखें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आप मेरी बात को तो सुन लें । मान्यवर, हम लोग नियमों की, परिपाटी की बड़ी दुहाई देते हैं । मान्यवर, हर चीज की व्यवस्था दी गयी है कि कोई काम कैसे होना है, कैसे उठाना है, अगर कोई जिज्ञासा है तो उसको शान्त करने की व्यवस्था नियमों में दी हुई है । अब एक प्रश्न पूछा गया और वह अग्राह्य कर दिया गया, माननीय सदस्य चाहते थे कि वह फिर से प्रश्न आ जाय या जानकारी मिल जाय कि क्यों अग्राह्य हो गया तो इसको जानने का तरीका है । मान्यवर, किसी विषय पर जानकारी करने के लिए आरोप प्रत्यारोप लगाने का कोई औचित्य नहीं है । मैं पहले आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह जो आरोप-प्रत्यारोप लगे हैं इनको कार्यवाही से निकाल दें । मेज पार्लियामेंट प्रेक्टिस जो संसदीय प्राविधान है, जो प्रिविलेज सरकार का है, हाउस आफ कामन्स की व्यवस्थायें हैं, क्लार्कस आफ दि हाउस है जो आपका सचिवालय है उसकी आलोचना नहीं की जाती है लेकिन सबको ताख पर रखकर उसकी भी आलोचना कर दी गयी ।

प्रश्न को ग्राह्य करना या न करना इसका नियम 45 में प्राविधान है कि अध्यक्ष प्रश्नों की ग्राह्यता का निश्चय करेंगे, उसको भी ताक पर रख दिया उसके बाद नियम 314 देखें इसमें है कि अध्यक्ष के विनिश्चय पर आपत्ति नहीं की जायेगी तो उस अध्यक्ष के विनिश्चय पर भी हमने आपत्ति कर दी । माननीय चौधरी जी ने हमारे सम्मान की बात कही मैं उनको राय देना चाहता हूं कि नियम 43 है नियमावली में इसमें है कि हम आपसे भी प्रश्न करना चाहें तो इसका अधिकार है और इसका लाभ उठा सकते हैं । इसमें है कि अध्यक्ष से प्रश्न व्यक्तिगत सूचना द्वारा किये जायेंगे । ऐसे प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप से अथवा अध्यक्ष के निजी कमरे में दिया जा सकेगा ।

मान्यवर, यह इसलिए कहा गया है कि अगर किसी कारण से किसी प्रश्न को लेकर ऐसा कोई निर्णय दें उसे सुनने से हमारा समाधान न हो तो हम आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आपके कक्ष में जायं और नियम 43 का लाभ उठायें आपने नियम 43 का लाभ नहीं लिया और 300 के माध्यम से इस बात को उठाया और इस तरह से इस सदन के मूल्यवान समय को नष्ट किया गया । मान्यवर, इसको अग्राह्य करने के निवेदन के साथ-साथ यह भी प्रार्थना है कि ऐसी कोई अग्रिम व्यवस्था करें जिससे इस तरह की परिपाटी, परम्पराओं और सदन के गरिमामयी इतिहास को कोई नष्ट न कर सके । ऐसी व्यवस्था करेंगे तो इस आदरणीय सदन की गरिमा में चार चांद लग जायेंगे । इस आदरणीय सदन में आपके सचिवालय के प्रति या माननीय मंत्री के प्रति जो आरोप लगाये गये हैं, उनका खण्डन करता हूं । आपसे प्रार्थना करता हूं कि ऐसी वयवस्था दें कि वे सदन की कार्यवाही का अंग न बनने पाये ।

श्री अखिलेश–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

"चुनौती" वगैरह नहीं लिखा जायेगा । माननीय सदस्य जो कुछ कह रहे हैं, लिखा नहीं जायेगा ।

(श्री अखिलेश द्वारा अपना स्थान ग्रहण कर लेने के बाद)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

यह नियम 300 का है । इन्होंने कहा कि सदन का समय नष्ट हुआ । इस प्रकार की बात संसदीय कार्य मंत्री जी को नहीं कहनी चाहिए । जो माननीय सदस्य लिखकर सूचनायें देते हैं, काफी मेहनत करते हैं । संसदीय कार्य मंत्री जैसा आचरण यह कभी करते ही नहीं हैं । आपसे प्रार्थना है कि इनको सुधार दें । इन्होंने नियम 45 को पढ़ने के लिए कहा, इसी के तहत तो नियम 300 में दिया । कहा गया कि जो प्रश्न होंगे नियम 26 के तहत होंगे । श्री अखिलेश जी ने जो प्रश्न किया, नियम 26 की अपेक्षाओं को पूरा करता था । कौन से प्रश्न नहीं पूछे जायेंगे यह नियम 28 में दिया हुआ है । नियम 28(15) को भी पढ़ा । उसमें है कि किन परिस्थितियों में प्रश्न नहीं पूछे जायेंगे । मंत्रि-परिषद् के निर्णय के बारे में हो तो नहीं पूछा जायेगा लेकिन हमारा प्रश्न ऐसा नहीं था । दूसरा है कि जो विधि अधिकारी होगा अगर राज्यपाल को अपनी सलाह दी होगी तो उस पर प्रश्न नहीं पूछा जायेगा । तत्कालीन खाद्य सचिव, मुख्य सचिव जिन्होंने टिप्पणी लिखी थी, वे कोई विधि अधिकारी नहीं हैं और न राज्यपाल को उन्होंने कोई

---

नोटः-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

सलाह ही दी है । इसलिए मैंने स्पष्ट आग्रह किया था कि श्री अखिलेश जी का प्रश्न नियम 26 की शर्तों को पूरा करता है और नियम 28 की परिधि में नहीं आता है । जो प्रश्न विभाग ने निरस्त किया है, यह प्रक्रिया वर्तमान में संचालित रही है हम लोग प्रश्न अनुभाग में अपना प्रश्न दे देते हैं और वह उसका परीक्षण करके यह लिख देते हैं कि प्रश्न पूछने लायक है या नहीं । बाद में "स्वीकृत" या "अस्वीकृत" की सूचना भी हमें मिल जाती है ।

आपके अधिकारों का इन्होंने हनन करवाया है । हम सदस्य किसी चीज को सही मानकर आरोप लगाते हैं तो कहते हैं कि इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाय । इससे पहले की आप कार्यवाही देख लीजिए, मंत्रियों पर खुले आरोप लगाये गये हैं । अगर सरकार चिंतित होती है कि मंत्री पर आरोप न लगे तो मंत्री या अधिकारियों को चरित्र का पक्का होना चाहिए, मंत्री वे हों जो जनता की सेवा करने में लीन रहें । अगर नहीं होता ऐसा तो फिर दूसरा रास्ता क्या हो सकता है ? मान्यवर, आप इसकी जांच करायें उससे ही स्पष्ट हो जायेगा कि मंत्री या कोई अधिकारी भ्रष्ट नहीं है । पत्रावली को सदन के पटल पर रखा जाना चाहिए ताकि सारी बातों की स्थिति साफ हो सके । फिर जो आप कहेंगे आपका निर्णय शिरोधार्य है माननीय संसदीय कार्य मंत्री तो मामले को उलझाकर बात को समाप्त करना चाहते हैं । अगर ऐसा होता रहेगा तो फिर प्रदेश में भ्रष्टाचार के लिए कोई डरेगा नहीं ।

श्री अध्यक्ष–

विधान सभा सचिवालय में जो भी प्रश्न करते हैं उसके लिए एक अनुभाग है, प्रश्नों का परीक्षण अनुभाग स्तर पर पहले होता है और नियमों की पृष्ठभूमि में उनका परीक्षण होता है और तब उसके बाद संयुक्त सचिव के स्तर पर जाकर अन्तिम परीक्षण होता है उसमें देखा जाता है कि प्रश्न कौन सा ग्राह्य लायक है कौन सा नहीं, कहीं कोई नियम में बाधित तो नहीं है, फिर उसके बाद उपाध्यक्ष या अध्यक्ष के पास प्रश्न की स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है । प्रश्न की ग्राह्यता पर उपाध्यक्ष या अध्यक्ष का विनिश्चिय होता है । उसको चुनौती वैसे नहीं दी जाती लेकिन अगर कोई बात होती है तो आकर उस समस्या का निस्तारण कर लिया जाता है ।

यह प्रश्न माननीय सदस्य ने इस सूचना के साथ लगाया मैंने इसका भी अवलोकन किया । इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो नियम 28 के उप नियम 15 से बाधित हैं । मैं उप नियम 15 का उल्लेख करना चाहूंगा । उसमें ऐसे विषयों के संबंध में सूचना नहीं मांगी जायेगी जो गोपनीय प्रकृति के हों । तो आशय इससे स्पष्ट हो गया जैसे मंत्रि-परिषद् का विनिश्चय आदि-यह उदाहरणात्मक है । प्रश्न के संबंध में जो अन्त में बात लिखी है इसमें विभाग की आख्याओं का उल्लेख किया है और उन आख्याओं को सदन के पटल पर रखने का अनुरोध किया है । तो आख्यायें गोपनीय होती हैं । सभी आख्या सदन के पटल पर नहीं आ सकती हैं वह प्रशासनिक आख्यायें हैं । मैं आपको यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि शासन की ओर से प्रश्नों को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए कम से कम जब से यह नयी विधान सभा गठित हुई है कोई दबाव नहीं पड़ा है । अगर पड़े होते तो यह जो शासन के विरुद्ध कितने कठिनाई से भरे प्रश्न आते हैं यह सदन में न आते । शासन के मंत्रियों को जो अनुपूरक प्रश्नों के कारण कभी-कभी कठिनाई हो जाती है वह न होती । जो आपकी धारणा है भ्रम है उसको दूर करें । हमारे यहां निष्पक्ष भाव से प्रश्नों का परीक्षण होता है और उसमें नियमों की पृष्ठभूमि को स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है । मेरी ऐसी व्यवस्था है ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, एक मिनट, आपकी बात शिरोधार्य है, आपने गोपनीय शब्द लगा दिया, मान्यवर, मंत्री की फाइल गोपनीय नहीं होती है वह कितने स्तरों से गुजरकर मंत्री के पास पहुंचती है कितने सचिव और स्टाफ के लोग उसको देखते हैं पढ़ते हैं। मंत्रि-परिषद् का जो निर्णय होता है वह गोपनीय होता है इसको मैं मानता हूं। मंत्री की फाइल जो होती है वह विभिन्न क्रमों से होकर वहां पहुंचती है वह गोपनीय नहीं रहती है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

गोपनीयता की बात उसी दृष्टि से नहीं हो रही है, जो आपने आख्याओं की बात कही है जो प्रशासनिक आख्यायें हैं उनको मैं कह रहा हूं।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मंत्री की फाइल गोपनीय नहीं होती है मंत्रि-परिषद् का निर्णय गोपनीय होता है। मान्यवर, आपकी स्थिति तो भीष्म पितामह जैसी है, आपको भी निर्णय लेने में कभी-कभी कठिनाई होती है।

श्री अध्यक्ष–

भीष्म पितामह को भी बाणों की बौछार कभी-कभी बर्दाश्त करनी पड़ती है। मेरे विचार से यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है लेकिन यदि माननीय सदस्य की जिज्ञासा बनी है तो इस जिज्ञासा के निस्तारण हेतु वह मेरे कक्ष में आ जायें मैं उसका निस्तारण कर दूंगा।

(व्यवधान)

मैंने चौधरी जी की सूचना को इसलिए लिया था ताकि हम लोग उनके विचार सुन सकें, उससे लाभान्वित हो सकें। इससे हमें और माननीय सदस्यों को भी नियमों के बारे में काफी जानकारी हुई है। अब मैं मद संख्या–5 ले रहा हूं।

**जनपद आजमगढ़ की सगड़ी तहसील में महुला गढ़वाल बांध को चौड़ा करके सड़क बनवाने के संबंध में याचिका**

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से आजमगढ़ जनपद के सगड़ी तहसील में महुला गढ़वाल बांध को चौड़ा एवं लेपन करके 40 कि०मी० लम्बी पक्की सड़क बनवाने में राम निहोर, प्रधान, ग्राम सभा, भदौरा मकरन्द, आजमगढ़ आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–5 में कुछ नहीं है, इसलिए मद संख्या–6 ले रहा हूं।

## कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 7 अप्रैल, 1992 की बैठक में सदन के दिनांक 8 अप्रैल, 1992 से दिनांक 13 मई, 1992 तक के उपवेशनों के कार्यक्रमों के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :–

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना जाता है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 7 अप्रैल, 1992 की बैठक में सदन के दिनांक 8 अप्रैल, 1992 से दिनांक 13 मई, 1992 तक के उपवेशनों के कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :–

1–दिनांक 8 अप्रैल, 1992 के लिए खेल, पर्यटन एवं सांस्कृतिक कार्य विभागों के अन्तर्गत निर्धारित अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान को दिनांक 20 अप्रैल, 1992 के लिए निर्धारित नगर विकास की अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान के पश्चात् रखा जाय ।

2–दिनांक 29 तथा 30 अप्रैल, 1992 और दिनांक 1 व 4 मई, 1992 को सदन की बैठकें न रखी जायं और दिनांक 29 अप्रैल, 1992 के लिए निर्धारित कार्य दिनांक 5 मई, 1992 को, दिनांक 30 अप्रैल, 1992 के लिए निर्धारित कार्य दिनांक 6 मई, 1992 को, दिनांक 1 व 4 मई, 1992 के लिए निर्धारित कार्य दिनांक 7 व 8 मई, 1992 को तथा दिनांक 5 मई, 1992 के लिए निर्धारित कार्य दिनांक 11 मई, 1992 को रखा जाय ।

3–दिनांक 6 व 7 मई, 1992 के लिए निर्धारित असरकारी दिनांक 12 व 13 मई, 1992 के असरकारी दिवसों में रखा जाय ।

4–सदन का दिनांक 8 अप्रैल, 1992 से 13 मई, 1992 तक के तिथिवार कार्यक्रम को निम्नलिखित संशोधित रूप में निर्धारित किया जाय :–

<u>अप्रैल, 1992</u>

8 बुधवार 1–निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :–

(क) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1992 –आधा घण्टा ।

(ख) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1992–आधा घण्टा ।

---

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

2–वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

9 गुरुवार
10 शुक्रवार
वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

11 शनिवार
12 रविवार
बैठक नहीं होगी ।

13 सोमवार
14 मंगलवार
15 बुधवार
(डा० अम्बेदकर का जन्म दिवस का अवकाश)

16 गुरुवार
17 शुक्रवार
(महावीर जयन्ती का अवकाश)

18 शनिवार
(गुड फ्राइडे का अवकाश)

19 रविवार
20 सोमवार
21 मंगलवार
22 बुधवार
23 गुरुवार
24 शुक्रवार
वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

25 शनिवार
26 रविवार
बैठक नहीं होगी ।

27 सोमवार
28 मंगलवार
वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

29 बुधवार
30 गुरुवार

<u>मई, 1992</u>

1 शुक्रवार
2 शनिवार
3 रविवार
4 सोमवार
बैठक नहीं होगी ।

5 मंगलवार
6 बुधवार
7 गुरुवार
8 शुक्रवार — वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

9 शनिवार
10 रविवार — बैठक नहीं होगी ।

11 सोमवार — 1–वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

2 4.00 बजे अपराह्न

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1992 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

12 मंगलवार
13 बुधवार — असरकारी दिवस । ]

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश के संबंध में जो सूचना श्री अध्यक्ष ने सदन में दी है, से सदन सहमत है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश के संबंध में संसदीय कार्य मंत्री ने रखा है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**नियम 311 की सूचनाओं को समेकित रूप से कार्य-स्थगन प्रस्ताव के अन्तर्गत लिया जाना**

श्री अध्यक्ष–

मैंने आज नियम-311 की सभी सूचनाओं को निरस्त कर दिया है और यह व्यवस्था दी है कि उसे नियम-56 के अन्तर्गत निस्तारित किया जाये ।

श्री अकबर–

मान्यवर, मैंने एक विशेषाधिकार अवहेलना की सूचना दी थी ।

श्री अध्यक्ष–

वह सूचना प्राप्त हो गयी है उसका विभागीय परीक्षण हो जाने दीजिए । अभी तक जितनी भी विशेषाधिकार अवहेलना की सूचना प्राप्त होती हैं पहले उनका गोपनीय परीक्षण होता है । मैंने आज नियम-311 की सूचनाओं को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया है । इस प्रकार से नियम-56 के अन्तर्गत कुल 20 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें से निदेश संख्या-15 के अनुसार निम्नलिखित 9 सूचनायें चयनित की गयीं । इसमें पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी, श्री बेनी प्रसाद वर्मा, श्री हृदय नारायण दीक्षित व श्री नरेश अग्रवाल की राजधानी से प्रकाशित होने वाले सायंकालीन समाचार-पत्र "प्रतिदिन" के कार्यालय को सील किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ।

---

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, यह सरकार जब से आई है,

(विरोध पक्ष के अनेक सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर-व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

नियम-311 की सभी सूचनाओं को नियम-56 की प्रक्रिया के अनुसार ले लिया गया है । पहली पांच सूचनाओं को मैं ग्राह्यता के लिए सुनूंगा । इसमें पहली श्री प्रमोद तिवारी, श्री बेनी प्रसाद वर्मा, श्री हृदय नारायण, श्री नरेश अग्रवाल की, दूसरी श्री हरिवंश सहाय, श्री स्वामी नाथ यादव की, तीसरी श्री श्रीराम की, चौथी श्री राम लखन वर्मा, श्री यदुनाथ सिंह की और पांचवीं श्री नरेश अग्रवाल की है । यह 5 सूचनायें शलाका के आधार पर ग्राह्यता के लिए सुनी जायेंगी ।

(पुनः विरोध पक्ष के अनेक सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर-व्यवधान)

श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

मान्यवर, हाई कोर्ट की बेन्च का मामला है ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, गत सप्ताह नियम-311 में एक सूचना दी थी ।

श्री अध्यक्ष–

वह क्रम संख्या-8 पर है, उसमें मैं शासन का ध्यान आकृष्ट कर दूंगा ।

श्री शिव कुमार बेरिया–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री सोमांश प्रकाश–

मान्यवर, बहुत गम्भीर मामला है, सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शान्त रहें, प्रमोद जी को अपनी बात कहने दें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं एक अत्यन्त गम्भीर विषय की ओर आपका और आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, पिछले 10 महीनों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कार्य प्रणाली पर नजर डालें तो पायेंगे कि बहुत ही सुनियोजित ढंग से यह सरकार लोकतंत्र के स्तम्भों को समाप्त करने पर तुली है । पहले विधायिका पर हमला हुआ, उसके बाद न्यायपालिका का अपमान हुआ, अधिवक्तागण हड़ताल पर गये, न्यायिक कार्य ठप्प रहा, उसके बाद कार्यपालिका पर अनावश्यक हस्तक्षेप किया गया और अब एक सोची समझी साजिश के तहत यह हो रहा है कि किस तरह से निष्पक्ष लेखनी की जुबान को बन्द कर दिया जाय, जिसने देश को आजादी दिलाने के लिए प्राणपण से योगदान दिया था । मान्यवर, मैं बड़े दुःख के साथ तथ्य रख रहा हूं । यह सरकार जिसे आलोचना सुनने की आदत नहीं है, इसमें वह तत्व हैं, जो किसी तानाशाह में होते हैं और तानाशाह आलोचना नहीं सहता, यह

सरकार भी आलोचना को बर्दाश्त नहीं करती । आलोचना के स्वर जहां कहीं से मुखर होते हैं, उसे दबाने का प्रयास किया जाता है । आज उन पत्रकारों, फोटोग्राफरों पर, जो इनकी प्रशंसा के गीत नहीं गाते हैं, हमला कराया जा रहा है और उन्हें सुनियोजित तरीके से समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है ।

मान्यवर, आज जो तथ्य मैं रखना चाहता हूं, उससे पहले इटावा का प्रकरण आ चुका है, दैनिक जागरण के पत्रकारों पर हमले का प्रकरण आ चुका हैं । अब लखनऊ के सान्ध्य समाचार का मामला आपके सामने रख रहा हूं, यह बहुत महत्वपूर्ण अखबार है और निष्पक्ष अखबार है, चूंकि इन्होंने निष्पक्षता बरती और निष्पक्षता भारतीय जनता पार्टी के किसी कोड आफ कन्डक्ट में आती नहीं है, इसलिए पहले उनको धमकियां दी गयीं, अधिकारियों से कहलवाया गया, उसके बावजूद भी जब उनकी निष्पक्षता की लेखनी जारी रही, तो ऐसा कार्य किया गया, जिसको जानने के बाद स्वयं संसदीय कार्य मंत्री को दुख होगा कि उस सरकार के तहत यह कार्य किया गया है । मैं आपका ध्यान 20 अगस्त, 1988 के उस शासनादेश की ओर ले जाना चाहूंगा, जिसके तहत यह निर्णय लिया गया था कि जो 10 लाख का कर्जा निष्पक्ष "प्रतिदिन" को दिया जा रहा है, इसकी वसूली विज्ञापनों के माध्यम से जो आय होगी, उसका आधा कर्जा अदायगी के रूप में रखा जायगा और आधे से उस समाचार पत्र को कार्य करने के लिए दिया जायेगा ।

(इस समय 1 बजकर 45 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

मान्यवर, यह तभी सम्भव है, जब एक एग्रीमेंट हो जाता है । शासनादेश भी आपने निर्गत किया । उसके बाद एक समझौता भी हो गया । जो एग्रीमेंट हुआ, उसमें दोनों पक्ष-सरकार और उस निष्पक्ष "प्रज्ञिदिन" के प्रतिनिधि की सहमति थी । एग्रीमेंट में यह कहा गया था कि विज्ञापनों के जरिये जो पैसा आयेगा, उसका आधा कर्ज के रूप में अदा किया जायेगा और शेष जो बचेगा, उससे यह समाचार पत्र छपता रहेगा । इन सबके बावजूद सरकार ने इसे बन्द करने का प्रयास किया । इसके विरोध में वह न्यायालय में भी गये । न्यायालय के समक्ष उन्होंने सम्पूर्ण तथ्यों को रखा । न्यायालय ने उन पर विचार करने के बाद एक आदेश निर्गत कर दिया । उसको मैं हिन्दी में बता देता हूं । उसमें न्यायालय ने कहा कि आपके द्वारा उसे कार्य करने से नहीं रोका जायेगा । जो पैसा आपका बकाया है, अगर उसकी वसूली करना चाहते हैं तो जो विज्ञापन दिये जायं और उन विज्ञापनों से जो राशि मिले, उसका आधा आप जमा करा लेंगे और शेष आधे से प्रेस का कार्य होगा । मैंने सारी चीजें आपके समक्ष रख दी हैं ।...

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

जो जजमेंट हुआ है, उसे आप पढ़ दें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

ठीक है, मान्यवर, मैं उसे पढ़ देता हूं ।

"लर्नेड चीफ स्टैन्डिंग कौंसिल प्रेज फार एण्ड इज ग्रान्टेड ए वीकस टाइम टू फाइल ए काउन्टर एफैडेविट । दि पेटशिनर मे फाइल रिज्वाइन्डर अफैडेविट विदिन ए वीक देयर आफ्टर । लिस्ट दिस पेटीशन इन दी वीक कमेन्सिंग आन एट्टीन्थ फरवरी, 1991 । टिल दि नेक्सट डेट आफ लिसनिंग दि रिकवरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट दि पेटीशनर इन परसुएन्स आफ रिकवरी सर्टीफिकेट, कन्टेन्ड इन अनेक्जर 7 शैल रिमेन स्टैंड । हाउएवर दि अपोजिट पार्टी शैल हैव दि राइट टू रिकवर दि एमाउन्ट आफ लोन फ्राम दि एडवरटाइजमेंट बिल" । विज्ञापन का आधा पैसा आप लेंगे और शेष आधे से उस पत्र की छपाई का

कार्य होगा । ताकि वह समाचार-पत्र चलता रहे । शासनादेश भी आपका है, इकरारनामा भी आपका है और न्यायालय ने जो आदेश दिया है, वह भी आपके विचाराधीन है । परन्तु मान्यवर, दिसम्बर से उस समाचार-पत्र को विज्ञापन देने बन्द कर दिये गये । जब विज्ञापन देने बन्द कर दिये गये तो निश्चित रूप से बकाये की वसूली नहीं हो पायी । मेरे ख्याल से तो आपको निर्देश देना चाहिए कि इस सरकार के खिलाफ कुर्की का वारण्ट दे दिया जाना चाहिए । 4 लाख 60 हजार रुपये के विज्ञापन के पैसे को पूरा का पूरा इस सरकार ने ले लिया । जबकि होना यह चाहिए था कि आधा ये लेते और आधा अखबार का होता । जनवरी से विज्ञापन बन्द कर दिया, फरवरी और मार्च में विज्ञापन नहीं दिया । उसके बाद मान्यवर, 21 मार्च को इस सरकार ने एक शर्मनाक कार्य और किया । शायद उसे सुनकर श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी का सिर शर्म से झुक जायेगा । मैं आज उनकी न्यायप्रियता को चुनौती देना चाहता हूं । वह आप देख लें आपका ही शासनादेश है, आपका ही इकरारनामा हैं और उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश है उसके बावजूद इस तानाशाही सरकार ने 21 मार्च, 92 को बहुत ही शर्मनाक ढंग से आतंक का रवैया अपना कर समाचार-पत्र की निष्पक्षता को प्रभावित करने के लिए जबरदस्ती उसके कार्यालय के एक अंश को सील कर दिया । इस तरह से न्यायालय की अवहेलना हुई है और आपके द्वारा किये गये इकरारनामे की अवहेलना की है । आपने जो शासनादेश किया था उसका उल्लंघन हुआ है । तो इससे अधिक सामयिक, इससे अधिक जनहित की बात और क्या हो सकती है ? इसलिए इस पर चर्चा करायें । अगर कोई सरकार की कार्यपद्धति के खिलाफ आवाज उठायेगा उसको छापने नहीं देगी । कानपुर में फोटो खीचने पर दैनिक जागरण के छायाकार का हाथ तोड़ दिया ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मैं समाप्त कर रहा हूं, लेकिन आप भी इस सरकार को निर्देशित करें कि 4 लाख 60 हजार रुपये जो लम्बित है उसका 2 लाख 30 हजार माफी मांग कर उस प्रतिदिन को वापस करें । दूसरा जो उसका कार्यालय सील कर लिया है न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद कार्य किया है, अपने इकरारनामे के विरुद्ध कार्य किया है । इसलिए मैं चाहता हूं कि सारी कार्यवाही रोक कर चर्चा करायें ।

* श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, माननीय नेता कांग्रेस पार्टी ने जिस विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया है वास्तव में यह अनावश्यकरूप से पत्रकारिता पर सरकार का एक तरह से हमला है । यह और भी गम्भीर हो जाता है जब न्यायालय से कोई राहत मिली हो उसका भी सरकार अनुपालन न करे । जब से यह सरकार आई है, प्रमोद तिवारी जी ने ठीक ही कहा यह बदले की भावना से कार्य कर रही है । जो इनकी हां में हां मिलाये चाहे वह नियम की बात हो चाहे कानून की बात हो उसको हर तरह से प्रताड़ित करने का रवैया इन्होंने बनाया है ।

प्रतिदिन जो लखनऊ शहर का सान्ध्य दैनिक है इसके संबंध में 1-12-91 को विज्ञापन बन्द कर दिये वह इसलिए किया कि वह इनकी चापलूसी नहीं करता था । प्रतिदिन अखबार जो सरकार की आलोचना में सबसे आगे रहता है, हमारी सरकार का भी सबसे बड़ा आलोचक था तो यह किसी की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आलोचना को बरदास्त नहीं करते । लोकतंत्र की यह पहली परख है कि आलोचना को बदले की भावना में न रखें । यह सरकार बदले की भावना से कार्य कर रही है । पहले उसके विज्ञापन बन्द किये उससे सन्तोष नहीं हुआ और उसको दबा नहीं पाये तो उनके कार्यालय को सील कर दिया । उसके लिए कोर्ट से आदेश है कि विज्ञापन से अदा किया जायेगा तो उसे बन्द कर दिया इस तरह से कोर्ट की अवमानना भी यह कर रहे हैं । इस प्रकार निष्पक्ष पत्रकारिता पर हमला यह कर रहे हैं । यह सरकार बदले की भावना से कार्य कर रही है राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर आये दिन हमला तो हो ही रहा है अब पत्रकार और पत्रकारिता पर भी बदले की भावना से हमला हो रहा है । माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की सरकार बदले की भावना से काम कर रही है । इस तरह से प्रतिशोध की भावना से काम करना हम लोगों के लिए घातक है । आप भी उनकी पसंद का काम नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे । हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ तो कर ही रहे हैं । ....

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी संक्षिप्त कर दें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, बिल्कुल संक्षिप्त तो है ही । इसमें विस्तार से नहीं है । अगर आप थोड़ी हिम्मत कर लें तो हम लोगों को बल मिल जायेगा । इनके कानों में तो सीसा डाल दिया गया है । गुप्ता जी, आप स्वयं जानते होंगे कि न्यायालय के आदेशों की अवहेलना हुई है । कार्यालय को जबरदस्ती सील कर दिया है । सरकार की आलोचना करने में यह "प्रतिदिन" सबसे आगे रहा है । लोकतंत्र में पत्रकारिता पर हमला नहीं किया जाता है, उन पर दबाव नहीं डाला जाता है, उनको जो सुविधाएं मिली हैं, उन पर प्रहार नहीं किया जाता है । जो कोर्ट का आदेश है, उसका अनुपालन नहीं किया गया है । मैं आपके माध्यम से माननीय गुप्ता जी से आश्वासन चाहूंगा कि न्यायालय के आदेशों के अनुरूप कार्यवाही आज ही शुरू करेंगे ? कार्यालय को सील किया गया है उसको समाप्त कर देंगे ? अगर सरकार अपने रवैये पर अड़ी रहती है तो आपसे अनुरोध है कि सरकार को स्पष्ट निर्देश दें ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, जो विषय माननीय प्रमोद तिवारी जी और माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी ने उठाया है, वह बहुत गम्भीर विषय है । जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्तासीन हुई है तब से पत्रकार बहुत असुरक्षित हैं । कानपुर के एक पत्रकार के ऊपर हमला हुआ था । बगैर स्वतंत्र प्रेस के लोकतंत्र नहीं चलता है इसलिये श्रीमन्, हम लोग तो तर्क-वितर्क करते हैं , कुछ गल्तियां भी करते हैं । वह सब आदरणीय जनता तक यथारूप में पहुंचाने का कार्य पत्रकार करते हैं । और यह कार्य यह हमारे ऊपर कृपा करके करते हैं कि हमारी खामियों को, हमारी अच्छाइयों को, उन लोगों तक पहुंचाते हैं जिन लोगों ने हमें चुनकर यहां भेजा है । समाचार पत्रों की अपनी एक शैली है विचार व्यक्त करने की ।....

श्री सुरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है, कोरम ही पूरा नहीं है कार्यवाही कैसे चलेगी ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न बीच में नहीं उठाना चाहिए जब मैं बोल रहा हूं । श्रीमन्, मैं अनुरोध कर रहा था कि जब हम लोगों की सरकार थी प्रदेश में तब भी समाचार पत्रों की यही ध्वनि थी ।

समाचार पत्र अपने ढंग से सरकार की खामियां उजागर करते थे । जब यह लोग आये और जैसा माननीय प्रमोद तिवारी जी ने शासनादेश का हवाला दिया, जिस माननीय न्यायालय के आदेश का उल्लेख किया, उससे आप अवगत हैं । मान्यवर, जब सरकार ने माननीय न्यायालय की बात नहीं मानी, न्यायालय के आदेश की अवमामना हुई, अपने शासनादेश को नहीं माना, अपने समझौते को नहीं माना, तब यह विषय आदरणीय सदन में हम लोगों ने मजबूर होकर उठाया है । जिस ढंग से वसूली होनी चाहिए । आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े-बड़े लोगों पर करोड़ों रुपये बकाया है । जब वसूली के लिये लोग जाते हैं तो हाल-चाल पूछते हैं, चाय पीकर चले जाते हैं । अखबार पर बहुत थोड़ा सा बकाया है । उसकी वसूली के लिये जायं तो अखबार का कार्यालय सील कर दें, अपमान करें, बेइज्जती करें । वसूली के संबंध में कोई तो तरीका होना चाहिए था । मैं आपसे चाहूंगा कि आप सरकार को निर्देशित करें । जब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जवाब देने के लिये खड़े हों तो बहुत भाव वाचक न बोलें । प्रतिदिन कार्यालय जो सील हुआ, वहां उन लोगों के साथ जो अत्याचार किया गया उसके लिये क्षमा मांगते हुए कार्यालय खुलवा दें एक बात । दूसरी वसूली की प्रक्रिया, जो इकरार नामे, शासनादेश में है उसका ठीक से पालन करें ।

श्री उपाध्यक्ष–

अभी एक माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उटाया था कि कोरम पूरा नहीं है । कोरम पूरा है, कार्यवाही चलती रहेगी ।

श्री नरेश अग्रवाल–

श्रीमन्, यह बहुत ही लोकमहत्व का विषय है इसके लोकमहत्व पर नेता सजपा, हृदय नारायण दीक्षित जी ने अपनी बात कही । जब से सरकार बनी है अपने कुकृत्यों को छिपाने के लिए एक तानाशाही रवैया अपना रखा है । आज समाज में पत्र और पत्रकारिता पर जनता का इतना विश्वास हो गया है कि जब समाचार कोई समाचार-पत्र लिखता है तो उसे जनता सत्य समझती है । सरकार ने एक कुकृत्य किया कि कैसे समाचार पत्रों की लेखनी को, समाचार पत्रों की ज्यादती को रोकें । सीतापुर, लखनऊ से समाचार पत्र निकलता है हो सकता है कि मंत्री जी कुछ छपवाना चाहते हों और उन्होंने न छापा हो नवभारत टाइम्स ने मंत्री जी के बारे में छापा । 'स्वतंत्र भारत' ने बस्ती में मकान पर मंत्री ने कब्जा कर लिया छापा, तो दोनों में ही धमकी दी गई । अब इन्होंने दूसरा अस्त्र अपनाया है कि अखबारों को विज्ञापन देना बन्द कर दिया है । मैं श्रीमन्, इसलिए कह रहा हूं कि 1-12-91 को विज्ञापन बन्द कर दिए । 26 जनवरी गणतन्त्र दिवस राष्ट्रीय पर्व पर विज्ञापन नहीं दिया गया । जबकि प्रदेश के सभी समाचार पत्रों को दिया गया । दिनांक 1-12-91 से पहले सूचना निदेशालय से जितने प्रदेश में विज्ञापन दिए उसमें कितने अखबारों को विज्ञापन मिले ? मान्यवर, लोकतन्त्र का चौथा खम्भा पत्रकारिता है उस पर नाजायज दबाव डाला जाएगा तो लोकतन्त्र इस प्रदेश में नहीं रह जाएगा ।

चूंकि यह बात सत्य है और सब चीज लिखा-पढ़ी में है उच्च न्यायालय के आदेश हैं सरकार का जी० ओ० है 21 तारीख को सरकार ने कार्यालय सील किया कुर्की आदेश दे दिए गये, यह सब सरकार के दबाव में कुकृत्य हुआ है । मेरा आपसे निवेदन है आप देखें कि आदेशों को नहीं माना गया है । मैं समझता हूं कि आप इन चीजों को उठाते थे और आप इसको गम्भीरता से लेंगे । आपके पिछले कार्यों को देखते हुए मुझे विश्वास है कि संसदीय कार्य मंत्री को आप आदेश देंगे कि जो कुर्की के आदेश दिए उसके अलावा ऐग्रीमेंट के हिसाब से 50 प्रतिशत धनराशि सरकार को लेनी थी 50 प्रतिशत अखबार के स्वामी को वापस करनी है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री नरेश अग्रवाल–

तो उसको वापस करने के लिए सरकार को निर्देश देंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

प्रतिदिन अखबार जो है इसके प्रमुख कर्ता-धर्ता जगदीश शुक्ला हैं । हमारा या सरकार का कोई बैर नहीं है 25 साल से इनसे अच्छे खासे संबंध हैं । सम्भवतः जिन माननीय सदस्यों ने विषय प्रस्तुत किया है उनकी इतनी जान-पहचान न हो, लेकिन कभी-कभी ऐसे प्रकरण आते हैं, ऐसे अवसर आते हैं कि भावनाओं से ऊंचे कर्तव्य हो जाते हैं तो ऐसे कठोर कदम उठाने पड़ते हैं । प्रतिदिन अखबार का मामला है माननीय तिवारी जी ने कहा कि तथ्यों से सदन को अवगत कराने का प्रयास करेंगे ?

मान्यवर, जैसा कि तिवारी जी ने कहा इस समाचार पत्र को 10 लाख रुपये का ऋण दिया गया था । मान्यवर, यह सही है कि शासन की नीति है कि जो छोटे और मझोले अखबार हैं उनको विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया जाय । पुरानी सरकार ने इसको 10 लाख रुपये का ऋण दिया था, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन ऋण की कुछ शर्तें होती हैं । इनको जो ऋण दिया गया था उसमें शर्त यह थी कि "वर्णित धनराशि प्रिंटिंग मशीन, फोटो कम्पोजिंग सिस्टम तथा इससे संबंधित व्यय के लिये दी जायेगी ।" समस्त धनराशि की वसूली 18 प्रतिशत ब्याज सहित 8 वर्षों में की जानी थी । मान्यवर, मुझे दुख होता है कि बार-बार अनुस्मारक पत्र भेजे कि वह उपभोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें तथा निर्धारित किश्तों पर उसका भुगतान करें । दिनांक 28 दिसम्बर, 1991 को भेजे गये पत्र में पिछले पत्रों का हवाला देते हुये यह स्पष्ट किया गया कि अनेकों अनुस्मारक भेजे जाने के उपरान्त भी उपभोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, उपभोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है अगर किसी अधिकारी ने नहीं प्रस्तुत किया है तो वह उसकी भूल है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

इसको दिखवा लेंगे । ऐसी स्थिति में मान्यवर, सरकार के पास और कोई चारा नहीं था सिवाय पैसा वापस लेने के । मान्यवर, न्यायालय की बात कही गयी जजमेंट की कापी मेरे पास है उसमें लिखा है :–

वन वीक टाइम एलाउड फार फिलिंग सी०/ए० वन वीक देयर आफटर आर/ए लिसेन दि वीक कम्मेन्सिंग 18-2-91 टिल दि नेक्स्ट डेट आफ लिसिंग रिकवरी इन परसुएन्स आफ अनेक्सर 7 शैल रिमेन स्टैंड ।

मान्यवर, देखना होगा कि एनेक्सर–7 में क्या है । एनेक्सर–7 में यह है कि एक नोटिस दी गयी थी जिसमें कहा गया था कि आप 2 लाख 14 हजार 600 रुपये को जमा कर दें । तो यह आर्डर स्टे हो गया । इससे हम सहमत हैं हमने इस संबंध में कोई रिकवरी सर्टीफिकेट ईशू नहीं किया । 22-2-90 को प्रथम किश्त 3,30,000 देय थी, द्वितीय किश्त तथा ब्याज कुल रु० 1,44,600 दिनांक 22-8-90 को देय थी । इन किश्तों को वसूल करने की कोई न्यायिक बंदिश नहीं थी । हमने विधि परामर्शी से राय भी ली है । मान्यवर, अंग्रेजी की–4 लाइनों को मैं और पढ़ना चाहता हूं :–

दि रिकवरी प्रोसीडिंग्स अगेन्स्ट दि पेटीशनर इन परसुएन्स आफ रिकवरी सर्टीफिकेट कन्टेन्स एनेक्सर हैज बीन स्टैंड बाई दि हाई कोर्ट इन रिट पेटीशन नं० 417 आफ 1991 (एम/बी) ।

रिकवरी सर्टीफिकेट इस आब्जेक्शन के अगेंस्ट जिसका उल्लेख एनेक्सर-7 में किया गया है, 417/1991 के जरिये स्टे कर दिया गया ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, 4 लाख 60 हजार रुपया आपके पास जमा है, जो आपका बकाया है, उसमें से आप ले क्यों नहीं लेते हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मेरी बात सुन लें तो शायद आपको समाधान हो जाता ।

"इट इज ओपेन फार कलेक्टर लखनऊ टु रिकवर एनी फरदर एमाउन्ट बट नाट दैट रिकवरी आफ विच हैज बीन स्टैंड वाइड इन्ट्रीम आर्डर डेटेड 1-2-91" यानी 1-2-91 के रिकवरी आर्डर को छोड़कर बाकी किश्तें लेने का हक था, उसके लिये आदेश जारी किये थे । रिकवरी सर्टीफिकेट के अगेन्स्ट यह कुर्की की है । माननीय तिवारी जी ने 2-3 बातें उठायीं । कुछ रुपयों के बारे में विवाद है, उसके लिये माननीय तिवारी जी और हम मिल लेंगे और हिसाब में कोई बात है और अधिकारियों ने कोई बात की है तो उसको देख लेंगे, लेकिन जो आरोप लगाया गया कि विज्ञापन बन्द कर दिये, तो हम भी प्रतिदिन अखबार पढ़ते हैं, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है । हम लोग राजनीति में काम करते हैं । हमारे आपके मन में जो आप स्वयं देख लें, हमारे मन में 'प्रतिदिन' अखबार से कोई शिकायत नहीं है । मैं स्वयं प्रकाशक रहा हूं । मैंने स्वयं देखा, आपने भी देखा होगा कि सरकारी विज्ञापन प्रतिदिन में छपते हैं, इसलिये बदले की भावना से प्रतिदिन के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

श्री प्रमोद तिवारी–

आप मुझे बता दें कि पिछली जनवरी, फरवरी, मार्च और आज अप्रैल में 8 तारीख तक कितने विज्ञापन दिये, जानकारी हो तो दे दें । मैं सूचना मंत्री रहा हूं, 26 जनवरी का दिन निश्चित रूप से ऐसा होता है जबकि हर समाचार पत्र को विज्ञापन दिये जाते हैं । ये इतना कह दें कि विज्ञापन दिये हैं, मैं कोई स्पष्टीकरण नहीं मानूंगा, आपकी बात पर विश्वास कर लूंगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने जिम्मेदारी के साथ कहा कि मैंने इस समाचार पत्र में सरकारी विज्ञापन देखे । यह सूचना कि इस तारीख को विज्ञापन हुआ कि नहीं, इतनी मेरी स्मरण शक्ति नहीं है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

आपकी स्मरण शक्ति नहीं है तो मुझ पर भरोसा करेंगे । मैंने लगातार देखा, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में कोई विज्ञापन नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं विश्वास कर रहा हूं । ये सूचना मंत्री रहे हैं तो इस बात की जानकारी रही होगी कि विज्ञापन देना शासन की नीति का प्रश्न है, किसको क्या विज्ञापन दिया जायगा, यह शासन की नीति का प्रश्न है, इसलिये इसको चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहिये । मान्यवर, अभी माननीय अग्रवाल जी ने एक बात कह दी कि धमकी दी, उसका कोई ताल्लुक नहीं है । यह मैं जगदीश शुक्ला जी पर छोड़ता हूं कि कह दें कि मैंने कोई धमकी दी है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैंने धमकी की बात नहीं कही । मैंने कहा कि धमकी देने का प्रयास किया जा रहा है । मैं गैर जिम्मेदारी वाली बात नहीं कह रहा हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, सीतापुर जनपद की बात आयी तो मैंने अपने को जोड़ लिया ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैंने लखनऊ भी जोड़ा था ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, कभी-कभी कुछ अप्रिय क्षण हो जाते हैं, जब अप्रिय कदम उठाने पड़ते हैं । उस समाचार पत्र के बारे में अप्रिय कदम उठाना आवश्यक था । मैंने भी पत्रकारिता की है । मैं उनका दायित्व जानता हूं । हम समाचार पत्रों को समाचार संकलन में मदद नहीं देंगे तो हम स्वीकार करते हैं कि प्रजातंत्र का भला नहीं होगा । अनेक समाचार पत्र हमारे खिलाफ लिखते हैं, लेकिन कोई ऐक्शन नहीं लिया जाता । मैं इस आरोप का खंडन करता हूं और माननीय तिवारी जी को आश्वासन देता हूं कि अगर रुपया एडजस्ट हो गया है या हिसाब में कोई गलती है तो हम और माननीय तिवारी जी बैठकर देख लेंगे, लेकिन बदले की भावना से कोई कार्य नहीं किया गया है । अप्रिय काम हो सकता है लेकिन वह काम सरकार ने पवित्र कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिये किया है और किसी विधायी परिपाटी का उल्लंघन नहीं किया है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मैंने सिर्फ दो-तीन तथ्य रखे थे, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जरा भी इस स्थिति में भी नहीं हैं कि वह यह बता दें कि दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च में कोई विज्ञापन दिया गया कि नहीं, 26 जनवरी में कोई विज्ञापन दिया गया या नहीं दिया गया । आपने जो आदेश दिया था, उसकी अन्तिम दो लाइन पढ़ लें ।

"हाउइवर दि अपोजिट पार्टी शैल हैव राइट टू रिकवर दि इ्यूज फ्राम दि एडवरटीजमेन्ट ।"

मान्यवर, उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं कि उसके बकाये की वसूली विज्ञापन से करें । आप विज्ञापन दे नहीं रहे हैं, तो वसूली कैसे करेंगे ? यहां तक आपने कह दिया कि शासन की नीति है विज्ञापन देने की, कृपया यह बता दें कि निष्पक्ष "प्रतिदिन" को विज्ञापन किस नीति के तहत नहीं दिया गया ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैंने तो खुद ही कहा है कि मैंने समाचार-पत्र में विज्ञापन देखे हैं, इन-इन तिथियों में ।

श्री प्रमोद तिवारी–

महीनों से नहीं दिया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मुझे जो जानकारी होगी वही तो बताऊंगा । हम और तिवारी बैठकर इस विषय पर बात कर लेंगे ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं सिर्फ इतनी ही तो आग्रह कर रहा हूं कि अगर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आज इस स्थिति में हों, तो बता दें कि 4 महीने में, किस-किस महीने में विज्ञापन दिया गया ? अगर नहीं बता सकते, तो इसकी घोषणा करेंगे कि विज्ञापन देते रहेंगे ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने तो खुद ही कह दिया है कि किसी समाचार-पत्र में विज्ञाषन देना, न देना, कितना देना, कब देना शासन की नीति है, उसी नीति के तहत दैनिक प्रतिदिन निष्पक्ष के बारे में भी कार्यवाही की जायेगी ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, यह तय हो जाय कि माननीय गुप्ता जी ने जो आश्वासन दिया है, मैं उससे सन्तुष्ट हूं, मैं उनके साथ बैठकर बात कर लूंगा । आप सिर्फ इतना ही बता दें, कोई तारीख ही निश्चित कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, अगर तय नहीं होगा, तो चर्चा हो जायगी । मान्यवर, लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ की इस तरह से हत्या हम नहीं होने देंगे । मैं एक अनुरोध कर रहा हूं । उन्होंने कहा कि बैठकर बात कर लेंगे । मैं पूछ रहा हूं कि कब बैठ कर बात कर लेंगे ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आज ही बैठकर बात कर लेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं अगली सूचना ले रहा हूं ।

* श्री हरिवंश सहाय–

मान्यवर, देवरिया जनपद बिहार सीमा से लगभग डेढ़ सौ किलो मीटर पर बसा हुआ है । 800 लाख कुंटल गन्ना इनका पेरा जाने वाला है और अब तक ढाई लाख कुंटल गन्ना पेरा गया है और यह स्थिति हो गयी है कि बार्डर की चीनी मिल वहां 20 रु० कुंटल गन्ना लिया जा रहा है, गन्ने की पर्ची 300 रु० से लेकर 500 रु० प्रति ट्रक बेची जा रही है इसी सिलसिले में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि एक भटनी की चीनी मिल है, उसको भारत सरकार से चीनी विकास निधि से 1989 में 23 लाख रु० मिला था । और जब मुझको जानकारी हुई, तो पता चला कि 23 लाख रुपया जनरल मैनेजर ने निकाल लिया है और वह रुपया किसानों को नहीं दिया गया है । उस समय तत्कालीन गन्ना मंत्री, श्री राम शरण जी को मैंने पत्र लिखा था और उन्होंने उस पर आख्या मांगी थी और जब जांच हुई तो पता चला कि 23 लाख रुपया मिल के अधिकारियों और कर्मचारियों ने हड़प लिया है और

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वह रुपया किसानों को नहीं दिया गया है । मान्यवर, 1991-92 में भी 27 लाख रुपया और दिया गया, इस प्रकार से कुल 50 लाख रुपया दिया गया, लेकिन सारा का सारा रुपया मिल के लोगों ने हड़प लिया, एक भी पैसा किसानों को नहीं दिया गया । यह पैसा इसलिये दिया गया था जिससे किसान अपना नलकूप लगा लें, अपना टायर खरीद सकें, लेकिन यह रुपया किसानों को नहीं दिया गया । मान्यवर, 50 लाख रुपया हड़प लिया गया ।

मैं इसलिये कह रहा हूं कि मैंने सवाल भी किया था, लेकिन सवाल का उत्तर टाल दिया गया फिर चिट्ठी लिखी उसका भी उत्तर नहीं आया । 50 लाख रुपया हड़प लिया गया, यह मेरा निश्चित आरोप है कि 50 लाख रुपया गन्ना विभाग के जो अधिकारी लखनऊ में हैं उनके पास चला गया और किसान इस रुपये से वंचित रह गये । यहां के अधिकारियों ने उसमें हिस्सा लिया और इसी कारण इस मामले में आज तक कार्यवाही नहीं हुई है । मैं माननीय मंत्री जी से मिला था और पूरी स्थिति स्पष्ट की थी और उन्होंने कहा था कि एक सप्ताह में कार्यवाही की जायेगी, लेकिन आज डेढ़ महीना हो गया है, और कोई कार्यवाही नहीं हुई है, इसलिये मेरा निवेदन है कि इस पर आप चर्चा करा दें ।

[ समय 2 बजकर 20 मिनट ]

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि यह गन्ना किसानों का मामला है और इस समय माननीय गन्ना मंत्री जी उपस्थित नहीं हैं । आज ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है कि तमाम गन्ना जला दिया जायेगा । देवरिया जनपद में 14 चीनी मिलें हैं और 700 लाख कुन्तल गन्ना का उत्पादन हुआ है और इसमें केवल 250 लाख कुन्तल ही गन्ना आज तक पेरा जा सका है, जैसा सरकारी आंकड़ा है ।

किसान यह समझ कर कि उसके गन्ने की पिराई नहीं हो सकेगी, उसने बिहार में 20 रुपये प्रति कुन्तल के हिसाब से गन्ना बेचना शुरू कर दिया है । एक दिन अखबारों में बयान निकला था कि 400 लाख कुन्तल गन्ना खेत में जला दिया जायेगा । यह सारे लोग जानते हैं । जो देवरिया के सदस्य हैं वह इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं । मान्यवर, देवरिया में सबसे अधिक गन्ने की पैदावार होती है । माननीय मंत्री जी कहते हैं कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार कम कर रही है, मैं उनको चुनौती देता हूं कि उनके शासनकाल में भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है और बढ़ा है । 23 लाख रुपया इनके अधिकारियों ने बैंक से निकाल लिया और खा गये । वह पैसा किसान का था लेकिन इनके अधिकारी उसको खा गये ।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि प्रत्येक केन यूनियन से 5 हजार रुपया प्रति माह वसूल किया जा रहा है और मंत्री जी भ्रष्टाचार निवारण की बात करे हैं, भ्रष्टाचार का निवारण नहीं हो रहा है, बल्कि यह उसमें लिप्त होते जा रहे हैं । गन्ना पर्चियां चोर बाजारी में बेची जा रही हैं, 100 रु० से 200 रु० तक । इस सम्बन्ध में लिखित रूप से मा० मंत्री जी से कहा गया, मात्र आश्वासन ही मिला कार्यवाही कुछ नहीं हुई । मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं 23 लाख की बेयरर चेक किसानों के नाम काटकर पूरी धनराशि हड़प लिया । माननीय मंत्री जी को और सरकार को इसके लिए अवगत कराया गया लेकिन उसके बाद भी किसी के कान में जूं न रेंगी, प्रश्नोत्तर से भी कहा गया लेकिन आज तक इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया । मान्यवर, इसी तरह से एक पुल बनाने के लिए भटनी चीनी मिल ने 70 लाख

रुपया दिया लेकिन वह पुल नहीं बना । यह माननीय मंत्री जी के संज्ञान में है । मान्यवर, किसानों का पैसा चला गया लेकिन पुल नहीं बना अब गन्ना क्रय केन्द्रों तक टायर ट्राली नहीं जा पा रही है । इसकी जांच के लिए भी मैंने आवेदम पत्र दिया था । आज गन्ना क्रय केन्द्रों तक कैसे जायेगा यह बात भी माननीय मंत्री जी नहीं सुन रहे हैं । इसलिए कहना चाहता हूं कि यह समस्या ज्वलंत समस्या है और आने वाला जून गन्ना किसानों के ज्वलंत रूप में आने वाला है । इसलिए मैं इसको नियम 311 में लाया था जिसको नियम 56 में अध्यक्ष जी ने ला दिया है और उसकी ग्राह्यता पर मुझे बोलने के लिए कहा गया है । इसलिए मैं चाहता हूं कि गन्ना किसानों के मूल्य भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें जो भटनी चीनी मिल में टैगिंग का पैसा जो किसानों के भुगतान का है, उस पैसे को लूटा जा रहा है । इस सन्दर्भ में माननीय मंत्री जी ने कोई कार्यवाही नहीं की है इसलिए नियम 56 के अन्तर्गत इस पर कार्यस्थगन का प्रस्ताव बनता है । मैं चाहूंगा कि सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराई जाय ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय उपाध्यक्ष जी, सरकार यह तो दावा नहीं करती कि काश्तकार जितना गन्ना बोते हैं सब गन्ना मिलों के माध्यम से खरीद लिया जाता है । हम यह स्वीकार करते हैं कि उसका एक प्रतिशत ही गन्ना मिलों के माध्यम से हम खरीद पाते हैं । जहां तक देवरिया के बारे में जानकारी है जिनका सट्टा हुआ है उसको पर्चियां विधिवत् बाटी जा रही है । हमको जो जानकारी दी गयी है उसके अनुसार किसी तरह की कोई अनियमितता नहीं हुई है। जितना हमने खरीदने का वायदा किया है वह गन्ना खरीद लिया जायेगा । यह सूचना गलत है कि वहां का किसान गन्ना दूसरे को या मिट्टी के भाव बेचने को मजबूर हो रहा है । दो तीन गम्भीर बात आपने उठायी है एक तो किसी-किसी मद के लिये जो रुपया निर्धारित किया गया था उसका दुरुपयोग हो गया है, एक बात आपने कही कि पर्चियां बेची जा रही हैं, इन दोनों मुद्दों पर स्थाई जांच की व्यवस्था की है, उड़न दस्ता बनाया है । हमारी जानकारी के अनुसार वहां पर स्थिति ठीक है और किसानों में कोई असंतोष नहीं है फिर भी आपने शासन का ध्यान आकृष्ट कराया है, मैं इसको दिखवा लूंगा यह कार्यस्थगन का विषय नहीं बनता है ।

श्री श्रीराम (जालौन)–

मान्यवर, प्राइवेट बसों के न चलने देने पर, उन पर रोक लगा देने के कारण विषम परिस्थिति पैदा हो गयी है, इसको आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं । जनपद जालौन में कालपी से उरई वाया झांसी बस चलती है और इसी रोड पर प्राइवेट बस भी चलती हैं जिन्हें यू०पी० परिमिट मिला हुआ है वह कालपी से चलकर भरूवा, सुमेरपुर और कोटरा में रुकती है और फिर वहां से चलती है दूसरी बस कालपी से कदौरा, कुरारा, हमीरपुर चलती हैं । यह पुरानी बसें कई वर्षों से इस रूट पर चलती आ रही थी अभी एक हफ्ता पहले इन बसों को रोक दिया गया है और रोडवेज बसें बीच में रुकती नहीं हैं जिससे नागरिकों को बेहद परेशानी हो रही है । इसी तरह से छात्र-छात्राओं को भी काफी परेशानी हो रही है क्योंकि प्राइवेट बसें चल नहीं रही है और रोडवेज बसें रुकती नहीं हैं जिससे वहां की छात्र-छात्राएं परीक्षा देने नहीं पहुंच पा रहे हैं और उनके पेपर छूट रहे हैं । जिससे उनके पेपर्स छूट गये हैं । कुछ ऐसे भी हैं जो दूर दराज गांवों से छात्र-छात्राओं को सायकिल पर बिठाकर परीक्षा केन्द्रों पर पहुंच रहे हैं । इन प्राइवेट बसों के बन्द हो जाने से, जो सभी टैक्स अदा करते हैं और इनके परमिट भी बने हुए हैं, बड़ी कठिनाई हो रही है । पहले नकल विरोधी कानून बना दिया । अब इन्होंने सोचा कि गांव के किसानों के

लड़के परीक्षा ही न दे पायें, बसों को बन्द कर दिया । प्राइवेट बसें जो बन्द कर दी गई हैं कालपी से कदौरा, कुरारा, हमीरपुर तक जाती हैं । इन बसों को स्थानीय पुलिस ने एक मोटी रकम लेने के लिये रोक रखा है । कुछ प्रभावशाली लोग हैं जो एक विशेष पार्टी के हैं, उनकी बसें चलायी जा रही हैं लेकिन पिछड़े और यादव जाति के लोगों की जो बसें चल रही हैं, उनको रोक रखा है । यह लोकमहत्व का अविलम्बनीय प्रश्न है । मैं चाहूंगा कि इस पर आप अपनी व्यवस्था दें और यह बसें चलवाई जायं ।

परिवहन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश विकल)–

मान्यवर, माननीय सदस्य श्री श्रीराम जी ने यह कार्य स्थगन का प्रश्न दिया है । उन्होंने जिस समस्या की ओर ध्यान दिलाया है, उसे अतिरंजित रूप में रखा है । कालपी से उरई वाया कोटरा और कालपी से हमीरपुर मार्ग पर कुल 4 प्राइवेट बसें चलती हैं । यह मार्ग राष्ट्रीयकृत है और राष्ट्रीयकृत मार्गों पर प्राइवेट बसें नहीं चलती हैं लेकिन ये 4 बसें ऐसी हैं जो मार्ग को राष्ट्रीयकृत करने से पहले से ही चलती थीं, बाद में इन्होंने उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश ले लिया, उस आधार पर चलती हैं । इन बसों को बन्द नहीं किया गया है, ये चल रही हैं । माननीय सदस्य ने कहा कि कुछ बसों को पुलिस ने बन्द किया है, उसके बारे में जानकारी की गयी है । इस सम्बन्ध में बताना चाहूंगा कि अनाधिकृत संचालन की जो बसें हैं, उनको बन्द किया जाता है । एस० एस० पी०, जालौन को आदेश दिया जा रहा है कि इसका शीघ्र निस्तारण करें । छात्र-छात्राओं की कठिनाई की ओर जो ध्यान दिलाया गया है, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस मार्ग पर जो निगम की बसें चल रही हैं, क्षेत्रीय प्रबन्धक को निर्देश दिया जा रहा है कि इस मार्ग पर छात्र-छात्राओं की कठिनाई को देखते हुए ध्यान रखें ताकि जो छात्र-छात्रायें इन बसों में यात्रा करके परीक्षा केन्द्रों पर जाना चाहते हैं, उनको कठिनाई न हो । इसकी व्यवस्था की जा रही है ।

श्री राम लखन वर्मा–

माननीय उपाध्यक्ष जी, कल दिनांक 7-4-92 को संसदीय जांच दल और राष्ट्रीय एकता परिषद् के सदस्य अयोध्या जाने के लिये फैजाबाद में आये थे । कल मुख्यालय फैजाबाद की हालत यह रही कि पूरा फैजाबाद पुलिस छावनी के रूप में बदल गया । जांच दल जब आया तो वहां तक विरोधी पार्टियों के नेताओं को नहीं पहुंचने दिया गया । यहां के कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, ब०स०पा० के लोग, जो सही तथ्य बताना चाहते थे, पुलिस बल से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया । मैं स्वयं अपने विधान सभा क्षेत्र से विधान सभा के लिये आ रहा था । रात में लोक निर्माण अतिथि गृह में सामान रखा था । सुबह 8 बजे पुलिस बल द्वारा बाहर निकाल दिया गया आज यहां पर किसी को रुकने का अधिकार नहीं है । ऐसा इसलिये किया गया कि भारतीय जनता पार्टी के काले कारनामों का पर्दाफाश हो रहा है । अगर स्थानीय लोग या अन्य पार्टी के लोग वहां पर उन लोगों से मिलते और सही जानकारी देते, तो सारी बात सामने आ जाती । जहां पर विरोधी पार्टियों के साथ ऐसा किया गया वहीं पर सत्ता पक्ष के विधायक, सांसद और कार्यकर्ता उनके लिये कोई रोक नहीं थी । वहां फैजाबाद मुख्यालय पर या तो पुलिस और पी० ए० सी०का तमाशा दिखायी पड़ रहा था या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिखायी पड़ रहे थे । यह बहुत गम्भीर और लोक महत्व का विषय है । अगर वास्तव में इनकी नीयत सही थी, यह जानकारी दिलवाना चाहते थे कि सही तथ्यों का पता चले तो जो भी लोग अपनी बात बताने, वास्तविकता को जाहिर करना चाहते थे, उनको उनसे मिलने देना चाहिये था । इन्होंने जो इस प्रकार से असलियत को

दबाना चाहा इसीलिये लोगों को उनसे मिंलने नहीं दिया । मेरा आपसे आग्रह और अनुरोध है कि यह बहुत ही लोकमहत्व का प्रश्न है इस पर चर्चा करायी जाय ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय वर्मा जी ने जो जानकारी दी है, वह मेरी जानकारी के अनुसार सत्य पर आधारित नहीं है । हमारी इच्छा थी कि फैजाबाद और अयोध्या के शान्तिपूर्ण वातावरण में तनाव न आने पाये । लोग सड़कों पर नारा लगाकर जुलूस निकालकर शान्त वातावरण को नष्ट न करें। श्री निर्मल खत्री जी जा रहे थे, उनको रोका गया । जो लोग दिल्ली से आये थे, उनसे श्री निर्मल खत्री मिले, अपनी बात की । किसी को ज्ञापन देने से रोका नहीं गया । संगठन के लोग और जनता के लोग उनसे मिले । अगर छिपाना होता तो उन्हें रोकते । जुलूस नहीं निकलने दिया । यह सूचना सही नहीं है कि श्री निर्मल खत्री को गिरफ्तार किया गया । श्री मित्रसेन यादव जी को कहीं रोका ही नहीं गया । इसलिये मैं समझता हूं कि इस मामले पर नियम 311 में विचार करने का कोई औचित्य नहीं है । स्थिति मैंने स्पष्ट कर दी ।

श्री उपाध्यक्ष–

क्रम संख्या 1,2,3 और 4 की सूचनाओं को ग्राह्यता पर सुनने के बाद अग्राह्य करता हूं । क्रम संख्या–5 की सूचना श्री नरेश अग्रवाल एवं श्री यदुनाथ सिंह की, क्रम संख्या–6 की सूचना श्री लालजी वर्मा, श्री देवेन्द्र पाल सिंह, श्री महेन्द्र सिंह भाटी, श्री सुरेन्द्र सिंह, श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, श्री दीनानाथ सिंह, श्री लालचन्द्र मौर्य की, क्रम संख्या–7 की सूचना श्री समीउल्ला खां, श्री सुल्तान रजा मिर्जा, श्री अब्दुल सलाम, श्री लालजी वर्मा की, क्रम संख्या–8 की सूचना श्री बलराम यादव की, इन सूचनाओं की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । क्रम संख्या–9 की सूचना, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ की स्थापना के सम्बन्ध में है, इस पर मैं चाहूंगा कि दो-तीन माननीय सदस्य 2-3 मिनट में अपने विचार व्यक्त कर दें ।

(व्यवधान)

श्री बाबू राम यादव–

मैंने 311 मैं सूचना दी थी, यह कहा गया था कि समय नहीं है अगले दिन ले लेंगे । आज आप शायद मेरा नाम पढ़ना भूल गये । माननीय अध्यक्ष से मैंने अनुरोध किया था उन्होंने सुनने के लिये कहा था ।

श्री उपाध्यक्ष–

जो अभी तक सूचना पढ़ी हैं आपका नाम उसमें नहीं आया है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, सूचना नम्बर 8 है ।

श्री उपाध्यक्ष–

वह सूचना मेरे समक्ष नहीं है । भाटी जी खड़े हैं, बोलने दें ।

माननीय बाबू राम जी जो आपने सूचना दी थी, वह अग्राह्य कर दी गयी है ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, महत्वपूर्ण सूचना है सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

अभी आप बैठ जायं, भाटी जी को सुन लें, उसके बाद फिर उठा लीजियेगा ।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

मान्यवर, 1989 से यह हाई कोर्ट की बैंच का मामला चल रहा है, वकील हड़ताल पर रहे । यह मामला तमाम बार सदन में उठा, जसवन्त सिंह आयोग की रिपोर्ट आ गयी । फिर कौन सा कारण है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बैंच को नहीं दिया जा रहा है । मान्यवर, जब लखनऊ में इलाहाबाद की बैंच है तब कौन सा तार्किक कारण है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बैंच को नहीं दिया जा सकता । जो तमाम सस्ता सुलभ न्याय दिलाने की बात कही जाती है वह धोखा हो रहा है । मान्यवर, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बैंच के मामले को इस तरह से लटकाया गया तो बोडोलेंड टाइप का आन्दोलन वहां भी हो सकता है, झारखण्ड जैसा आन्दोलन वहां भी हो सकता है अगर न्याय हमको नहीं मिलेगा, न्याय न मिलने की स्थिति में हम सब आन्दोलन में खड़े हो जायेंगे फिर तब सब कानून और विधान इनका कोई औचित्य नहीं रह जायेगा । मेरी प्रार्थना है शासन से कि स्पष्ट तरीके से बताये कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बैंच कब तक शुरू की जायेगी ।

श्री सोमांश प्रकाश–

मान्यवर, यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है । मैं भाटी जी के विचारों से अपने को सम्बद्ध करता हूं । आपके माध्यम से शासन से प्रार्थना करूंगा कि हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खण्डपीठ की मांग लगातार उठ रही है, यह जनता के हितों की मांग है उधर के लोग भी इसे जानते हैं । पीश्चमी उत्तर प्रदेश में किसी भी जगह बैंच बना दी जाय । जब लखनऊ में हाई कोर्ट की बैंच है, इलाहाबाद में हाई कोर्ट है तो फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी भी जगह बैंच बना दी जाय । जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट भी आ गयी है । वेन्यू पर कोई झगड़ा नहीं कर रहे हैं जो भी स्थान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उचित समझा जाय वहां एक बैंच की स्थापना कर दी जाय । इस मांग को मैं बहुत पुरजोर ढंग से उठा रहा हूं । आप केन्द्र सरकार पर भी दबाव डालें, यहां से तो मेटर केन्द्र सरकार के पास जायेगा । केन्द्र सरकार के पास संस्तुति करते हुये उसे पूरी तरह से वहां भेजें । पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बैंच तत्काल खोली जाय ।

श्री विजय पाल सिंह तोमर–

मान्यवर, जब से देश आजाद हुआ है जो भी सत्ता में आया उसने नागरिकों को सस्ता व सुलभ न्याय देने की बात कही । आज जो पार्टी सत्ता में मौजूद है उसका भी नारा था राम, रोटी और इंसाफ का। क्या देहरादून से जाने वाला आदमी 1 हजार 2 हजार में इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्याय पा सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की बैंच लखनऊ में है, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बैंच नहीं दी गयी तो इस प्रदेश का ऐसा स्वरूप नहीं रहेगा इसका नक्शा बदल जायेगा । इसको लेकर बहुत से संगठनों ने आन्दोलन शुरू कर दिये हैं । अगर बैंच वहां नहीं दी गयी तो बहुत से राजनीतिक, गैर राजनीतिक और सामाजिक संगठन उन आन्दोलनों में कूद पड़ेंगे । वहां के नागरिकों को न्याय पाने का अधिकार मिलना चाहिये वहां का नागरिक अधिकारों से वंचित रह रहा है । जो गरीब आदमी है, जिनके पास पैसा नहीं

है, जो इतना लम्बा सफर तय कर सके या वहां के वकीलों की फीस दे सके तो वे न्याय से वंचित रह जाते हैं, इसलिए मैंने इसे उठाया है और मैं मांग करता हूं कि सारे नियमों को शिथिल करते हुए इस पर चर्चा की जानी चाहिए और मान्यवर, यदि इस पर कोई निर्णय अतिशीघ्र नहीं लिया गया या संस्तुति नहीं की गयी, क्योंकि इस सरकार के कान में अभी तक जूं तक नहीं रेंग रही है, तो स्थिति बड़ी विस्फोटक हो सकती है और पूरे पश्चिमी प्रदेश में आन्दोलन भड़क सकता है और उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप खतरे में पड़ सकता है । इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसे नियम–311 के अन्तर्गत स्वीकार किया जाय और इस पर सदन के नियम शिथिल कर अविलम्ब चर्चा करायी जाये ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण मामला माननीय भाटी जी व अन्य सदस्यों ने उठाया है । मैं इसकी पृष्ठभूमि में जाना चाहता हूं । मान्यवर, यह मामला बड़ा पुराना है । वर्ष 1981 में उत्तर प्रदेश की मंत्रि परिषद् ने निर्णय लिया था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित खण्ड पीठ की स्थापना के लिए भारत सरकार को लिखा जाये पर उसके सामने यह सवाल आया कि उक्त खण्ड पीठ कहां बने । इसके लिए जसवन्त सिंह आयोग गठन किया गया यह 30-4-85 को गठित हुआ था । जब इसकी रिपोर्ट मिली और उस पर विचार किया जा रहा था तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में आन्दोलन होना शुरू हो गया था और यह कहा जा रहा था इसे जल्दी खोला जाये । बरेली से लेकर रामपुर तक तथा मेरठ से लेकर आगरा तक के लोगों ने यह कहा कि हमारे यहां खोला जाये....

श्री सोमांश प्रकाश–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि इस मामले को लेकर हमारे यहां कोई डिस्प्यूट नहीं है । जो जसवन्त सिंह आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी उसके आधार पर कभी भी झगड़ा पैदा नहीं हुआ । आप चाहे रामपुर चाहे मेरठ हो चाहे बरेली हो या और कहीं-कहीं भी इसकी स्थापना कर सकते हैं । कोई भी झगड़ा इस विषय में नहीं है ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, एक प्रश्न मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं । वह यह है कि जसवंत सिंह आयोग ने कोई स्थान सुझाया है । यदि हां, तो कहां पर ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं कह रहा था कि इसमें इलाहाबाद में अधिवक्ताओं ने हड़ताल शुरू कर दी कि इसको हमारे यहां से विखण्डित नहीं होना चाहिए । लखनऊ में भी हुआ तो यह पूरा मामला है । सारे प्रदेश में इसकी प्रतिक्रिया हुई और यह तय हुआ कि भारत सरकार से परामर्श लिया जाये । भारत सरकार ने राज्य सरकार से बात करनी चाही । इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश से उनकी राय लेनी चाही लेकिन वह राय अभी तक प्राप्त नहीं हो पायी है और यह मामला अभी विचाराधीन है । हम यह स्वीकारते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खण्ड पीठ की स्थापना की जाये लेकिन अभी तक स्थान के बारे में राय प्राप्त नहीं हो पायी है और इन सब बातों पर विचार किया जा रहा है । तो यह स्थिति है, मैंने इसको स्पष्ट कर दिया है और मैं समझता हूं कि यह नियम–300 के अन्तर्गत नहीं आता इसलिए इसे अग्राह्य किया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं यह सूचना अग्राह्य करते हुए इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, मैंने अभी आपसे निवेदन किया था कि आपसे पहले माननीय अध्यक्ष जी जब पीठासीन थे और मैंने पिछले हफ्ते नियम–311 की सूचना दी थी तो आपने कहा था कि अगले हफ्ते पुनः इस सूचना को दे दें और आज जब मैंने पुनः अपनी नियम–311 के अन्तर्गत सूचना दी है तो आपने इसे निरस्त कर दिया तो मैं यह जानना चाहता हूं कि किन बिन्दुओं पर आपने इसे अग्राह्य कर दिया है ?

इसके जो मुख्य बिन्दु हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत अविलम्बनीय है वह बहुत लोकमहत्व के हैं । मान्यवर, इस सदन में बार-बार नकली दवाओं के संबंध में सवाल उठते रहे हैं.....

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय यादव जी, जब एक निर्णय हो गया है, तो यह बात वहीं खत्म हो गयी, आप कक्ष में आकर बात कर लीजियेगा ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर,आप एक मिनट का समय दे दें और हमारी बात सुन लें । मान्यवर, पेस्टिसाइड इन्डिया नाम की आगरा में एक दवाओं की कम्पनी है, जो कीटनाशक दवायें बनाती है, उस कम्पनी को आर्डर मिला कि वह दवा सप्लाई करे उसमें जो आपूर्ति हुई, वह सब दवायें नकली थीं, जिसकी वजह से किसानों की सारी फसल चौपट हो गयी, इसलिये यह ग्राह्य है । किसान बड़ी मुश्किल से अपनी फसल पैदा करता है और कीटनाशक दवाओं की कम्पनी उसे धोखा दे दे तो फिर सारी फसल सत्यानाश हो जायेगी । यह प्रश्न यहां हाउस में पहले भी उठा था और उस पर तय हुआ था कि इस फर्म को भुगतान नहीं किया जायेगा.....

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप बैठें । निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें नियम 56 के अन्तर्गत चयनित नहीं की गयीं, अतः अस्वीकार की गयीं ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, इस मामले में यह सरकार भी फंसी है, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जो लोग सरकार में बैठे हैं, वही इस तरह का काम करेंगे, तो देश कैसे चलेगा, इस पर आप सारा काम रोककर चर्चा करायें ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप बैठें । जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें नियम–56 के अन्तर्गत चयनित की गयीं, उनके नाम इस प्रकार हैं– श्री विक्रमाजीत मौर्य, श्री महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री भारत सिंह रावत, श्री पवन कुमार पाण्डेय, श्री हरि चरण यादव व श्री हरिवंश सहाय । जिन्होंने नियम–311 के अन्तर्गत सूचना दी थी, उसमें श्री श्रीराम, श्री शिव कुमार बेरिया, श्री मो० आजम खां, श्री बाबूराम यादव, श्री राम गोविन्द चौधरी और श्री अकबर हुसैन । इन सूचनाओं को अस्वीकार किया गया ।

(मद संख्या–9 पुकारे जाने पर)

(विरोध पक्ष के अनेक माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर – व्यवधान)

इस तरह बीच में व्यवधान करना उचित नहीं है ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

यहां पर बाबू राम जी ने 40 लाख की नकली दवाओं की आपूर्ति का मामला उठाया, सरकार इस पर मूकदर्शक बनी रही, न कोई उसका खंडन किया गया और न जवाब दिया गया । मान्यवर, विश्व हिन्दू परिषद् के एक नेता की यह कम्पनी है और उनके द्वारा नकली दवाओं की आपूर्ति हुई । यह बात रिकार्ड में आ गयी, इसलिये जरूरी हो जाता है कि सरकार उसका प्रतिवाद करे या जो सही है उसकी जानकारी सदन में दे ।

श्री उपाध्यक्ष–

जो विषय अग्राह्य किया जा चुका है, उसके बारे में माननीय मंत्री जी को निर्देशित नहीं किया जा सकता है । यदि माननीय मंत्री जी स्वयं कुछ कहना चाहते हैं तो वह कह सकते हैं । परन्तु अग्राह्य करने के बाद मैं उनसे नहीं कह सकता हूं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है । इसलिये मैं अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं।

(श्री बेनी प्रसाद वर्मा व उनके दल के अन्य माननीय सदस्य सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, बहराइच में अल्पसंख्यक वर्ग के एक ही परिवार के 9 लोगों की हत्या कर दी गयी । इस संबंध में कार्य-स्थगन के माध्यम से हमने सूचना दी । जब आपने अग्राह्य सूचनाओं का नाम पढ़ा तो आपने मेरी सूचना को नहीं पढ़ा । इसका मतलब यह है कि आपने मेरी सूचना को ग्राह्य किया । परन्तु आपने हमें सुना नहीं । जब से यह सरकार आयी है अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को किसी न किसी तरह से उत्पीड़ित किया जा रहा है और उनकी हत्यायें की जा रही हैं । इसलिए इस पर आप चर्चा करायें ।

श्री उपाध्यक्ष–

जिस सूचना को मैं अग्राह्य कर चुका हूं, उस पर मैं बोलने की अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री अब्दुल ए० सलाम–

मान्यवर, इटावा में तीन हरिजनों की हत्यायें हो गईं । सारे सदन ने वाक आउट किया था । बहराइच में 9 लोगों की हत्या कर दी गई । इस पर भी आप हमें सुनने के लिए समय नहीं दे रहे हैं । यह तो अन्याय है ।

श्री उपाध्यक्ष–

उस सूचना की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा चुका है ।

श्री समीउल्ला–

मान्यवर, 17 मार्च को मुस्तफा व उस के चार बेटों, दो भाइयों तथा दो दामादों की हत्या कर दी गई । इस प्रकार 9 लोगों की हत्या कर दी गई । परन्तु आज तक इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई । ज़िसकी वजह से आज वहां पर मुसलमानों में भय व्याप्त है । इसलिए मान्यवर, आप चर्चा हेतु स्वीकार करें और हम लोग यहां पर विस्तार से तथ्यों को रखेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने पहले ही बता दिया कि इस सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए, इसे अग्राह्य कर दिया गया है ।

(श्री लालजी वर्मा के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

श्री वर्मा जी, मैं आपको इसलिए अनुमति नहीं दूंगा क्योंकि आपने कई सूचनाओं पर दस्तखत किये हैं और आप बोल भी चुके हैं ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, यह सरकार अल्पसंख्यक विरोधी है । इसलिए मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री लालजी वर्मा सदन का त्याग कर चले गये)

श्री समीउल्ला–

वहां लोगों की बुरी हालत है (व्यवधान) ग्राह्यता पर सुन लीजिये । जब से यह सरकार आई है हम लोगों पर जुल्म हो रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोगों से निवेदन किया कि सूचना को अग्राह्य कर दिया है लेकिन विषय की अहमियत को देखते हुये शासन का ध्यान आकर्षित कर दिया है । आपने घटना के बारे में अपनी बात रख दी है ।

श्री समीउल्ला–

मैं कहना चाहता हूं कि मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है ।

जो विज्ञप्ति जारी की है वह मनगढ़ंत है (व्यवधान)

(मद संख्या 9 पुकारने पर)

श्री अब्दुल ए० सलाम–

उनकी हत्या करने के बाद उनके रस्मोरिवाज से दाह संस्कार भी नहीं करने दिया गया (व्यवधान) वगैर कफन के दफन कर दिया ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप कृपया बैठ जायं, मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं । आप बैठ जायं । आपने अपनी बात कह दी । पीठ से निर्णय हो गया, अपनी बात कहने के बाद अब कोई औचित्य नहीं रह जाता है ।

श्री अब्दुल ए० सलाम–

हम लोगों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है।

**उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1992**

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1992 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, इस आदरणीय सदन के सभी माननीय सदस्यों को इस बात की जानकारी है कि हम लोगों को कुछ सुविधायें अनुमन्य हैं। हमें कांस्टीट्युएंसी एलाउंस के अलावा रेल यात्रा करने में कूपन्स मिलते हैं। 38,500 रु० तक के कूपन्स वार्षिक हमें मिलते थे। लेकिन हमें यह भी जानकारी है कि पिछले वर्ष रेल किराये में वृद्धि हुई। यह मांग माननीय सदस्यों की ओर से आई कि रेलवे किराये में वृद्धि हो गयी है। जिस अनुपात में किराया बढ़ा है उसी अनुपात में कूपन्स की राशि बढ़ा दें, तो यह मांग उचित समझी। उसी उद्देश्य से यह छोटा सा संशोधन 38,500 रुपये के कूपन्स को बढ़ा कर 54 हजार रुपये के कूपन्स करने के लिये है। इसके पीछे यह भी बात रखी गयी है हम जानते हैं। मई, 90 से 17 प्रतिशत की रेल किराये में वृद्धि हुई तो उस वृद्धि से 45 हजार 45 रुपया बनता है लेकिन राउंड फीगर में 45 हजार रखा है लेकिन तब कोई वर्ष नहीं बनता है क्योंकि मई के आखिर तक वर्ष की समाप्ति कूपंस के लिए होती है। फिर दुबारा वृद्धि रेल किराये में होती है 16 अगस्त, 91 से उसके वातानुकूलित श्रेणी में 800 कि०मी० तक 20 प्रतिशत की, उससे ऊपर 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो इन दोनों को जोड़ कर 54 हजार 54 रुपया बनता है लेकिन राउण्ड फीगर में हमने 54 हजार कर दिया है। तो मात्र यह छोटा सा संशोधन है। मैं समझता हूं कि इसमें कोई मतभेद का सवाल नहीं है यह सर्वसम्मति से पारित करेंगे। इसलिए ग्राह्यता पर बोलने की भी ज्यादा आवश्यकता नहीं है। जो रेल किराया बढ़ा उसके अनुपात में हमने कूपंस को जोड़ दिया है। मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान (सदस्यों की उपलब्धियां एवं पेंशन) (संशेधन) विधेयक, 1992 पर विचार किया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1992 पर विचार किया जाय ?

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय सदस्य कुछ पूछना चाहते हैं, इन्हें मौका दें।

श्री उपाध्यक्ष–

पहले किसी ने जिज्ञासा नहीं व्यक्त की थी, इसलिए मैंने प्रश्न रख दिया था।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

मान्यवर, कुछ लोग लखनऊ में रहते हैं और कुछ लोग लखनऊ से दूर रहते हैं। इसलिए इसमें कुछ न कुछ अन्तर तो होना चाहिए। लखनऊ वालों को भी उतना ही मिलेगा और दूर से आने वालों को भी उतना ही मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष–

विधायक का क्षेत्र पूरा उत्तर प्रदेश होता है । इसलिए नजदीक और दूर का प्रश्न उठाना ठीक नहीं है ।

श्री सुखवीर सिंह गहलौत–

मान्यवर, मेरा सुझाव था कि चूंकि हम लोग दूर से आते हैं । गाजियाबाद, देहरादून, सहारनपुर से आते हैं और लखनऊ से और लखनऊ के नजदीक रहने वाले लोग भी आते हैं तो उन्हें भी कूपन दिया जाता है और यह कूपन समान मात्रा में दिया जाता है । पहली अप्रैल से रेल किराये में वृद्धि हुई है । इसलिए जो लोग दूर से आते हैं उनका कूपन बढ़ा दिया जाय । 60 हजार कर दिया जाय ।

श्री भारत सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो बात कही है, वह सही है । हम लोग दूर से आते हैं और हमको भी उतना ही कूपन दिया जाता है जितना नजदीक वालों को । इसलिए हम चाहते हैं कि दूर-नजदीक के अन्तर को देखते हुए दूर रहने वालों को कुछ अधिक कूपन दिया जाय ।

श्री सुरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, पहली अप्रैल, 1992 से रेल किराये में जो वृद्धि हुई है । माननीय मंत्री जी ने उसे शामिल नहीं किया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

इस आदरणीय सदन में ऐसे भी सदस्य बैठे हैं जिनको इस बात की जानकारी है जब यह कूपन की व्यवस्था चालू हुई थी तब भी वह सदस्य थे और आज भी हैं । पहले कूपन निर्धारित मात्रा में मिलते थे, नियम बनाये गये थे । यह तय नहीं था कि जैसे-जैसे रेल किराया बढ़ेगा कूपन भी बढ़ते जायेंगे लेकिन एक निश्चित मात्रा कर दी गयी थी । रेल किराया बढ़ा है । शासन की नीति प्रशासनिक खर्चों में कमी करने की है । हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने खर्चों में कमी करें । इस साल जो वृद्धि हुई है उसको इसमें शामिल नहीं किया है परन्तु पिछली दो बार की वृद्धि के अनुसार तय किया गया है । आप इसे स्वीकार करें ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब मैं प्रश्न पुनः उपस्थित कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1992 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2, ख़ण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक

## उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1992

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 में अग्रतर संशोधन करने के लिए

### विधेयक

भारत गणराज्य के तैतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1992 कहा जायगा । संक्षिप्त नाम

2–उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 की धारा-5 में शब्द "अड़तीस हजार पांच सौ रुपये से अनधिक मूल्य के रेल कूपन प्रतिवर्ष" के स्थान पर शब्द "दिनांक 1 जून, 1991 से 15 अगस्त, 1991तक की अवधि के लिए पैंतालीस हजार रुपये प्रति वर्ष से अनधिक मूल्य के और दिनांक 16 अगस्त, 1991 से चौवन हजार रुपये प्रति वर्ष से अनधिक के रेल कूपन" रख दिये जायेंगे । उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 23 सन् 1980 की धारा-5 का संशोधन

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1992 पारित किया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1992 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

## उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1992

माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा विज्ञान एवं प्रोद्योग मंत्री (श्री राजनाथ सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1992 पर विचार किया जाय । मान्यवर, यह जो विधेयक सदन में विचारार्थ प्रस्तुत है सचमुच ऐतिहासिक विधेयक है । यह ऐतिहासिक विधेयक क्यों है इसके कारण का उल्लेख मैं करूंगा । इस विधेयक के माध्यम से अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जो लम्बी अवधि से तदर्थ रूप से सेवारत थे इन तदर्थ रूप से सेवारत अध्यापकों को विनियमित किया जा रहा है ।

ऐतिहासिक इसको इसलिए कहा है इस बार तदर्थ अध्यापकों की सेवाओं को विनियमित किया जा रहा है । ऐसे बहुत सारे अध्यापक थे जो नियुक्त थे लेकिन उनकी नियुक्ति फलित रिक्तियों के विरुद्ध थी । ऐसी फलित रिक्तियों के विरुद्ध अध्यापकों की नियुक्ति हुई, उनका विनियमितीकरण नहीं हो पा रहा था इस विधेयक के माध्यम से फलित रिक्तियों में जो अध्यापक नियुक्त थे उनको विनियमित किया जा रहा है । ऐसे दो हजार अध्यापकों की सेवायें विनियमित हो जायेंगी । वहां दूसरी ओर 14 जुलाई, 1981 से लेकर 12 जून, 1985 तक सी० टी० ग्रेड के जो मौलिक तदर्थ अध्यापकों की नियुक्ति हुई थी, इन दोनों महत्वपूर्ण तिथियों को इसलिए कहा कि माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग 14 जुलाई, 1981 को प्रख्यापित हुआ । विनियमितीकरण अध्यादेश 12 जून, 1985 को हुआ । जो सी० टी० ग्रेड तदर्थ अध्यापक हैं उनको विनियमित किया जा रहा है । मान्यवर, 31 जुलाई, 1988 के बाद 14 मई, 1991 को धारा-18 के अन्तर्गत जो तदर्थ अध्यापक हैं, चाहे एल० टी० ग्रेड के ऐसे तदर्थ अध्यापक हों, की सेवाओं को विनियमित किया जायेगा । इस प्रकार फलित रिक्तियों के विरुद्ध दो हजार शिक्षकों की सेवाओं को विनियमित किया जायेगा । इस तरह इसमें दो श्रेणी हो जायेंगी । तीसरी श्रेणी में तीन हजार अध्यापकों की सेवाओं को विनियमित किया जायेगा । इस प्रकार से पांच हजार दो सौ पचास तदर्थ आधार पर नियुक्त अध्यापक जो हैं उनकी सेवाओं को पूरी तरह से विनियमित किया जायेगा । इस तरह से तदर्थवाद का शिक्षा जगत से सफाया हो जायेगा । तदर्थवाद को हम समाप्त करने जा रहे हैं यह उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक कदम है । आजादी प्राप्त होने के बाद भी, आजादी प्राप्त होने के पूर्व भी सरकारें चलती रहीं और तदर्थवाद भी चलता रहा, लेकिन आजादी के बाद तदर्थवाद को बढ़ावा मिला है आज हमने इसको इस विधेयक के माध्यम से समाप्त कर दिया है उत्तर प्रदेश इण्टरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट है इसकी धारा-18 खतरनाक धारा है इस धारा के अन्तर्गत जिन अध्यापकों को नियुक्त किया गया, वास्तव में इससे शिक्षा के स्तर में बहुत बड़ी गिरावट लाने का काम हुआ है । जो योग्य अध्यापक नहीं थे उनकी नियुक्ति प्रबन्ध तंत्र द्वारा कर दी गयी । इसमें न तो योग्यता का ध्यान रखा गया न उनकी क्षमता का ध्यान रखा गया इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश इण्टरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट की धारा-18 को समाप्त करने का निर्णय लिया और इस विधेयक के द्वारा धारा-18 को समाप्त करने की व्यवस्था की गयी है । मान्यवर, समय-समय पर अध्यादेशों के द्वारा तदर्थ अध्यापकों की सेवाओं को विनियमित करने के प्रयास किये गये हैं लेकिन उसमें आरक्षण को पूरा करने के लिए कोई ध्यान नहीं रखा गया है ।

आरक्षण के बारे में जो नियम और कानून बनाये गये हैं शिक्षा संस्थाओं में उनका पालन किया जा रहा है या नहीं, इस बात को नहीं देखा गया । सन् 1985 में और 1991 में तदर्थ अध्यापकों की सेवाओं को विनियमित करने के लिए अध्यादेश लाये गये लेकिन आरक्षण का ध्यान नहीं रखा गया । मान्यवर, हमने इस विधेयक में इसकी व्यवस्था कर दी है कि जहां आरक्षण का कोटा पूरा नहीं हुआ है, बैकलाग है उस आरक्षण को पूरा किया जायेगा । इसीलिए यह एक ऐतिहासिक विधेयक है । हम इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं कि जो प्रथम नियुक्ति शिक्षा संस्थाओं में होगी, यदि वहां आरक्षण का कोटा पूरा नहीं है, तो पहली नियुक्ति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति या पिछड़े वर्ग से की जायगी उसके बाद दूसरी नियुक्ति सामान्य जाति के अभ्यर्थी से की जायगी । इस प्रकार से एकान्तर के आधार पर नियुक्तियां चलती रहेंगी जब तक कि आरक्षण का कोटा पूरा न हो जाय । मान्यवर, अब तक अध्यापकों का चयन माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग द्वारा किया जाता रहा है । यह आयोग 1982 से कार्य कर रहा है । 9 वर्ष में अभी तक केवल 520 प्रवक्ताओं का चयन इस आयोग के माध्यम से हो पाया है और 800 प्रधानाध्यापक तथा प्रधानाचार्य के पदों पर चयन हो पाया है । इससे एक विषम

परिस्थिति पैदा हो गयी है । लगभग 6 हजार अध्यापकों के पद रिक्त पड़े हुए हैं । अतः इस आयोग के माध्यम से निर्धारित समय में इन पदों पर चयन होना सम्भव नहीं है । इसीलिए इस विधेयक के जरिये वर्तमान माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर 4 क्षेत्रीय चयन बोर्डों की व्यवस्था की गयी है । पर्वतीय क्षेत्र के लिए एक अलग चयन बोर्ड की व्यवस्था की गयी है । इन चयन बोर्डों के माध्यम से जुलाई समाप्त होते-होते उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा जगत में एक भी स्थान अध्यापकों का ऐसा नहीं रहेगा जो रिक्त रह जायेगा । सभी पदों पर चयन हो जायेगा । यह एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है । अब प्रबन्धकों को यह अधिकार नहीं रहेगा कि वह मनमाने तरीके से धारा-18 के अन्तर्गत नियुक्त कर दें ।

मान्यवर, यह 4 क्षेत्रीय चयन बोर्ड बनाने का फैसला अपने में बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ ही मान्यवर, इस विधेयक में एक और पक्की व्यवस्था की है, आपको भी जानकारी हुई है, सारे उत्तर प्रदेश में शोर मचा था कि वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षकों की सेवा शर्तों के साथ खिलवाड़ करना चाहती है । मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि विधेयक साक्षी है, उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों की सेवा शर्तों के साथ खिलवाड़ नहीं, बल्कि उनकी सेवा शर्तों के पहले से ज्यादा सुदृढ़ बनाने का काम किया है । इस विधेयक में हमने व्यवस्था कर दी है कि प्रबन्ध तंत्र बोर्ड के पूर्वानुमोदन के सिवाय किसी अध्यापक को पदच्युत नहीं करेगा, न सेवा से हटायेगा, न सेवा से हटाने की कोई नोटिस देगा, न पंक्तिच्युत करेगा, न उनकी परिलब्धियों में कोई कमी करेगा और न ही किसी अवधि के लिए उसकी वेतन वृद्धि (चाहे वह अस्थायी या अस्थायी रूप से हो) रोकेगा । इस प्रकार पहले से ज्यादा सुदृढ़ बनाने का काम किया है । इसलिए मैं माननीय सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो ऐतिहासिक विधेयक पेश किया है, बहुत सारे ऐतिहासिक कदम उत्तर प्रदेश सरकार ने उठाये हैं, नकल विधेयक भी एक ऐतिहासिक कदम है । इसको आज भले ही जोखिम भरा कदम माना जा रहा है, लेकिन भविष्य बतायेगा कि यह व्यवस्था परिवर्तन के लिए एक कदम है । इस प्रकार से शिक्षा जगत में व्यापक सुधार लाने की दृष्टि से यह विधेयक पेश किया जा रहा है । मैं आश्वस्त हूं कि यह सदन हर्षध्वनि से सर्वसम्मति से इस विधेयक को पास करेगा ।

[समय 3 बजकर 20 मिनट ]

* श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1992 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे । (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे) । मान्यवर, माननीय मंत्री जी बोल रहे थे तो वह कह रहे थे कि जितने तदर्थ शिक्षक हैं, किसी भी अवधि में नियुक्त हुए हों, किसी भी प्रकार से नियुक्त हुए हों, उनकी सेवायें विनियमित करने का प्रस्ताव कर दिया गया है । व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गयी है । परन्तु मान्यवर, मैं इसकी कतिपय धाराओं की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि कुछ ऐसी श्रेणियां रह गयीं हैं जिनमें तदर्थ अध्यापकों की सेवाओं के विनियमितीकरण की व्यवस्था नहीं की गयी है । दूसरे मान्यवर, इसके प्रारम्भ से ही, इस विधेयक की धारा 4(2) को पुरःस्थापित किया गया है धारा 12(3) और (4) से । मान्यवर, इसमें

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

राजकीय शिक्षा सेवा का उत्कृष्ट स्तर के व्यक्ति को आयोग का अध्यक्ष या सदस्य बनाने की व्यवस्था थी, परन्तु इस धारा में संशोधन करके राज्य सरकार के जो पात्रता निश्चित की है चेयरमैन की और सदस्य की, उसमें यह कहा है कि राज्य शिक्षा सेवा के अधीष्ठित व्यक्ति के स्थान पर राज्य सरकार की दृष्टि में जिसका शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय योगदान है, या जो शिक्षाविद् हैं, उसे चेयरमैन नियुक्त कर दिया जायेगा, उसे सदस्य बनाया जायगा चयन बोर्ड का। मान्यवर, स्पष्ट है कि सरकार ने इस तरीके से एक मनमाना अधिकार अपने हाथ में ले लिया है, जिसे चाहेंगे, उसकी सेवायें महत्वपूर्ण बता देंगे, शिक्षा क्षेत्र में सराहनीय भूमिका बता देंगे और उसकी नियुक्ति कर लेंगे। मान्यवर, इस अधिनियम की धारा-16 के अन्तर्गत शिक्षकों का मात्र पारस्परिक (म्युचुअल) ट्रांसफर की व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, पूर्व में यह व्यवस्था थी कि अगर कोई स्थान रिक्त है, किसी इंस्टीट्यूशन में और दूसरी स्थान से अगर कोई व्यक्ति आना चाहता है, तो दोनों प्रबन्ध तंत्र के सर्वसम्मति के प्रस्ताव विभागीय अनुमति के पश्चात् उस व्यक्ति का स्थानान्तरण होता था, महिला जो शिक्षक हैं, इससे उन्हें विशेष लाभ पहुंचता था, उनकी नियुक्ति अगर अपने निवास-स्थान से दूसरे स्थान पर होती थी, तो वह अपना समुचित स्थान पर नियुक्ति करा लेती थीं, परन्तु इस तरफ भी माननीय मंत्री जी ने ध्यान नहीं दिया और पहले जब एकल स्थानान्तरण की व्यवस्था थी, उसे म्युचुअल में बदल दिया यानि स्थानान्तरण खाली पारस्परिक होगा। अगर कोई शिक्षक स्थानान्तरित होकर हरदोई जाना चाहता है, तो दूसरे को हरदोई से आना पड़ेगा। मान्यवर, बहुत कम ऐसे अवसर आते हैं कि दो व्यक्ति आपस में म्युचुअल ट्रांसफर कर सकें।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय गांधी जी, हरदोई क्यों याद आ गया ?

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, ऐसे ही याद आ गया। मान्यवर, अधिसूचना सं० 4114/15-7-10/(62)/1985 दिनांक 23 जनवरी, 1992 को निरस्त कर अध्यापकों के एकल स्थानान्तरण की पूर्ववत् व्यवस्था की जावे। माननीय मंत्री जी ने जो उदारता की बात कही है या जो सबके लाभ की बात कही है, उसकी तरफ नहीं ध्यान दिया गया है। दूसरी धारा प्रस्तावित संशोधन की नई धारा 33 (ख)(1) के प्राविधानों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। प्रवक्ता श्रेणी और स्नातक श्रेणी में 14 मई, 1991 या इससे पूर्व सीधी भर्ती, अल्पकालिक रिक्ति या पदोन्नति द्वारा नियुक्त अध्यापकों की मौलिक नियुक्ति की व्यवस्था की जावे। मान्यवर, 14 मई, 1991 की अवधि के उपरान्त और बाद में इसे लागू करने से जो नियुक्तियां की गयीं हैं, उनकी सेवाओं के विनियमितीकरण का कोई प्राविधान नहीं किया गया है, होना यह चाहिए कि माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1981 के प्राविधानों के अन्तर्गत विधिवत् नियुक्त विभाग द्वारा अनुमोदित अथवा विभाग के अनुमोदन हेतु विचारार्थ प्रस्तुत सभी अध्यापकों को शिक्षा निदेशक के अर्धशासकीय पत्रांक-31853-953/91-92 दिनांक 31 अगस्त, 1991 द्वारा नियुक्तियों पर रोक लगा दी गयी। इससे पूर्व की नियुक्तियों का विनियमितीकरण कर अध्यापकों को मौलिक नियुक्ति दी जानी चाहिए। परन्तु माननीय मंत्री जी ने इधर कोई ध्यान नहीं दिया है। मान्यवर, विधेयक की धारा 33 (ख) (1) में यह प्राविधान किया गया है कि अगर एक ही दिन किन्हीं दो अध्यापकों की नियुक्ति होती है, तो जो अध्यापक आयु में अधिक होगा, उसे वरिष्ठ माना जायेगा, लेकिन मान्यवर, प्रोन्नति के मामले में कोई स्पष्ट प्राविधान नहीं किया गया है और न इस बात का ही उल्लेख किया गया है कि इनकी वरिष्ठता किस प्रकार से मेन्टेन की जायेगी। मान्यवर, सबसे ज्यादा आपत्तिजनक बात यह है कि जब कोई शिक्षक की नियुक्ति शिक्षा आयोग द्वारा होती है और वह शिक्षक जिस विद्यालय में भेजा जाता है, वह वहां पर

नहीं जाता है और एक दो वर्ष वह स्थान खाली पड़ा रहता है, तो ऐसी स्थिति में छात्रों की पढ़ाई का नुकसान होता है और इस नुकसान को देखते हुए प्रबन्ध तंत्र उस स्थान को भर लेता है और वह अध्यापक कई सालों तक कार्य करता रहता है, तो ऐसे अध्यापकों की वरिष्ठता निर्धारण के लिए कोई प्राविधान नहीं किया गया है । इस तरह के 10-10 साल के अध्यापक हो गये हैं, जब आप विधेयक लाये हैं, तो उनकी सेवाओं के विनियमितीकरण के लिए भी कोई प्राविधान किया जाना चाहिए था, लेकिन मंत्री जी ने उनके बारे में कोई ध्यान नहीं दिया है ।

इसलिए मेरा निवेदन है कि इस धारा को इस प्रकार से संशोधित किये जाये अथवा इसको निरस्त कर दिया जाये । मान्यवर, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के संबंध में यह प्राविधान है कि अगर आयोग से चयनित व्यक्ति अपने पद पर भार ग्रहण नहीं करता है, और वह स्थान रिक्त रहता है और रिक्त स्थान पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति कर ली जाती है, तो उस व्यक्ति को विनियमित कर दिया जायेगा और उसकी नियुक्ति को मौलिक नियुक्ति मान लिया जायेगा और जो आयोग द्वारा चयनित व्यक्ति है, उसको अन्य विद्यालय में समायोजित कर दिया जायेगा । इसके लिएं उच्च शिक्षा मंत्री जी बधाई के पात्र हैं । मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब उच्च शिक्षा के बारे में इस प्रकार का प्राविधान किया गया है, माननीय मंत्री जी को माध्यमिक शिक्षा के बारे में इस प्रकार का प्राविधान करने में क्या दिक्कत है । उन्हें भी उसी प्रकार से कर देना चाहिए इससे शिक्षकों को बड़ा लाभ होगा । मैं कहना चाहता हूं कि इस श्रेणी में विभिन्न जनपदों में– मान्यवर, जिनकी सेवायें 10-10 साल की हैं और वे सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं । उनका आचरण, चरित्र, कार्यकलाप बहुत अच्छा है । उसके बाद में भी 10 साल की अवधि हो गयी है और उनका विनियमितीकरण नहीं किया गया है और वे ओवरएज भी हो गये हैं, उनका भविष्य अंधकारमय हो गया है । दूसरी ओर आप देखें कि उनके साथ सरासर अन्याय हो रहा है जहां एक ओर उच्च शिक्षा में व्यवस्था कर दी गयी है परन्तु माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है ।

माननीय मंत्री जी अगर इसको व्यापक आधार देना चाहते हैं, कि यह अधिक उपयोगी बने, सार्थक बने, इसका लाभ शिक्षकों को मिले, शिक्षा प्रणाली में प्रगतिशीलता आवे, विसंगतियां दूर हों तो माध्यमिक शिक्षा मंत्री को इस धारा को निकाल देना चाहिए तभी इस विधेयक को लाना चाहिए । तो यह चीज मैंने बताई कि जैसे उच्च शिक्षा मंत्री ने व्यवस्था किया है उसी तरह से व्यवस्था की जानी चाहिए । मान्यवर, यह तभी न्यायसंगत होगा कि 10 वर्ष से जो सेवा कर रहे हैं, उसका कोई दोष नहीं है, उसको नियुक्ति दी गयी, पूरी सैलरी मिल रही है, लगातार काम कर रहे हैं कभी उनकी सेवा ब्रेक नहीं हुई उसके बाद में भी माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने इस अध्यादेश के द्वारा उनका भविष्य अंधकार में डाल दिया है । मैं समझता हूं कि वह जब उत्तर भाषण देंगे तो इस संबंध में अवश्य कुछ बतायेंगे । मैं समझता हूं कि स्वाभाविक है कि या तो इस धारा 6 को डिलीट कर दिया जाय या तो ऐसी व्यवस्था कर दी जाय जैसा हमने बताया उच्च शिक्षा के अन्तर्गत । मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर बहुत बड़ा सेटअप है और इसके अन्दर अगर एक स्थान पर विसंगति रह जाती है या विरोधाभास रह जाता है तो उसका प्रदेश व्यापी असर होता है और वह न शिक्षकों के हित में है और न शिक्षा विभाग के हित में है और न शिक्षा में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के हित में है । इसलिए इन कतिपय धाराओं की ओर मैंने आपका ध्यान आकृष्ट कराया है और हमने संकल्प में भी कहा है कि इन धाराओं में जो विसंगतियां रह गयीं हैं या जो प्राविधान करने से छूट गये हैं यह जो जनतांत्रिक व्यवस्था नहीं है उस व्यवस्था को माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी करें उसके बाद इस विधेयक को इस सदन में लायें तो अच्छा होगा ।

* श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

मान्यवर, मैं टेक्निकल्टीज तो नहीं जानता हूं लेकिन बहुत मन से जानता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी को कि उन्होंने एक नया चरण शुरू किया उत्तर प्रदेश के शिक्षा जगत में, यह अच्छा काम किया है। इसमें एक ही बात रह गयी है कि 300 टीचर हैं जिनका किसी तकनीकी कारण से विनियमितीकरण नहीं हुआ है जबकि इसी तरह का एक डिग्री कालेज के टीचर्स के बारे में हुआ है, यह नियमावली अगर समाप्त कर दी जाय और जो 300 टीचर्स रह गये हैं जब 6000 टीचर्स का हो चुका है आपने जगह दे दी है तो यह 300 टीचर तो 10 वर्ष से सेवारत हैं, ओवरऐज भी हो गये हैं अब उनको कहीं नौकरी भी नहीं मिलेगी तो मेरा यह मानना है कि उनके हित में धारा-33 की उपधारा 6 को डिलीट कर दिया जाय और जैसे डिग्री कालेज के टीचर्स को रेगुलराइज किया गया है उसी तरह से माध्यमिक शिक्षा के टीचर्स को भी रेगुलराइज किया जाय।

श्री भगवन्त प्रसाद–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के भाषण को सुनकर ऐसा लगा जैसे यह विधेयक शीत अग्नि जिसे पाला कहते हैं हो। जो बचा खुचा सिस्टम था उसका भी विनाश कर दिया गया। एक विनियमितीकरण खुद में दोहरा अपराध है। एक तो अयोग्य आदमियों को शिक्षा जगत में ले लेना पूरी तरह से देशद्रोह का अपराध है और फिर जब उस अयोग्य आदमी का उक्त कार्य करते-करते समय बीत गया तो कह देंगे कि विनियमितीकरण कर दिया जाय, अयोग्यता हमेशा के लिए स्थापित हो गयी। यह खूबसूरती है। कहा कि यह विधेयक ऐतिहासिक होगा। ऐतिहासिक आपका इतिहास यह है कि किसी स्कूल में बगैर नकल के कोई इम्तहान नहीं होता है और उसकी जिम्मेदारी लड़कों पर डाल दी जाती है, मास्टरों पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। साल-साल भर पढ़ाई नहीं होती है, बड़े घरों के लड़के तो किसी तरह से पढ़ लेते हैं लेकिन मार गरीब लड़कों पर पड़ती है। एक आशा थी कि शायद चयन आयोग से। आयोग और बार्ड में बड़ा भारी अन्तर होता है। आयोग अपना प्रोसीजर खुद निश्चित करता है उसमें भर्ती में धांधली नहीं होती है और बोर्ड का प्रोसीजर सरकार निश्चित करती है और यह सारी सरकारों में देखा गया है चाहे यह सरकार हो या कोई सरकार रही हो, सबका स्वभाव सामान्य होता है। जिसमें सरकारी प्रोसीजर बता दिया जाता है, उसमें धांधली इस कदर होती है कि सरकार जिसको चाहेगी भर्ती करेगी, नियुक्ति का, योग्यता का पैमाना ही बदल जायेगा यहां से डायरेक्शन चला जायेगा कि फलां-फलां किस्म के लोगों की भर्ती होनी है। जो अयोग्य होंगे वह भी भर्ती कर लिये जायेंगे। जो शिक्षा पद्धति है उसमें आग लग जायेगी। दलितों के उद्धार की बात कही गयी, आप काम करेंगे सत्यानाश और नाम लेंगे उद्धार का। आपका जो मौजूदा रोस्टर सिस्टम है पहली नियुक्ति दलित की होती है। क्या आपने तीसरी पांचवीं और सातवीं नियुक्ति का भी प्रबन्ध किया है या नहीं। 1, 7, 13, 19 इस तरह से 18 प्रतिशत का तो पहले से ही नियम बना दिया गया है। जब एक को करेंगे नहीं तो फिर आगे कैसे होगा। बहुत सी जगहों पर बैकलाग बना हुआ है जहां एक चपरासी तक नहीं है उस वर्ग का। आप 1 करते, 3 करते, 5 करते, 7 करते तो हम समझते कि बड़ी हमदर्दी है। मीठा बोल गये कि जल्दी भर्ती हो जायेगी।

सत्यानाश तो वैसे ही हो गया है, नकल बगैर किये लड़के पास ही नहीं होते हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री भगवन्त प्रसाद–

मान्यवर, इनकी अक्ल खुल जायेगी, मेरी बात सुन लें । मेरा सुझाव है कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दीजिए जहां इस पर विचार हो सके । यह कानूनी फ्राड है, कम्पलीट फ्राड है ।

श्री किशोरी लाल यादव–

मान्यवर, माननीय शिक्षा मंत्री ने यह चयन बोर्ड का प्रस्ताव रखा है उसके संबंध में मुझे दो-तीन बातें कहनी हैं, आश्वासन भी आपके माध्यम से चाहिए होगा । यह जो राज्य स्तर का शिक्षा आयोग था कहा गया कि उसमें कमियां थीं समय से नियुक्तियां नहीं कर पाते थे अगर रिकार्ड उठाकर देखा जाय तो यह शिक्षा सेवा आयोग की गल्ती नहीं थी बल्कि प्रबन्धतंत्र में जो लिस्ट जाती थी उनको ज्वाइन कराया जाता था, लोग हाई कोर्ट तक गये हैं, हाई कोर्ट में लोगों के मामले लम्बित हैं । आपने जो कहा है उसके बारे में थोड़ी चिन्ता यह है कि आपने 31 अगस्त, 1991 को रोक लगा दी एडहाक एप्वाइन्टमेंट पर इसलिए कुछ लोग हाई कोर्ट चले गये । दूसरा यह कि आपने कहा कि आरक्षण का कोटा लागू कर रहे हैं । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन विद्यालयों में आरक्षण का कोटा न पूरा करके सभी एडहाक एप्वाइन्टमेंट कर लिए गये हैं तो क्या एडहाक एप्वाइन्टमेंट से उन्हें निकाल दिया जायेगा या उनकी जगह पर आरक्षित व्यक्तियों की नियुक्ति की जायेगी या अलग से नियुक्ति की जायेगी । दूसरा यह है कि मैंने जो देखा कि चयन बोर्ड और मैनेजिंग कमेटी में टकराव हो जाता है उसमें आपस में पटरी नहीं खाती है और यदि मैनेजिंग कमेटी को किसी के खिलाफ कार्यवाही करनी है तो वह उसका नाम नहीं भेजती है । तो ऐसी तीन चार चीजें हैं.....

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया

अब आपका समय समाप्त हो गया है आप कृपाया बैठ जायं ।

श्री किशोरी लाल यादव–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो हाई कोर्ट से तदर्थ अध्यापकों ने स्थगन आदेश लेकर कार्य कर रहे हैं क्या उनका विनियमितीकरण किया जायेगा ?

श्री रमेश पोखरियाल–

मान्यवर, शिक्षा किसी भी राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी हुआ करती है । मैं तो यह सोचता हूं कि शिक्षा की व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए अगर यह सुदृढ़ नहीं हुई तो राष्ट्र की व्यवस्था जर्जर हो जायेगी । मान्यवर, मुझे बड़ी हंसी आ रही है कि एक ओर तो माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि नकल करके विद्यार्थी पास हो जाते हैं और दूसरी ओर हजारों की संख्या में पद रिक्त पड़े हुए हैं तो आज इसके माध्यम से हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम इन्हें भर सकें । मान्यवर, मैं माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने बड़ा कदम उठाया है । मैं इनकी उन्मुक्त कंठ से प्रशंसा करता हूं । जहां तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रश्न है इतने वर्षों में इतने पदों को भी भरा नहीं जा सका है और हजारों की संख्या में पद रिक्त पड़े हैं अब यह विधेयक लाया गया है तो इससे हजारों की संख्या में नियुक्ति हो जायेंगी । और मान्यवर, मैं समझता हूं कि जो उन्होंने पांच हजार दो सौ तदर्थ अध्यापकों को वितियमित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है उसकी जितनी प्रशंसा की जाये वह कम है । एक सुझाव मैं देना चाहता हूं कि यहां पर जो चयन बोर्ड की बात आयी है । तो मान्यवर, मैं अधिनियम 4(ग) की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं उसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय के आचार्य के रूप में या (दो) किसी ऐसे विश्वविद्यालय से

सम्बद्ध या मान्यता-प्राप्त किसी महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में, तो मान्यवर, इसमें विभागाध्यक्ष या रीडर जुड़ा भी होता तो बहुत ही अच्छा होता। एक बात और कहना चाहता हूं इसीके नीचे लिखा हुआ है कि इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन मान्यता प्राप्त किसी संस्था के प्राचार्य के रूप में तो मैं यह समझता हूं कि इण्टरमीडिएट के लिए प्रधानाचार्य शब्द का ही प्रयोग होता है, प्राचार्य शब्द डिग्री कालेज के प्रधानाचार्य के रूप में प्रयुक्त होता आया है। अतः इससे भ्रम पैदा होगा इसलिए डिग्री के प्रधानाचार्य को प्राचार्य और इण्टरमीडिएट के प्रधानाचार्य को प्रधानाचार्य ही लिखना उपयुक्त होगा।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

*श्री विक्रमादित्य मौर्य–

मान्यवर, जो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने विधेयक प्रस्तुत किया है तथा माननीय सुरेश प्रताप गांधी जी ने जो संशोधन का प्रस्ताव रखा है आपने उस पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने अभी जोशो-खरोश के साथ अपनी बातें कहीं और इन्होंने कहा कि हम बड़ी न्यायप्रियता से बड़ी लगन से और बड़ी ही सच्चाई के साथ काम को करेंगे। मान्यवर, दो बातें कहना चाहूंगा। मान्यवर, माननीय मंत्री ने अपने विधेयक में तदर्थ अध्यापकों के विनियमितीकरण की बात नहीं की है.....

जिनके स्थान पर आयोग ने अन्य व्यक्तियों का चयन कर लिया है मान्यवर, ऐसे सैकड़ों अध्यापकों के सामने बेरोजगारी की समस्या खड़ी हो गयी है और इस विधेयक से वह अध्यापक विनियमित होने से वंचित रह जायेंगे, जिनके स्थान पर आयोग ने चयन कर लिया है। मेरा निवेदन है कि धारा 33 की उपधारा 6 को समाप्त कर दिया जाय और निम्न संशोधन कर दिया जाय खण्ड 24 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 33–क के पश्चात बढ़ायी जाने वाली प्रस्तावित नयी धारा 33–ख की उपधारा (3) (4), (5) तथा (6) निकाल दी जाय। मान्यवर, ऐसा भी सामने आया है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा चयनित व्यक्ति कार्यभार ग्रहण नहीं कर सका है, उसे भी समायोजित किया जाय। डिग्री कालेजों में तमाम अध्यापक हैं, जो विनियमित नहीं किये गये हैं, ऐसे अध्यापकों को भी विनियमित किया जाय। मान्यवर, एक महत्वपूर्ण बात माननीय मंत्री जी की जानकारी में लाना चाहता हूं। जनपद बांदा में एक हिन्दू इण्टर कालेज है, वहां पर प्रधानाध्यापक के मामले में भीषण धांधली की गयी है, उसमें जिलाधिकारी व एक एम० पी० महोदय का हाथ बताया जाता है, इसकी सूचना मैंने नियम–301 में भी दी थी। वहां सूची के क्रमांक नं० 4 पर अंकित वरिष्ठता क्रम के अनुसार श्री नरेन्द्र कुमार शुक्ल को प्रधानाध्यापक न बनाकर क्रमांक नं० 7 पर अंकित कमलेश कुमार पाण्डेय को जबरदस्ती बना दिया गया, यह बहुत घोर अन्याय हुआ है, मैं चाहूंगा कि इस मामले में माननीय मंत्री जी न्याय करने की कृपा करेंगे।

* श्री भारत सिंह रावत–

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी द्वारा जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, उसमें 4 बोर्डों की जो व्यवस्था की गयी है, वह अच्छी व्यवस्था है और आशा करनी चाहिये कि इससे जो अध्यापकों का चयन होता है, वह निष्पक्षता के साथ होगा, किन्तु इसकी निष्पक्षता बोर्ड के द्वारा चयन करने के बाद ही

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रतीत होगी । आज तक जो अध्यापकों की नियुक्तियां होती थीं, 25_30 हजार रुपया प्रति अध्यापक की नियुक्ति पर प्रबन्ध समिति लेती थी और योग्यता को आधार न बनाकर पैसा देखा जाता था, अब इसका अन्त होगा । इसके अलावा माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं । आपने धारा–18 को समाप्त किया, लेकिन धारा–18 जब लागू हुयी थी, उससे पहले जब पद सृजित हुये थे, उस समय प्रबन्ध समितियों ने विज्ञापन दिये, उसमें धारा–18 के अनुसार चयन किया गया था, लेकिन कुछ लोगों के आवेदन 31 अगस्त, 1991 से पूर्व डी० आर० एस० के पास आ गये थे, विधिवत भी थे, धारा–18 के अन्तर्गत आते भी थे, वह विनियमित होने से रह गये हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि उनको भी विनियमित किया जाय ।

श्री विजेन्द्र कुमार–

मान्यवर, श्री सुरेश प्रताप गांधी ने जो संशोधन का प्रस्ताव रखा है, उसका विरोध करता हूं और माननीय मंत्री जी द्वारा जो चयन बोर्ड संशोधन विधेयक रखा गया है, उसका समर्थन करता हूं । इसमें माननीय मंत्री जी ने जो धारा 18 समाप्त करने की बात कही है, उसका हार्दिक समर्थन करता हूं । मान्यवर, अब तक जो चयन होता था, उसमें प्रबंध समिति को अधिकार होता था कि अनुसूचित जाति का उपयुक्त अभ्यर्थी न मिलने पर वह किसी अन्य उम्मीदवार की नियुक्ति कर सकता है और इसी को लेकर प्रबंध समिति आरक्षण को पूरा नहीं करती थी । इस तरह की नियुक्तियां पिछली सरकारों के कार्यकाल में होती रही हैं, जिससे अनुसूचित जाति के लोगों के अधिकारों पर कुठाराघात होता रहा है, जबकि वह सरकारें अपने आप को पिछड़ों, दलितों, अनुसूचितों का बड़ा हमदर्द होने का दावा करती रही हैं.....

डपोर शंख की तरह, उनको सुविधायें देने की बात कहते रहे हैं, अब मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार की नीयत स्पष्ट है, जिससे अनुसूचित जाति के जो अधिकार हैं, वह उनको अवश्य मिलेंगे । इन्हीं शब्दों के साथ में विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री सुरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने धारा 18(ख) को समाप्त करने की जो बात कही है, उसकी मैं सराहना करता हूं । परन्तु जो चयन बोर्ड आप बनाने जा रहे हैं और जैसा कि माननीय सदस्य, मझंनपुर ने ध्यान आकृष्ट भी किया है, उसमें आप किस तरह के व्यक्ति को रखेंगे । मान्यवर, आप जानते हैं कि आयोग की अपनी एक स्वायत्त स्थिति होती है । कहीं ऐसा तो नहीं इस बोर्ड में कोई धांधली सरकार करे । 31 अगस्त, 1991 को अध्यादेश को समाप्त होना था । परन्तु इससे पहले ही बैक डेट में कुछ प्रबन्ध तंत्रों ने व प्रधानाचार्यों ने धांधली करके नियुक्तियां कर ली और बाद में कोर्ट से स्टे लाकर उनको वेतन का अपहरण किया जा रहा है । तो क्या ऐसी नियुक्तियों को भी आप समाप्त करेंगे ? धारा–33(ख) धारा 24 की उप धारा (छ) में इस बात की व्यवस्था है कि ऐसे तदर्थ अध्यापक, जिनकी नियुक्ति हुई है, परन्तु आयोग ने उनके स्थान पर नियुक्ति कर दी है परन्तु वे कार्य नहीं कर रहे हैं, क्या ऐसे अध्यापकों को विनियमितीकरण करेंगे ? जैसा कि आपने उच्च शिक्षा में डिग्री कालेजों में व्यवस्था की है । आपने कहा कि हम 2 हजार अध्यापकों को विनियमित करने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है । शेष के बारे में आपने कहा कि चयन बोर्ड से चयन करेंगे । इसलिए कहीं चयन में कोई गड़बड़ी न हो, इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जहां इस पर विस्तार से विचार विमर्श हो जायेगा ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी जब अपना भाषण देंगे तो कह देंगे कि अपना संशोधन वापस ले लो । परन्तु जो शंका इधर बैठे लोग कर रहे हैं या उधर के कर रहे हैं कि उस बोर्ड का सभापति नामित करने का अधिकार सरकार ने ले लिया है । बोर्ड के गठन का तरीका निष्पक्ष हो और उसमें योग्यतम व्यक्ति को स्थान मिल सके । .....

निष्पक्ष चयन बोर्ड के गठन की सबसे बड़ी आशंका है ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय गांधी जी मेरा एक निवेदन है कि कृपया अपनी बात बहुत संक्षेप में कर दें ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

हमारे नेता का आदेश है कि मैं संक्षेप करूं, तो मान्यवर, मैंने कतिपय बिन्दुओं की ओर ध्यान दिलाया है । 1 मई, 91 से नियुक्तियों पर रोक लगाने की अवधि के संबंध में तथा धारा 6 के संबंध में प्राविधान शिथिल करके अध्यापकों की मौलिक नियुक्तियां की गयीं उनको नियमित करने के संबंध में जिनके स्थान पर योग्य को नियुक्त कर दिया । लेकिन उन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया उनके स्थान पर 10 साल से अगर कोई शिक्षण कार्य कर रहा है उनको अनदेखा नहीं किया जा सकता है उस पर भी गौर करने की बात है इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री लीला राम शर्मा–

मान्यवर, मैं एक आश्वासन चाहता हूं कि जो चयन बोर्ड बनेगा वह गैर-राजनीतिक लोगों का बनाया जायेगा यह आश्वासन वह दे दें ।

श्री राज नाथ सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य श्री सुरेश प्रताप गांधी जी ने जो अपना संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और उस पर बल देने के लिये अपनी बात व्यक्त की है उसके साथ ही साथ इस सदन के अन्य सम्मानित सदस्यों ने भी अपने विचार व्यक्त किये उनको बहुत ही गम्भीरतापूर्वक मैंने सुना । मुझे बेहद खुशी हो रही है यह कहते हुये कि प्रकारान्तर में उधर की बेंचों पर बैठे हुये सभी सम्मानित सदस्यों ने इस विधेयक का स्वागत किया । मैंने प्रकारान्तर शब्द का प्रयोग जो किया उसका कारण है जब विधान सभा की आज की कार्यसूची को मैं देख रहा था तो उसमें एक संशोधन नेता विरोधी दल माननीय रेवती रमण सिंह जी द्वारा प्रस्तुत किया गया हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी जब उसे टेकअप किया जायेगा तब कहें ।

श्री राजनाथ सिंह–

मैं निवेदन कर रहा था कि शायद माननीय नेता विरोधी दल ने देखा नहीं जब गम्भीरतापूर्वक बाद में देखा होगा तो बात समझ में आ गयी होगी इसीलिये अपने संशोधन को प्रस्तुत करने के लिये वह उपस्थित नहीं हुये इसलिंये प्रकारान्तर में समर्थन की बात कही । माननीय सदस्यों ने आशंका व्यक्त की है मैं अर्ज करना चाहता हूं कि चयन बोर्ड के गठन के प्रश्न पर यह आशंका होनी नहीं चाहिये, जैसा

मैंने पहले भी निवेदन किया था नकल रोकने के लिये जिस प्रकार कड़वी दवा का उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयोग किया अगर केवल सत्ता का लोभ रख कर कार्य किया होता तो इतना कठोर कदम उठाना नहीं चाहिये था । लेकिन कठोर कदम उठाया है । तो वैसे ही चयन बोर्ड के गठन में मैं कहूंगा हमने एक कठोर कदम उठाया है । मैं विश्वास दिलाता हूं कि चयन बोर्ड के गठन में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जायेगा । इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि इसमें विश्वसनियता हर कीमत पर स्थापित की जायेगी ।

माननीय सुरेश प्रताप गांधी जी ने प्रारम्भिक स्थानान्तरण की व्यवस्था की बात की, पहले एकल स्थानान्तरण की व्यवस्था थी । गांधी जी क्षमा करेंगे.....

जानकारी के अभाव में कभी-कभी मान्यवर, ज्ञान भ्रम पैदा हो जाता है । शायद माननीय गांधी जी चले भी गये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

जरा संक्षेप में कर दें ।

श्री राजनाथ सिंह–

उनको इस बात की जानकारी भी होगी कि जो नियुक्तियां होती हैं वह विशेष पदों के विरुद्ध होती हैं तो एकल स्थानान्तरण की व्यवस्था व्यवहारिक नहीं होती है । प्रबन्ध तंत्र द्वारा नियुक्तियां की जाती हैं । दोनों संस्थाओं के प्रबन्ध तंत्र के सहयोग से स्थानान्तरण की व्यवस्था हो पाती है । एक प्रश्न और इन्होंने उठाया था कि 14 मई, 1991 के बाद 31 अगस्त, 1991 तक जबकि नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगा हुआ था इस बीच जो तदर्थ रूप से नियुक्तियां हुई हैं, उनकी सेवाओं को नियमित नहीं किया गया है । मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश इण्टरमीडिएट ऐजूकेशन ऐक्ट है उसको उठाकर देखें तो विश्वास हो जायेगा । 14 मई, 1991 को शैक्षिक सत्र समाप्त हो जाता है तो इसके बाद अधिनियम के आधार पर जो भी नियुक्तियां होंगी वह अपने में पूरी तरह से गलत होंगी । मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि अगर माननीय सदस्य यह सिद्ध कर दें कि 14 मई, 1991 और 31 मई, 1991 को तदर्थ रूप से जो नियुक्तियां हुई हैं, वह विधिक हैं तो मैं निश्चित रूप से उन्हें नियमित कर दूंगा । लेकिन मान्यवर, जो नियुक्तियां हुई हैं, वह विधिक नहीं हैं ।

(मेजें थपथपाई गई)

प्रोन्नति के सम्बन्ध में भी उन्होंने कहा कि वरिष्ठता का ध्यान रखा जाय । मान्यवर, प्रोन्नति के लिए वरिष्ठता का ध्यान रखा जायेगा, योग्यता का भी ध्यान रखा जायेगा । वरिष्ठता का जहां तक सवाल है, पहले कुछ हेरा-फेरी होती थी । पहले जल्दी निर्धारण नहीं होता था । वरिष्ठता निर्धारित होने में काफी विवाद होता था । मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि पहली बार माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अपनी सेवा नियमावली भी तैयार कर लेने का काम पूरा कर लिया है । इसलिये प्रोन्नति में वरिष्ठता का भी ध्यान रखा जायेगा । प्रबन्ध तंत्र द्वारा जो नियुक्तियां कर ली गईं यदि उन पदों पर चयन शिक्षा सेवा आयोग के द्वारा हो गया तो क्या होगा । मैं निवेदन करना चाहूंगा शिक्षा आयोग द्वारा चयनित अध्यापक था जब वह संस्था में अपनी ड्यूटी रिपोर्ट करने के लिये पहुंचा तो वहां प्रबन्ध तंत्र के लोगों ने उसे ड्यूटी रिपोर्ट करने से मना कर दिया, जबरन रोक दिया और वहां प्रबन्धक महोदय ने जिस भी अध्यापक की नियुक्ति कर दी थी आज तक उसी के द्वारा काम लेते चले जा रहे हैं । मैं समझता हूं कि आयोग के द्वारा चयनित व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है मैं स्वयं भी अध्यापक हूं । बहुत से माननीय

सदस्यों ने ऐसे तथ्य उठाये हैं । स्वस्थ लोकतंत्र में अच्छे विचारों का समादर होना चाहिए । मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रश्न को संवेदनशील बना दिया है उस पर हम विचार करेंगे । अभी हमारे एक सदस्य ने प्रश्न किया था कि पहली नियुक्ति आप आरक्षित कोटे की कर देंगे, हरिजन वर्ग से, पिछड़े वर्ग से, तीसरी, पांचवीं, सातवीं भी करेंगे कि नहीं । मैं उन्हें आश्वस्त कर दूं कि पहली भी करेंगे, तीसरी , पांचवीं, सातवीं भी करेंगे, ग्यारहवीं भी करेंगे, इक्कीसवीं भी करेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक कि आरक्षण का कोटा पूरा न हो जायं ।

(मेजें थपथपाई गई)

ट्यूशन और कोचिंग वास्तव में शिक्षा जगत का एक बहुत बड़ा रोग है, कैंसर है और नकल जैसे कैन्सर की चुनौती को हमने स्वीकार किया है । मैं सदन को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश इण्टरमीडिएट ऐजूकेशन ऐक्ट में ट्यूशन को प्रतिबंधित करने की व्यवस्था की गई है और जो प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया गया है । उत्तर प्रदेश सरकार इस व्यवस्था को रोकने की व्यवस्था करेगी । मान्यवर, एक प्रश्न माननीय सदस्य के द्वारा पूछा गया, हाईकोर्ट के द्वारा जिन लोगों ने स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है, वेतन प्राप्त कर रहे हैं यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही है । माध्यमिक शिक्षा विभाग के बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि ऐसे लोगों ने भी माननीय न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए हैं जिनकी किसी पद पर नियुक्ति ही नहीं हुई थी । मैं कहना चाहता हूं कि न्याय हो, इन्साफ हो इसके लिए हमारा विभाग पूरी तरह से अपने दावे को प्रस्तुत करेगी । जो आप सब की तरफ से आशंकायें व्यक्त की गई हैं उन आशंकाओं को हम दूर करेंगे । उत्तर प्रदेश में शिक्षा की सार्थकता को सिद्ध करने के लिये हम अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं । माननीय सदस्य सुरेश प्रताप गांधी जी चले गये थे, मैं उनकी उपस्थिति की अनुभूति का अहसास कर रहा था, अब वह आ गए हैं मैं उनकी भावना की इज्जत करता हूं और उनसे निवेदन करूंगा कि इसको वापस ले लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

गांधी जी आप संशोधन प्रस्ताव वापस ले रहे हैं । (व्यवधान)

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

इन्होंने एक-दो धाराओं पर विचार करने के लिए कहा है अगर धारा–6 में भी यह संशोधन कर लें तो मैं वापस लेने के लिए तैयार हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1992 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1992 पर विचार किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्डशः विचार–खण्ड 2 से खण्ड 23 तक

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1982 के दीर्घ शीर्षक का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 के, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, दीर्घ शीर्षक में शब्द "आयोग और" निकाल दिये जायेंगे ।

धारा 1 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 1 में, उपधारा (1) में, शब्द "आयोग और" निकाल दिए जायेंगे ।

धारा 2 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 2 में,–

(क) खण्ड (ख) और (ग) निकाल दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्–

"(घ–1) 'निरीक्षकं' का तात्पर्य जिला विद्यालय निरीक्षक और बालिकाओं की किसी संस्था के सम्बन्ध में संभागीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका से है ;"

(ग) खण्ड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्–

"(छ) 'सदस्य' का तात्पर्य बोर्ड के सदस्य से है और इसके अन्तर्गत सभापति भी है ;"

(घ) खण्ड (झ) और (ञ) निकाल दिये जायेंगे;

(ङ) खण्ड (ट) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्–

"(ठ) भर्ती का वर्ष का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की जुलाई के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।"

अध्याय दो का निकाला जाना

5–मूल अधिनियम का अध्याय दो जिसमें धारा 3 से 11 दी गई हैं, निकाल दिया जायेगा ।

धारा 12 का संशोधन

6–मूल अधिनियम की धारा 12 में,–

(क) उपधारा (i) में शब्द "छः या इससे अधिक" के स्थान पर शब्द "चार" रख दिया जायगा ;

(ख) उपधारा (3), (4) और (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थात्—

" (3) प्रत्येक ऐसे बोर्ड में एक सभापति और चार से अनधिक ऐसे अन्य सदस्य होंगे जिन्हें चयन समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे, द्वारा विहित रीति से की गई संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा:—

| | | |
|---|---|---|
| (एक) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार | .. | अध्यक्ष |
| (दो) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, न्याय विभाग | .. | सदस्य |
| (तीन) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, जो माध्यमिक शिक्षा विभाग का प्रभारी हो । | .. | सदस्य |

(4) कोई व्यक्ति सभापति के रूप में नियुक्ति के लिये अर्ह नहीं होगा जब तक कि—

(क) वह निम्नलिखित पदों में से कोई पद या उसके समकक्ष कोई पद धारण न करता हो या धारण न कर चुका हो, अर्थात्–

(एक) जिला न्यायाधीश ;

(दो) जिला मजिस्ट्रेट ;

(तीन) शिक्षा निदेशक ; या–

(ख) वह राज्य सरकार की राय मे ऐसा विख्यात शिक्षाविद् न हो जिसने शिक्षा के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान किया हो ।

(5) कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं होगा जब तक कि—

(क) वह निम्नलिखित पदों में से कोई पद या उसके समकक्ष पद धारण न करता हो या धारण न कर चुका हो, अर्थात्—

(एक) अपर जिला न्यायाधीश ;

(दो) अपर जिला मजिस्ट्रेट ;

(तीन) अपर शिक्षा निदेशक ;

(चार) उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में आचार्य ;

(पांच) ऐसे किसी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त या उससे सम्बद्ध किसी महाविद्यालय का कम से कम दस वर्ष की अवधि के लिए प्रधानाचार्य या उपाचार्य ;

(छः) किसी संस्था का कम से कम पन्द्रह वर्ष की अवधि के लिए प्रधानाचार्य ; या

(ख) वह राज्य सरकार की राय में ऐसा विख्यात शिक्षाविद् न हो जिसने शिक्षा के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान किया हो ।"

नई धारा 12-क, 12-ख और 12-ग का बढ़ाया जाना

7—मूल अधिनियम की धारा 12 के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्—

सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें

"12-क-(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा ।

(2) कोई भी व्यक्ति निरन्तर दो पदावधियों से अधिक के लिए बोर्ड का सदस्य नहीं होगा ।

(3) बोर्ड का कोई सदस्य राज्य सरकार को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पदत्याग कर सकता है किन्तु वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका त्याग-पत्र राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत न कर लिया जाय ।

(4) सदस्यों का पद पूर्णकालिक होगा और उनकी सेवा के निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी राज्य सरकार, आदेश द्वारा निदेशित करें ।

(5) इस धारा या धारा 12 में किसी बात के होते हुए भी पचपन वर्ष से कम आयु का और बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा और न ही बासठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् कोई व्यक्ति सदस्य बना रहेगा ।

सदस्यों को हटाने की राज्य सरकार की शक्ति

12-ख (1) राज्य सरकार, आदेश द्वारा, किसी सदस्य को पद से हटा सकती है, यदि वह—

(क) दिवालिया न्याय निर्णीत किया जाय ; या

(ख) अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी वैतनिक सेवायोजन से कार्य करें ; या

(ग) राज्य सरकार की राय में, मानसिक या शारीरिक दुर्बलता या सिद्ध कदाचार के कारण पद पर बने रहने के लिए अनुपयुक्त हो ; या

(घ) इस अधिनियम या उसके अधीन बंनाये गये नियमों के अधीन किसी अनर्हता का भागी हो जाय ।

स्पष्टीकरण—जहां कोई सदस्य ऐसे सदस्य के रूप से अन्यथा किसी प्रकार से किसी संस्था द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा करार से, संबद्ध हो या उसमे हितबद्ध हो या उसके लाभ में हो उससे प्राप्त होने वाले किसी फायदे या उपलब्धि में सम्मिलित हो वहां उसे खण्ड (ग) के प्रयोजनार्थ कदाचार का दोषी समझा जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन कदाचर के अन्वेषण और उसे सिद्ध करने की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विहित की जाय ।

12–ग–बोर्ड सहयुक्त करने की शक्ति अपने साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिये जो विहित किये जायें, किसी ऐसे व्यक्ति को सहयुक्त कर सकता है जिसकी सहायता या सलाह वह इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए लेना चाहे ।"

धारा 13 का संशोधन

8–मूल अधिनियम की धारा 13 के उपधारा (1) के, अन्त में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्–

"परन्तु बोर्ड का सचिव राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जायेगा ।"

धारा 14 का संशोधन

9–मूल अधिनियम की धारा 14 में,–

"(क) उपधारा (1) में, कोष्ठक और शब्द 'अनुसूची में विनिर्दिष्ट अध्यापक से भिन्न' निकाल दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) निकाल दी जायगी;

(ग) उपधारा (3) में,–

(एक) शब्द और अंक 'उपधारा (1) और (2)' के स्थान पर शब्द और अंक 'उपधारा (1)', रख दिये जायेंगे;

(दो) खण्ड (क) में, शब्द 'परीक्षायें जहां आवश्यक समझा जाय, संचालित करना या' निकाल दिये जायेंगे;

(तीन) खण्ड (ख) में शब्द 'और परीक्षक नियुक्त करना' निकाल दिए जायेंगे;

(चार) खण्ड (ग) में शब्द 'और परीक्षकों' निकाल दिए जायेंगे ।

(पांच) खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिए जायेंगे, अर्थात्–

(च) चयन किये गये अभ्यर्थियों की नियुक्ति और उनकी प्रोन्नति के संबंध में सिफारिश करना;

(छ) अध्यापकों की पदच्युति, हटाये जाने या पंक्तिच्युति या उनकी उपलब्धियों में कोई कमी या उनकी वेतन वृद्धि रोकने से संबंधित विषयों में प्रबन्धतंत्र को सलाह देना,

(ज) अध्यापकों की पद संख्या और अध्यापकों की नियुक्ति, प्रोन्नति, पदच्युति, हटाने, सेवा समाप्ति या पंक्तिच्युति के संबंध में संस्थाओं से नियतकालिक विवरणियाँ या अन्य सूचनायें प्राप्त करना ।"

धारा 15 का प्रतिस्थापन

10--मूल अधिनियम की धारा 15 के स्थान पर निम्नलिखित धारायें रख दी जायेंगी, अर्थात्–

अध्यापकों के चयन की प्रक्रिया

"15–(1) किसी अध्यापक की नियुक्ति करने के प्रयोजनार्थ प्रबन्धतंत्र विद्यमान या भर्ती के वर्ष के दौरान संभावित, रिक्तियों की संख्या और संस्था के प्रधान से भिन्न किसी पद के मामले में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी संस्था के संबंध में नियमावली या सरकार द्वारा इस निमित्र जारी किये गये आदेशों के अनुसार अवधारित करेगा और रिक्तियों को बोर्ड को ऐसी रीति से और ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी के माध्यम से, जो विहित किया जाय, अधिसूचित करेगा ।

(2) ऐसे अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसी विहित की जाय :

परन्तु बोर्ड प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आमंत्रित करने की दृष्टि से उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित रिक्तियों की राज्य में व्यापक प्रचार करेगा ।

बोर्ड द्वारा चयन किए गए अभ्यर्थियों का पैनल

15–क–(1) बोर्ड धारा 15 के अधीन रिक्तियों को अधिसूचित करने के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करेगा और नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों का पैनल तैयार करेगा और उसे धारा 15 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी या प्राधिकारी को विहित रीति से अग्रसारित करेगा ।

(2) ऐसे पैनल के प्राप्त होने पर संबंधित अधिकारी या प्रधिकारी उस संस्था के, जिसके संबंध में रिक्ति अधिसूचित की गयी थी, प्रबन्धतंत्र को चयन किये गये अभ्यर्थियों के नाम विहित रीति से सूचित करेगा ।

(3) प्रबन्धतंत्र ऐसी सूचना की प्राप्ति के दिनांक से एक मास की अवधि के भीतर ऐसे चयन किये गये अभ्यर्थियों को नियुक्ति-पत्र जारी करेगा ।

(4) यदि इस प्रकार चयन किया गया अभ्यर्थी ऐसी संस्था में, नियुक्ति-पत्र में अनुमत समय के भीतर या ऐसी बढ़ायी गयी अवधि के भीतर जिसकी प्रबन्धतंत्र इस निमित्त अनुमति दे, पद का कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहता है या यदि ऐसा अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अन्यथा उपलब्ध नहीं है, तो संबंधित अधिकारी या प्रधिकारी प्रबन्धतंत्र के अनुरोध पर, उपधारा (1) के अधीन बोर्ड द्वारा अग्रसारित पैनल से नया नाम या नये नाम विहित रीति से सूचित करेगा ।

(5) उपधारा (1) के अधीन तैयार पैनल एक वर्ष के लिए प्रवृत्त रहेगा ।

संक्षिप्त आरक्षित कोटा के लिए विशेष उपलब्ध

15–ख–यदि किसी संस्था में धारा 33 के अधीन अध्यापकों की नियुक्ति के विनियमितीकरण के पश्चात् यह पाया जाए कि धारा 15 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य किसी आरक्षित श्रेणी के व्यक्ति राज्य सरकार के किसी नियम या आदेश द्वारा उनके लिए आरक्षित पदो की संख्या से कम पदों में नियुक्त हैं, तो इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी संस्था में, ऐसी आरक्षित श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या ऐसी श्रेणी के

व्यक्तियों से भरे जाने तक, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रवर्तन के पश्चात् उत्पन्न हुई रिक्तियों में, नियुक्तियां इस प्रकार की जायेगी कि प्रथम व प्रत्येक एकान्तर रिक्ति ऐसी आरक्षित श्रेणी के व्यक्तियों से भरी जाए ।

धारा 16 का प्रतिस्थापन

11–मूल अधिनियम की धारा 16 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्–

बोर्ड की सिफारिश पर ही नियुक्तियां की जायेंगी

"16–(1) इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 या उसके अधीन बनाये गये विनियमों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किन्तु धारा 21-ख, 21-ग, 21-घ, 33, 33-क, और 33-ख के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अध्यापकों की प्रत्येक नियुक्ति उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारम्भ के दिनांक को या उसके पश्चात् प्रबन्धतंत्र द्वारा बोर्ड की सिफारिश पर ही की जायेगी :

परन्तु छटनी किये गये कर्मचारियों के संबंध में, इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 16–ङ्ङ के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे :

परन्तु यह और कि किसी एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानान्तरण द्वारा किसी अध्यापक की नियुक्ति इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 16–छ की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन बनाये गये विनियमों के अनुसार की जा सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करके की गयी कोई नियुक्ति शून्य होगी ।"

धारा 17 का संशोधन

12–मूल अधिनियम की धारा 17 में–

(क) उपधारा (1) में, शब्द "यथास्थिति, अध्याय दो या अध्याय तीन" के स्थान पर शब्द "अध्याय तीन" रख दिये जायेंगे ।

(ख) उपधारा (2) में, शब्द "आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर" के स्थान पर शब्द "आवेदन-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से यथासम्भव एक मास के भीतर" रख दिये जायेंगे ।

धारा 18 का निकाला जाना

13–मूल अधिनियम की धारा 18 निकाल दी जायगी ।

धारा 19 का प्रतिस्थापन

14–मूल अधिनियम की धारा 19 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्–

"19–बोर्ड किसी संस्था के प्रबन्धतंत्र से धारा 14 में निर्दिष्ट विषयों के संबंध में ऐसी सूचना या विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है जिसे वह उचित समझे और प्रबन्धतंत्र उसका अनुपालन करने के लिए बाध्य हो ।"

सूचना आदि मांगने की शक्ति

धारा 20 का संशोधन

15–मूल अधिनियम की धारा 20 में, शब्द "आयोग के सचिव या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति" के स्थान पर शब्द "बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति" रख दिये जायेंगे ।

धारा 21 का प्रतिस्थापन

16–मूल अधिनियम की धारा 21 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्–

"21–प्रबन्धतंत्र, बोर्ड के पूर्वानुमोदन के सिवाय किसी अध्यापक को पदच्युत नहीं करेगा, न सेवा से हटाएगा, न सेवा से हटाने की कोई नोटिस देगा, न पंक्तिच्युत करेगा, न उसकी परिलब्धियों में कोई कमी करेगा ओर न ही किसी अवधि के लिए उसकी वेतनवृद्धि (चाहे वह अस्थायी या स्थायी रूप में से हो) रोकेगा और ऐसे पूर्वानुमोदन के बिना किया गया ऐसा कार्य शून्य होगा ।"

अध्यापकों को पदच्युत आदि करने पर निर्बन्धन

धारा 22 का संशोधन

17–मूल अधिनियम की धारा 22 में, शब्द "यथास्थिति, आयोग या बोर्ड" के स्थान पर शब्द "बोर्ड" रख दिया जायगा ।

धारा 23 और 26 का संशोधन

18–मूल अधिनियम की धारा 23 और 26 में, जहां कहीं शब्द "आयोग या" आए हों, उन्हें निकाल दिया जायगा ।

धारा 27 का संशोधन

19–मूल अधिनियम की धारा 27 में, उपधारा (1) निकाल दी जायगी ।

धारा 28 का संशोधन

20–मूल अधिनियम की धारा 28 में, शब्द "आयोग या बोर्ड" के स्थान पर शब्द "बोर्ड" रख दिया जायगा ।

धारा 29 का निकाला जाना

21–मूल अधिनियम की धारा 29 निकाल दी जायगी ।

धारा 32 का संशोधन

22–मूल अधिनियम की धारा 32 में, शब्द "या इसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों" के स्थान पर शब्द "या इसके अधीन बनाये गये नियमों" रख दिये जायेंगे ।

धारा 33 का संशोधन

23–मूल अधिनियम की धारा 33 में, उपधारा (1) में, परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जायगा, अर्थात्–

"परन्तु ऐसा कोई आदेश उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् नहीं दिया जायगा ।"

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 23 तक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–24

नई धारा 33-ख का बढ़ाया जाना

24–मूल अधिनियम की धारा 33-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्–

कतिपय अन्य नियुक्तियों का विनियमितीकरण

"33–ख-(1) प्राचार्य या प्रधान अध्यापक से भिन्न ऐसे किसी अध्यापक को प्रबन्धतंत्र द्वारा मौलिक नियुक्ति दी जायेगी, जो–

(क) (एक) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों को दूर करना) (द्वितीय) आदेश, 1981 के पैरा 2 के अनुसार प्रवक्ता श्रेणी या प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी में 14 मई, 1991 को या उसके पूर्व, या सर्टीफिकेट आफ, टीचिंग ग्रेड में 13 मई, 1989 को या उसके पूर्व, पदोन्नति द्वारा या सीधी भर्ती द्वारा किसी अल्पकालिक रिक्ति में नियुक्त किया गया था और ऐसी रिक्ति को बाद में मौलिक रिक्ति में परिवर्तित कर दिया गया था; या

(दो) सर्टीफिकेट आफ टीचिंग ग्रेड में किसी मौलिक रिक्ति के प्रति तदर्थ आधार पर विज्ञापन के माध्यम से 14 जुलाई, 1981 को या उसके पश्चात् किन्तु 12 जून, 1985 के पश्चात् नहीं, सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया था और ऐसी नियुक्ति निरीक्षक द्वारा अनुमोदित कर दी गयी थी; या

(तीन) धारा 18 के अनुसार, जैसी कि वह उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1992 द्वारा निकाले जाने के पूर्व थी, किसी मौलिक रिक्ति के प्रति तदर्थ आधार पर पदोन्नति द्वारा या सीधी भर्ती द्वारा 31 जुलाई, 1988 को या उसके पश्चात् किन्तु 14 मई, 1991 के पश्चात् नहीं, नियुक्त किया था ;

(ख) इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के उपबन्धों के अनुसार विहित अर्हतायें रखता हो या ऐसी अर्हताओं से छूट प्राप्त हो ;

(ग) ऐसी नियुक्ति के दिनांक से खण्ड (क) के उप-खण्ड (तीन) में निर्दिष्ट अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक तक संस्था में निरन्तर कार्य कर रहा हो ;

(घ) धारा 33-क की उपधारा (3) के स्पष्टीकरण में विनिर्दिष्ट प्रकार से संस्था के प्रबन्धतंत्र के किसी सदस्य या प्राचार्य या प्रधान अध्यापक से संबंधित न हों ;

(ङ) उपधारा (2) के अधीन गठित चयन समिति द्वारा मौलिक रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया गया हो ।

(2) (क) प्रत्येक सम्भाग के लिए एक चयन समिति होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्–

(एक) उस सम्भाग का सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक, जो अध्यक्ष होगा ;

(दो) शिक्षा विभाग से भिन्न किसी विभाग में, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस रूप में विनिर्दिष्ट समूह "क" का पद धारण करने वाला एक अधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा ;

(तीन) उस सम्भाग की सम्भागीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका :

परन्तु उस जिले के विनियमितीकरण के मामलों पर विचार करते समय जिला विद्यालय निरीक्षक को सदस्य के रूप में सहयोजित किया जायेगा ।

(ख) खण्ड (क) के अधीन गठित चयन समिति प्रत्येक ऐसे अध्यापक के मामले पर विचार करेगी और उपधारा (1) के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए उसकी पात्रता और उसके अभिलेख के आधार पर उसके कार्य और आचरण, के संबंध में समाधान हो जाने पर, उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए., किसी मौलिक रिक्ति पर उपधारा (1) के अधीन नियुक्ति के लिए प्रबन्धतंत्र को उसके नाम की सिफारिश करेगी ।

(3) (क) मौलिक नियुक्ति के लिए अध्यापकों के नामों की सिफारिश उनकी नियुक्ति के दिनांक से यथा-अवधारित ज्येष्ठता-क्रम में की जायेगी ।

(ख) यदि दो या अधिक ऐसे अध्यापक एक ही दिनांक को नियुक्त किये गये हों तो आयु में अपेक्षाकृत बड़े अध्यापक की सिफारिश पहले की जायेगी ।

(4) उपधारा (1) के अधीन मौलिक रूप में नियुक्त प्रत्येक अध्यापक को ऐसी मौलिक नियुक्ति के दिनांक से परिवीक्षा पर समझा जायगा ।

(5) ऐसा अध्यापक जो उपधारा (1) के अधीन उपयुक्त न पाया जाय और ऐसा अध्यापक जो उस उपधारा के अधीन मौलिक नियुक्ति पाने के लिए पात्र न हो, ऐसे दिनांक को जैसा राज्य सरकार आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, नियुक्ति पर नहीं रह जायेगा ।

(6) इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि कोई अध्यापक मौलिक नियुक्ति के लिए हकदार हो जायेगा, यदि उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड (तीन) में निर्दिष्ट अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक को ऐसी रिक्ति पहले से ही भरी हुई थी या ऐसी रिक्ति के लिए इस अधिनियम के अनुसार पहले ही चयन कर लिया गया है । ''

श्री उपाध्यक्ष–

रेवती रमण सिंह जी उपस्थित नहीं हैं इसलिए संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है ।

श्री रमेश बहादुर सिंह–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से खण्ड 24 द्वारा, मूल अधिनियम की धारा 33-क के पश्चात् बढ़ायी जाने वाली प्रस्तावित नयी धारा 33-क की उपधारा (2) के खण्ड (ख) में शब्द ''उसके अभिलेख के आधार पर उसके कार्य और आचरण'' के स्थान पर शब्द ''उपयुक्तता'' रखने का मैं प्रस्ताव दे रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, यह जो संशोधन रखा गया है इसके बारे में आपका क्या मत है ।

श्री राजनाथ सिंह–

मान्यवर, इसको स्वीकार किया जाना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 24 द्वारा, मूल अधिनियम की धारा 33-क के पश्चात् बढ़ायी जाने वाली प्रस्तावित नयी धारा 33-क की उपधारा (2) के खण्ड (ख) में शब्द "उसके अभिलेख के आधार पर उसके कार्य और आचरण" के स्थान पर शब्द "उपयुक्तता" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड 24 इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 25 से 27

धारा 34 का निकाला जाना

25–मूल अधिनियम की धारा 34 निकाल दी जायगी ।

अनुसूची का निकाला जाना

26–मूल अधिनियम की अनुसूची निकाल दी जायगी ।

संक्रमणकालीन उपबन्ध

27–मूल अधिनियम की धारा 3 के, जैसी वह इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व थी, अधीन निगमित निकाय के रूप में गठित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग, ऐसे प्रारम्भ पर विघटित हो जायगा और ऐसे विघटन पर–

(क) उस आयोग की सभी सम्पत्तियां और परिसम्पत्तियां और उस आयोग के सभी ऋण, दायित्व और वाध्यता चाहे किसी संविदा के अधीन हो, या अन्यथा हो मूल अधिनियम की धारा 12 के अधीन स्थापित ऐसे बोर्ड को अन्तरित हो जायेगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ;

(ख) उस आयोग में प्रतिनियुक्ति पर काम करने वाले सभी व्यक्ति अपने मूल विभागों में परिवर्तित हो जायेंगे ;

(ग) उस आयोग के प्रत्येक पूर्णकालिक कर्मचारी की सेवायें मूल अधिनियम की धारा 12 के अधीन स्थापित ऐसे बोर्ड में, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, अन्तरित हो जायेगी ।

(घ) मूल अधिनियम के अध्याय दो के, जैसा वह इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व था, अधीन उस आयोग के समक्ष लम्बित कोई विषय और मूल अधिनियम की धारा 21 के जैसी वह ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व थी, अधीन उस आयोग के समक्ष लम्बित कोई संदर्भ, मूल अधिनियम की धारा 12 के अधीन स्थापित अधिकारिता रखने वाले बोर्ड को अन्तरित हो जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 25 से खण्ड 27 तक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

**उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1992**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

**विधेयक**

भारत गणराज्य के तैंतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1992 कहा जायेगा ।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे और विभिन्न उपबन्धों के लिए विभिन्न दिनांक निर्धारित किये जा सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राजनाथ सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1992 पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1992 जैसा कि संशोधित हुआ, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा एवं मतदान,**

**अनुदान संख्या–54–लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान),**

**अनुदान संख्या–55–लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन),**

**अनुदान संख्या–56–लोक निर्माण विभाग (आवास भवन),**

**अनुदान संख्या–57–लोक निर्माण विभाग (कार्यालयक भवन) तथा**

**अनुदान संख्या–58–लोक निर्माण विभाग (संचार साधन)**

लोक निर्माण मंत्री (डा० सरजीत सिंह डंग)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 54–लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,12,08,61,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 55–लोक निर्माण विभाग (अनावसिक भवन) के

अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 23,17,34,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(समय 4 बजकर 20 मिनट)

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 56 –लोक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,54,98,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी बजट के प्रस्तुतीकरण का समय ध्यान रखें ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, बहुत-बहुत धन्यवाद । आपका ध्यान वास्तव में है, मुझे प्रसन्नता है ।

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 57–लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,31,54,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 58–लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,43,25,73,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, लोक निर्माण विभाग का वित्तीय वर्ष 1992-93 का आय-व्ययक इस गौरवशाली सदन के समक्ष प्रस्तुत करते हुए मैं अत्यन्त हर्ष का अनुभव कर रहा हूं । मान्यवर, सभी सहमत होंगे कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास की अवस्थापना में संचार साधनों का अपना महत्व है । उर्दू में एक शेर है "खिराजे नाज से चलने को वह राजी नहीं हरगिज, उरूसे नौ तरक्की की उजाला सड़क मांगे ।" मान्यवर, दुल्हन का नाम सुनकर आपके मन में भी कहीं न कहीं तबला बज रहा है । विकास की नयी नवेली दुल्हन के कदमों में पक्की सड़क और ऊपर बिजली की रोशनी न हो तो वह कदम आगे नहीं बढ़ायेगी । यह वास्तविकता है अगर देश और प्रदेश का विकास चाहते हैं तो संचार साधनों के विकास के बिना आप सिंचाई माध्यम से, ऊर्जा शक्ति के अधिक से अधिक उत्पादन से और जो कुछ कृषि उत्पादन बाजार में लाना चाहेंगे, नहीं ला पायेंगे । आप उत्पादकता बढ़ायेंगे, बाजार में नहीं आ सकती । इसके बारे में निश्चित रूप से विपक्ष के मित्र भी सहमत होंगे कि संचार के साधनों के विकास के साथ सीधा-सीधा संबंध है । स्वतंत्रता के पश्चात् प्रदेश में सड़कों और पुल के निर्माण में गति तो जरूर आयी किन्तु देश के अन्य भागों की तुलना में हमारी अवस्थापना सेवा में जिस प्रकार की गति होनी चाहिए थी, दुर्भाग्य से नहीं हो पायी । मान्यवर, विपक्ष के एक मित्र कह रहे थे कि मंदिर बना रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि मंदिर भी बनायेंगे, सड़क भी बनायेंगे, पुल और विद्यालय भी बनायेंगे । आप चिन्ता न करें । आपकी हर चिन्ता दूर होगी । मान्यवर, भारत के मूल सड़क आंकड़े 1988 के प्रकाशन के अनुसार उत्तर प्रदेश में एक लाख जनसंख्या पर सड़कों की उपलब्धि केवल 165.9 कि०मी० है, जबकि राष्ट्रीय औसत 269 कि०मी० थी, आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैं समझता हूं कि आप विपक्ष में बैठे हैं, कभी इधर से बोला करते थे, मैं उनको स्मरण कराना चाहता हूं कि आज बिहार और पश्चिम बंगाल को छोड़कर उपलब्धता का यह स्तर देश के सभी राज्यों एवं संघ प्रशासित क्षेत्रों में से पीछे है, यह बहुत बड़ी चुनौती है, सरकार के सामने । इस चुनौती को हमने सहर्ष स्वीकार किया है और प्रदेश की जनता के स्वप्नों को मूर्त रूप देने के लिए यह बजट प्रस्तुत किया है ।

आज आवश्यक है कि हमारे पास जो अपेक्षाकृत सीमित संसाधन हैं, उसका इस प्रकार से उपयोग किया जाय कि अविकसित क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक गति बढ़ाने के लिए अधिकाधिक मार्ग और पुल का निर्माण किया जाय, विशेष रूप से औद्योगिक, सांस्कृतिक, पर्यटक और भारत के महत्वपूर्ण धार्मिक केन्द्रों को जोड़ने वाली सड़कों के विकास और सुदृढ़ीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाय । इसके साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि नित्य नई परियोजनाओं की स्वीकृति कर सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की जो एक मानसिकता है, इस पर कठोर नियंत्रण लगाना आवश्यक है और इसीलिए हमने यह तय किया है कि पहले हम अपूर्ण कार्यों को पूरा करेंगे, उनके स्थायित्व को सुनिश्चित करेंगे और आवश्यक संसाधन उपलब्ध करायेंगे । मान्यवर, जब आय-व्ययक पर चर्चा पर सामान्य चर्चा हो रही थी, उस समय मेरे मित्र माननीय हसन साहब ने यह कहा था कि राज्य सेक्टर द्वारा उनके जिले में 140 कि०मी० सड़कें तैयार हैं, जिन पर तारकोल नहीं पड़ा है । जो विचार उन्होंने प्रकट किये, यही चिन्ता हमारी भी है । गलत नीतियों के कारण राजनैतिक हित साधन, अदम्य लालसा के कारण प्रदेश में जो सड़कें बनाई गयी हैं, कोई मिट्टी की है, कोई खड़ंजे स्तर की हैं, जिनको सड़क कहना, सड़क मात्र कहना अपमान है । गांव का किसान पैदल चलता है, तो कंकड़ उसके पैरों में चुभते हैं, अगर साइकिल से चलता है, तो उसकी साइकिल में कंकड़ चुभते हैं । मुझे यह कहने मे कष्ट हो रहा है, पिछले कई वर्षों से संसाधनों के जाने बिना निरंतर नई स्वीकृतियां जारी की गयी थीं, फलस्वरूप.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है । इसका एक परिणाम हुआ कि पिछले वर्षों में कार्य की जो स्वीकृतियां दी गयी थीं, उसका परिणाम बहुत बड़ा था, परिव्यय सीमित था, कठिनाइयां पैदा होने लगीं, वर्तमान सरकार ने कार्य-भार ग्रहण करने के तुरन्त बाद इस स्थिति की गहन समीक्षा की है और संसाधन की उपलब्धि से सामंजस्य स्थापित किया जाय, इस हेतु हमने एक प्रक्रिया अपनाई और इस प्रक्रिया के अन्तर्गत आवश्यकता के आधार पर संसाधन उपलब्ध कराये जा रहे हैं एवं निर्माणाधीन कार्यों की उपयोगिता के स्तर तक लाकर संसाधनों के अन्तर्गत किया जा रहा है । मान्यवर, जब आप उत्तर मांगेंगे तो मैं उसका उत्तर दूंगा ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हरिद्वार में आयोजित होने वाले मेले के लिए हमने सारे प्रबन्ध किये हैं । मेले में आने वाले यात्रियों को परेशानी न हो और किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार जिले के आसपास के जो जिले हैं, उनकी सड़कों की मरम्मत का कार्य किया जा रहा है और उनका सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त हरिद्वार में मंशा देवी पर्वत के क्षरण को रोकने एवं सुक्षात्मक कार्यों के लिए सुरक्षात्मक कार्य तथा मेला क्षेत्र में पुलों के निर्माण के लिए 677.55 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है । मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इन सभी कार्यों का 95 प्रतिशत कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है, जिससे मेले में आने वाले यात्रियों को इसका पूरा-पूरा लाभ मिल सके ।

मान्यवर, इस वर्ष हमारे सामने बहुत सी परिस्थितियां विशेष प्रकार की थीं । मान्यवर, आप जानते हैं और सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि इस वर्ष भूकम्प से अभूतपूर्व विभीषिका आयी और इस कारण

उत्तरकाशी ओर टेहरी गढ़वाल तथा अन्य निकटवर्ती जिलों के तमाम मार्ग क्षतिग्रस्त हो गये, तमाम लोगों की जानें चली गयीं । मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि इस आपत्ति काल में लोक निर्माण विभाग ने और राजकीय निर्माण निगम तथा संतु निगम ने अग्रणी भूमिका निभाई है । इन्होंने राहत कार्यों के संचालन में अभूतपूर्व कार्य किया है, बड़ी अहम भूमिका निभाई है । इस ओर प्रथम चरण में हमने पुलों और सड़कों की मरम्मत का कार्य किया, जिससे संचार साधन ठीक न होते तो जो राहत सामग्री वहां तक पहुंचानी थी, वह न पहुंच पाती । मान्यवर, 3 कारोड़ से इन संसाधनों को पूरा किया है, बड़ी त्वरित गति से पूरा किया है । मान्यवर, दूसरे चरण में हमने जो बेघरबार लोग हो गये थे, उनको सहायता देने का कार्य किया और इसी उद्देश्य से 466000 टिन शीट वितरित की गयीं । टिन शीट्स की व्यवस्था की गयी और स्टील अथारिटी प्लान्ट आफ इण्डिया लि० के बोकारो कारखाने की कांरुगेशन मिल की पूर्ण क्षमता पर एकाधिकार करना पड़ा और रेल के वैगन जो दूसरे स्थान पर जा रहे थे, गाजियाबाद को डाइवर्ट कराया गया । मान्यवर. आप जानते हैं कि हिमालय में सर्दी प्राण लेवा होती है, लेकिन जो राहत दी गयी है, उसे वहां की जनता स्वीकार करती है अगर समय से टिन नहीं मिल पाती तो लोगों की सर्दी से न मालूम कितनी जानें चली गयी होतीं ।

श्री विजय सिंह राणा–

वाह ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

आप वाह कह रहे हैं और वहां पर आह कही जा रही थी । आप बुजुर्ग हैं आपको क्या कहें, अगर हमारी ही उम्र के होते तो कहता ।

(व्यवधान)

विशारद जी के बाल सफेद हो गये हैं, लेकिन उनका दिल नहीं सफेद हुआ है । मान्यवर, तमाम घर भस्म हो गये, इसी कारण सामुदायिक आश्रयों की व्यवस्था की गयी है और मात्र 3 माह की अवधि में 620 स्थलों पर 21×8 फुट के 1850 से अधिक आश्रयों का निर्माण कराया जा रहा है ।

(इस समय 4 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

मुझे इस बात का पूरा अहसास है और मैं इस बात को समझता हूं कि कई क्षेत्रों में इससे कुछ हल्की निराशा होती किन्तु यह भी जानता हूं कि मेरे मित्र संशकित होंगे कि पुराने संसाधनों को यथावत् रखकर कार्य प्रारम्भ करना या पूर्ण करने की दिशा में कोई कदम न उठायें तो इससे जनता में झुझलाहट पैदा होती, निराशा पैदा होती, कुंठा पैदा होती यहां पर अधिनीत कार्यों के भी अवशेष के संदर्भ में वर्तमान सरकार ने नई स्वीकृतियां जारी करने में अत्यन्त संयम और आत्मानुशासन का परिचय दिया है इसका अनुमान लोक निर्माण मंत्रियों जिलों की स्वीकृतियों की तुलना से सहज ही लगाया जा सकता है बाराबंकी जनपद में वर्ष 1989-90 में 8.37 करोड़ रुपये, 90-91 में 10.88 करोड़ रुपये और 1-4-91 को 8.34 करोड़ रुपये की स्वीकृतियां जारी की गयीं । मान्यवर, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी और सदन में इस ओर वैसे भी सदस्य प्रसन्नता व्यक्त करेंगे और उधर बैठे हुए सदस्य भी सदाशयता का परिचय देंगे कि इस बार वर्तमान लोक निर्माण मंत्री के जिले में 14 लाख की स्वीकृतियां दी गयी हैं । मान्यवर, पिछली बार दिनांक 1-4-1991 को जो स्वीकृतियां दी गयी थीं उसमें यह अपेक्षा की गयी थी कि यदि कोई नई सरकार आयेगी तो 25 करोड़ रुपये की नई स्वीकृतियां जारी ही करेंगे लेकिन स्थिति की विषमता को देखते हुए हमारी सरकार ने राज्य सेक्टर में 11.63 करोड़ के नये कार्य की ही स्वीकृति

दी है जो क्षेत्रीय संतुलन के लिए करना अत्यन्त आवश्यक था । प्रत्येक तात्कालिक महत्व के विशिष्ट कार्य जैसे अर्धकुम्भ और माघ मेले से संबंधित कार्य है, उसको स्वीकृत किया गया है ।

वर्ष 1991-92 में आय-व्ययक में सड़क और पुल की मद राज्य सेक्टर के अन्तर्गत रुपये 49.61 करोड़ और जिला सेक्टर में 127.88 करोड़ और पर्वतीय क्षेत्र के लिए 44.83 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था बाद में जिला सेक्टर में 45.69 करोड़ रुपये की धनराशि राज्य सरकार को व्यवर्तित कर दी गयी । जनवरी, 1992 तक उपलब्ध कराये गये संशोधनों से 1493 कि०मी० सर्व ऋतु योग्य मार्गों का निर्माण एवं 557 कि०मी० पुनः नवीनीकरण किया जा चुका है इसके अतिरिक्त 20 दीर्घ सेतुओं लघु सेतुओं का निर्माण पूर्ण किया जा चुका हे और 113 सेतु निर्माणाधीन हैं । मैं अपने मित्रों को बताना चाहता हूं कि समाचार-पत्रों में चर्चा करने की कोशिश की गयी और कुप्रचार करने का प्रयास किया गया कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है विकास का कार्य नहीं हुआ है और आज ही अखबार में है इन पत्रकार बन्धुओं को मैं स्मरण कराना चाहता हूं । मैं यह बताना चाहता हूं कि कौन-कौन से पुल इस नई सरकार के आने के बाद पूर्ण किये गये हैं । मेरे पास इनके आंकड़े हैं, आप चाहेंगे तो इन पुलों के नाम प्रस्तुत कर दूंगा । 28 पुलों को जून माह के बाद इस सरकार के शासन काल में पूर्ण किया गया है । इसके अतिरिक्त दस्युग्रस्त क्षेत्र में, इटावा की बात कर रहा हूं दिल थाम कर सुनिये, लोग कहते हैं कि काम नहीं हो रहा है । दस्युग्रस्त क्षेत्र में डिबोली घाट में यमुना नदी पर वृहद् पुल का निर्माण पूर्ण किया गया है । मान्यवर, इस योजना के अन्तर्गत 7.32 करोड़ रुपये के संसाधन प्राप्त हुए हैं जिनमें 4.80 करोड़ रुपये केन्द्र का सम्मिलित था और यह निर्माण कार्य पूरा कर दिया गया है ।

इन सामुदायिक आश्रयों का उपयोग न सिर्फ निराश्रित परिवारों को संरक्षण देने के लिये किया गया बल्कि उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि यह रही है कि आज माध्यमिक कक्षाओं की जो परीक्षायें हो रही हैं, इन्हीं आश्रयों में हो रही हैं । यह बहुत बड़ी उपलब्धि रही है लोक निर्माण विभाग की, अन्यथा पहाड़ में इन परीक्षाओं को देने वाले बच्चों का एक वर्ष नष्ट होने की पूरी सम्भावना थी । इस अभियान में हमारे विभाग से सम्बन्धित सार्वजनिक उपक्रमों ने, निगम के प्रबन्धकों ने अपनी अद्भुत क्षमता का परिचय दिया और अपेक्षित तकनीकी सहायता उपलब्ध करायी । रुढ़की विश्वविद्यालय के सहयोग से हमने नये मकानों के निर्माण के लिये मार्ग दर्शिकायें वितरित करायी हैं । तकनीकी कर्मचारियों का प्रशिक्षण सत्र भी चलाया जा रहा है जिससे अब जो भवनों का निर्माण हो, वे भूकम्प निरोधी गुणों से युक्त होंगे । इस दृष्टि से वर्ष 1992-93 के बजट का विशेष महत्व है और वह इसलिये है कि हमारी आठवीं पंचवर्षीय योजना का यह पहला वर्ष है । इसके निरूपण हेतु केन्द्रीय योजना आयोग के कार्यकारी दल के साथ हुए विचार-विमर्श में ग्रामीण सम्बद्धता कार्यक्रम का महत्व, स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान को नयी दिशा देने की आवश्यकता, अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने की अनिवार्यता तथा पूर्व सृजित योजनाओं को पूर्ण करने के साथ-साथ यातायात के प्राविधान पर विशेष बल दिया गया है ।

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम और राज्य निर्माण निगम को सुदृढ़ अंशपूंजी देने पर केन्द्रीय दल द्वारा भी अपनी सहमति दी गयी । आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिये मार्ग एवं सेतु हेतु 2860 करोड़ रु० तथा आवासीय भवनों के निर्माण हेतु 40 करोड़ रु० की योजना की संस्तुति उनके द्वारा की गयी है । आशा है कि योजना अवधि में इस पंचवर्षीय योजना में अपेक्षित प्रगति कर सकेंगे । 92-93 के वित्तीय वर्ष में हमने आय-व्ययक में मार्गों तथा सेतुओं के लिये राज्य सेक्टर में 150.43 करोड़ रु०, जिला सेक्टर में 129.83 करोड़ रु० तथा उत्तरांचल में 58 करोड़ रु० का प्राविधान प्रस्तावित किया है । राज्य सेक्टर के परिव्यय में विश्व बैंक परियोजना हेंतु 31 करोड़ रु०, एशियन विकास बैंक परियोजना हेतु 5 करोड़ रु०

और बौद्ध परिपथ परियोजना हेतु 2 करोड़ रु० का प्राविधान सम्मिलित है । 92-93 के आय-व्ययक में कुल 338.26 करोड़ रु० के परिव्यय के अनुसार प्राविधान किया जा रहा है । इन संसाधनों से 380 कि० मी० पक्के मार्गों का निर्माण, 1150 कि० मी० मार्ग सुदृढ़ीकरण, 325 कि०मी० मार्गों का सुधार, 64 लघु तथा दीर्घ सेतुओं का निर्माण किया जायगा ।

बार-बार हम सभी इस बात का अनुभव करते हैं चाहे पक्ष में हों या विपक्ष में हों कि इस देश की लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है । यह स्पष्ट धारणा है कि यदि गांवों का विकास नहीं होगा हम शहरों में चाहे जितनी चकाचौंध कर लें, कितने बड़े-बड़े भवन बना लें, कितनी उच्च गुणवत्ता की सड़क बना लें, देश ऊपर नहीं उठ सकेगा । देश को ऊपर उठाने के लिये आवश्यक है गांवों के अन्दर पर्याप्त संचार संसाधनों का जाल बिछाया जाय । इसको दृष्टिगत रखते हुए ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का निर्माण, माननीय सदस्य भी महसूस करते हैं कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण अंग है । सातवीं पंचवर्षीय योजना में हमने कुछ लक्ष्य तय किये हैं । 1977 की जनगणना के अनुसार 15 सौ से अधिक आबादी वाले सभी मार्ग मोटर मार्गों से जुड़ जाने चाहिये थे, वर्ष 1991-92 तक इस श्रेणी के 152 मार्ग मोटर मार्गों से नहीं जुड़ सके हैं । हमने निश्चय किया है 32 ऐसे ग्राम जिनको जोड़ने में बहुत अधिक व्यय साध्य समस्या है, उनको छोड़कर 1992-93 तक शेष 120 ग्रामों को पक्के मार्गों से जोड़ दिया जायेगा । 15 सौ से कम आबादी वाले ग्रामों की श्रेणी में चयनित अम्बेदकर ग्रामों को, जहां अनुसूचित जाति जन जाति का बाहुल्य है, सम्पर्क मार्गों में प्राथमिकता दी जायेगी । जब आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा हो रही थी तो हमारे मित्र माननीय राम स्वरूप वर्मा जी ने कहा कि मिट्टी की सड़कों को पुलियों के माध्यम से जोड़कर किसी तरह गांवों तक जोड़ दिया जाय । मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि यह गल्ती सरकार दोहराने नहीं जा रही है । आप मिट्टी की सड़कों को बनाने की बात करते हैं, मिट्टी की सड़कें सड़क योग्य होती नहीं, जब बरसात होती है तो मिट्टी बह जाती है, स्थायी परिसम्पत्तियों का निर्माण नहीं हो सकता है, जो धन व्यय करते हैं वह निश्चित रूप से लाभदायी नहीं होता है ।

अपने मित्रों को यह बताना चाहूंगा कि इस बार निर्णय लिया है कि इस विभाग की ओर से जो भी सड़क बनेगी वह पेंटिंग स्तर तक ही बनेगी । (सत्ता पक्ष की ओर से मेंजों की थपथपाहट) हम राजनीतिक हित के लिये कोई काम नहीं करने जा रहे है, हम देश का, प्रदेश का निर्माण करने चले हैं, हम आने वाली पीढ़ी के बारे में विचार करेंगे, हम आने वाले 5 वर्षों के बारे में सोचेंगे । सड़क ऐसी बने जिस पर आराम से लोग चल सकें, तो कुछ वर्षों तक गांवों के लोगों की सेवा कर सकें । इस वर्ष अनुसूचित जाति जन जाति बाहुल्य क्षेत्रों में संचार व्यवस्था के सुधार के लिये एक महत्वाकांक्षी योजना का सूत्रपात किया जा रहा है । आठवीं योजना की अवधि में उन सभी 16 विकास खण्डों में जहां अनुसूचित जाति जन जाति का बाहुल्य है, औसतन 40 कि०मी० लम्बाई के वाहिनी मार्गों का निर्माण किया जाना तय किया गया है । यह मार्ग मुख्य धमनियों की भूमिका का निर्वहन करेंगे, पूरे क्षेत्र की अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ आधार प्राप्त होगा । इसके लिये आय-व्ययक में 5 करोड़ रुपये का प्राविधान विशेष रूप से किया गया है । जिला सेक्टर के अन्तर्गत प्राविधानित संसाधनों को, ग्रामीण मार्गों का निर्माण, विभिन्न श्रेणियों के वर्तमान मार्गों का पुनर्निर्माण लघु सेतुओं का निर्माण-इन मदों में हमने 40-40 और 20 का अनुपात रखा है ।

ग्रामीण मार्गों के निर्माण में जो खड़ंजा स्तर तक निर्मित मार्ग हैं, उनको लेपन स्तर तक लाने के लिये अपेक्षित संसाधनों का आवंटन किया जा रहा है, जिससे स्थायी परिसम्पत्तियों का निर्माण किया जा

सके और यह अनुभव करते हैं कि वर्तमान परिसम्पत्ति का संरक्षण नयी परिसम्पत्तियों के निर्माण से अधिक लाभप्रद है । नये मार्गों के निर्माण में पूर्व निर्मित मार्गों की छूटी हुई कड़ी को लेकर ग्रामीण मार्गों और स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान की प्राथमिकता को विशेष महत्व दिया जायेगा , तीर्थ स्थलों और पर्यटन केन्द्रों को जोड़ने वाले मार्गों के निर्माण को प्राथमिकता दी जायेगी, उसे वरियता दी जायेगी । अब मैं राज्य सेक्टर के बारे में चर्चा करना चाहता हूं । राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जो संसाधन हमें प्राविधानित हैं उनमें 50 प्रतिशत संसाधन राज्य मार्गों के लिए आवंटित किये गये हैं इसलिए कि गांव की सड़क तो बन गयी, गांव का किसान गांव के बाहर तो आ गया अपने कृषि उत्पादों को लेकर और अपने बच्चों की शिक्षा को प्राप्त करने के लिए वह गांव से बाहर आना चाहता है तो केवल गांव सम्पर्क मार्ग बना देने से हमारा प्रयास पूरा नहीं होगा और पिछले वर्षों में यह जो राज्य मार्ग बनाये गये हैं इनके ऊपर अपेक्षाकृत बहुत कम संसाधनों का व्यय हुआ होगा यातायात को दृष्टिगत रखते हुए राजधानी क्षेत्र तथा प्रमुख औद्योगिक केन्द्रों से गुजरने वाले राजमार्गों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण को प्राथमिकता दी जायेगी । इसके अन्तर्गत आर्थिक महत्व, अन्तर्राज्यीय महत्व के फ्लाई ओवर,बाई पास एवं दीर्घ सेतुओं के लिए राज्य सेक्टर से संसाधन उपलब्ध कराये जायेंगे ।

मान्यवर, एक कटु सत्य जो हम सबको स्वीकार करना होगा वह यह है कि समस्याएं बहुत हैं, संचार साधनों की समस्या छोटी नहीं है । आज संचार संसाधनों की इस क्षेत्र में जनता को अपेक्षा है, उनकी कठिनाई बहुत बड़ी है, इन कठिनाइयों का आयाम बहुत बड़ा है और कटु सत्य यह है कि चाहे वह प्रदेश की सरकार हो या केन्द्र की सरकार संसाधन सीमित हैं यह हम सबको स्वीकार करना होगा ! आज केन्द्र की सरकार भी चाहे कि हम गांव-गांव में सम्पर्क सड़क बना दें तो यह सम्भव नहीं है और मैं भी इसे स्वीकार करता हूं । कभी-कभी हमारे मित्र जो उधर बैठे हुए हैं, और बड़ी अपेक्षा रखते हैं, बड़े समझदार लोग हैं, जब इस सच्चाई को बताता हूं तो उसे स्वीकार करते हैं, रोते नहीं हैं । तो मान्यवर, हम महसूस करते हैं कि जब तक हम अन्तर्राज्यीय क्षेत्र से, निजी क्षेत्र से संयुक्त क्षेत्र से संसाधन का निवेश नहीं जुटा पायेंगे तब तक इस समस्या का सामना हम नहीं कर पायेंगे । मान्यवर, आज अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संसाधन द्वारा निर्धारित योजना को तत्परता से कार्यान्वित करने की आवश्यकता है विश्व बैंक, एशियन विकास बैंक, जापान की सहायता से जो कार्य होने चाहिए थे पिछले वर्षों में उनकी गति में अवरोध सा बना हुआ है इस वर्ष प्रयत्नपूर्वक ठोस प्रयास करके हमने बहुत सी समस्याओं को सुलझाया है और यह भी सुनिश्चित किया है कि.....

जो वाह्य सहायता है, उसका प्रयोग प्रदेश के हितों को ध्यान मे रखकर ऐसे किया जाय, जिससे अधिकाधिक लाभ प्रदेश की जनता को हो सके । वर्तमान वित्तीय वर्ष में इन तीन परियोजनाओं के लिये 38 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है । मान्यवर, केन्द्रीय संसाधनों की भारी आवश्यकता से कोई इन्कार नहीं कर सकता । केन्द्रीय संसाधन विशेषकर हमें प्राप्त होते हैं राष्ट्रीय राजमार्गों के लिये । विगत 20 वर्षों में, 20 वर्षों में, 20 वर्षों में, मैं 20 वर्षों पर इसलिये जोर दे रहा हूं, क्योंकि कोई उससे अछूता नहीं है, वैसे आप इसको 20 गुणे 20 गुणे 20 भी कर सकते हैं "जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी" (हंसी)

तो मान्यवर, इन 20 वर्षों में उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई में कोई किसी प्रकार की उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुयी और आपको मैं यह भी बताना चाहूंगा, विशेषकर हमारे जो कांग्रेस दल के लोग बैठे हैं, उनका मुझे सहयोग प्राप्त होगा और पूरे विपक्ष का सहयोग प्राप्त होगा । मान्यवर, लखनऊ प्लान के मुताबिक 1990 में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों का जो वांछित स्तर है, वह सामान्य से

35 प्रतिशत नीचे चल रहा है । मान्यवर, जो औसत लम्बाई राष्ट्रीय राजमार्गों की राष्ट्रीय स्तर पर है उससे हम काफी नीचे हैं, मैं इसके लिये किसी को दोष नहीं देना चाहता, मैं तो केवल विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, चाहे हम इधर बैठे हों, या उधर बैठे हों, इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता, हम उत्तर प्रदेश के सबसे सम्मानित सदन के सदस्य हैं और उत्तर प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं के केन्द्र हैं, हम सबको मिलजुल कर प्रयत्न करना चाहिये कि केन्द्र से अधिक से अधिक निवेश इस उत्तर प्रदेश के संचार साधनों को मिले । मान्यवर, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जब हम विकास के कार्यों की चर्चा किया करें, तो हमारे सबके दिमाग में एक ही बात रहनी चाहिये कि उत्तर प्रदेश की जनता का व्यापक हित सर्वोपरि है, इसमें कोई दल या सोच बाधक नहीं होनी चाहिये ।

मान्यवर, मैं चर्चा कर रहा था कि 20 वर्षों में कोई उल्लेखनीय वृद्धि राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई में नहीं हुयी और इस कमी को आंशिक रूप से पूरा करने के लिये यह काम किया गया है कि आज उत्तर प्रदेश में 11 राष्ट्रीय मार्ग हैं, जिनकी पूरी लम्बाई 2,754 कि०मी० है और लखनऊ प्लान के मुताबिक सन् 2001 में 5,888 कि०मी० लम्बाई होनी चाहिये । इसलिये मैं कह रहा हूं कि आंशिक रूप से अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिये 4 प्रमुख मार्गों को यातायात की सघनता और आर्थिक महत्व के आधार पर केन्द्र सरकार के पास राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव भेजा है । यह मार्ग हैं, पहला दिल्ली, अलीगढ़, एटा, कानपुर मार्ग, लम्बाई 405 कि०मी० दूसरा है दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, हरिद्वार, जोशीमठ, बदरीनाथ मार्ग लम्बाई, 509 कि०मी०, इसके बाद तीसरा है मिर्जापुर, इलाहाबाद, झांसी मार्ग, लम्बाई 292 कि०मी० ।

(बीच में एक सदस्य द्वारा टोकाटाकी करने पर)

देवरिया में तो वह काम हो रहा है, जो विश्व बैंक कर रहा है और मान्यवर, अन्तिम मार्ग है बरेली, लखीमपुर, बस्ती लिंक मार्ग, लम्बाई 492 कि०मी० । इस प्रकार मान्यवर, इसमें किसी भाग की उपेक्षा नहीं की गयी है, इसमें एक मार्ग है पूरब का, एक मध्य क्षेत्र का, एक उत्तरांचल का, इस प्रकार किसी तरह का पक्षपात नहीं किया गया है और क्षेत्रीय असुंतलन को दूर करने की दिशा में एक सार्थक कदम उठाया गया है । हम आशा करते हैं कि हमारे अनुरोध पर निश्चित रूप से केन्द्र की सरकार पूरा-पूरा ध्यान देगी.....

हमारे राष्ट्रीय मार्गों की लम्बाई बढ़ेगी ! हमारे माननीय सदस्य अपने कंठ के बल पर विधान सभा में छा जाना चाहते हैं, उनको यह मालूम होना चाहिये कि राष्ट्रीय मार्ग की जिम्मेदारी केन्द्र की होती है । इसलिए वह बोलें कम सुनें ज्यादा । वर्ष 1991-92 में प्रदेश की सीमाओं में पड़ने वाले 11 राष्ट्रीय मार्गों पर 18 कि०मी० में मार्ग को चौड़ा करने का कार्य, 247 कि०मी० मार्गों के सुदृढ़ीकरण का कार्य एवं 9 लघु सेतुओं के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है । फरवरी, 92 तक जो सूचना उपलब्ध हो पाई है, उसके हिसाब से 90 प्रतिशत कार्य पर प्रगति हो चुकी है । इसके अतिरिक्त विश्व बैंक के सहयोग से वाराणसी रामनगर-मुगलसराय बाई पास पर गंगा सेतु सहित 49.92 करोड़ रुपए की योजना पर कार्य चल रहा है। एशियन विकास बैंक के सहयोग से दिल्ली से आगरा मार्ग पर (राष्ट्रीय मार्ग 2 पर) हरियाणा सीमा से मथुरा तक 55 कि०मी० की लम्बाई में सड़क को 2 लेन से 4 लेन चौड़ा करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है । इसके अतिरिक्त आगरा-मथुरा खण्ड में 51कि०मी० की दूरी में सड़क को 2 लेन से 4 लेन तक चौड़ा करने के लिए जापानी सहायता प्राप्त करने पर सहमति हो चुकी है । इस परियोजना का पर्यटकों एवं तीर्थ यात्रियों के लिए विशिष्ट महत्व है ।

मैरे अग्रेज भाई जनता दल (अ) के नेता श्री कैलाशनाथ सिंह यादव जी से आग्रह करूंगा कि मैं तो इधर बैठा हूं, परन्तु वह आगरा के नजदीक बैठे हैं, इसलिए वह बच कर रहें । 1992-93 में हमारा प्रयास रहेगा कि निर्माणाधीन योजनाओं के निष्पादन को अधिक गतिशील बनाये एवं राष्ट्रीय मार्गों के विस्तार तथा संकीर्ण एवं क्षतिग्रस्त पुलों के पुनः निर्माण हेतु अधिकाधिक संसाधन प्राप्त करें । मैंने पहले भी कहा कि इसके लिए केन्द्र और प्रदेश के सम्मिलित साधन भी शायद छोटे पड़ जायेंगे । इसलिए हमने तय किया है कि हम उसमें निजी क्षेत्र का भी उपयोग करेंगे और संयुक्त क्षेत्र का भी ....

इस परिपेक्ष्य में काफी सुधार करने के बाद यातायात के घनत्व और राजस्व प्राप्ति के दोहरे मापदंड पर जो मार्ग खरे उतरेंगे उनका निर्माण निजी और संयुक्त क्षेत्र में करने का निर्णय ले लिया है । इस नीति के प्रथम चरण में दिल्ली लखनऊ राष्ट्रीय मार्ग-24 के हापुड़ बाईपास में कार्य करने पर सक्रियता से विचार कर रहे हैं ।

आज मैं अपार हर्ष का अनुभव कर रहा हूं, आज मेरा बजट भाषण यहां था, किन्तु ऐसे अवसर पर कल मैं दिल्ली में बैठा था, कल 7 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक नया सूत्रपात हुआ जो स्वर्णिम अक्षरों में होगा जब विकास का इतिहास लिखा जायेगा तो उसमें बड़े गौरव से स्मरण किया जायेगा । कल नौयडा प्राधिकरण, दिल्ली शासन और इनफ्रास्ट्रकचर लीजिंग एण्ड फाइनेंसिंग सर्विसेज ने मिल कर मेरी उपस्थिति में जिसमें माननीया शीला कौल, राज्य नगर विकास मंत्री भारत सरकार और ग्राम्य विकास राज्य मंत्री अरुणाचलम भी उपस्थित थे एक मैमोरंडम आफ अंडरस्टेंडिंग पर हस्ताक्षर किये गए जिसके अनुसार 100 करोड़ रुपया का एक पुल नौयडा दिल्ली महारानी बाग क्षेत्र को जोड़ने के लिये स्वीकृत किया गया हैं ।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

मान्यवर, नौयडा मेरे क्षेत्र में पड़ता है एक स्पष्टीकरण चाहता हूं पुल के बारे में ।

श्री अध्यक्ष–

अभी नहीं भाटी जी बाद में आप कहें ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

विकास की गति में परिवर्तन के साथ लोगों की प्रवृत्ति में भी परिवर्तन हो रहा है । अब लोग कम समय में जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना चाहते हैं और सुरक्षित पहुंचना चाहते हैं । यातायात के साधनों में परिवर्तन की अपेक्षा रखते हैं और महसूस किया जा रहा है कि द्रुतगामी मार्ग जहां पर विहिकिल ज्यादा हैं, यातायात का जहां घनत्व ज्यादा है वहां द्रुतगामी मार्ग बनाये जायं । तो दिल्ली कानपुर मार्ग के गाजियाबाद अलीगढ़ खण्ड पर द्रुतगामी मार्ग का निर्माण करने के लिये तकनीकी आर्थिक सम्भाव्यता का अध्ययन कराया जा रहा है और पथकर संग्रह के आधार पर इसको कार्यान्वित करने पर विचार कर रहे हैं ।

केन्द्र द्वारा पुनरोनिधानित योजनाओं में भी प्रदेश को यथेष्ट संसाधन आवंटित नहीं हो सके जिसके कारण राज्य को नये पुलों और सड़कों के लिये कोई नयी स्वीकृतियां नहीं हुईं । केन्द्रीय सड़क निधि, अंतर्राज्यीय महत्व के मार्ग एवं पुल तथा आर्थिक महत्व की परियोजनाओं के अंतर्गत नयी स्वीकृतियां और संसाधनों के आवंटन का अभाव रहा । इस वित्तीय वर्ष में हमारा प्रयास होगा कि केन्द्र द्वारा इन शीर्षों में संसाधन की अभिवृद्धि कर प्रदेश को यथेष्ट आवंटन उपलब्ध हो सके । इस केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाओं में एक महत्वपूर्ण परियोजना आपसे भी संबंधित है वह इलाहाबाद में नैनी के पास यमुना नदी

पर 90 करोड़ रुपये की लागत से सेतु निर्माण की है । इस परियोजना के लिये प्रदेश सरकार ने भूमि अर्जन की व्यवस्था अपने संसाधनों से करने के साथ 9.5 करोड़ रु० का अंशदान करना स्वीकार किया है । इस सन्दर्भ में जो हमसे केन्द्र सरकार अपेक्षा रखती थी, वह सारी औपचारिकताएं पूरी कर दी गई हैं । हम आशा करते हैं कि केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना को भी स्वीकृति मिल जायेगी । इस क्षेत्र में विकास की गति को एक नई दिशा दी जायेगी । मान्यवर, नव निर्माण कार्य अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है, इसमें कोई संदेह नहीं है मगर अनुरक्षण भी कम महत्वपूर्ण नहीं है । हम नव निर्माण तो कराते जायं मगर जो हमारी सम्पत्ति है उसका अनुरक्षण न करें तो स्वभाविक है कि वह सम्पत्ति कौड़ियों के कीमत की हो जायेगी । इसको दृष्टिगत रखते हुए विगत वर्ष के अनुरूप 125 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है । वर्ष 1991-92 में अतिवृष्टि और बाढ़ से क्षतिग्रस्त मार्गों के मरम्मत के लिये, दैवी आपदाओं के निपटने के लिये प्राप्त होने वाली धनराशि हमें उपलब्ध नहीं हो पाई थी क्योंकि गढ़वाल के क्षेत्र में जो भूकम्प आया था हमने अपने सारे संसाधनों को वहां पर खर्च करने को वरीयता दी थी इस वर्ष हम इस मद में भी यथेष्ट संसाधन उपलब्ध करायेंगे और अनुरक्षण और विशेष मरम्मत के अवशेष कार्य को त्वरित गति से पूर्ण करने का प्रयत्न कर रहे हैं । लोक निर्माण विभाग केवल सड़क और पुल ही नहीं बनाता है हम भवनों का भी निर्माण करते हैं । विभागीय भवनों के अतिरिक्त शासन के विभिन्न विभागों के भवनों के निर्माण तथा अनुरक्षण का काम भी यह विभाग करता है इस हेतु लोक निर्माण विभाग में एक विशिष्ट संगठन उपलब्ध हैं । वर्ष 1991-92 में फरवरी तक मैदानी क्षेत्र के विभिन्न विभागों से 2954.06 लाख रुपये के संसाधन भवन कार्यों हेतु प्राप्त हुए थे जिनमें से 2411 लाख रुपये का उपयोग किया जा चुका है । इसके अतिरिक्त निक्षेप कार्यों के अन्तर्गत 4186 लाख रुपये के संसाधन उपलब्ध थे जिनके सापेक्ष फरवरी, 92 तक 38.31 लाख रुपये का उपयोग किया जा चुका था ।

लोक निर्माण विभाग के भवन संगठन द्वारा अष्टम तथा नवम् वित्त आयोग के अवशेष कार्यों को भी त्वरित गति से निष्पादित किया जा रहा है । इस शीर्ष के अन्तर्गत क्रमशः 139 एवं 630 लाख रुपये के अवशेष कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य था जिसके विपरीत फरवरी, 92 तक क्रमशः 88 लाख रुपये तथा 471 लाख रुपये के कार्य किये जा चुके थे । इस संगठन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि विश्व बैंक पोषित परियोजना के अन्तर्गत कृषि विभाग के भवनों के निर्माण से संबंधित है । 2433 लाख रुपये के प्राप्त संसाधनों के विपरीत फरवरी, 92 तक 1733 लाख रुपये का उपयोग कर लिया गया है और लगभग 85 प्रतिशत कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं । योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य अन्तरवर्ती क्षेत्रों यानी इन्टीरियर क्षेत्रों में फैले हुए हैं और उनमें 12 दो मंजिले भवन भी सम्मिलित हैं । इसके बावजूद इन कार्यों को त्वरित गति से पूरा किया जा रहा है । भवन संगठन द्वारा शिक्षा विभाग की डायट योजना एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग के प्रशासनिक भवन, इलैक्ट्रानिक हास्टल भवन और आवसीय भवनों का कार्य किया जा रहा है । फरवरी, 1992 तक संगठन को 80 करोड़ रुपये का कार्य प्राप्त हो चुका था ।

जिसके विपरीत 62.80 करोड़ रुपये का कार्य पूर्ण किया जा चुका । जिला सेक्टर के अधीन लोक निर्माण विभाग की पूल्ड आवासी योजना के अन्तर्गत वर्ष 1991-92 में 2.55 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया था । इस वर्ष इस योजना के अन्तर्गत आठ करोड़ रुपये के परिव्यय के सापेक्ष 6.30 करोड़ रुपये का अधिष्ठान रहित आवंटन किया जा रहा है । इसमें से 5.53 करोड़ रुपये अधिनीत कार्यों पर तथा शेष नव स्वीकृत कार्यों पर व्यय किये जायेंगे ।

प्रदेश के अनेक महत्वपूर्ण स्थलों पर लोक निर्माण विभाग के सर्किट हाउस एवं निरीक्षण गृहों की स्थापना अथवा विस्तार की आवश्यकता अनुभव की जा रही है । वित्तीय संसाधनों की अपर्याप्तता के

परिप्रेक्ष्य में गत वर्ष पूर्व स्वीकृत निरीक्षण भवनों की समीक्षा की गई अपेक्षाकृत कम महत्व के दो स्थलों पर निरीक्षण भवन की स्थापना की स्वीकृतियां निरस्त कर मुरादाबाद में सर्किट हाउस के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई । वर्ष 1992-93 में भी अनुभूत आवश्यकता के आधार पर ही निरीक्षण गृह एवं सर्किट हाउस की स्थापना तथा विस्तार हेतु संसाधन उपलब्ध कराये जायेंगे । मान्यवर, लोक निर्माण विभाग से सम्बद्ध दोनों सार्वजनिक उपक्रम अपने-अपने क्षेत्र में देश के अग्रगण्य उपक्रमों में हैं । उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड की स्थापना के बाद से विगत 19 वर्षों में देश-विदेश में सेतु बैराज फ्लाई ओवर सब-वे तथा मार्ग आदि कार्यों को उत्कृष्ट गुणवत्ता के साथ निष्पादित कर ख्याति अर्जित की है । अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की है । इसके बावजूद पिछले कुछ वर्षों में निरन्तर त्रुटिपूर्ण प्रबन्धकीय नीतियों के कारण सेतु निगम के कार्यभार एवं कार्यक्षमता में गम्भीर असंतुलन उत्पन्न हो गया है । एक कारण और था सेतु निगम की कठिनाइयां बढ़ने का । खाड़ी क्षेत्र में युद्ध हो गया । इराक में कार्य चल रहा था और इस कार्य को छोड़कर हमें आना पड़ा आज स्थिति यह हैं कि 23 करोड़ रुपया ईराक सरकार के पास हमारा पड़ा है । जिस कारण कार्यशील पूंजी में भारी क्षरण हुआ है । निगम की समस्याओं कें निदान के लिए उच्च स्तरीय गहन समीक्षा के उपरान्त एक सुनियोजित रणनीति तैयार की गई है जिसमें तय किया गया है कि कार्यभार में वृद्धि के साथ-साथ जनशक्ति का संस्तुति उपयोग सुनिश्चित करने की दिशा में प्रगति सम्भव हुई है । वर्ष 1991-92 में सेतु निगम का सम्भावित टर्न ओवर लगभग 70 करोड़ रुपये का था । मार्च, 1992 तक निगम द्वारा 28 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं ।

मान्यवर, निर्माणाधीन कार्यों में देश विदेश में ठेके के 30 कार्य सम्मिलित हैं जिनमें बम्बई में थाना क्रीक, 45 करोड़ रुपये विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत भागलपुर, बिहार में गंगा सेतु, 55 करोड़ रुपये का, गुजरात में माही सेतु तथा अश्विन एवं मेन एक्वाडक्ट का कार्य, 25 करोड़ रुपये, उल्लेखनीय हैं । मान्यवर, इसके अतिरिक्त दिल्ली में दो फ्लाई ओवर एवं कई सब-वे का कार्य भी चल रहा है । नैपाल में महेन्द्रनगर-महाकाली मार्ग एवं करनाली सेतु का निर्माण भी किया जा रहा है । इसी तरह से मान्यवर, गोरखपुर क्षेत्र में विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत 30 करोड़ रुपये की लागत से राज्य मार्गों के उन्नयन की योजना सेतु निगम द्वारा निष्पादित करायी जा रही है । अन्य निर्माणाधीन कार्यों में देवरिया में घाघरा सेतु, इटावा में चम्बल तथा यमुना सेतु, आगरा में यमुना सेतु, झांसी में बेतवा सेतु मुख्य हैं । मान्यवर, हाल ही में सेतु निगम को यमन में हराद सेतु के पुनर्निर्माण एवं बर्म्बी में तुर्भे फ्लाई ओवर के निर्माण का भी कार्य प्राप्त हुआ है । मान्यवर, प्रदेश में निगम की कार्य क्षमता का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिये सिंचाई विभाग के अधिकाधिक कार्यों को निगम को आवंटित करने का निर्णय लिया गया है ।

मान्यवर, निगम के सामने कुछ कठिनाइयां भी आ रहीं थीं । सेतु निगम अभी तक मात्र 1.50 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी पर चल रहा था । निगम की कार्य क्षमता में सुधार के लिये उसे एक सुदृढ़ अंश पूंजीगत आधार प्रदान करना आवश्यक था । इसलिये मान्यवर, विगत वर्ष निगम की अधिकृत पूंजी को बढ़ाकर 4 करोड़ रुपये कर दिया गया था । इस वर्ष सरकार द्वारा 3 करोड़ रुपये के अतिरिक्त अंशदान का प्रस्ताव है । वर्ष 1993-94 में निगम की अंश पूंजी बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दी जायगी । इससे प्रदेश और देश में सेतु का कार्य करने में यह निगम सक्षम होगा ऐसा मेरा विश्वास है ।

मान्यवर, इसी तरह से हमारा दूसरा निगम राजकीय निर्माण निगम हैं । इसकी स्थापना 1975 में हुयी थी । प्रारम्भ में इसका कार्य क्षेत्र कवल उत्तर प्रदेश था । अब दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान,

हिमांचल प्रदेश एवं महाराष्ट्र में यह निगम अपने कार्यों को कर रहा है और बहुत आश्चर्य नहीं होगा कि विदेश में राजकीय निर्माण निगम कार्य करने के अनुबन्ध प्राप्त करे ।

मान्यवर, विगत वर्ष में निगम ने 110 करोड़ रुपये के कार्य सम्पादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया था आपको बताते हुये हर्ष हो रहा है कि 108 करोड़ रुपये का काम वित्तीय वर्ष 91-92 में निगम सम्पादित कर चुका है । 1992-93 के लिये 125 करोड़ रुपये के टर्न ओवर का लक्ष्य रखा गया है जिसमें से 50 करोड़ रुपये के बजट कार्य तथा 40 करोड़ रुपये के निक्षेप कार्य होंगे । यह मान्यवर, हम सबके लिये संतोष का विषय होना चाहिये कि हमारे निगम के निविदा के कार्यों में प्रतिवर्ष बढ़ोत्तरी होती चली जा रही है । हमने प्रयास किया है और हमें पूरा विश्वास है कि इस वर्ष 35 करोड़ रुपये के ठेके के कार्य हमें प्राप्त होंगे ।

(मेजों की थपथपाहट ।)

[ समय : 5 बजकर 20 मिनट ]

एक आवाज–

आपका हृदय बड़ा विशाल है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मैं मान्यवर, बताऊंगा कि हृदय की विशालता क्या होती है ? उसकी चर्चा न करें ।

गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

ये नियमानुसार टेण्डर डालेंगे तो आप आपत्ति न करें ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

जिस काम के लिये टेण्डर डालने जा रहे हैं, उस काम के लिये पी० डब्लू० डी० की जिम्मेदारी नहीं है । मान्यवर, दोनों ही उपक्रमों में कुछ कठिनाइयों की चर्चा मैंने की है । हम प्रयत्न कर रहे हैं, ठोस प्रयत्न कर रहे हैं कि प्रबन्धकीय कौशल और व्यवसायिक कार्य क्षमता और वित्तीय अनुशासन इन निगमों में बढ़े । पिछले वर्षों में इन निगमों के अनिस्तारित सम्वर्गीय विवादों के कारण वातावरण बहुत बोझिल हो गया था । इसमें प्रारम्भिक कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है । मुझे विश्वास है कि इसी वर्ष इसका सर्वमान्य हल निकल आएगा और प्रबन्धकीय कठिनाइयों का निस्तारण हो सकेगा । मान्यवर, मैं माननीय सदन को यह बात बताना चाहता हूं कि विभाग की भौतिक उपलब्धियों का महत्व या वित्तीय महत्व अगर गुणवत्ता स्तर की नहीं है, कुछ नहीं है । हमने कितने किलोमीटर सड़क बनाई, कितने पुल बनाए, लेकिन गुणवत्ता उच्च स्तर की नहीं है, इसको सुनिश्चित नहीं कर पाए तो हमारे वित्तीय आंकड़े, हमारे भौतिक आंकड़े एक भ्रमजाल बन कर रह जाएंगे । इसलिए मान्यवर, लोक निर्माण विभाग में गुणवत्ता के विभिन्न पहलुओं के निस्तारण के लिये जो संगठन उपलब्ध थे, मैं क्षमा के साथ कहना चाहता हूं, अन्यथा नहीं लिया जायगा, अपने मित्रों को स्मरण कराना चाहता हूं, पिछले वर्षों में उनको काल कोठरी बनाकर रख दिया गया । वहां अयोग्य अधिकारी रखे जाते रहे । हमने चिंता की है कि जो गुणवत्ता की चिंता करने वाले विभाग के अंग हैं, उनको महत्व नहीं देंगे तो कार्य की गुणवत्ता कैसे बढ़ेगी ? हमने महत्व देने की चेष्टा की है कि विभागीय अन्वेषणालय में विभिन्न निर्माण सामग्री का परीक्षण कर तकनीकी समस्याओं का ठीक-ठीक निदान किया जा सके । देश विदेश में जो निर्माण कार्य हुए, उसके आधार पर नयी तकनीकी और निर्माण सामग्री का निर्माण किया जा सके, इसके लिये प्रयत्नपूर्वक अच्छे

अभियन्ताओं को लाने की चेष्टा की जा रही है । उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है । मान्यवर, मैं एक और सूचना सदन को देना चाहूंगा कि इस वर्ष स्वीडन से एक नयी तकनीक हमारे सामने लायी गयी और उस तकनीक के आधार पर हमने परीक्षण प्रारम्भ कराया । वह तकनीकी इस बात पर आधारित है कि मिट्टी को स्थायित्व प्रदान किया जाय और ऐसा कर दिया जाय कि उसके ऊपर पड़ने वाले पत्थर और बिटूमिन की मात्रा कम से कम कर दी जाय । हम बड़े साहसपूर्वक उस तकनीक का परीक्षण करा रहे हैं, परिणाम उत्साहवर्धक आ रहे हैं । जहां कम गिट्टी पड़ने के कारण प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण कम होगा, पर्यावरण न बिगड़े, हम सबको चिंता है, हम जानते हैं कि चाहे बिटूमिन हो, यह एक पैट्रौलियम बाई प्रोडक्ट है, चाहे पत्थर हो, उसका हमारे पास अकूत भण्डार नहीं है और जिस प्रकार से क्षरण हो रहा है, उससे सारा भण्डार खत्म होता जा रहा है और परिणाम हमारे सामने लाये गये हैं, उसके अनुसार लगभग 60 हजार रुपये प्रति किलो मीटर सड़कों के निर्माण में बचाने की गुंजाइश है और पानी के नीचे यह सड़क रहे, तो भी कोई असर नहीं पड़ता है । मान्यवर, रिसर्च डेवलपमेन्ट की भी व्यवस्था की जा रही है । इसकी दो क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं मेरठ तथा देहरादून में काम कर रही हैं, जिनमें भौतिक और रासायनिक परीक्षण कार्य करने के पश्चात् गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिये कराया जा रहा है । मान्यवर, पिछले 8 वर्षों से हमारे विभाग का अभियन्ता नई तकनीकों से कोई परिचय नहीं प्राप्त कर पा रहा था, मान्यवर, मैं चर्चा करना चाहूंगा कि जब यह उत्तरदायित्व मेरे ऊपर आया, जब मैं लखीमपुर खीरी गया, वहां पर कुछ अभियन्ता बैठे थे, वहां पर मैंने नई तकनीक की चर्चा की, मैं आश्चर्य चकित रहा कि 8 वर्षों से अभियन्ताओं को नई तकनीक का ज्ञान नहीं है । हमने 1992-93 में यह तय किया है कि लगभग 900 अभियन्ताओं को प्रशिक्षण से लाभान्वित किया जायेगा । इन प्रशिक्षित अभियन्ताओं से यह अपेक्षा होगी कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को भी अभिनव तकनीकी में प्रशिक्षित कर निष्पादित कार्यों की गुणवत्ता के स्तर को उन्नत करें । हमारा यह भी प्रयास है कि विभागीय ठेकेदारों के स्तर पर भी तकनीकी योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को सेवायोजित कराया जाये, जिससे उनके द्वारा निष्पादित कार्य के स्तर में सुधार के साथ तकनीकी योग्यता प्राप्त युवक/युवतियों की बेरोजगारी की समस्या का भी निदान हो सके ।

इस उद्देश्य से पंजीकृत ठेकेदारों की कार्य-क्षमता के आधार पर स्नातक अथवा डिप्लोमा प्राप्त अभियन्ताओं के सेवायोजन की व्यवस्था को लागू करने की प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है । बेरोजगार अभियन्ताओं के स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिये ठेके में उन्हें वरीयता देने पर भी विचार किया जा रहा है । कार्य स्तर में सुधार के लिए अनुबन्ध की प्रक्रिया को भी संशोधित किया जा रहा है । इस मार्ग निर्माण के कार्य हेतु उसकी संरचना की विभिन्न परतों के लिये अलग-अलग ठेके किये जाते हैं । मिट्टी का कार्य, पुलिया निर्माण, पत्थर का एकत्रीकरण तथा कुटाई, जैसे कार्य के पृथक ठेके होते हैं और उनमें सम्भावित अन्तराल के कारण होने वाली क्षति के अतिरिक्त ठेकेदारों के मध्य यथेष्ट समन्वय न होने के कारण उत्तरदायित्व का निर्धारण भी कठिन हो जाता है । अतः एक-एक किलो मीटर के खण्ड में मार्ग निर्माण के समस्त कार्य का दायित्व एक ठेके में सम्मिलित कर कार्य के निष्पादन के व्यवस्था प्रयोगात्मक तौर पर लागू की जा रही है । अभी तक किसी का उत्तरदायित्व नहीं निर्धारित किया जा सकता था इसलिये अब यह तय किया गया है कि एक-एक किलोमीटर के टुकड़ों में बांटकर प्रारम्भ से लेकर अन्त तक एक ही ठेकेदार को दिया जायेगा, जिससे उसकी गुणवत्ता बनी रहे और उसका उत्तरदायित्व भी निर्धारित हो सके । इससे समय भी कम लगेगा और कार्य भी ठीक होगा ।

मान्यवर, पहली बार लोक निर्माण विभाग में प्रवर्तन दल का गठन किया जा रहा है । इसका गठन मुख्यालय स्तर पर किया जा रहा है और ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि इसको क्षेत्रीय स्तर पर भी

लागू किया जायेगा । मान्यवर, एक बात और कहना चाहूंगा कि निर्माण कार्य के लिये, पुल, पुलिया के निर्माण तक ही हमारा लक्ष्य नहीं है । मान्यवर, हजारों की संख्या में श्रमिक इस विभाग में काम करते हैं । वह जंगलों में और दुर्गम स्थानों पर काम करते हैं और जनता की सेवा करते हैं, हम उनके लिये चिंतित हैं । हम उनकी सेवा करने के लिये, उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिये सजग हैं । जब वह काम करते हैं, तो धुआं, कोलतार का धुआं उन तक पहुंचता है, अच्छा भोजन उनको प्राप्त नहीं हो पाता है इसलिये हमने एक और दस्ते का गठन किया है और दस्ता ऐसा होगा कि जो कार्य स्थल हैं, वहां पर वह जायेगा और जाकर श्रमिकों के स्वास्थ्य का परीक्षण करेगा और उनको निःशुल्क दवायें दी जायेंगी । यह काम हम स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से कर रहे हैं और अब उत्तर प्रदेश टी० बी० एसोसियेशन के सदस्य कार्य स्थल तक जायेंगे और श्रमिकों के स्वास्थ्य का परीक्षण करेंगे और जिसको रोगी पाया जायेगा, उसको निःशुल्क दवा दी जायेगी । मान्यवर, हमें यह कहते हुये हर्ष हो रहा है कि जिस काम को किसी सरकार ने नहीं किया है, उस काम को यह सरकार करने जा रही है ।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

मान्यवर, जल्दी समाप्त करवायें ।

(इस समय 5 बजकर 39 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैंने लोक निर्माण विभाग की नीतियों को सदन के समक्ष रखने का प्रयास किया है और मुझे आशा है कि मेरी सदाशयता पर न इधर के माननीय सदस्यों को शंका है और न उधर के माननीय सदस्यों को शंका है । अगर आप कमीशन लेते हों तो बता दें, अब मत लीजिये, सरकार बदल गयी है, हम परिवर्तन लाये हैं, आप संभल जाइये मेरा विश्वास है कि अब इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिये आपका सहयोग और समर्थन मिलेगा । मेरा एक और आग्रह है कि आपके क्षेत्र में जो निर्माण कार्य हो रहे हों, उन पर निश्चित रूप से कड़ी नजर रखें । क्योंकि जनप्रतिनिधियों की जागरूकता राज्य के संसाधनों के समुचित उपयोग की सबसे बड़ी गारन्टी है इस संदर्भ में विभागीय अधिकारियों को निदेश दिये जा रहे हैं और पहली बार निर्देश दिये जा रहे हैं कि अपने क्षेत्र में चल रहे या प्रारम्भ किये जाने वाले कार्यों के संदर्भ में पूरी -पूरी सूचना अपने क्षेत्र के विधायकों और सांसदों को अवश्य दें दें । मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि माननीय विधायकों और सांसदों से कल मैंने दिल्ली में चर्चा की है, जिनसे हमने भेंट की ।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

अभी एक भी सड़क बनी नहीं है तो सूचना काहे की दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

मंत्री जी, आप कितना समय और लेंगे ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैं अपनी बात जल्दी ही समाप्त कर रहा हूं केवल 5 मिनट लूंगा । एक चीज की चर्चा और करना चाहता हूं ।

एक सदस्य--

माननीय अध्यक्ष जी इसके लिए नहीं गये हैं अध्यक्ष जी ने कहा कि इस भाषण का आनन्द उपाध्यक्ष जी भी ले लें।

डा० सरजीत सिंह डंग--

माननीय अध्यक्ष जी इसके लिए नहीं गये हैं अध्यक्ष जी ने कहा कि इस भाषण का आनन्द उपाध्यक्ष जी भी ले लें।

मान्यवर, एक सप्ताह के पूर्व जब इस सदन में बजट पर चर्चा हो रही थी तो उत्तर प्रदेश के राजनीति के शलाका पुरुष माननीय नारायण दत्त तिवारी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए लोक निर्माण के कार्यों के प्रति जो संतोष व्यक्त किया है मैं उसके लिये हृदय से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। माननीय कैलाश नाथ जी का भी मैं आभारी हूं क्योंकि उन्होंने भी प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के कार्य की प्रगति की सराहना की है। उन्होंने एक अच्छे सहयोगी के रूप में, मित्र के रूप में सराहना के दो शब्द कहे इसके लिये मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूं।

मान्यवर, मै माननीय नारायण दत्त तिवारी जी को बड़ी विनम्रता के साथ धन्यवाद देते हुए उनका यह वाक्य संस्मरण कराना चाहता हूं जिसमे उन्होंने कहा है कि "योजनायें पूरी करने में भारत के संविधान के अन्तर्गत केन्द्र और राज्यों का पारस्परिक सहयोग विकास कार्यों में अपरिहार्य है। उसमें केन्द्र का पूरा सहयोग लेना होगा।"

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं विशेषतः विपक्ष में बैठे हुए कांग्रेस दल के अपने मित्रों से सविनय अनुरोध करना चाहूंगा कि प्रदेश के विकास एवं व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए दलगत राजनीति के दलदल से ऊपर उठकर केन्द्र पें संचार साधनों के विकास हेतु अधिक धनराशि दिलवाने में हमारा सहयोग करें। आशा है कि हमें उनका पूरा सहयोग प्राप्त होगा। अन्त में मैं इस सम्मानित सदन के सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि लोक निर्माण विभाग की मांगों को सर्वसम्मति से पारित करने की कृपा करें, अनुग्रहीत हूंगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(श्री जागेश्वर के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

जागेश्वर जी, आप बैठें।

श्री शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

मान्यवर, मैं एक जानकारी माननीय मंत्री जी से चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय कुशवाहा जी, जब उत्तर भाषण होगा तो उस समय आप पूंछ लें तो ज्यादा उपयुक्त होगा। अभी राणा जी ने तो अपने कटौती का प्रस्ताव भी नहीं रखा है। पहले कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत हो जाने दें उसके बाद अपनी बात कहें।

श्री शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

मान्यवर, आपने कह दिया तो बैठ जाता हूं नहीं तो एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें ।

श्री विजय सिंह राणा—

माननीय उपाध्यक्ष जी, अनुदान संख्या 54–लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या 55–लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन), अनुदान संख्या 56–लोक निर्माण विभाग (आवास भवन), अनुदान संख्या 57–लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) एवं अनुदान संख्या 58–लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) मैं प्रस्ताव करता हूं कि इन सभी अनुदानों में मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना है ।

मान्यवर, बड़ी देर से लोक निर्माण मंत्री जी का भाषण सुनते-सुनते शरीर थक गया और कान पक गये हैं । गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि-आपन मुंह तुम आपन करना, बात अनेक भांति बहु बरना । इनका भाषण ऐसा ही था जैसे छन्द में रस नाम की कोई चीज ही न हो जैसे कुत्ते के गले में हड्डी होती है, वह जब चबाता है तो अपने ही खून का रसास्वादन कर लेता है ।

मान्यवर, मेरा कर्तव्य बहुत कठोर है । यह हमारा दायित्व है कि सहस्त्रों नेत्रों से नहीं तो अपने दो नेत्रों से बजट की सभी चीजों को देखने का प्रयास करें । बड़ी देर से यह राग सुना । इसका आकलन पहले ही कर लें । यह बजट गत वर्ष 3,50,99,36,000 रु० का था ; इस वर्ष 2,95,00,16,024 रु० का है । इनके 6 घन्टे तक बोलने का क्या महत्व हुआ । ऐसा लगता था कि बाद में कहेंगे कि "कमल के फूल पर वोट देना " बजट इतना कम कर दिया गया है । सबसे बड़ी अखरने वाली बात यह है कि लोक निर्माण विभाग के अधीन राज्य सम्पत्ति विभाग का 7 लाख 2 हजार रु० माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपनी तरफ ट्रांस्फर किया है । मै नहीं कह सकता कि माननीय मुख्य मंत्री जी को इतना अविश्वास क्यों हुआ । कहा गया है कि लम्हा-लम्हा दिन कटा, लम्हा-लम्हा रात करी, जिसकी जितनी औकात रही, उसको उतनी सौगात मिली ।

बड़ी देर से कहा जा रहा था कि लोक निर्माण विभाग यह काम करेगा, वह काम करेगा, ऐसा लगता था कि जैसे किसी प्राइमरी स्कूल के हेड मास्टर का भाषण सुन रहे थे । बजट का आप अध्ययन कर लें तो मैं आपको बता दूं कि इसमें है क्या । इसमें इनकी 4-5 योजनायें है सड़क बनाने की, जिसमें सबसे पहली योजना है न्यूनतम आवश्यक कार्य । इसके अन्दर कांग्रेस ने निर्णय लिया था कि 1971 की जनगणना को आधार मानकर, जहां की आबादी 1500 से ऊपर होगी, उनको पक्की सड़क से जोड़ देंगे । जिन गांवों की आबादी एक हजार से ऊपर है, उनको सन् 1995 तक जोड़ देंगे । मान्यवर, यह काम 1980 और 1985 तक पूरे नहीं हुए । अभी ऐसा कह रहे थे कि हम यह कर देंगे, वह कर देंगे ऐसा मालूम पड़ता था कि धरती आसमान एक कर देंगे । जो काम 1985 तक पूरे हो जाने चाहिए थे उनकी स्थिति सन् 1992 के आज तक क्या है ।

1988-89 में पन्द्रह हजार के ऊपर की आबादी वाले 555 ग्राम जोड़े गये थे, एक हजार और पन्द्रह सौ के बीच के आबादी के 480 गांव जोड़े गये थे एक हजार के नीचे की आबादी के 400 गांव जोड़े गये थे । 1989-90 में पन्द्रह सौ से ऊपर के आबादी के 603 गांव, एक हजार से ऊपर की आबादी के 550 गांव, एक हजार से नीचे की आबादी के 600 गांव जोड़े गये थे । 1990-91 में 248 गांव पन्द्रह सौ से ऊपर की आबादी के, एक हजार से ऊपर की आबादी के 485 गांव, एक हजार से नीचे की आबादी के 152 गांव जोड़े गये थे । 1991-92 में यह संख्या 550, 603, 248 से घटकर,इस साल 86 गांव पन्द्रह

सौ से ऊपर की आबादी वाले, एक हजार से पन्द्रह सौ के आबादी के मध्य के 132 गांव, एक हजार से नीचे की आबादी के 127 गांव किये गये । 1992-93 में पन्द्रह सौ से ऊपर की आबादी के 120 गांव, एक हजार से पन्द्रह सौ के बीच की बात है और 50 गांव और एक हजार से नीचे की आबादी का एक भी गांव इस सड़क से नहीं जुड़ेगा । जो संख्या 550, 603, 248 तक चली गयी थी वह 50 पर आ गयी । कह ऐसा रहे थे, मालूम ऐसा पड़ता था कि धरती आसमान इक्ट्ठा कर देंगे । 120 गांव की तो बात है, उस श्रेणी के 32 गांव असाध्य घोषित कर दिये हैं असाध्य का मतलब इतनी लम्बाई की सड़कें बनानी पड़ेगी । एक कि०मी०, आधा कि०मी० की सड़क होती तो यह बता देते लेकिन लम्बी सड़क नहीं बनायेंगे । क्या इन लम्बी सड़कों को भगवान श्रीराम बनवायेंगे, लोक निर्माण विभाग आपके पास है । अभी भी आप इनका गुणगान करेंगे । दस्यु क्षेत्रों की बाबत बताया, इसमें पूरे प्रदेश में केवल 12 गांव इसमें हैं । इस योजना के अन्तर्गत 50 प्रतिशत हिस्सा प्रदेश का रहता है और 50 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र से मिलता है । इसमें जब शुरू में कहा गया, 1985 में यह शुरू हुआ था और जब यह कहा गया था कि इस योजना के अन्तर्गत 924 कि०मी० मार्ग, 23 दीर्घ सेतु व 88 लघु सेतु बनायेंगे और जब से यह सत्ता में आये उससे पहले तक 908 कि०मी० का मार्ग बन चुका था । 11 दीर्घ सेतु और 24 लघु सेतु बन गये थे और बाकी जो रह गया है तो 16 कि०मी० मार्ग इन्हें बनाना रह गया है इसमें जो आंकड़े दिये गये हैं जब माननीय मंत्री जी अपना उत्तर देंगे तो इसे स्पष्ट करेंगे । इसके बाद जो योजना का जिक्र इन्होंने किया वह राज-मार्ग का था । पूरे प्रदेश में कुल 11 राष्ट्रीय मार्ग हैं । इस मार्ग की कुल लम्बाई 2754 कि०मी० है और लखनऊ प्रान्त के अनुसार इनकी लम्बाई होनी चाहिए थी 3134 कि०मी० और प्रथम चरण में 1873 कि०मी० पर जो चार मार्ग बताये गये थे उन्हें केन्द्र के पास प्रस्ताव हेतु भेजा है । खोदा पहाड़ निकली चुहिया वह भी मरी हुई और आगे चलिये एक योजना है द्रुतगामी योजना ।

उसमें बताया गया कि इसमें कुछ करने जा रहे हैं क्या करने जा रहे हैं यह तो हमें देखने से मालूम नहीं पड़ रहा है । इसके बाद विश्व बैंक की सहायता से, एशियन बैंक की सहायता से होने वाले कार्यों के संबंध में यह बताया कि आगरा और मथुरा के लिए जो राष्ट्रीय मार्ग नम्बर-2 है, आपने बताया कि जापानियों की सहायता से एक योजना बनायेंगे । मान्यवर, दिल्ली से मथुरा तक का मार्ग बनकर तैयार हो गया सारी दुनिया को मालूम है लेकिन सरदार जी लगता है रजाई तानकर सोये हुए हैं, इन्हें कुछ खबर ही नहीं है । यह जब जायेगे तभी सबेरा होगा । अगर 12.00 बजे जागेंगे तो तभी सबेरा होगा । अरे अब तो उठो । पूरा का पूरा राजमार्ग बन गया है और वहां पर क्या आपत्ति है वन विभाग की उन्होंने यह कहा है कि हम अपने पेड़ नहीं कटने देंगे । जब वन विभाग अपनी स्वीकृति देगा तब उसका निर्माण कार्य शुरू करेंगे । एक बात मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बड़े जोरशोर से कही । उन्होंने कहा कि नोएडा में मान्यवर, उन्होंने तो ऐसे कहा कि मालूम पड़ता है कि ऐसा कार्य न कभी हुआ है और न कभी होगा, न भूतो न भविष्यित, एक पुल बनाया गया 100 करोड़ की लागत से और उसकी वास्तविकता क्या है जो पुल वहां बना हुआ है उस पुल से यह पुल केवल 2 सौ मीटर की दूरी पर है...उसके बनने की कोई आवश्यकता थी ही नहीं । इस प्रदेश को इस पुल से कोई फायदा नहीं है । यदि इसे फरीदाबाद से धनकौर के बीच बना दिया गया होता, तो निश्चित रूप से इस प्रदेश को उसका फायदा होता । उस पुल को बड़ी चालाकी से, बड़ी सूझबूझ से दिल्ली ने अपने हित में बनवा लिया और उत्तर प्रदेश का जो पैसा था, वह अपने पक्ष में कर लिया और माननीय मंत्री जी बड़ी शेखी बघार रहे थे । एक बात मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने और कही कि पुरोनिधारित योजनाओं के अन्तर्गत दो तरह के काम होते हैं, एक तो अन्तर्राज्यीय मार्गों का

निर्माण और दूसरे आर्थिक महत्व के कार्य । अन्तराज्यीय मार्गों के निर्माण का जहां तक प्रश्न है, उसमें पूरा का पूरा पैसा केन्द्र की सरकार देती है, उसमें इनका कुछ भी नहीं है, वैसे यह एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, पता नहीं इनका समर्थन करते हैं या ये इनका समर्थन करते हैं । तो मान्यवर, अन्तराज्यीय योजना के अन्तर्गत सातवीं पंचवर्षीय योजना में 21.84 करोड़ रुपया व्यय हुआ था और केन्द्र से इनको मिला केवल 11.42 करोड़ रुपया । इसी तरह आर्थिक महत्व के कामों में 10.75 करोड़ व्यय हुआ और केन्द्र से मिला 2.13 करोड़ । इस प्रकार यह तमाम पैसे को केन्द्र से ले नहीं पा रहे हैं, जो इनकी अक्षमता का द्योतक है । मान्यवर, मैं दोनों के बीच के झगड़े में नहीं पड़ना चाहता, इसमें पूरी की पूरी योजना केन्द्र से है ।

मान्यवर, आठवीं पंचवर्षीय योजना में अन्तराज्यीय मार्गों हेतु रु० 30 करोड़ तथा आर्थिक महत्व की सड़कों के लिए रु० 80 करोड़ का परिव्यय प्रस्तावित है इस प्रकार यही दो आंकड़े मुझे ऐसे मिले, जो अधिक हैं, बाकी में आपके आंकड़े नीचे चले जा रहे हैं और जो काम केन्द्र की सहायता से पूरे होने हैं, उसमें आपका कुछ लेना देना नहीं है । लेकिन बाद में आप आरोप अवश्य लगायेंगे कि केन्द्र ने हमारी मदद नहीं की, यह मान्यवर, इनकी चालबाजी है । एक बात और माननीय मंत्री जी बड़े जोरशोर से कह रहे थे कि जो योजनाओं के लिए धन प्रस्तावित होना था, स्वीकृति उससे कम होती थी, इसलिएं पुराने काम पड़े रह जाते थे, इसलिए दोनों में संतुलन स्थापित करने का हम प्रयास करेंगे । मान्यवर, आपको यह दर्द तब मालूम होता, जब आप 10-5 साल इन सीटों पर बैठे होते, हालांकि मुझे इधर बैठने का भी दर्द मालूम है । आप भी जानते होंगे कि एक विधायक को एक सड़क पास कराने में पसीना आ जाता है आप स्वयं कह रहे थे कि मेरे पास आकर लोग रोते थे । तो क्या अब आपने उनका दर्द बांट लिया है । इस सदन में आने वाला हर एक सदस्य, चाहे वह इधर का हो या उधर का, अपने यहां एक-एक कार्य को कराने के लिए उसे एक चुल्लू पसीना बहाना पड़ता है, तब जाकर एक कार्य हो पाता है । क्या आप समझते हैं कि आपके जो अधिकारी यहां पर बैठे हैं, वह आपके कहने पर तुरन्त काम कर दें । इस सदन के माननीय सदस्यों को अपने यहां निर्माण के कार्यों को स्वीकृत कराने में जो वेदना होती है, उनका जो संवेग होता है और जो भावनायें होती हैं, उन्हें आप नहीं समझ सकते । मंत्री बन जाने के बाद, बाद वाला मंत्री यह कहता है कि पहला वाला तो 14 करोड़ रुपये लेकर भाग गया, परन्तु जो नया मंत्री होता है, वह क्या कर रहा है, इसके बारे में कुछ नहीं कहते । मंत्री तो 500 कि०मी० की सड़क अपने यहां बना सकता है, परन्तु यदि कोई सामान्य सदस्य जब अपने यहां एक कि०मी० की सड़क भी बना लेता है तो वह उसकी चौड़ी छाती का प्रतीक है । आपने परियोजनाओं को काटकर क्या कोई पुनीत कार्य किया है ।

एक सदस्य–

मान्यवर, माननीय सदस्य, अपने शरीर का गलत तरीके से फायदा उठा रहे हैं और हमारे मंत्री जी को धौंसिया रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

मालूम पड़ता है कि मंत्री जी के मुकाबले में विपक्ष ने आगरा का जोड़ निकाल रखा है ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मैं कह रहा था कि जो ये योजनायें काटी गयीं हैं, इसके पीछे एक घृणित साजिश है इनके इंजीनियरों की । आज इनका अभियन्ता समाज सबसे ज्यादा कलंकित, पापी और भ्रष्टाचारी हो गया है ।

वह केवल रकम निर्धारित करने की सीमा तक लड़ते हैं ताकि उनको फण्ड ज्यादा से ज्यादा एलाट हो जाय । यदि उनका मौका लगे तो आपस में जूतम-बजार भी वह करने में चूकते नहीं हैं । लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो इनकी नानी मरती है । फण्ड एलाटमेंट करने के लिए ये किस तरह से रोते हैं, यह आप नहीं जान सकते । मैंने इसी सदन में मामला उठाया था नियम 51 में तो उसमें आगरा में सडक निर्माण के लिए 6 करोड़ रुपये यहां से स्वीकृत कराये थे । लेकिन उस 6 करोड़ रुपयों को लगाने के नाम पर दो चीफ इंजीनियरों ने एक तरीका निकाल कर बांट लिया आधा-आधा कर लिया । तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं इस सम्मानित सदन के सदस्यों ने जिन्होंने 8-8 और 10-10 साल लगा कर एक योजना स्वीकृत कराई है उसको बेरहमी से मत काटिए । अगर काटना ही है तो उन क्षेत्रों को काटिए जहां एक जिले में 20-20 और 50-50 करोड़ रुपये का काम हुआ है । तो काटने के लिए भी कोई नीति होनी चाहिए । जहां पोखर से लेकर नदी नालों तक में पुल बन गये हैं वहां की योजनायें काटिए । (व्यवधान) आप बहुत बुजुर्ग है मैं कुछ कह दूंगा तो आप झेल नहीं पायेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मैं क्या कहूं, केशव केशन अस करी जस अरि कबहुं न कराय, चंद बदन मृग लोचनी बाबा कह कर जाय ।

तो मान्यवर, मेरी बात का अगर उनको दुख हुआ है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं ।

तो मैं कह रहा था कि योजनाओं को काटने का एक तरीका एक दृष्टिकोण होना चाहिए । मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं इस सदन में 80 से देख रहा हूं आगरा, मथुरा, अलीगढ़, ऐटा,मैनपुरी को राज्य सरकार ने सड़क के लिए कोई आवंटन नहीं किया । आगरा जिले में एक भी सड़क स्वीकृत नहीं हुई । और यह सरकार उससे भी आगे है राष्ट्रीय राज मार्ग 2 से 3 तक सड़क स्वीकृत हुई है उसमें भी इन्होंने कटौती कर दी है इसका उदाहरण मैं देना चाहता हूं लोक निर्माण विभाग के आय-व्ययक के पृष्ठ 59 में 25.90 प्र०अभि० के पत्रांक 2595 नि/84-05नि/91, दिनांक 30-9-91 द्वारा स्वीकृति निरस्तीकरण प्रस्तावित है । निरस्त होने पर कालम 11, 12, 13 शून्य समझे जायं । ऐसा लग रहा है कि उनकी जेब से पैसा जा रहा है । तो हमारे लिए यह कुकर्म किया गया है । ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारे खिलाफ ये योजना बनाई जा रही है । मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप देख लें एक बार कि यह सब क्या हो रहा है । इस तरह से योजनाओं पर कुठाराघात नहीं होना चाहिए । मान्यवर, आप आगे फिर देखें । मान्यवर, इसमें एक भी वाक्य यहां पर नहीं कहा गया कि सेतु निगम में कोई भ्रष्टाचार है । माननीय मंत्री जी ने केवल एक बात कही थी कि सेतु निगम जो है, उसको अब कार्य प्रणाली पर लिया जा रहा है । जिस लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत सेतु निगम के ऊपर हम सबको गौरव था, जो देश में और विदेश में काम कर रहा था, जिसकी एक धाक थी जिसके बारे में हमने कहा था कि सेतु निगम एक ऐसा अलग विभाग है, जिसके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता । मान्यवर, आपने तो आते ही उसको बिल्कुल ध्वस्त कर दिया । भ्रष्ट अधिकरियों को संरक्षण दे करके, जो निकृष्ट हैं, जो पाप की पराकाष्ठा की सीमा पर खड़े हैं, ऐसे लोगों को आपने संरक्षण दिया । उनको संरक्षण दिया । उनको संरक्षण देने के कारण आज ऐसी स्थिति हो गयी है सेतु निगम की । आपने कहा कि अब आप सेतु निगम से काम लेना शुरू करेंगे । मान्यवर, इसकी स्थिति बिगड़ी है वहां

से जब इसमें प्रबन्ध निदेशक हुए थे सक्सेना साहब । मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के लिए उन्होंने अपनी धर्म पत्नी को लेकर किस-किस के चक्कर नहीं काटे, किस-किस की चरण धूल अपने माथे पर नहीं लगाई, क्का-क्या कुकर्म नहीं किये । जब उन्हें यह पद हासिल हो गया तो उन्होंने इस निगम को किस तरह से बनाकर छोड़ा । सब कुछ खाली कर दिया । पूरे निगम को तबाह कर दिया । आज स्थिति यह है कि आंकड़ों के साथ बताना चाहता हूं । मान्यवर, वैसे तो आज का यह अखबार है "स्वतंत्र भारत" इसमें पूरे जोर से एक खबर छपी है "प्रदेश में पुल निर्माण ठप्प होने से विकास कार्य में बाधा" । मान्यवर, यह तो अखबार की खबर है । मैं केवल इसलिए कह रहा था कि जिन सदस्यों ने समाचार-पत्र न पढ़ा हो, वह जाकर पढ़ लें और देख लें कि क्या हो रहा है । मान्यवर, मैं तो अपनी बात कर रहा हूं ।

यह सेतु निगम जो है एक स्वतंत्र निगम के रूप में मार्च, 1973 में स्थापित हुआ था । इसने 6 करोड़ रुपये से काम शुरू किया था । 1990 तक 72 करोड़ रुपये था इनके पास और मान्यवर, आज तक यह 605 करोड़ रुपये की लागत के 735 पुल अपने देश और विदेश में बना चुके हैं । यह इनके पुराने कार्य की स्थिति थी । इस निगम ने जब ऐसियाड हुआ था दिल्ली में फ्लाई ओवर बन रहा था तो मान्यवर, इन्होंने 10 महीनों के अन्दर तीन फ्लाई ओवर बनाकर दिये थे । यह इनके कार्य की धमक थी । इस समय कुल 12 करोड़ रुपये का काम है और खर्च 34 करोड़ रुपये का है । मान्यवर, यह इनकी हालत है । तीन महीने से उनके कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है । आज की स्थिति में यह हाल है सेतु निगम का । इसका कारण क्या है ? 50 अभियन्ता डेप्यूटेशन पर रख लेंगे । सहायक प्रबन्धक से लेकर नीचे तक के जितने अधिकारी हैं सबको डेप्यूटेशन पर रख लेते हैं । इनको आदेश पर आदेश हो रहे हैं कि अपने-अपने मूल विभागों को वापस लौट जायं परन्तु कोई लौटने को तैयार नहीं है । सब वहीं रहना चाहते हैं कहते हैं यहीं रहेंगे, यहीं खायेंगे । जब तक यहां का पैसा खा पी नहीं लेंगे उसके पहले जाने का नाम नहीं लेंगे । यह छोटे-मोटे बेईमान नहीं हैं । जो बेईमान कहने से भाग जायेंगे यह तो 'सौ-सौ जूते खाय तमाशा घुस कर देखें" इनमें से हैं । मान्यवर, सी० पी० अग्रवाल, पी० के० अग्रवाल उप प्रबन्धक और के० बी० श्रीवास्तव हैं, अगस्तय मुनि तो कुछ दिनों में समुद्र को पी पाये होंगे, लेकिन यह तो अगस्तय मुनि के भी बाप हैं यह ओक लगाकर पीते हैं । इलाहाबाद में भाई से खुद ठेकादारी कराते थे फर्जी कम्पनियां हैं अब उनसे सांठ-गांठ कर रहे हैं करोड़ों रुपया विभाग का खा गये । और जब इसके खिलाफ जांच चली तो माननीय मंत्री जी ने फाइल पर लिख दिया इस प्रकरण को अब यहीं समाप्त समझा जाय ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

यह किस मंत्री द्वारा लिखा गया ? किस पत्रावली पर और कब लिखा गया ?

श्री विजय सिंह राणा–

मंत्री जी इनके हैं... मंत्री जी नये पुराने नहीं होते हैं । मैं बात कह रहा हूं अब यह तो आप खुद बतावें मैं तो खुल्लमखुल्ला कह रहा हूं ।

[ समय 6 बजकर 20 मिनट]

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

भाषण जारी रखें ।

श्री विजय सिंह राणा–

आज यह स्थिति है कि जब विभाग में भ्रष्ट अधिकारियों का संरक्षण होने लगेगा, तो कैसे काम चलेगा, बिभाग मंत्री से नहीं चलता है । ईमानदार अधिकारियों को पूरा का पूरा प्रश्रय मिलना चाहिए । हम सबको मिलकर उनकी तारीफ करनी चाहिंए । काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए । उनको आगे उठाने के लिए काम करना चाहिए । भ्रष्ट अधिकारी जनता का खून पी रहे हैं । उसमें बिना किसी परिणाम को सोचे हुए कटु से कटु शब्दों में उनकी निन्दा करनी चाहिए । उसकी आलोचना करनी चाहिए । ''सत्यं ब्रूयात, प्रियम् ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यं अप्रियम्'' यह लोकतंत्र की प्रक्रिया में सत्य और प्रिय है । सेतु निगम डूब रहा है । प्रदेश के हित में मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं आप हर बात को खुलासा रख दें । शायद उस प्रकरण में आपको मालूम हो । तब हम लोग सत्ता पक्ष में बैठते थे । जब लखनऊ की एक दवा कम्पनी का मामला आया था । आपको शायद याद हो । मैं यहीं बैठा था और हमारे लोग सत्ता में बैठे थे, तब दवा का प्रकरण आया था जो व्यक्ति खोखे दवाई की दुकान से लाता था वह अरबपति बन गया । जो लखनऊ की सड़कों पर घूमता था वह अरबपति हो गया । इसमें सारी स्थिति मंत्री जी ने बयान की थी तो लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिस जनता ने आपको चुनकर भेजा है उसके साथ कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए । कठोर से कठोर बात को कह देना चाहिए । सेतु निगम को बचाने के लिए आपसे कहूंगा सेतु निगम से बड़ी आशायें थीं उसको बचायें ।

एक सदस्य–

मान्यवर, लाबी में शोर हो रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष–

कहलवा दिया गया है, राणा जी भाषण जारी रखें ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, इस सेतु निगम को औसतन डेढ़ करोड़ रुपये का प्रतिदिन घाटा हो रहा है । इस पर 21 करोड़ रुपया बैंकों का बकाया है । मान्यवर, 815 तकनीकी, 635 गैर तकनीकी, 1247 नियमित श्रमिक, 156 ए श्रेणी श्रमिक, 3385 बी-श्रेणी श्रमिक तथा 1073 दैनिक भोगी कर्मचारी इसमें कार्यरत हैं । और यह लोग बिना काम के तनख्वाह ले रहे हैं । आप माननीय सदस्यों के क्षेत्र की सड़कों को काट सकते हैं तो इन कर्मचारियों में क्यों नहीं कटौती करते हैं । यह जो इस विभाग में प्रतिनियुक्ति पर आये लोग हैं उनको उनके मूल विभागों को वापस करें । जो अतिरिक्त कर्मचारी हैं, जो फालतू कर्मचारी हैं उनको निकाल कर बाहर करें । इसके अतिरिक्त जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको बाहर निकालने का आप संकल्प लेकर यहां से जायं । मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी की इसलिए प्रतिष्ठा करता हूं कि आप गुरु गोविन्द सिंह के परिवार के हैं गुरु गोविन्द सिंह इस देश के लिए अपने बच्चों को दीवाल में चुनवाने के लिए अपनी छाती चौड़ी कर आगे आये थे । आप उस परिवार से हैं इसलिए मुझे विश्वास है कि आप विभाग में सुधार करेंगे । मैं एक बात आपसे आखिर में कहना चाहता हूं :–

भानु उगे उदयाचल में, फिर पीछे को पैर धरै कबहूं ना ।
सूर सती रण पै चढ़ि के, फिर आश करै घर की कबहूं ना ।
हरिल त्यागि दई धरणी, बिन काटे फले कदली कबहूं ना ।
याही प्रतीति असीमन की, जो मुख तै कहै बदले कबहूं ना ।

मैं इस उद्बोधन के साथ आपको भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आमंत्रित करता हूं। आप यहां से इस विभाग से भ्रष्टाचार को खत्म करने का संकल्प लेकर जायं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देते हुए कहना चाहता हूं कि जब अवसर आयेगा तो विभाग के संबंध में कुछ सुझाव रखने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।

श्री राम कुमार शुक्ल–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे लोक निर्माण विभाग पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अभी हमने लोक निर्माण मंत्री जी और अपने वरिष्ठ साथी माननीय राणा जी को सुना। इस पूरे प्रकरण में दोनों लोगों ने सामान्य रूप से एक बात कही कि भ्रष्टाचार पर चोट होनी चाहिए जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पर चोट होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय शुक्ला जी, इस बात का ध्यान रखें कि आपको अपनी बात 5 मिनट में समाप्त करनी है।

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, जब भा०ज०पा० सरकार आयी और माननीय श्री डंग मंत्री बने....तो मान्यवर, उस समय जिस प्रकार का विभाग मिला, ऊपर से नीचे तक लगभग 80 परसेंट भ्रष्ट अधिकारी मैं नहीं कहता, हो सकता है अब कम हो गये हों, लेकिन शुरू से लेकर आज तक शासन के सभी विभागों में सबसे भ्रष्ट विभाग यही था। मान्यवर, मैंने पहले भी देखा था कि कागज पर सड़क बन गयी और रिपेयर होती रही। बार-बार-रिपेयर होती रही। कागज पर पुल बना और कागज पर मरम्मत होती रही। वहीं से भ्रष्टाचार की शुरुआत हुई थी। यह कोई नयी चीज नहीं है। माननीय मंत्री जी ने इसको छांटने की कोशिश की है, वह बधाई के पात्र हैं। मान्यवर, हमारे जनपद बाराबंकी में सन् 77 में एक सड़क स्वीकृत हुई और कागज पर बन गयी। 6 बार स्वीकृत हुई और 6 बार बनी, लेकिन वास्तव में अब बनी है। इस प्रकार का काम ब्रिज कारपोरेशन का रहा हो या लोक निर्माण विभाग, सभी में इस प्रकार का काम कागज पर हुआ और एक नयी स्कीम चली 80-20 की। कोई काम हो, 80 परसेंट इंजीनियर का और 20 परसेंट ठेकेदार का। उसका काम समाप्त हो जायगा कागज पर। इस प्रकार का निर्माण कार्य होता था। माननीय मंत्री जी ने उस पर अंकुश लगाने की कोशिश की है। मान्यवर, शुरू से आखिर तक इन्होंने बहुत सारा काम चेक किया है।

एक बात और कहूंगा अब से लेकर आजादी तक वास्तव में जितने भी मंत्री हुए, मुख्य मंत्री हुए, उन्होंने केवल अपने क्षेत्र को देखा। मैं तो बाराबंकी जनपद का हूं। उन लोगों ने केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र को ही देखा और दूसरे जनपद में कुछ खर्च नहीं किया। इस प्रकार जितने भी मंत्री लोक निर्माण विभाग के रहे, वे अपने तक सीमित रहते थे और पूरे प्रदेश के विकास की बात उन्होंने नहीं की। इन्होंने पहले से पूरे प्रदेश को सामने रखकर बजट नहीं बनाया। लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं है कि यह लोक निर्माण मंत्री का क्षेत्र है इसलिए उसी को लेना चाहिए या यह किसी विरोधी दल का क्षेत्र है, यहां कम काम लेना चाहिए। यह राम राज्य की सरकार है, इस प्रकार का भेद यहां नहीं है। सभी जगह बराबर काम होगा। मान्यवर, हमारे प्रदेश में भूकम्प आया कि प्रदेश के बहर कहा गया कि इससे बड़ा भूकम्प उत्तर प्रदेश में कभी नहीं आया। जिस प्रकार लोक निर्माण विभाग ने उसमें काम किया है और कम समय में काम किया है, उसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। इसके अतिरिक्त मान्यवर, जो भूकम्प, भ्रष्टाचार और हरिजनों के बारे में जो बात कही गयी, पहली बार कही गयी है, इसलिए मैं इस बजट का जो माननीय मंत्री जी ने रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री जागेश्वर प्रसाद--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं। माननीय राणा जी के द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव आया है मैं उसका समर्थन कर रहा हूं। साथ ही माननीय लोक निर्माण मंत्री महोदय ने जो काफी लम्बा चौड़ा भाषण किया है, मैं कहना चाहता हूं कि "गरीबों की दुनिया में आओ तो जानें, हमारी तरह गम उठाओ तो जानें। खड़े होकर महफिल में लेक्चर ही देते, जो कहते हो तो करके दिखाओ तो जानें। चमकता है सूरज, जलती जमीं है, ऐसे समय हल चलाओ तो जानें। तड़पता है जहां इन्सान राटियों को, ऐसी गरीबी मिटाओ तो जानें। गरीबों पर हमेशा भाषण करते हो, गरीबी का गढ़ ढहाओ तो जानें। तड़प कर शोषित शोषक से कहता है, हमें न सताओ सताये गये हैं, खूंखार बन कर जब उठेंगे साथी, फिर हमें न कहना बचाओ तो जानें। गरीबों की दुनिया में आओ तो जानें, हमारी तरह गम उठाओ तो जानें।" जब किसान पैर पर खड़ा हो जायगा, गरीब मजदूर पैर पर खड़ा हो जायगा तो आप कहां जाओगे। हमारे यहां फतेहपुर में 10 साल पहले सड़क बनना शुरू हुई थी, अभी तक पूरी नहीं हुई है, वह सड़क अधूरी पड़ी हुई है। वहां पर 10 कि०मी० की सड़क ऐसी है, जहां पर गिट्टी पड़ी है और उस पर कोई भी काम नहीं हुआ है, उसको बनवाया जाय। मान्यवर, वह माननीय वी० पी० सिंह का क्षेत्र है। माननीय वी० पी० सिंह जी वहां से जीत कर प्रधान मंत्री बने थे। मान्यवर, उस क्षेत्र की सड़कें अधूरी पड़ी हुई हैं।

मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि फतेहपुर से 6 माननीय विधायक ज़ीत कर आये हुए हैं। मेरे सुरक्षित क्षेत्र के लिए 5 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ था, परन्तु अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है। हमारे क्षेत्र की सड़कें बहुत ज्यादा खराब हैं। मान्यवर, गढ़ाकोट से मानावा रोड तक 19 कि०मी० की सड़क बहुत ज्यादा खराब है, उसे बनवाने की कृपा करें। मान्यवर, वहां पर इतनी खराब सड़कें हैं, जिससे कोई भी सवारी गाड़ियां नहीं जा सकती हैं। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में जो सड़कें कच्ची हैं, उन्हें पक्का कराया जाय। हमारे जनपद फतेहपुर में बहुत सी ऐसी सड़कें हैं, जहां पर खड़ंजे बिछे हुए हैं और कई साल हो गये हैं, उनको बनवाने का नाम नहीं लिया गया है। मान्यवर, हमारा क्षेत्र सड़कों के अभाव के कारण अत्यधिक पिछड़ा हुआ है। मान्यवर, हमारे क्षेत्र की सड़कें यथाशीघ्र ठीक करायी जायं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि फतेहपुर में और हमारे क्षेत्र में ज्यादातर कच्ची सड़कें ऐसी मिलेंगी, जहां पर बरसात के दिनों में पानी भर जाता है, लोग एक गांव से दूसरे गांव तक पानी में चलकर जा पाते हैं। मान्यवर, उस स्थान की सड़कों को यथाशीघ्र ठीक कराया जाय। इन शब्दों के साथ मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री शिव लाल मित्तल--

माननीय उपाध्यक्ष जी, लोक निर्माण विभाग के बजट पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं। हमारे मंत्री जी ने विपक्षियों की पूरी पोल खोल दी और अब मछली की तरह से वे छटपटा रहे हैं। मान्यवर, काफी दिनों तक कांग्रेस ने शासन किया और थोड़े दिनों तक जनता पार्टी ने शासन किया व भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार और महंगाई जो भी बढ़ी है, वह विपक्षियों की देन है, अधिकारियों को भ्रष्ट बनाना और कमीशन लेना आदि काम हमारे विपक्षियों ने किया है, अब हमको कहते हैं कि 10 महीने में सुधार करो। मान्यवर, जटई बदली है, शरीर वही है, इन 45 वर्षों में सारी जिम्मेदारी विपक्ष की है। हमारी सरकार जन कल्याणकारी काम कर रही है। अब मैं एक बात अपने क्षेत्र के संबंध में कहना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में एक सड़क बस्ती से लुम्बनी गयी है, दूसरी नौगड़ से गोण्डा, बहराइच गयी है और कोई सड़क ही नहीं है। 45 वर्षों में हमारे क्षेत्र में कौन सी सड़क बनी ?

सोहरतगढ़ चेतिया अधूरी है और उस पर पुल भी बनना है, ढेबरवा, पंचपेड़वा और सिसवा बसैरिया और सिसवां लोहटी, गनेशपुर कोटिया, करौंदा और मसना से हुल्लापुर घाट, तनजवा, बरगदवा, मानपुर महादेव, मटियार भुतावा आदि सड़कें अधूरी पड़ी हैं। पल्टा देवी, सोहरतगढ़ पर न सड़क बनी है और न पुल बना है। यह कांग्रेस की देन है। मान्यवर, में माननीय मंत्री जी से मांग कर रहा हूं कि इन अधूरी सड़कों को पूरा करावें और एक निरीक्षण गृह मेरे क्षेत्र सोहरतगढ़ में नहीं है, बढ़नी में है, नौगड़ में है, बांसी डुमरियागंज में है , सोहरतगढ़ में होना चाहिए। मान्यवर, मैं मंत्री जी के रखे बजट का समर्थन करता हूं।

श्री सोमांश प्रकाश–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं आपका आभारी हूं कि आपने लोक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया और मैं राणा जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। वैसे तो राणा जी ने सारी बातें कह दी हैं और मंत्री जी की सारी पोल खोल दी है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि ईमानदारी से विकास सभी भागों का किया जायेगा, तो मैं कहना चाहता हूं कि कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं होना चाहिए। आप हर जनपद से आंकड़े मगवां लें और इस बात को सुनिश्चित करें कि कौन-कौन से क्षेत्र पिछड़े हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आजादी के 45 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां 13-13 और 14-14 कि०मी० सम्पर्क मार्ग नहीं हैं। तो श्रीमन्, मेरा सुझाव है कि हर जिले से यह मानक तय कर लें और रिपोर्ट मंगवा लें कि कहां-कहां और किस-किस क्षेत्र में सड़कें नहीं हैं और उनका सर्वे कराकर स्टेट प्लान से और जिला प्लान से उनको बनवाने पर विचार करें और जो पिछड़े क्षेत्र हैं, वहां पर सड़कें बनवायी जायें। मान्यवर, अभी तक यह होता रहा है कि वी० आई० पी० जो रहे हैं, मंत्री जो रहे हैं, उन्हीं के यहां तक सड़कें सीमित रही हैं और दूसरे जो क्षेत्र रहे हैं वह पिछड़े ही रह गये हैं। दूसरे विधायकों के क्षेत्रों में जब सड़कें नहीं मिली तो वह अपनी कुन्ठा में रह गये, लेकिन उनके यहां पर सड़क का विकास नहीं हो पाया। मान्यवर, कहा जाता है कि पश्चिम में बड़ी प्रगति हुई है, लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र में तहसील मुख्यालय से 15-15 और 16-16 कि०मी० तक गांव ऐसे हैं, जहां पर सड़कें नहीं हैं और सम्पर्क मार्ग नहीं हैं। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में इस वर्ष कम से कम 20 कि०मी० की सड़क दें, चाहे स्टेट प्लान से दें और चाहे जिला प्लान से दें। मान्यवर, इसी तरह से एक लकड़ी का पुल है वह बहुत कमजोर हो गया है, उसकी स्थिति खराब हो गयी है और किसी समय भी दुर्घटना हो सकती है, मैं निवेदन करूंगा कि उसको पक्का बनवाया जाये। इन शब्दों के साथ माननीय राणा जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, यशस्वी लोक निर्माण मंत्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह वास्तव में इस प्रदेश की प्रगति में एक नई दिशा है। मैं यह कह सकता हूं कि राणा जी ने भ्रष्टाचार की बड़ी बात कही और बड़े लम्बे चौड़े व्याख्यान दिये, तो मुझे प्रसन्नता हो रही थी कि कम से कम उन्होंने यह अहसास किया है अभी तक विकास के कार्यों की उपेक्षा हुई है। उन्होंने ऐसे कारनामें भ्रष्टाचार के बताये, जो पिछली सरकारों की देन हैं और जब उनसे मंत्री जी का नाम पूछा गया, तो उन्होंने मंत्री जी का नाम नहीं बताया, वह जान गये कि थोड़ी देर में नाम आयेगा ही। हम 9 महीने पहले आये हैं, स्वतंत्रता के बाद आज तक कितनी सरकारें रही हैं, उन्होंने क्या काम किया है उनमें जिस प्रकार का वातावरण बना,

उसके कारण हम पिछड़ते चले गये । दुनिया की दौड़ में हिन्दुस्तान पीछे, हिन्दुस्तान की दौड़ में उत्तर प्रदेश पीछे और उत्तर प्रदेश की दौड़ में अभागा बुन्देलखण्ड पीछे मानो पिछड़ेपन की होड़ इन लोगों के द्वारा लगायी गयी थी और वह आज तक चली आ रही है । मान्यवर, इसको दूर करने का लोक निर्माण मंत्री जी द्वारा जो बीड़ा उठाया गया है उसके लिए उनको साधुवाद देना चाहता हूं और इसलिए भी उन्हें साधुवान देता हूं कि उन्होंने एक नई संस्कृति का निर्माण किया है । इसके पहले से आज तक जितने मंत्री हुए हैं सब अपने नाम का पत्थर लगाने के व्यामोह में इतने जकड़े हुए थे कि कहीं भी जाकर पत्थर लगा देते थे । मान्यवर, इसका एक उदाहरण देता हूं कि शिक्षा निदेशालय के पास में जाकर देखें, सुलभ शौचालय का पत्थर लगा हुआ है और यह पत्थर एक मंत्री के द्वारा लगाया गया है, आपने भी देखा होंगा, यह हाल था । मान्यवर, अब हमारे लोक निर्माण मंत्री ने यह घोषणा की है कि हम किसी भी सड़क का कोई भी शिलान्यास नहीं करेंगे, हम जब करेंगे तो उद्घाटन करेंगे, हम पूरा काम करेंगे और बाद में उस जगह पर जायेंगे । हमने घोषणाओं में विश्वास नहीं किया है । मान्यवर, अभी तक लगातार रेवड़ियां बाटी जाती रही हैं, अंधा बांटे रेवड़ी, चीन्ह-चीन्ह कर देय । मान्यवर, अभी हमारे सोमांश प्रकाश जी कह रहे थे कि मंत्री अपने घर में सड़क ले गये अपने गांव में सड़क ले गये और जनता का कोई लाभ नहीं हुआ है । मान्यवर, लेकिन हमारे लोक निर्माण मंत्री ने अपने जिले मिर्जापुर में केवल 14 लाख रुपये की स्वीकृति दी है, यह उन्होंने एक नई संस्कृति का निर्माण किया है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री रवीन्द्र शुक्ला–

मान्यवर, ज्यादातर समय टोकाटोकी में चला जाता है ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप टोकाटोकी में आते क्यों हैं ?

श्री रवीन्द्र शुक्ला–

मान्यवर, एक बात और कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा हमारे क्षेत्र का जैसा कि मैंने कहा बुन्देलखण्ड का यह पिछड़ा शब्द स्वतंत्रता के बाद से आज तक विशेषण के रूप में हमारे साथ प्रयुक्त किया जाता रहा है । आश्चर्य की बात तो यह है कि इतने बड़े नगर झांसी में, जब मैं पिछली बार सदन में था तो यहां पर हमारे लोक निर्माण मंत्री जी भी थे, मैंने इस मामले कोउठाया था, मैंने कहा था कि एक वर्ष के अन्दर हमारे झांसी के अन्दर बाईपास न होने के कारण कितनी मौतें हो जाती हैं और यहां पर सरकार ने उसका उत्तर दिया था उनको याद होगा । जब मैंने लोक निर्माण मंत्री जी से इस समस्या के लिए बात किया तो उन्होंने मुझे इस बाईपास को बनाने के लिए आश्वासन दिया मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने झांसी की जनता के कष्ट को समझा । मान्यवर, झांसी नगर के अन्दर बाईपास न होने के कारण न जाने कितनी माताओं के पुत्र भारी वाहनों के प्रवेश के कारण मौत के घाट उतर गये थे इस तरफ माननीय मंत्री जी ने ध्यान दिया । मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि आप अपने गिरेबान में झांककर देखें कि आपने जो अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार किये हैं उसके लिए आप दोषी हैं और जब इतिहास लिखा जायेगा तो किसी भी दशा में आपको माफ नहीं किया जायेगा । मान्यवर, इसी के साथ एक शेर कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं–हमें पता भी नहीं था और हमारे तलुओं से खूं

रिसा है कि गर्द तक गुलाल हुई । मान्यवर, इसी के साथ मैं लोक निर्माण मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री राम कृष्ण–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे लोक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया । कटौती के प्रस्ताव का मैं समर्थन करते हुए मा० मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सत्ता दल का कोई भी सदस्य खड़ा होता है तो 9 महीने की बात करता है । अभी 9 महीने पूरे हुए हैं लेकिन एक कि०मी० सड़क भी किसी क्षेत्र में पूरी नहीं हुई है । आज तक कहा गया है कि पिछली सरकारों ने सब पैसा अपने क्षेत्रों में लगा दिया । फिर यह जो विकास की बात करते हैं वह कहां से आया । अगर पिछली सरकारों से धन नहीं मिलता तो यह पैसा कहां से आया होता ।

मैं मछरेहटा (सीतापुर) से चुनकर आया हूं । वहां पर सिधौली मिश्रिख रोड बनी है, बीस साल में इसके अलावा जो मार्ग खड़ंजे के बने हैं, उन पर पैदल भी नहीं चल सकते हैं । मरम्मत भी किसी सड़क की नहीं हुई है । हमारे क्षेत्र में तीन साल पहले जो दो-दो कि०मी० सड़क बनी थी, अधूरे मार्ग पड़े थे आज भी वैसे ही हैं । आधे कि०मी० का भी काम नहीं हुआ है । मंत्री जी ने कहा कि क्षेत्रवार संतुलन रखेंगे । जो हरिजन बाहुल्य क्षेत्र हैं वहां मंत्री जी विशेष ध्यान देंगे ऐसी आशा है । हमारे क्षेत्र में पन्द्रह साल पहले जो मार्ग मछरेहटा जलालपुर से हरदोई को जोड़ता है, जहां पर पुल की आवश्यकता थी, उस समय नारायण दत्त तिवारी जी मुख्य मंत्री थे, उसको बनाने की घोषणा की गयी थी, आज तक पूरा नहीं किया गया ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री राम कृष्ण–

मेरे यहां नैमिष क्षेत्र पड़ता है पूरे देश भर के लोग वहां आते हैं, वहां पर भ्रमण करते हैं । अयोध्या के साथ नैमिष भी जुड़ा हुआ है । वहां पर 84 कोस का परिक्रमा मार्ग है वह आज तक पक्का होना तो दूर रहा कच्चा भी नहीं हुआ है । मेरे यहां अभी जिन मार्गों पर कार्य नहीं हुए हैं वे हैं–नीमसार औरंगाबाद मार्ग, कुर्सी हिन्डोरा मार्ग, मधुवापुर परसदा मार्ग, सिधौली से मिश्रिख से कैलाश आश्रम मार्ग । मेरी मांग है कि इन मार्गों को पूरा कराया जाय । इसके अतिरिक्त गोमती नदी पर पुल, गुलरिया से मधवापुर मार्ग पर पुल तथा मछरेहटा जलालपुर मार्ग पर पुल का निर्माण तत्काल कराया जाय ।

श्री नवल किशोर–

मान्यवर, आपने समय दिया, इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं । माननीय लोक निर्माण मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं । माननीय राणा जी ने बताया था कि बजट में राजस्व और पूंजी खाते में घटोत्तरी हुई है, इस संबंध में बताना चाहूंगा कि 1990-91 प्लानिंग का बजट 2 अरब 53 करोड़ 85 लाख 48 हजार रुपये का था जबकि इस वर्ष 2 अरब 66 करोड़ 58 लाख 61 हजार रु० का है । 1991-92 में 2,33,32,33,000 रुपये रखा गया था, इसी तरह से इस वर्ष प्लानिंग में 1990-91 से 12 करोड़ 73 लाख अधिक रखा गया, पिछले वर्ष 33 करोड़ 26 लाख 36 हजार अधिक रखा गया । माननीय लोक निर्माण मंत्री ने कटौती की है, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन कटौती नान प्लान में की गयी है, उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं । वर्ष 1990-91 के मुकाबले 50 करोड़ 28 लाख और 91-92 के मुकाबले 1 करोड़ 9 लाख 26 हजार की कटौती की है । मान्यवर,

जो हमने बजट में विश्लेषण देखा, उसमें निराशा इस बात से हुई कि जनपद बुलन्दशहर में अतिवृष्टि हुई है जिससे गत 50 साल का रिकार्ड टूट गया है, उसमें हेड वाइज का प्राविधान बुलन्दशहर जनपद के लिये नहीं रखा गया है । जो धन किसी जनपद के लिये नहीं आवंटित किया गया है मैं मांग करूंगा कि उसमें जनपद बुलन्दशहर के लिये धन रखा जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब समाप्त करें ।

श्री नवल किशोर–

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में सासनी में नीम नदी पर एक छोटा सा पुल बना हुआ है, 10 वर्ष हो गये हैं, उस पर अधिकांश किसान छोटे-छोटे ग्रामीण साधनों से सामान लाते ले जाते हैं मैं मांग करुंगा कि वहां का पथकर समाप्त किया जाय । जो बजट रखा गया है उसका मैं समर्थन करता हूं ।

श्री श्याद अली--

मान्यवर, माननीय विजय सिंह राणा द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, बनारस से लखनऊ के मार्ग की बड़ी उपेक्षा की गयी है । रायबरेली से प्रतापगढ़ की तरफ जाते हैं, इलाहाबाद फैजाबाद की तरफ जाते हैं, अगर अयोध्या जाना हो, तो जहां इलाहाबाद सुल्तानपुर की सीमा खत्म होगी, बीच में प्रतापगढ़ पड़ेगा, वहां आपकी मोटर पंचर हो जायेगी । प्रतापगढ़ की इस तरह से उपेक्षा की गयी है कोई पैसा नहीं दिया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष--

मंत्री जी की गाड़ी पंचर कराइये हमारी गाड़ी न कराइये ।

श्री श्याद अली–

मिर्जापुर से अयोध्या जायेंगे इलाहाबाद होकर प्रतापगढ़ बीच में पड़ेगा, हमारे यहां के जो मंत्री हैं, वह मोटर विभाग के मंत्री हैं, यह धमकी आपने उन्हें दी है कि मोटर तुम्हारी है सड़क हमारी है जब सड़क ही नहीं रहेगी तो मोटर की क्या जरूरत मान्यवर, इन्होंने हमारे यहां के मंत्री बृजेश शर्मा जी को धमकी दी । मान्यवर, जो कादीपुर घाट का पुल है उसकी उपेक्षा की गयी है । परैया का जो पुल है, बसही नाला का जो पुल है, सचौली घाट का जो पुल है, उसकी उपेक्षा की गयी है । हमारे क्षेत्र में सुल्तानपुर से दमदम की जो सड़क है, वह एक ऐतिहासिक स्थान है । मंदिर के नाम पर आप चुनकर आये हैं, दीवानगंज से बेलखरनाथ मंदिर तक जो पर्यटन स्थल हैं उसकी हालत शोचनीय है । मान्यवर, मेरे जिले की उपेक्षा की गयी है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप बैठें, समाप्त करें ।

श्री श्याद अली–

मंत्री जी ने उपेक्षा की है अधिकारियों ने उपेक्षा की है । जिले के हमारे जो मंत्री हैं उन को धमकी दी मोटर तुम्हारी होगी सड़क हमारी होगी । प्रतापगढ़ में जो बीरापुर क्षेत्र है उसकी उपेक्षा की गयी है । जहां से आपके भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुने गये हैं उन क्षेत्रों में आपने सड़क दी है । मैं अकेला वहां से जनता दल का विधायक चुना गया हूं मेरे क्षेत्र में एक भी सड़क नहीं दी गयी है । इस उपेक्षा के नाते मैं इस बजट की घोर निन्दा करता हूं ।

श्री कमलेश कुमार–

माननीय उपाध्यक्ष जी मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय लोक निर्माण मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जनसंख्या प्रदेश की कुल जन संख्या का 21.16 प्रतिशत है । इन वर्गों के विकास एवं कल्याणार्थ स्पेशल कम्पानेन्ट प्लान के अन्तर्गत कार्यक्रम पर अधिक बल दिया जा रहा है और परिव्यय का लगभग 22 प्रतिशत धन इस पर व्यय किया जा रहा है इसके अन्तर्गत अम्बेडकर ग्राम योजना में चयनित गांवों को प्राथमिकता दी जा रही है ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य आप भषण पढ़ रहे हैं । आप इसे पढ़ नहीं सकते हां उससे सहायता जरुर ले सकते हैं ।

श्री कमलेश कुमार–

मान्यवर, माननीय लोक निर्माण मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं और उनसे यह अनुरोध करता हूं कि उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े हुए जनपद गोण्डा के गैसदी तुलसीपुर में बहुत पिछड़ापन है वहां पर निर्माण कार्य नहीं हो पाया है यहां पर बीस-बीस किलोमीटर लम्बी सड़कें हैं जिन पर गिट्टी लेपन स्तर का कार्य अभी नहीं हो पाया है मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस पिछड़े हुए क्षेत्र को प्राथमिकता के आधार पर विकास करायें । मान्यवर, कोन्डरी घाट में एक करोड़ रुपया दिया है और शेष धन इसी बजट में आवंटित कराने का कष्ट करें ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री कमलेश कुमार–

मान्यवर, अन्त में यही कहूंगा जो माननीय लोक निर्माण मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है यह बहुत ही अच्छा है और मैं इसका समर्थन करता हूं ।

श्री सुखवीर सिंह गहलौत–

मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका बड़ा आभारी हूं । मान्यवर, गाजियाबाद जनपद स्थिति बड़ी खराब है और माननीय मंत्री जी ने खुद मेरे साथ चलकर वहां की स्थिति देखी है तो मान्यवर, इसकी जांच करवायी जाये । मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर में पिलखुआ से भगौता तक का डेढ़ किलोमीटर का क्षेत्र बहुत खराब पड़ा है, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं इसमें बजट का आधा हिस्सा भी खत्म हो चुका है, इसमें पांच, छः लाख रुपया खर्च हुआ है । दूसरा एक लैण्डी से शौसाना जिस सड़क पर रुपया भी खर्च हो गया है यह सड़क निरस्त कर दी गई है । शासन को पुनर्निर्माण के आदेश देने का कष्ट करें ।

धौलाना से सम्पत नगर सड़क पर भारी ट्रैफिक होने के कारण तमाम सड़क टूटी पड़ी है । इसे ठीक कराया जाय ।

अमराला से नगलाबेर 2 1/2 कि०मी० सड़क की बुरी हालत है इसे भी काली कराई जाय ।

मोदीनगर से पिलखुवा व मोदी नगर से हापुड़ मार्ग टूटा पड़ा है, जिसे माननीय राज्य मंत्री लोक निर्माण खुद अपनी आंखों से देखकर आये हैं। उन्होंने जब वह वहां पर आये थे तो आश्वासन भी दिया था। अभी माननीय मंत्री जी ने बड़े दावे के साथ कहा कि सड़कों का सुधार होगा और बड़े शेर पढ़े जा रहे थे तो मैं कहना चाहता हूं कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा भी नहीं होती। तो मान्यवर, इन सड़कों का निर्माण कराया जाये। मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि अमरावा से नागला तक जो बस चलती है तो उसमें सड़कों में बड़े गड्ढे हैं माननीय मंत्री जी ने स्वयं अपनी आंखों से देखा है, तो उनको ठीक कराया जाये। तमाम सड़कें बैठ गयी हैं उसको देखा जाये उसका निर्माण कार्य कराया जाये। इसी के साथ जो माननीय राणा जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं।

मेजर जे० पी० सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं आपने मुझे लोक निर्माण बजट पर बोलने का मौका दिया। हमारे माननीय लोक निर्माण मंत्री जी विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति, कम्पोजिट प्लान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिये सड़कों के निर्माण हेतु कटिबद्ध हैं, मैं इसके लिये उन्हें बधाई देता हूं। मान्यवर, इससे पूर्व पिछली सरकार द्वारा जो सड़कें गांवों में बनाई गयी थीं, उनको हम लोगों ने स्वयं इन्स्पेक्शन किया है। उनकी ऐसी हालत थी कि पहली बार जब सड़क का निर्माण शुरू हुआ तो पहले मिट्टी पड़ी और मिट्टी पड़ने के बाद लेपन का समय आया तब सड़क पर लेपन कराया गया, लेपन का कार्य होने के बाद गांव के ट्रैक्टर उधर से निकले, तो देखा कि वह सारा लेपन उसके पहियों में लिपट कर चला गया। पूछने पर अधिकारियों ने बताया कि सड़कों के निर्माण का आधा पैसा अटैचियों में बन्द होकर चला जाता है और बाकी आधे पैसे में सड़क निर्माण कार्य होता है। यह हमारी मजबूरी है कि जितना पैसा है, उसके अनुरूप ही हम सड़क का निर्माण कर रहे हैं। अभी मान्यवर, हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम गांवों में, जहां अनुसूचित जाति के, जनजाति के लोग रहते हैं, वहां सड़कों के निर्माण को प्राथमिकता दे रहे हैं, मान्यवर, मैं उनको इस कार्य के लिये बधाई देता हूं। मान्यवर, हमारे जनपद के 35 गांव ऐसे हैं, जो ढेला रामगंगा नदियों से घिरे हुये हैं, वहां से दो-दो चार-चार मंत्री भी रह चुके हैं, वहां से 300 करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट भी होता है, वहां न तो कोई पेन्टून पुल है और न कोई अन्य आने जाने की व्यवस्था है, जिसकी वजह से गांव के निवासियों को 40 कि०मी० घूमकर आना पड़ता है यदि वहां पर एक पुल का निर्माण करवा दिया जाय, तो यह दूरी केवल 6 कि०मी० रह जायेगी। मैं मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि उन 35 गावों के लोगों की असुविधा को दूर करने में पूरा-पूरा सहयोग वह देंगे। मान्यवर, हमारे मुरादाबाद जनपद में नेशनल हाइवे नं० 24 है वहां मुरादाबाद बाईपास बनना है, जिसके लिये जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है, इस बाई पास के न बनने से लोको शेड से कटकर पुल तक के 3 कि०मी० रास्ते को पूरा करने में 45 मिनट का समय लगता है। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि वह इस बाई पास को बनवाने हेतु केन्द्र से पैसा लेकर शीघ्र ही निर्माण कार्य प्रारम्भ करायें। इसके साथ ही मैं पुनः प्रस्तुत बजट के लिये मंत्री जी को बधाई देता हूं।

श्री भगवती सिंह विशारद–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने माननीय लोक निर्माण मंत्री जी का भाषण बड़े ध्यान से सुना। उनका भाषण बड़े जोश में था, बड़े होश में था। लेकिन वह दोष उनमें भी सम्मिलित थां, जो इससे पहले निर्माण मंत्रियों में रहा है। मान्यवर, उन्होंने अपने भाषण में यह कहा कि हमने तो लीक छोड़ दी है और

हम नये मार्ग का निर्माण कर रहे हैं। मान्यवर, मैं लोक निर्माण मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले 4 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल का बजट साहित्य पढ़कर देख लें, जो चीजें जैसे, जिस क्रम में उसमें लिखी हुयी हैं, वह इस बजट में भी ज्यों के त्यों रखे हुये हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। गांव की आबादी, पिछले वर्ष में क्या हुआ, अगले वर्ष में क्या लक्ष्य है, यह सब वैसे का वैसा है। यह हम सब पढ़ते चले आये हैं और पिछले 27 वर्षों से इस तरह का भाषण सुन रहा हूं। इधर से जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया, उसमें जो बातें कही गयीं, वह भी हम लोग 27 वर्षों से सुन रहे हैं। हमारी क्या कठिनाई है मान्यवर, हमारे एक माननीय सदस्य झांसी ने बहुत जल्दी धन्यवाद दे दिया मंत्री जी को, शायद इस बाद के लिए कि उनके यहां किसी बाई पास को पूरा करने के लिए माननीय मंत्री जी ने उन्हें आश्वस्त कर दिया। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि उन्हें इतनी जल्दी धन्यवाद नहीं देना चाहिए था। अभी तो वह कार्य शुरू ही नहीं हुआ है। उस कार्य के लिए अभी इस्टीमेट मांगे जायेंगे फिर उसका सर्वेक्षण होगा तब कहीं जाकर 3-4 साल में वह कार्य पूरा होगा। पता नहीं 3-4 साल के बाद आप और हम यहां रहेंगे कि नहीं रहेंगे।

माननीय मंत्री जी ने बजट साहित्य में एक शब्द "प्राविधान" अच्छा रखा है। जब भी वह भाषण करते हैं तो यह अवश्य कहते हैं कि हमने इस बात का प्राविधान कर दिया है। पता नहीं अन्त में वह प्राविधान कहां चला जाता है। इस बजट साहित्य में एक जंजाल है जिसे पूर्व मंत्री लोग भी छिपाते रहे हैं और आपने भी इसे छिपाया है। जो भी बजट का साहित्य मिलता था उसमें अगले वर्षों के कार्यक्रमों का समावेश होता था लेकिन अब यह प्रथा चला दी गई है कि जिला सेक्टर का पैसा अलग और राज्य सेक्टर का पैसा अलग से रख दिया गया है। उसमें किसी सड़क और मद का नाम नहीं लिया जाता है। जब बजट स्वीकृत हो जाता है तो इस सदन के माननीय सदस्यों को मंत्री जी के यहां चक्कर लगाने पड़ते हैं। श्रीमन्, डंग जी बहुत अच्छे आदमी हैं परन्तु अन्त में उन्होंने डंक मार ही दिया। इन्होंने एक समितीकरण की योजना चलाई है। किसी तरह से पिछले 2 सालों से जो सड़के स्वीकृत हुई थी और जिनका पैसा भी स्वीकृत हो गया था, आशा की जा रही थी कि अब इन पर निर्माण कार्य प्रारम्भ हो जायेगा परन्तु इस योजना को लागू कर आपने माननीय सदस्यों की आशाओं पर तुषारापात कर दिया है। मेरा निवेदन है कि मेरे उन्नाव जनपद की दो सड़कें पुरवा से अचलगंज और पुरवा से पाटन को पूरा कराने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)–

मान्यवर, आपने मुझे प्रस्तुत बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। यह बजट देहात में रहने वाले लोगों व आम जनता के विकास के लिए है। मैं जिस निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आया हूं वहां आज भी सैकड़ों फर्जी शिलान्यास व उद्घाटन के बोर्ड धूल चाट रहे हैं। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में माननीय लोक निर्माण मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें प्रदेश का सर्वांगीण विकास होगा। इस बजट में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के विकास खण्डों और अम्बेडकर गांवों को सड़कों से जोड़ने की बात कही गयी है इससे भी शोषित वर्ग के लोगों को सुविधा मिलेगी। मान्यवर, मैं लोक निर्माण विभाग के बजट का समर्थन करते हुये अपने विधान सभा क्षेत्र की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। लखनऊ महमूदाबाद मार्ग बड़ी जीर्ण अवस्था में है उसको इस वर्ष बनवा दिया जाय। दूसरा जहां शिलान्यास और उद्घाटन भी हो गया है चहलारी घाट में पुल जो बहराइच को बांदा मार्ग से जोड़ता है

उस पुल को बना दिया जाय । इसी तरह से महमूदाबाद विसावा मार्ग को बना दिया जाय । इन शब्दों के साथ माननीय लोक निर्माण मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का मैं समर्थन करता हूं ।

श्री भागवत पाल–

माननीय उपाध्यक्ष जी आपने मुझे माननीय राणा जी द्वारा प्रस्तुत लोक निर्माण विभाग पर कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया उसके लिये मैं आभारी हूं । मैं आज बहुत दुखी हूं जब आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर दिया.....

श्री उपाध्यक्ष–

अगर दुखी हैं तो बैठ जायं ।

श्री भागवत पाल–

दुखी इसलिये हूं कि आज मिर्जापुर में इस बात की जोरशोर से चर्चा है कि मौजूदा हमारे लोक निर्माण मंत्री अब मिर्जापुर से चुनाव नहीं लड़ेगें, कहीं अन्यत्र से चुनाव लड़ेंगे । आज जब बजट को मैंने देखा और जो भाषण उन्होंने दिया तो यह सदन बहुत खुश था कि माननीय डंग साहब ने धन आवंटन में मिर्जापुर को सबसे नीचे रखा है इसलिए दुखी हूं मिर्जापुर से बहुत मंत्री होते हैं लेकिन वह पिछड़ते रहा है । वहां के लोगों की आदत पड़ गयी है सहने की । लोगों में यह चर्चा सही है कि वह कहीं और चुनाव लड़ रहे हैं इसलिये मिर्जापुर को इस ढंग से लिया गया है । आपने मुझे बोलने का मौका दिया मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं जब आप लोक निर्माण मंत्री हुये थे तो वहां खुशी लोगों में हुई थी क्योंकि मिर्जापुर सबसे कठिन और जटिलतम जनपद है वह ऐसा जनपद है जहां 100–100 गांव बसे हैं जहां आने जाने के कोई साधन नहीं है, जहां सड़कें नहीं है । मैं आपसे मिर्जापुर की जनता की तरफ से अपील करता हूं आप वहां से भले ही भाग जायं प्रदेश के किसी कोने से चुनाव लड़े चाहे पंजाब चले जायं लेकिन लोक निर्माण मंत्री होने के नाते मिर्जापुर जनपद को कुछ दे कर जायं ।

हमारे यहां कछवा में एक अस्पताल बना है सन् 82 में इस अस्पताल भवन पर 24 लाख रुपये की लागत लगनी थी लेकिन बनते-बनते वह 50 लाख में पहुंच गया । इससे पूर्व की सारी सरकारें कहती आईं कि वहां कार्य इसलिये पूरा नहीं हो रहा है कि मामला विवादित है । लेकिन डेढ़ साल हो गया वह विवाद समाप्त हो गया है उसका फैसाला हमारे पास भी है और आपके विभाग के पास भी है फिर भी आज डंग साहब कहते हैं वह विवाद में है इसलिये कार्य नहीं हो पा रहा है । 24 लाख की बिल्डिंग 50 लाख में बनी जिसमें जनता की गाड़ी कमाई लगी हुई है । मैं चाहता हूं कि कछवा के अस्पताल को अविलम्ब पूरा कराया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री भागवत पाल–

मैं एक बात कह कर समाप्त करता हूं भदौलीघाट में पुल है वहां की जनता की मांग है उस पुल में जो पथकर लगता है, वहां की गरीब जनता को देखते हुये विशेष राहत देते हुये पथकर समाप्त करने की दिशा में कार्यवाही करें ।

अगर माननीय डंग जी चाहें तो इस घाट के साथ-साथ तमाम पुलों का पथकर भी समाप्त हो जायेगा । पथकर वसूलने का मानक ऐसा रखा जाय कि क्षेत्र की गरीबी को मानक बनाया जाय । इससे

कौन सा क्षेत्र कितना गरीब है, इसके हिसाब से पथकर लिया जाय । मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय राणा जी द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

[समय 7 बजकर 20 मिनट]

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

मान्यवर, मैं माननीय विजय सिंह राणा जी द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव पर समर्थन देते हुए अपनी बात रखना चाहता हूं मान्यवर, लोक निर्माण मंत्री जो उत्तर प्रदेश सरकार के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय को अपने हाथ में रखे हुए हैं । ऐसे मंत्रालय, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि वह काजल की कोठरी हुआ करती है, उसके अन्दर जो प्रवेश करता है वह काजल लगाकर ही बाहर आया करता है । मान्यवर, मैं पूरे उत्तर प्रदेश के बजट पर अपनी बात नहीं कहता लेकिन कुछ विचार इलाहाबाद ज़नपद के बारे में कहना चाहता हूं । मान्यवर, लोक निर्माण मंत्री ने अभी अपने भाषण में कहा है कि इलाहाबाद की जनता की बहुत दिनों से मांग थी कि यमुना पर पुल का निर्माण हो जिसका शिलन्यास पूर्व प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा किया गया था । इसके बारे में इन्होंने अपने विचार रखे और व्यवस्था की है कि इसको बनवायेंगे इसके लिये वह धन्यवाद के पात्र हैं । मान्यवर, इलाहाबाद जनपद में चायल क्षेत्र ऐसा है जो क्षेत्रीय असन्तुलन के कारण उपेक्षित किया जाता रहा है । मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की कुछ सड़कों की बात करना चाहता जहां विगत 8–10 साल से मिट्टी पड़ी है, उसको बनवाया नहीं गया है । इसके बारे में माननीय लोक निर्माण मंत्री जी से कई बार कहा है, मैंने स्वयं लिखकर दिया एवं व्यक्तिगत रूप से उनसे निवेदन भी किया है और उन्होंने आश्वासन देने के अलावा इसके लिये बजट में कोई प्रविधान नहीं किया है । इलाहाबाद में चायल क्षेत्र में चायल खास से जलालपुर साना के लिये जो सड़क जाती है उस पर मात्र मिट्टी ही पड़ी हुई है । नेवादा ब्लाक में तिलहापुर मोट से औघनघाट तथा मूरतगंज ब्लाक में जी० टी० रोड से काजू के लिये जो सड़क ज़ाती है उस पर 8–10 साल से गिट्टी ही पड़ी हैं । चायल क्षेत्र में मान्यवर, जहां हरिजन और पिछड़े वर्ग के लोग अधिक रहते हैं, उनके बहुत से गांवों में कोई सड़क नहीं बनाई गई है । इसी तरह से नेवादा ब्लाक में घूरी गांव है । इसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि वहां ससुरखदेरी नदी पर पुल नहीं है । आने-जाने का कोई रास्ता नहीं है । वहां के लोगों को हमेशा बरसात के दिनों में नदी को तैरकर पार करना पड़ता है । मान्यवर, वहां पर पुल की आवश्यकता है । जनता वर्षों से मांग करती आई है । अन्त में मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जिस भ्रष्टाचार को दूर करने की बात कही गई है । इसके लिये माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमने संकल्प लिया है । चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जो 10 साल से अस्थाई रूप से कार्यरत हैं, डेलीवेजेज पर हैं, उनको स्थाई करें । उनके स्थायीकरण की नीति हमारे मंत्री जी अपनायें ।

श्री बिन्दु लाल–

मान्यवर, माननीय लेक निर्माण मंत्री जी ने जो अपना बजट रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं । माननीय मंत्री जी ने अनुसूचित जन जाति के लोगों के लिये बजट में विशेष प्राविधान किया है उसके लिये हम अभारी हैं । अनुसूचित जाति के लोग गोण्डा जिले में बहुत हैं, जो कि मेरा क्षेत्र है । माननीय मंत्री जी ने यह जो घोषणा की है कि अम्बेदकर गांव को मुख्य सड़कों से जोड़ा जायेगा । मान्यवर, इसमें मेरा एक निवेदन है कि जितने भी अनुसूचित जाति के लोग हैं वह जंगलों में रहते हैं । उनके क्षेत्र में जो सड़कें हैं उनके लिये वन विभाग से परमीशन नहीं मिली है तो मान्यवर, इनके क्षेत्र तक सड़कों को पहुंचाना मुश्किल होगा । मंत्री जी से निवेदन है कि वन विभाग से विचार-विमर्श करके उनके क्षेत्र तक

सड़कों को पहुंचाने का प्रयास करें ताकि वह लोग जंगलों से बाहर आ सकें । जो टूटी सड़कें हैं उनकी तरफ भी हम आपका ध्यान दिलाना चाहेंगे, जो सड़कें 10–15 साल से अधूरी पड़ी हैं । इसमें मान्यवर, बिलहा बोरा गौरा पर 20 किलोमीटर की सड़क है । उसमें चार किलोमीटर की सड़क लेपन के लिए पड़ी है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब समाप्त करें ।

श्री बिन्दु लाल–

अगर इसमें सात-आठ लाख रुपया और कर दिया जाए तो सुविधा हो जाएगी ।

श्री उपाध्यक्ष–

सामाप्त करें ।

श्री बिन्दु लाल–

मान्यवर, पटपड़वा, तुलसीपुर, अतरौला घाट पर एक पुल (पिपरा) पड़ता है 1990-91 में 1 करोड़ 62 लाख रुपया खर्च किया गया है । इसके लिए हुआ था वह रुपया कहां चला गया ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब समाप्त करें ।

(व्यवधान)

श्री महक सिंह–

माननीय मंत्री जी ने बजट भाषण में बड़े विश्वास के साथ बजट प्रस्तुत किया । माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि सड़कों का निर्माण हो रहा है । पैसा खर्च किया जा रहा है मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं मेरे जनपद मेरठ में 2 करोड़ 80 लाख की सड़क प्रस्तावित थी उसमें 1 करोड़ 45 लाख कर दिया गया है । बागपत क्षेत्र मान्यवर, चौधरी साहब का निर्वाचन क्षेत्र है वहां अधिकांश सड़क घटा दी गई हैं, तो इस प्रकार का सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए । मंत्री जी ईमानदारी की बात करते हैं उससे इनकी बात खोखली साबित हो जाती है । मान्यवर, मेरठ बड़ौत और छपरौली में एक मार्ग है जो हरियाणा से मिलता है इसकी हालत बहुत खराब है । जगह-जगह यह टूट गई है इसको राष्ट्रीय मार्ग घोषित करें यह हरियाणा में जाकर मिलेगी । माननीय सदस्य मिर्जापुर का क्षेत्र भी जोड़ना चाहते हैं जो पंजाब नहीं दे सका है इसको भी राष्ट्रीय मार्ग कर दें । मान्यवर, जमुना टांडा में पुल बनवा दें और वहां राष्ट्रीय मार्ग घोषित कर दें । जो सड़कें घटाई गई हैं उनके निर्माण में पूरा योगदान दें । इन्हीं शब्दों के साथ राणा जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री दीनानाथ सिंह यादव–

मान्यवर, दो तीन बात मैं कहना चाहूंगा । माननीय मंत्री जी ने खुद अपनी पीठ थपथपाई है दोनों हाथ से । यही इस सरकार की संस्कृति है । दूसरे की पीठ नहीं थपथपा पाते हैं तो अपने से अपनी पीठ थपथपा लेते हैं । मैं इसलिए भी कह रहा हूं । माननीय मंत्री जी बनारस जिले में पढ़े हैं । मैं भी वाराणसी का रहने वाला हूं । थोड़ा-थोड़ा मैं भी इनको जानता हूं । इन्होंने तारीफ की कि हम यह कर देंगे, वह कर देंगे, जाने क्या-क्या कर देंगे । उत्तर प्रदेश को स्वर्ग बना देंगे । पिछले एक साल में बनारस

जिले में एक भी गिट्टी ईंट 1991-92 में पी० डब्लू० डी० से डलवाने का काम नहीं किया है । एक भी पैसा पी०डब्लू०डी० विभाग ने बनारस में नहीं दिया है । मेरे विधान सभा क्षेत्र में 12 विधान सभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां 35–35 लाख रुपया एक क्षेत्र को मिला था । राजेश जी से, पाठक जी से, पाण्डेय जी से पूछ लीजियेगा, एक भी पैसा आज तक वहां नहीं गया है और न सड़क बनी है । आगे आप क्या करेंगे यह इसी से अन्दाजा लगता है ? आगे कुछ होने वाला नहीं है । भ्रष्टाचार के बारे में माननीय राणा जी ने बड़ी चर्चा की है । मैं कहना चाहता हूं कि बनारस में पी० डब्लू० डी० विभाग का डामर जो है उसको चोरी से दूसरे विभागों को बेचा जा रहा है । 10–20 करोड़ रुपये का डामर, बिटूमिन चोरी से दूसरे विभागों को बेचा जा रहा है । 1–2 करोड़ की बात नहीं है कम से 20 करोड़ का डामर बेचा गया है । ऊदल जी ने इसके बारे में लिखकर भी दिया है आप इसकी जांच करवायें । आप जांच करावायें । आप जांच करायेंगे तो पता चलेगा कि किन-किन विभागों को और किन-किन ठेकेदारों को यह डामर जा रहा हैं । अगर आप इसकी जांच करा लें तो मैं समझूंगा कि आप भ्रष्टाचार पर रोक लगाना चाहते हैं हमारे राजेश जी बैठे हुये हैं । चकिया में मूसाखार का इलाका जंगली इलाका है । वहां लगभग 13 कि०मी० की एक सड़क है । इस सड़क से दसियों गांव जुड़े हैं और यह सड़क उनके आने जाने का एकमात्र सहारा है । इस क्षेत्रों में मुबारकपुर, भीखमपुर, छितमपुर, ढोढ़नपुर आदि तमाम गांव हैं जिनका एक मात्र रास्ता यह सड़क है । दसियों साल से यह सड़क बन रही है लेकिन अभी तक केवल 2-3 कि०मी० ही बना है । इस सड़क को बनवाने की व्यवस्था करें । इसी तरह से मेरे यहां रोहनियां, फतेहगंज होकर करौता मार्ग है, यह सड़क स्वीकृत है लेकिन पैसा न मिलने के कारण इसका निर्माण नहीं हो रहा है । इसी तरह से हाथी बाजार रुस्तम पुर सड़क है । 6 कि०मी० सड़क के लिये पैसा स्वीकृत है । 23 लाख रुपया मंजूर हो चुका है लेकिन 2-3 साल हो गये हैं अभी इस सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है । बजट में पैसा दिया गया था लेकिन पैसे को रोक दिया गया है । मेरा निवेदन है कि इस सड़क को बनवाने की व्यवस्था करें ।

* श्री घन श्याम शुक्ला–

मान्यवर, आपने मुझे लोक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने के लिये अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । विपक्ष के माननीय सदस्य बार-बार आलोचना कर रहे हैं । अभी हमारी सरकार को आये केवल 10 माह का समय हुआ है लेकिन यह लोग आरोप लगा रहे हैं कि यह नहीं किया वह नहीं किया । विपक्ष के लोगों ने अभी तक खाली शिलान्यास का काम किया है, गांव-गांव जाकर शिलान्यास का काम किया है लेकिन हमारी सरकार ने जो घोषणायें की हैं उनके अनुसार काम भी शुरू कर दिया है और उन घोषणाओं का कार्यान्वियन करने के लिये सरकार कटिबद्ध है । हमारे लोक निर्माण मंत्री जी ने कई जगह काम शुरू करवा दिया है जिसके लिये मैं उनका आभारी हूं । मैं अपने क्षेत्रों के बारे में कहना चाहता हूं । मान्यवर, गोण्डा जनपद का मुजहना विधान सभा क्षेत्र मेरा क्षेत्र है । यहां पर आज तक सामंतशाही शासन रहा है । पिछले 40 सालों से हमारे विधान सभा क्षेत्र में कोई भी कार्य नहीं हुआ है । मैं लोक निर्माण विभाग के मंत्री जी को आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में अवगत कराना चाहता हूं । मैंने पहले अवगत भी करा दिया है । हमारे यहां पारसराय से अलागल देवरिया, यह सड़क 15 कि०मी० है, इस सड़क की बड़ी आवश्यकता है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री घन श्याम शुक्ल–

मान्यवर, इटिया थोक से रुपईडीहा वल्दी जोत होकर जो सड़क जाती है इसको बनवाने की आवश्यकता है । इसी तरह से सुभागपुर से शिशुउर सुनछूपुर मार्ग बनवाने की कृपा करें ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप अब समाप्त करें ।

(श्री उपाध्यक्ष की अनुमति से श्री छत्रपाल वर्मा ने अपना भाषण आरम्भ कर दिया, जबकि श्री घनश्याम शुक्ल बिना अनुमति के बोलते रहे, अतः व्यवधान के कारण उनकी बात सुनी नहीं जा सकी ।)

श्री छत्र पाल वर्मा–

माननीय उपाध्यक्ष जी आपने मुझे लोक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया, आभारी हूं तथा राणा जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । मान्यवर, मेरे जनपद फतेहपुर में आज तक 9 महीने बीत गये, विकास का कोई कार्य नहीं हुआ है ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय घनश्याम शुक्ला जी बिना अनुमति के बोल रहे हैं, ये जो कह रहे हैं, लिखा नहीं जायगा ।

श्री छत्रपाल सिंह–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी जनपद फतेहपुर के साथ सौतेला व्यवहार न करें । वहां पिछले 9 महीने में कोई काम नहीं हुआ है । मैं अपने क्षेत्र के बारे में बताना चाहता हूं कि लोन नदी पर एक पुल स्वीकृत हुआ था तीन साल पहले । कार्य शुरू हुआ । मशीनें आयीं । कालोनी बन गयी । एक कोठी भी बन गयी । उसके बाद पुल को रोक दिया गया जिससे कि फतेहपुर और हमीरपुर का लिंग मार्ग कट जाता है और लोगों को 40 किलोमीटर का चक्कर लगा कर जाना पड़ता है। उसके निर्माण के लिये 60 लाख स्वीकृत हुए हैं और 1.53 लाख खर्च हो चुके हैं । उसका निर्माण कार्य अविलम्ब पूरा करावें । दूसरे उसी क्षेत्र में फतेहपुर के जहानाबाद विधान सभा क्षेत्र में खजुहा ब्लाक के गंगोली गांव में आज एक आइ० ए० एस०, पी० सी० एस० को छोड़ दें एक सरकारी चपरासी तक नहीं पहुंचा है । इसमें एक तरफ यमुना नदी है और तीन तरफ रिन्द नदी है । होता यह है कि यदि कोई बीमार हो जाय तो बरसात में वह वहीं पर मर जाता है उसे ले जाने का कोई रास्ता नहीं है । अतः गंगोली गांव में एक पुल बनवाने का काम प्रस्तावित करें । तीसरी चीज मेरे क्षेत्र में कम से कम दस सम्पर्क मार्ग ऐसे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप समाप्त करें ।

श्री छत्र पाल वर्मा–

जहां तीन साल पहले गिट्टी पड़ चुकी है । उसकी स्थिति बड़ी खराब हो गयी है और चलना दूभर है । मैं चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र की उन सड़कों पर लेपन का कार्य कराएं । ऐसे और भी काम हैं । एक

जगह तीन साल पहले मिट्टी का काम हुआ, वह पूरी बह गयी । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करुंगा कि इन कामों की ओर ध्यान दें और हमारे क्षेत्र के बजट के साथ सौतेला व्यवहार न करें । इसके साथ-साथ मैं माननीय राणा जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री प्रभा शंकर पाण्डेय–

मान्यवर, मुझे दो मिनट बोलने का अवसर दे दें । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कुल 45 किलोमीटर सड़कें हैं । इसमें से 22 किलोमीटर इलाहाबाद से लखनऊ के राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ती है । इस प्रकार केवल 23 किलोमीटर सड़क बचती है । इसी प्रकार से तीन किलोमीटर सड़कें मेरे क्षेत्र के एक पूर्ण विधायक द्वारा अपने घर पर बनवा लने से और कम हो गयी है । अब केवल 19 किलोमीटर पेंटेड सड़क है । किसी अन्य विभाग की भी पेन्टेड सड़क नहीं है । इस काम को प्राथमिकता दी जाय हमारे क्षेत्र में सड़कें बहुत कम बनी हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर बनवाने का काम किया जाय । इसके साथ ही मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री शिव बालक पासी–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने लोक निर्माण विभाग के प्रस्तुत बजट पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया, आपका आभारी हूं ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का बजट प्रस्ताव पर भाषण दे रहे थे, बहुत ध्यान से मैं इनको सुन रहा था । मान्यवर, माइक पर जितना जोर माननीय मंत्री जी ने लगाया है, क्षेत्र में वास्तविकता बिल्कुल उसके विपरीत है । अपने भाषण के दौरान माननीय मंत्री जी ने अपने सीमित संसाधनों से परेशान हो करके हम लोगों को यह सलाह दे रहे थे कि काम को न पूरे होने की स्थिति में हम कहीं रो न दें, लेकिन मान्यवर, इसी भावना में माननीय मंत्री जी इतना बहे कि राष्ट्रीय मार्ग को याद करके केन्द्रीय सरकार को याद किया और इतना रोये कि उनकी दयनीय स्थिति पर मुझे बहुत तरस आया । उन्होंने हम लोगों से सहारा चाहा, माननीय कांग्रेस के सदस्यों की तरफ इशारा किया कि आप इन्हें कुछ सहयोग प्रदान करेंगे, तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी इस मुसीबत को केन्द्रीय सरकार तक जरूर हम लोग पहुंचायेगे । मान्यवर, माननीय मंत्री जी के भाषण के दौरान एक बात बहुत आशंका की आई, माननीय मंत्री जी ने कहा कि किसी भी सड़क पर नया निर्माण जो होगा, उसका एक-एक किलो मीटर भाग करके, चाहे सड़क कितनी ही लम्बी क्यों न हो, लेकिन उसके हर स्तर तक एक ही व्यक्ति से काम पूरा कराया जायगा, उसकी गुणवत्ता निश्चित करने के लिए । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अगर मैं भूल नहीं कर रहा हूं, तो ठेकेदार के लिए अभी लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत या हमारी सरकार में कोई ऐसे संज्ञेय अपराध का प्राविधान नहीं है, जिस पर कि ठेकेदार को अधेमानक होने पर सजा दे सकें । ये अपने अभियंताओं के जरिये गुणवत्ता निश्चित कर सकते हैं । ऐसे निर्णय से केवल धनाड्य व्यक्तियों को काम मिल सकेगा और गरीब लोग वंचित रह जायेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आपका समय समाप्त हो गया । अब कुछ नहीं लिखा जायगा ।

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से खासतौर से अपने जनपद की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना

चाहूंगा कि हमारे जनपद शाहज़हांपुर में तीन चीजों का बहुत बड़ा बोल-बाला है, आतंकवाद, नौकरशाही और पिछड़ापन का, जिस क्षेत्र से मैं निर्वाचित हुआ हूं, ददरौल क्षेत्र, वह इतना पिछड़ा हुआ है कि मैंने निवेदन किया कि माननीय मंत्री जी मौके पर चलकर देख लें, तो खुद एहसास हो जायेगा । मैंने माननीय मंत्री जी का आह्वान किया है । माननीय मंत्री जी वहां पर 1500 आबादी के गांव को सड़क से जोड़ने की कृपा करें । मैं मान्यवर, बताना चाहता हूं कि भरगवां, पसगवां, चांदापुर आदि गांवों की संख्या 2-2 हजार है, इनको तुरन्त जोड़वाने की व्यवस्था कराई जाय । मैं अनुरोध करुंगा, पहले भी मैंने लिखकर दिया है, उन सड़कों को राज्य सेक्टर से पूर्ण कराया जाय । इसी तरह से कुर्रिया कला, चौहनापुर पी० डब्लू० डी० रोड पर पुलिया टूटी पड़ी है, जिससे रोड अवरुद्ध पड़ी है, जिस पर कई लाख रुपया खर्च हुआ होगा, जोकि हरदोई जनपद से जुड़ता है, वहीं पर बताना चाहूंगा कि हमारे ददरौल क्षेत्र के अन्तर्गत 40 किलोमीटर रोड स्वीकृत कर दें, जिससे वहां का पिछड़ापन दूर हो सके ।

मान्यवर, बुधवाना बहिबुल नदी पर पुल बनवाया जाय, जिससे शाहजहांपुर और बदायूं जनपद एक हो जायगा । ददरौल के अन्दर सरसवां, पड़रा सिकन्दरपुर में सुकेता नाले पर पुलिया बनने की आवश्यकता है । इसके अतिरिक्त नरेना तिलधरा, कुरिया कलां चहुवांपुर मार्ग पर पुलिया बनने की ज़रूरत है । इसके अतिरिक्त 300 शैय्याओं का अस्पताल निर्माणधीन है, उसकी प्रगति नहीं है, इसको शीघ्र बनवाया जाये । बाई पास के पास जहां पर मंत्रियों की गाड़ियां रुक जाती हैं और आपकी भी गाड़ी रूक जाती है, वह बाई पास केन्द्र सरकार से मंजूर हो गया है, लेकिन आपकी सरकार उसका निर्माण नहीं करा रही है । इसके अतिरिक्त मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि गर्रा पुल कमजोर हो गया है और वह किसी भी समय गिर सकता है, उसका निर्माण कराया जाये । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल--

मान्यवर, मैं पूर्वान्चल के गोरखपुर जिले से पहली बार चुनकर आया हूं । गोरखपुर के लोक निर्माण विभाग में भयंकर भ्रष्टाचार है । वहां के एस० ई० उमाशंकर मिश्र का इस सरकार ने गोरखपुर से स्थानान्तरण किया है, यह बहुत ही सराहनीय कार्य है और उसके लिये मंत्री जी बधाई के पात्र हैं । मान्यवर, गोरखपुर की स्थिति दूसरे किस्म की है, यहां की स्थिति माफिया किस्म की है और कर्मचारी से लेकर इन्जीनियर तक इन्जीनियर नहीं रह गये हैं, वह ठेकेदार हो गये हैं । इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है । मान्यवर, सहजनवां से चलकर कौड़ी राम, गोरखपुर नगर, मनीराम क्षेत्र से होकर पीपी गंज से बढ़या चौक फरदहनी राजाबारी जसवल न्याय पंचायत के गांवों को सम्पर्क करने के लिये लगभग 60 किलोमीटर होकर जाना पड़ता है । पीपीगंज से सिसई तक सड़क बनी हुई है । राप्ती नदी के सिसई घाट पर तत्काल पैंटून ब्रिज की व्यवस्था की जाये तो यह दूरी कम हो जायेगी और मेरे क्षेत्र के लोगों को सुविधा होगी । मान्यवर, मगहर बुदहट, कटसहरा, सोनवरसा, हरनही मार्ग है । इसी मार्ग पर मगहर से सुरबलिया जो बस्ती जनपद में पड़ता है, सड़क पिच है और दूसरा तरफ हरनही से सोनरसा तक सड़क पिच है, सोनवरसा से सुरवलिया खड़ंजा मार्ग है, रोडवेज की बस कटसेहरा रुक जाती है और दूसरी बस इन्टर कालेज बुधहट रुक जाती है । इस बीच की लगभग 5 किलोमीटर की सड़क को पिच कर दिया जाये तो रोडवेज की बसों का सरकुलेशन होने लगेगा । गोरखपुर मगहर कटसेहरा, हरनही खजनी गोरखपुर मार्ग है । मेरे ही जिले के स्व० बीर बहादुर सिंह मुख्य मंत्री थे । वह खजनी विकास खण्ड के रहने वाले थे । गोरखपुर खजनी मार्ग के कटघर से विगही तक सड़क पिच है । विगही से कडाई टिकर

कुवावलं घाट जो भीटी रावल हरपुर मार्ग पर मिलती है विगही से कुवावल घाट तक लगभग 5 किलोमीटर सड़क पिच कर दी जाये तो इस क्षेत्र की जनता को काफी लाभ होगा। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री राम ललित चौधरी---

मान्यवर, प्रदेश के क्षेत्रफल को देखते हुए जितना धन इस पर व्यय किया गया है, वह नहीं के बराबर है, ऊंट के मुंह में जीरा के समान है और इतने कम धन से सड़कों का विकास नहीं हो सकता है और इतने धन से विकास की बात करना अपने मुंह मिया मिट्ठू बनना है। माननीय मंत्री जी ने तस्लीम किया है कि और प्रदेशों के मुकाबले में हमारे प्रदेश में बहुत कम सड़कें हैं, उन्होंने कहा है कि एक लाख की आबादी पर 133 किलोमीटर सड़क है, यह सरासर गलत है, एक लाख की आबादी पर 70 किलोमीटर से ज्यादा सड़क नहीं है। मान्यवर, एक लाख की आबादी पर पंजाब मे 300 किलोमीटर और कर्नाटक में 250 किलोमीटर सड़क है और उत्तर प्रदेश में केवल 70 किलोमीटर सड़क है। माननीय मंत्री जी ने इस बात को तस्लीम किया है कि हम अन्य प्रदेशों के मुकाबले पीछे हैं। उन्होंने तस्लीम करते हुए और जानते हुये भी टोटल वार्षिक योजनागत का महज 10 प्रतिशत धन सड़क के विकास के लिये दिया है। यदि सरकार की सही मंशा सड़क के विकास के लिए होती तो कम से कम 20 प्रतिशत धन देना चाहिये था, लेकिन नहीं दिया है। सरकार को सड़क वर्ष मनाकर इसको पूरा करना चाहिए, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया है। मान्यवर, 1977-78 में 2533 किलोमीटर 1978-79 में 3364 किलोमीटर, 79-80 में 4200 किलोमीटर पक्की सड़कों का निर्माण हुआ था और अब 92-93 में 1380 का लक्ष्य रखा गया है जो कि पहले की अपेक्षा बहुत ही कम है। इसके अनुसार हर जिले में 22 किलोमीटर सड़क बनेगी और एक विधान सभा क्षेत्र मे 3 कि० मी०। जब कि एक विधान सभा मे 200 कि० मी० सड़कों का निर्माण अति आवश्यक है। इस तरह से तो 100 वर्ष में भी सड़क का लक्ष्य पूरा नहीं हो पायेगा। मान्यवर, इस समय प्रदेश में 60 पुल लम्बित हैं हमारे विधानसभा क्षेत्र में शिवाघाट का पुल 5 वर्षों से लम्बित हैं और अधिक से अधिक कार्य उस पर हो चुका है लेकिन अब निर्माण कार्य बन्द है। मान्यवर, सोंनहा भानपुर तहसील को जोड़ने वाली 5-7 सड़कों का लेखाजोखा आपके पास होगा। यह प्रमुख सड़के हैं लेकिन इन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने पालिसी मैटर की बात कही और कहा कि मिट्टी और सीलिंग स्तर की सड़क बेकार है अब केवल लेपन स्तर तक की ही सड़कें बनेगीं तो इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार के पास अगर समुचित मात्रा में धन उपलब्ध होता तब तो यह एक अच्छी पालिसी है लेकिन इसे भुक्खड़ सरकार के लिए यह कैसे सम्भव है। देहात में तो कच्ची सड़के भी नहीं है, सोलिंग की सड़कें भी नहीं है और यह लेपन स्तर की बात करते हैं। मान्यवर, पहले चलने लायक मार्गों का निर्माण किया जाय उसके बाद पक्की सड़कों की बात की जाय। मान्यवर, सड़कों के तीन स्तर होते हैं एक मिट्टी स्तर, सोलिंग स्तर और लेपन स्तर। मान्यवर, मंत्री जी दो स्तर छोड़कर सीधे ऊंचाई पर कूद पड़े तो उनको नीचे स्तर से चलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय राणा जी ने माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का जो कटौती के जरिये भंडाफोड़ किया है, उस पर बल देता हूं।

श्री राम सिंह (हमीरपुर)---

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपको धन्यबाद देता हूं इसके साथ ही साथ यह बताना चाहता हूं कि जो हमारा बुन्देलखण्ड है वह बहुत ही पिछड़ा हुआ है। हमारे विधायक रवीन्द्र शुक्ला शायद मंत्री बनने वाले हैं उन्होंने लोक निर्माण मंत्री की बड़ी तारीफ की है

कि उन्होंने सड़क को लेपन स्तर तक बनाने की बात कही है । मैं उनको धन्यवाद देता हूं । हमारे क्षेत्र में कुछ सड़कें, पुल हैं, मैं उनकी ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । दो पुल ऐसे हैं जिनका 80 प्रतिशत तक निर्माण हो चुका है यह बिहूनी पुल है वर्मा नाट्यन के पास दूसरा पुल है राबाघुर पुल तीसरा नकरापुल है । गोहाण्ड स्लामपुर सड़क पर इटैलियवाल के पास नाले का पुल तथा सड़क निर्माण अधूरा है उसको पूर्ण कराया जाय और बैखर इछौरा मार्ग पर लेपन. स्तर तक का कार्य हो, गहरा की चौकी से अरैता मार्ग पक्का हो और लेपन स्तर तक का कार्य किया जाय, नौरंगा वाया कोढ़ा मल्हेरा मार्ग पक्का हो, आर० ई० एस० द्वारा मझगवां से मल्हेटा का निर्माण किया जाय, धगला चण्डौत मार्ग सुधार पुनर्निर्माण किया जाय इसमें 6 कि० मी० तक बस नहीं जा पा रही है । मान्यवर, इसे ठीक किया जाय । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय राणा जी के कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

श्री जटाशंकर सिंह––

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं । मान्यवर, कोई भी सरकार हो जब तक प्रशासन पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक कार्यों का सुचारु संचालन एवं जनहित नहीं हो सकेगा। मान्यवर, प्रशासन जिस प्रकार से कार्य कर रहा है इसको देखना होगा । मैं अपने क्षेत्र नानपारा का छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत करूंगा केवल 7.85 कि० मी० की एक सड़क है गिरजापुरी सुजौली मार्ग । यह मार्ग केन्द्रीय कृषि फार्म बकुलहिया (गिरिजापुरी) को जोड़ता है, एक मात्र क्षेत्रीय अस्पताल को जोड़ता है । एकमात्र थाने को जोड़ती है साथ-साथ दस गांव सभाओं का एक मात्र मार्ग है । परन्तु यह सड़क 30 जनवरी, 1986 से, जब मैं इससे पूर्व इस सदन में था 1985 में, मैंने उस समय सदन में इस बात को उठाया था तब से 1985 में प्रस्ताव हुआ कि उक्त मार्ग जिला परिषद् से सार्वजनिक निर्माण विभाग को दै दिया जाय । वह प्रस्ताव 30 जनवरी, 1986 को शासन को आया। 18 अक्टूबर, 1986 को डी० एम० का स्मारक पत्र आया, फिर 26 अक्टूबर, 1987 को फिर पत्र आया, 18 फरवरी, 1988 को पत्र आया । ये सारे पत्र आये कि जिला परिषद् ने सार्वजनिक निर्माण विभाग को अधिग्रहीत करने के लिये प्रस्तावित कर दिया है कि अपने संसाधनों से सड़क का रख-रखाव नहीं कर सकते । इसके बाद 29 फरवरी, 88. 28 मार्च, 88, 7 जून, 88, 30 नवम्बर, 88, 2 सितम्बर, 89. 6 नवम्बर, 89, 8 नवम्बर, 90. 25 जनवरी, 91 को पत्र आये पता लगा लें कौन कौन सी सरकारें इस समय में रही । एक छोटी सड़क के अधिग्रहण का प्रस्ताव था और इसमें कुछ नहीं हुआ । मैं विपक्ष का विधायक रहा और विपक्ष का विधायक रहते हुए कार्यकाल पूराकर चला गया । आज पुनः द्वितीय कार्यकाल में 10 महीने से इस सड़क के बारे में लगातार लिख-लिख कर दे रहा हूं । जो लोग लाल फीताशाही में बैठे है कहते हैं कि मैं करूंगा नहीं, अर्थात् करेंगे वे सचिव और विभागीय अध्यक्ष, लेकिन वे करते नहीं है, लोक निर्माण मन्त्री जी सक्षम हैं, उन पर अंकुश लगाये ताकि जो मंत्री जी चाहें वही हो ।

श्री उपाध्यक्ष––

अब आप समाप्त करें ।

श्री जटा शंकर सिंह––

इस बारे में मान्यवर, आप संरक्षण दें । इसके साथ ही मैं बजट प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री सुरेन्द्र सिंह---

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे लोक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय राणा जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

जो स्थिति अभी परिव्यय की है, उसको देखने पर लगता है कि कैसे सड़क बनायेंगे जबकि सीमेंट का दाम, गिट्टी का दाम बढ़ गया है। 11 में से 4 राष्ट्रीय मार्ग का जिक्र किया है। एक मार्ग है जो माननीय मंत्री जी के क्षेत्र से राष्ट्रीय राज मार्ग 29 गाजीपुर से मऊ होते हुए सोनाली और नेपाल बार्डर पर जाता है। जो पुलों की स्थिति है, पुल 85-86 के बजट से अभी तक नहीं बने हैं। जो पुल मानक के आधार पर स्वीकृत हुए, कृपा करके उनको बनवाने का कष्ट करें। गाजीपुर में पूर्व उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के बोर्डर में कर्मनाशा नदी पर देवल घाट पर एक पक्का पुल का शिलान्यास करीब चार वर्ष पूर्व किया गया था लेकिन अभी तक उसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है तो उसे पूरा कराया जाये। इसी तरह आपका ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र जहूराबाद की कुछ सड़कों की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा एक सड़क के सम्बन्ध में मैंने नियम-301 के अंतर्गत नोटिस भी दी थी। अलावरपुर बरेसर पिंडारी मार्ग पर जिसकी लम्बाई 15 किलोमीटर है इसी मार्ग पर आठ किलोमीटर की जिला योजना से पक्के काम के लिये स्वीकृत है वह अभी पूरी नहीं हो पायी है उसे पक्की करायी जाये। इसी तरह से मटेहू घरिया सलामतपुर रामगढ़, पाली लम्बाई 22 किलोमीटर जिला योजना से संभव नहीं हो पा रही है, मेरा निवेदन है कि आप इस सड़क को राज्य सेक्टर से स्वीकृत कराकर इसका निर्माण करायें। इसी तरह से मुबारकपुर जहूराबाद, माटा, जवाहरनगर कामूपुर, गांधीनगर लम्बाई 22 किलोमीटर जो दो ब्लाकों के बीच से होकर जाती है इसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है यह मिट्टी खड़न्जे तक निर्मित हो चुकी है इसको पक्का बनाने के लिये इस पर धन आवंटित करने की व्यवस्था करें। इसी तरह से कुछ और सड़कें हैं नवादा, असावर, अमहट मार्ग लम्बाई 6 किलोमीटर भीखम अमहट महमूदपुर लम्बाई तीन किलोमीटर इत्यादि जो सड़कें हैं वह सभी मार्ग मिट्टी पुलिया खड़न्जे तक निर्मित हो चुके हैं तो इन्हें धन आवंटित कराकर पूरा कराये। मान्यवर, पुल के बारे में कहना चाहता हूं कि 84-85 में, 85-86 के बजट में भैसेही नदी पर नकदपुर घाट पर पक्के पुल की स्वीकृत हो गयी थी, उसका शिलान्यास भी हो गया था राज्य सेतु निगम ने कई लाख रुपये खर्चा किये। लेकिन अभी तक निर्माण कार्य नहीं हुआ है इसी तरह से अन्य पुल हैं जिनको 92-93 के बजट में स्वीकृत कर निर्माण कार्य पूरा करायें क्योंकि गाजीपुर क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ जो माननीय राणा जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री किशोरी लाल यादव---

मान्यवर, मैं आपका बड़ा ही आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान पूर्वांचल की तरफ जौनपुर की ओर ले जाना चाहता हूं। ऐसा लगता है कि माननीय मंत्री जी ने अपने जिले का बजट काट दिया है और अगल बगल के जिले का बजट भी काट दिया क्योंकि सड़क निर्माण हेतु जो बजट दिया गया है उसे आधा कर दिया है। मान्यवर, जो जौनपुर और मिर्जापुर की सड़कें हैं उस पर इतना ज्यादा लोड रहता है कि वह सड़कें बेकार हो रही हैं उनमें अक्सर जाम लगा रहता है और माननीय मंत्री जी ने मुझे आश्वासन भी दिया था आज पुनः आपसे आश्वासन चाहता हूं कि मढियाहूं में जो बाई पास बन रहा है उस पर धन दें इस बजट में।

श्री उपाध्यक्ष---

अब आप समाप्त करें।

श्री किशोरी लाल यादव––

मान्यवर, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मान्यवर, मढ़ियाहूं मेरा विधान सभा क्षेत्र है.....

श्री उपाध्यक्ष––

अब आप समाप्त करें। यह कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा।

श्री किशोरी लाल यादव–

[xxx]

* श्री लाखी राम जोशी–

मान्यवर, जब हमारे पास कोई साहित्य आता है तो साहित्य में जब मैं टिहरी जनपद का नाम देखता हूं तो किसी में लिखा होता है टिहरी गढ़वाल और किसी में लिखा होता है टेहरी गढ़वाल। यहां पर मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध करूंगा कि भविष्य में जो साहित्य हमें उपलब्ध कराया जाय कम से कम उसमें हमारे जिले का नाम सही आये। बजट के समर्थन में बोलते हुए कुछ समस्यायें रखना चाहता हूं। विगत वर्ष अक्तूबर माह में जो भूकम्प आया था आपके विभाग ने सराहनीय काम किया, राजकीय निर्माण निगम और सेतु निगम का उसमें सहयोग रहा। 4 लाख 66 हजार जो टीन की चादरें हैं उनको पीड़ित परिवारों तक पहुंचाया गया उसके लिए आभार प्रकट करता हूं 1.611 जो आश्रय गृह बनाये गये हैं विभाग के द्वारा इसके लिए भी धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मान्यवर, 1972 से टिहरी गढ़वाल में एक लोक निर्माण खण्ड खजूर के नाम से मंसूरी में स्थापित था। लोक निर्माण मंत्री के प्रयास से वह लोक निर्माण खण्ड मसूरी से वापस खजूर स्थानान्तरित हुआ इसके लिए भी आभारी हूं क्षेत्रीय जनता की एक आकांक्षा की उससे पूर्ति हो गयी। टिहरी में जब सिंचाई विभाग का काम चल रहा था डेम का लोक निर्माण विभाग का भवन मूल्यांकन खण्ड स्थापित था तब से वह खण्ड भवन मूल्यांकन का काम अपने स्तर से करता है। मैं कहना चाहता हूं कि उस भवन मूल्यांकन खण्ड का स्थानान्तरण शीघ्र दूसरे स्थान पर कराये खण्ड के कर्मचारी बिना काम के वेतन ले रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

अब लिखा नहीं जायेगा। माननीया ज्ञानवती जी को बुला लिया है।

श्री लाखी राम जोशी–

मान्यवर, एक मिनट सुन लें, केवल एक मिनट का मौका दे दें।

श्री उपाध्यक्ष–

जल्दी समाप्त करें।

---

नोट :–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेश से कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लाखी राम जोशी–

टिहरी जनपद में जो सड़कें हैं वह वन संरक्षण अधिनियम के कारण रुकी हुई है उनका निर्माण कार्य रुका हुआ है । 32 सड़कें मेरे विधान सभा क्षेत्र की हैं । 1980 से वन संरक्षण अधिनियम के नाते एक इंच भी सड़क निर्माण का काम आगे नहीं बढ़ा है यह हमारी पीड़ा है दुख है । मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस रुके हुए काम को शीघ्र पूरा करायें । मान्यवर, में चुनौती देता हूं कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो, जनता दल हो या समाजवादी जनता पार्टी का शासन रहा हो वहां विकास पूरी तरह से ठप्प कर दिया गया । मैं अनुरोध करूंगा कि वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन करके अधूरे कार्यों को वहां के पूरा करायें वहां सड़कों को मुहैया करायें । इसी के साथ बजट का समर्थन करता हूं ।

श्रीमती ज्ञानवती सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, मैं लोक निर्माण मंत्री जी से यह कहना चाहती हूं कि मेरे जनपद अलीगढ़ में इग्लास क्षेत्र में सड़कों की भारी कमी है, वहां बड़े-बड़े रोड़े पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से न तो वहां बसें चल पाती हैं, न साइकिलें चल पाती हैं और अन्य कोई वाहन चल पाना भी अत्यन्त दुर्लभ है । विशेषकर 3-4 सड़कें ऐसी हैं, जो मेरे क्षेत्र से शुरू होती हैं, ये सड़कें आधी बनी हुई हैं और आधी बिना बने पड़ी हुई हैं जैसे मुरसान, इग्लास सड़क है, इसका 5 कि०मी० का हिस्सा हाथरस जिले में आता है, 8 कि०मी० का हिस्सा हमारे क्षेत्र में आता है । 5 कि०मी० का हिस्सा बना हुआ है, हमारी तरफ का 8 कि०मी० का हिस्सा नहीं बना है, उसमें बडे-बड़े रोड़े पड़े हुए हैं, इस कारण से 5 कि०मी० का बना हुआ हिस्सा भी बेकार हो गया है । वहां अभी दो दिन पहले एक औरत को सांप ने काट लिया, लेकिन उसे अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका, सिर्फ इस कारण से कि वहां सड़क निर्माण नहीं हो सका है । दूसरी बात मान्यवर, कहना चाहती हूं हमारे जनपद में हमारे क्षेत्र में पुलों की समस्या बड़ी विकट है । करबन नदी पर एक भी पुल नहीं है, बहुत से किसानों के कुछ खेत इधर हैं, कुछ नदी के इधर हैं । विशेषकर वर्षाकाल में बिल्कुल आ जा नहीं सकते हैं । पिछली बरसात में वहां दो लोग मर गये, बच्चे भी डूब गये, लेकिन मेरे लोक निर्माण मंत्री से आग्रह करने के बाद भी, एक भी पुल की स्वीकृति नहीं दी गयी है । मैं उनसे आग्रह करूंगी कि मेरे क्षेत्र की सड़कों और पुलों के ऊपर विशेष ध्यान देकर परेशानियों को दूर करें, धन्यवाद ।

श्री मिही लाल–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे लोक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान जनपद हमीरपुर की तहसील चरखारी कुलपहाड़ की ओर दिलाना चाहूंगा । वहां चरखारी राठ सड़क का निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से और पुल और पुलियों का काम पूरा नहीं हो सका है । मेरे क्षेत्र के गुड़ा, गोहानी, जरौली, वुडेरा, वैदों, रूरी, घुटई, नकरा, सुगरा आदि के पुल बनवाने की मांग करता हूं । मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र के चरखारी से बम्रारा, चरखारी से कुढ़ार, छतेसर से घुटई, अकठोहा से गोरखा, सूपा से स्वासा श्रीनगर, शेरगढ़ से राठ, पनवाड़ी से स्याड़ी, राठ से कैथा, राठ से ओडेरा, खरेला से ऐचाना, रिवई से बम्होराकलां, चरखारी से इमलिया, खरेला चुंगी चौकी से राम नगर तक सड़कों का निर्माण करा दिया जाय । इसी प्रकार हमीरपुर जनपद की तहसील का गांव ठेहरा से सुरौली, इसका भी कार्य खड़ंजा लेबिल तक हो गया है, केवल लेपन का कार्य बाकी है, उसको भी करवा दिया जाय । मान्यवर, मेरे क्षेत्र में चरखारी से बम्रारा 9 कि०मी० की सड़क में लेपन कार्य हेतु जिला स्तर से

वर्ष 87/88 में पैसा पास हुआ था । उस पैसे को कहां इस्तेमाल किया गया, यह पता नहीं चल रहा है। मेरी मांग है कि उस सड़क के लेपन कार्य को पूरा कराया जाय ।

इसी तरह से चरखारी से गुढ़ा जरोली, चदोली, कुढ़ार का रु० 80 लाख के लगभग था, अब उसे 36 लाख रु० केवल बताया जा रहा है, मैं मांग करता हूं कि इस काम हेतु पूरा धन देकर इस काम को भी पूरा कराया जाय । इसी प्रकार ग्राम छतेसर से घुटई ग्राम तक सड़क अधूरी पड़ी है, उसको पूरा कराया जाय । ग्राम अकटाहा से गोरखा सड़क में खड़न्जा स्तर तक कार्य हो चुका है, उसके लेपन कार्य को करवा दिया जाय । ग्राम सूपा स्टेशन से स्वासा, टोला बालचोर, श्रीनगर तक डामरीकरण का काम करवा दिया जाय । ग्राम पनवाड़ी से स्योड़ी सड़क में केवल तारकोल का काम होना है , उसके लिए भी धन देकर काम को पूरा कराया जाय । अन्त में मैं माननीय मंत्री जी के कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं और उसका समर्थन करता हूं ।

श्री तीरथ राज–

मान्यवर, माननीय लोक निर्माण मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं । विपक्ष के माननीय सदस्य इस सरकार को पानी पी-पीकर कोसते हैं और विरोध करते हैं । मैं बताना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र से मैं चुनकर आया हूं उस जनपद की लोक सभा व विधान सभा की सभी सीटें सुरक्षित हैं, वहां पर पिछली सरकार ने एस० एन० डी० में कोई बजट नहीं दिया, जबकि इटावा और बाराबंकी में करोड़ों रुपये दिये गये । जो लोग उधर बैठे हैं, उनकी कथनी और करनी में काफी अन्तर है । हरिजनों के उत्थान के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाते हैं । मान्यवर, मेरे क्षेत्र में कोन तिल गुडवा मार्ग पर कनहर नदी में एक पुल बना दिया जाय । सिन्दुरिया निवारी मार्ग पर रिहन्द नदी में एक पुल बना दिया जाय । धंधरौल ब्रांच की मुख्य नहर की पटरी को भी पक्की कराने की कृपा करें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री विक्रमाजीत मौर्य एडवोकेट–

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । माननीय मंत्री जी ने बड़ी लुभावनी बातें कही और न्यायाप्रियता की बात कही । मैं कहना चाहता हूं कि यह सबसे बड़ा भ्रष्ट विभाग है । नीचे से लेकर ऊपर तक के सभी अधिकारी भ्रष्ट हैं । मंत्री जी यदि आपने इनके ऊपर अंकुश नहीं रखा तो आपका यह भाषण खोखला चला जायेगा । पिछली सरकारों ने क्या किया और क्या नहीं किया, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है । परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि आपके 10 महीने के कार्यकाल में कोई बदलाव नहीं आया है । मैं अपने फूलपुर (इलाहाबाद) क्षेत्र की बात करता हूं । इफ्को से फूलपुर कस्बे तक तीन कि०मी० की एक सड़क बनी है । अधिशासी अभियन्ता ने बताया कि इस रोड पर 5.25 लाख रुपये प्रति कि०मी० पर व्यय आया है, जबकि मैं कहना चाहता हूं कि मुश्किल से उस पर दो लाख रुपये का खर्च आया होगा । मैंने लिखित रूप से भी इसकी शिकायत की है । आप टी० ए० सी० से जांच करा लें । बरेठी से फतूहा मार्ग पर मिट्टी का कार्य हुआ है, इस पर लेपन कर दिया जाय । बहरिया ब्लाक में मुबारकपुर से बहरिया मार्ग पर भी पेंटिंग कर दी जाय । बरना से जहंई मार्ग पर बी० बी० पुर से सोरों के बीच का पुल टूट गया है । मैंने अधिकारियों से भी इसके संबंध में बात की है । इसे भी बनवाने की कृपा करें अन्यथा बरसात में लोगों को आने-जाने में परेशानी हो जायेगी । इन्हीं शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, श्री राणा जी के कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इस बजट को देखने से ऐसा लग रहा था कि मंत्री जी कटौती का भाषण कर रहे हैं न कि बजट भाषण। माननीय मंत्री जी ने इस बजट के साथ जितना अन्याय किया, उतना पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी नहीं किया। सड़कों पर जितना पैसा काटा गया है, उससे ऐसा लगता है कि या तो उन्हें विश्वास में नहीं लिया गया है या फिर कोई मशविरा उनसे नहीं किया गया है जो 20 फीसदी से बजट काट कर 10 फीसदी रख दिया है। इसलिए यह बजट बहुत निराशाजनक है।

आज सड़कों की स्थिति पूरे प्रदेश में खराब है मेंटीनेंस के लिए कोई पैसा नहीं बचा है। सड़कें उखड़ कर रह गयी हैं। हाट मिक्स प्लान्ट कहीं काम नहीं कर रहा है पता नहीं कहां चला गया है। मैं अपने जनपद की बात कहना चाहता हूं हमारे यहां मेडाघाट तहवान क्षेत्र में एक बहुत बड़ी नाव दुर्घटना हुई पुल का शिलान्यास भी हो गया लेकिन कोई पैसा स्वीकृत नहीं हुआ है। वह दस्यु प्रभावित क्षेत्र है तो वहां पर आग्रह करूंगा कि निर्माण काये आरम्भ किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री भोला शंकर मौर्य–

हमारा जनपद दस्यु प्रभावित क्षेत्र है वहां निर्माण कार्य आरम्भ किये जायं।

[ समय 8 बजकर 20 मिनट ]

कुंवर सुरेन्द्र प्रताप–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय लोक निर्माण मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। यह बजट ग्रामीण अंचलों को विकास देने वाला है। मान्यवर, मैं सहाड़ी, मीरगंज बरेली विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आया हूं। मेरे क्षेत्र में सिधौली सिहौर मार्ग जो लगभग 15 वर्षों से बना हुआ है उस पर पुल का निर्माण अत्यन्त आवश्यक है। वहां नदी पीलाधार है अगर उस पर पुल बना दिया जाय तो वहां की जनता को मुख्यालय और तहसील तक जाने में बहुत सुविधा हो जायेगी। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा वहां की जनता की समस्या को देखते हुए इसी बजट में पुल निर्माण कराया जाय। इन शब्दों के साथ मैं लोक निर्माण मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का हार्दिक स्वागत करता हूं।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

उपाध्यक्ष महोदय, में आपका आभारी हूं कि आपने मुझे राणा जी के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। कांग्रेस सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना में राज्य सेक्टर में जनपद मुरादाबाद के लिए 2 करोड़ 85 लाख रुपये का प्राविधान लोक निर्माण विभाग को किया था जनता दल की सरकार ने वर्ष 90-91 में उसे 6 करोड़ कर दिया था। तो माननीय मंत्री जी फर्क देख लें और आज फिर उसे घटाकर कांग्रेस सरकार ने बराबर 2 करोड़ 85 लाख रुपया कर दिया है। यह सिर्फ मुरादाबाद की बात नहीं है अन्य जिलों में भी यही हुआ है। मान्यवर, पहले सड़कें दो चरणों में बनती थी मिट्टी, पुलिया और खड़न्जा स्तर तक और उसके बाद दूसरे चरण में पेंटिंग स्तर पर स्वीकृत होती थी पहले चरण में एक कि०मी० सड़क 2.40 लाख की स्वीकृति होती थी और पेन्टिग के लिए 2 लाख 10 हजार रुपये स्वीकृत होता था लेकिन पिछले वर्ष से एक ही चरण में सड़क पेंटिंग स्तर तक स्वीकृत हो रही है और एक ही

बार में पेंटिंग स्तर तक के कार्य के लिए साढ़े चार लाख रुपये कर दिया गया है। हमारा क्षेत्र मुरादाबाद देहात है उसमें 150 कि०मी० सड़कें ऐसी हैं जहां पर 20 साल तक पेंटिंग सम्भव नहीं है। घोड़ा मुस्तेका मार्ग एक कि०मी० राम गंगा ने कटाव कर लिया है उसे बचाने के लिए विभाग ने कोई प्रयास नहीं किया है। लोगों को अधिग्रहण का पैसा भी नहीं दिया जा रहा है। कहते हैं फण्ड नहीं है। इसी तरह से सड़कों के रखरखाव में कटौती कर दी गयी है। तो मैं कहना चाहता हूं हमारे जनपद मुरादाबाद का कैसे विकास होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। मान्यवर, सरदार जी ने जो बजट पेश किया है, वह रद्दी का पुलिन्दा है, वह हमें मारा गया है। मान्यवर, अगर आप कहें तो माननीय मंत्री जी के यहां वह पुलिन्दा भिजवा दिया जाय।

श्री विजय पाल सिंह तोमर–

मान्यवर, आपने मुझे लोक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं माननीय विजय सिंह राणा द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री किशोरी श्याम–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष–

इस समय आप कोई व्यवस्था नहीं उठायेंगे।

श्री किशोरी श्याम–

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से आप सबको बुलवायेंगे तो महाराज 12.00 बजे जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष–

नहीं मैं जल्दी ही करवा रहा हूं।

श्री विजय पाल सिंह तोमर–

मानयवर, मैं राणा जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। माननीय लोक निर्माण मंत्री जी ने बड़ा लच्छेदार भाषण दिया लेकिन वह तथ्यों से परे और वास्तविकता से दूर है। इस साल जिला योजना के अन्तर्गत जो सड़कों के निर्माण का कार्य है वह गत वर्षों की तुलना में कम है। मेरठ जनपद में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में कुल तीन-तीन कि०मी० सड़क के लिए प्रस्तावित किया गया है पहले 10-10 कि०मी० प्रस्तावित थीं। मेरे साथ मान्यवर, इतना बड़ा अन्याय हुआ है कि मेरे क्षेत्र में एक सड़क 2.6 कि०मी० की प्रस्तावित थी उसमें से भी दो कि०मी० काट दी गयी है। जिले से प्रस्तावित होकर आई थी लेकिन पता नहीं क्योंकर उसमें कटौती करे दी गयी। मैंने सचिव महोदय व मंत्री जी के संज्ञान में भी यह बात लायी थी। चार महीने से बराबर चक्कर काट रहा हूं। आज तक सही कार्यवाही नहीं की गयी है। मेरे साथ ही ऐसा अन्याय क्यों किया गया है जबकि दस और भी क्षेत्र हैं जहां पर सड़कें प्रस्तावित हैं। मेरे क्षेत्र में एक सड़क कंकर खेड़ा पावली खुर्द मार्ग है, जिस पर 16 लाख रुपये लग चुका है वह बेकार भी पड़ी है उस पर अभी कंकड़ ही पडा हुआ है अगर उस पर 8 लाख रुपये और लगा दिये जायं तो काम पूरा हो जायेगा।

श्री राम चन्द्र चौधरी–

मैं माननीय लोक निर्माण मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का स्वागत करता हूं। मान्यवर, अभी हमारे कुछ विपक्षी बन्धुओं ने कहा कि पूरे बजट में एक प्रकार का नाटक है और इस तरह से जाल बनाया गया है। मान्यवर, यह भी कहा गया कि सारे अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्ट हैं। मान्यवर, मैं इन विपक्षी बन्धुओं से पूछना चाहता हूं कि सत्ता में आप रहे हैं, हमेशा आप कुर्सी पर बैठे हैं अधिकारियों और कर्मचारियों को चोरी की आदत सिखाने वाले आप हैं। मैं अपने विपक्षी बन्धुओं से कहना चाहता हूं कि अभी बहुत लम्बे-लम्बे भाषण आप लोगों ने दिये। इसी बात पर मुझे एक शेर याद आ गया–

हंसों के साथ जब कौआ भरे उड़ान,

उसकी वल्दियत को बताना पड़ेगा।

मान्यवर, मेरा क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री रामचन्द्र चौधरी–

मेरे क्षेत्र में सड़कों का बहुत ही अभाव है वहां सड़कों की व्यवस्था करने का कष्ट करें। मान्यवर, हाजीपुर, राहुलनगर, अलीपुर सड़कों का निर्माण होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो बजट रखा गया है उसका स्वागत करता हूं।

(व्यवधान)

श्री जैदान सिंह यादव–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से अपने क्षेत्र के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं। मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आया हूं वह क्षेत्र पहले मैनपुरी में पड़ता था। यह मैनपुरी में होने के नाते एक कोने में बार्डर में पड़ा है। अब फिरोजाबाद जनपद में आया है यह बिल्कुल जिले के कोने में है। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं एक सड़क बनाई जा रही है वह सड़क शिकोहाबाद से मसूदाबाद तक बनाई जाने का प्राविधान था। मान्यवर, कई मंत्रिमण्डल बदल गये लेकिन यह सड़क अभी तक बनाई नहीं गयी है। मेरे जनपद मुख्यालय में जो शिकोहाबाद से फिरोजाबाद.....

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त कर दें।

श्री जैदान सिंह यादव–

न्याय पंचायत के किनारे जो रास्ता पड़ता है वह एक सड़क है। उसको बनवाया जाये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री लीला राम शर्मा–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

(श्री लीलाराम शर्मा सदन के फ्लोर में आ गये)

ऐसी कौन सी व्यवस्था पैदा हो गयी आप अपने स्थान पर जायें ।

(श्री लीलाराम शर्मा अपने स्थान पर चले गये ।)

श्री लीलाराम शर्मा–

मान्यवर, नौ महीने से सदन चल रहा है यह सामने बैठे हैं कहते हैं इन्हें जन्नादेश मन्दिर बनाने के लिए मिला । इनके नौ महीने के कार्यकाल के अन्दर आप देखें –

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप अपना सुझाव देना चाहते हैं तो दे दें लेकिन जबरदस्ती नियमों का सहारा न लें ।

(व्यवधान)

श्री लीलाराम शर्मा–

मान्यवर, जिस दिन बजट पेश होता है यह वही दिन है जिस दिन हम विकास के सिलसिले में बोल सकें और दिन तो मंदिर और भ्रष्टाचार के सवाल उठते रहते हैं । मान्यवर, मेरा निवेदन है कि जीरो आवर के बाद बजट पेश हो जाया करें जिससे हमारे माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों की बात यहां पर कह सकें ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय शर्मा जी अगर आप कोई सुझाव देना चाहने हैं तो वह दे दें । मैं व्यवस्था के प्रश्न की अनुमति नहीं देता हूं ।

श्री लीलाराम शर्मा–

मान्यवर, आप स्वयं ही समझते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश से अलग नहीं है । जब तक उत्तरांचल राज्य नहीं बन जाता है तब तक पर्वतीय क्षेत्र प्रदेश का अंग है । पर्वतीय क्षेत्र की समस्याओं

के निदान के लिए ध्यान देना जरूरी है क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र की समस्यायें मैदानी क्षेत्रों से काफी भिन्न हैं । जब तक वहां के बारे में विशेष ध्यान नहीं दिया जायेगा तब तक वहां की समस्यायें हल नहीं होंगी । लिहाजा मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह एक सप्लीमेंटरी बजट लाने की कृपा करें । उस बजट में हमारे पर्वतीय क्षेत्र की जितनी भी सड़कें हैं जो पर्यटन की दृष्टि से लाभदायक हैं उन सारी सड़कों को सप्लीमेंटरी बजट में लाकर उनका निर्माण करायें । इसमें किसी घाटे की सम्भावना नहीं है क्योंकि जब तक आप रहेंगे यह सड़कें बनने वाली नहीं हैं । आज हमारे पिथौरागढ़ में 60 योजनायें जो 45 करोड़ रुपये की हैं वह वैसे पड़ी हैं । कन्जरवेशन आफ फारेस्ट एक्ट की वजह से उन पर काम नहीं हो पा रहा है । 5 साल तक यह पूरी होने की स्थिति में नहीं है इसलिए मेरी गुजारिश है आप कृपया सप्लीमेंटरी बजट पेश करें ताकि आगे आने वाले मंत्री उसको कार्यान्वित कर सकें ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप अपनी बात समाप्त करें । मैं अनुमति नहीं देता हूं ।

श्री किशन गोपाल–

मान्यवर, आप व्यवस्था के प्रश्न पर इतना समय दे रहे हैं ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मैं सभी माननीय सदस्यों का हृदय से आभारी हूं चाहे वह इधर के पक्ष में बैठने वाले हों या उधर के पक्ष में बैठने वाले हों । माननीय सदस्यों ने कहीं-कहीं तो प्रत्यक्ष रूप में और कहीं-कहीं अप्रत्यक्ष रूप में, लगभग सभी माननीय सदस्यों ने मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया है । माननीय सदस्यों ने जो बातें कही उससे मैंने यह अनुभव किया है कि लोक निर्माण मंत्री जी द्वारा जो प्रदेश का विकास होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है । लोक निर्माण मंत्री जी मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं लेकिन दोस्ती वोस्ती अब वह भूल गये हैं क्योंकि कुर्सी का नशा कुछ दूसरी तरह का होता है शायद ज्यादा चढ़ गया है । मैं अपने दोस्त से एक बात कहना चाहता हूं .....वह यह कि मान्यवर, "ऐ दोस्त बता दूं क्या फर्क है तुममें मुझमें, तेरा दर्द दर्दे तन्हा, मेरा दर्द दर्दे जमाना है ।" मान्यवर, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी जो विभाग लेकर बैठे हैं, इस पक्ष के सदस्य भी और उस पक्ष के सदस्य भी, विभाग में मंत्री नहीं हैं । इसलिए केवल विभाग की कठिनाइयों को देखना है और हम लोग जहां से आते हैं, कम से कम डेढ़ दो लाख वोट देने वालों को देखना पड़ता है । हम वहां से आते हैं जहां आप सबको बाद में जाना है । तो मान्यवर, मैं केवल कुछ बातें कहना चाहता हूं अन्त में, मैंने शुरू में अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए प्रदेश की सीमा में घूमने का प्रयास किया । अपने जिले की सारी बातें छोड़ दीं । मान्यवर, जिन माननीय सदस्यों को आशंका है, उनको बता दूं में आगरा से आता हूं । दुर्भाग्य से थोड़ा सा जिक्र किया था, हम सन् 80 से आ रहे हैं । आगरा, मथुरा, अलीगढ़ ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमान्त जिले हैं । आज तक इन जिलों में एक कि०मी० सड़क राज्य सेक्टर में किसी ने नहीं ली । यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है । आगरा की स्थिति तो पहले ही भिन्न है । तीन राष्ट्रीय मार्ग और एक राज्य मार्ग उससे मिलता है । जो आगरा को उत्तर और उत्तर प्रदेश को पूरे हिन्दुस्तान से जोड़ता है और सभी जिलों के मार्ग ऐसे हैं जो आगरा को अन्य प्रदेश से जोड़ते हैं । इस स्थिति में रहने के बाद भी हम बराबर मांग कर रहे हैं कि आगरा में एक रिंग रोड बननी चाहिए ।

हमारे मित्र माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर नहीं हैं, उनके सामने कहना चाहता था, वह जब यहां थे तो कहते थे कि जरा गरम हो जाय और अब कहते हैं कि ठण्डे हो जायं । आप तो बदल गये, हम कैसे बदल सकते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि आपने आगरा से दो दो मंत्री बनाए, ऐसे निकम्मे निकले कि एक किलोमीटर सड़क तक का बजट में प्राविधान नहीं किया । ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है हमारे सामने । मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आगरा में रिंग रोड बनवाई जाय । इस संबंध में कन्सल्टेंसी सर्विस द्वारा सर्वे हो चुका है । आप विश्व बैंक की सहायता के लिये आशा लगाए हैं सहायता नहीं मिल पायी । हमने विपक्ष में रह कर, जब सत्ता पक्ष में थे, उस समय भी हम विपक्ष में ही थे, उस समय भी हमने करीब-करीब रिंग रोड के सारे काम को पूरा करा लिया है । केवल एक पुल बनाए जाने की आवश्यकता है जिसके लिये आपको लिख कर दिया है । यह हमेशा सदन की परम्परा रही है कि जो कटौती का प्रस्ताव रखता है उसका एक काम जरुर किया जाता है । मैं निवेदन करता हूं कि आगरा की जनता के लिये, केवल मेरा काम नहीं है, कम से कम एक पुल गढ़ी महावल , यमुना पर पैन्टून पुल बना है, उस जगह पर पुल जरुर बनवा दें ।

(इस समय 8 बजकर 45 मिनट पर की अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

आपने पुलों की स्वीकृति के संबंध में रोना रोया कि पहली सरकारों के प्रभावशाली मंत्री अपने यहां ज्यादा पुल स्वीकृत करा कर ले गये, उसी स्थिति में माननीय मंत्री जी मैं भी कहना चाहता हूं कि आगरा में दो पुल बन रहे थे, एक आगरा में जवाहर के बगल में और दूसरा बटेसर में, इन दोनों पर काम बन्द हो गया है और इसका सामान कहीं दूसरी जगह भेज दिया गया है । कृपया इन दोनों पुलों का निर्माण कार्य तुरन्त प्रारम्भ करा दें । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां राष्ट्रीय मार्ग नं० 2 और राष्ट्रीय मार्ग नं० 3 को जोड़ने वाले मार्ग का निर्माण जहां हुआ है, वहां यमुना पर गढ़ीमहावल पर एक पैन्टून पुल बना हुआ है, वहां पक्का पुल बनाये जाने की स्वीकृति दी जाय । साथ में मान्यवर, मैं यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि आप इस बजट के सबंध में जो साहित्य हमें दिये थे, उसमें राष्ट्रीय मार्ग नं० 2 को राष्ट्रीय मार्ग नं० 3 से जोड़े जाने वाले मार्ग पर एक प्रश्नचिन्ह खड़ा कर दिया है, जिसमें यह शंका हो गयी है कि इस योजना को कहीं परिसीमन के नाम पर नष्ट न कर दी जायं । और ऐसा होता है, तो हमारे साथ बड़ा भारी अन्याय होगा । यह मार्ग 1988-89 में स्वीकृत हुआ तथा और उसके बाद काटा जाना उचित नहीं है । आप चाहें, तो पुराने स्वीकृत कार्यों में प्राथमिकता निश्चित कर दें, पर उन्हें काटें नहीं । हमारे यहां दो-दो निकम्मे मंत्री बैठे हैं जो कोई नया काम तो स्वीकृत करा नहीं सके, स्वीकृत कार्य को कटवाने की स्थिति में मौन बैठे हैं । आगरे का दुर्भाग्य है कि ऐसे मंत्री को झेलना पड़ रहा है ।

मान्यवर, जिला प्लान के अन्तर्गत 53 करोड़ रु० कम कर दिया गया है, उसे कम न किया जाय । आपने मुझसे व्यक्तिगत रुप से यह बताया था कि हम इसे कम नहीं कर रहे हैं, इसे किश्तों में देंगे । कृपया अपने बचन का परिपालन करें । जिला योजनाओं की कटौती होने से सभी माननीय सदस्यों को चाहे इधर के हों चाहे उधर के हों भारी दुःख होगा । हम लोग बड़े परिश्रम और प्रयास के बाद यह योजना स्वीकृत कराते हैं । उन्हें इस तरह से काट देना उचित नहीं है ।

मान्यवर, मेरा एक सुझाव यह भी है कि सड़क निर्माण में गिट्टियों की चोरी होती है, कोलतार की चोरी होती है और इस चोरी के कारण सड़कें स्तर की नहीं बन पाती हैं । सड़क बनती बाद में हैं, उखड़ पहले जाती हैं इसलिए मेरा सुझाव है कि सड़के प्रि-मिक्सिंग प्लांट से बनाई जायं । हमारे आगरा में मुख्य अभियंता ने इसका प्रयोग किया था और पूर्णतया सफल रहा । इसमें कुछ ज्यादा लागत भी नहीं आती, केवल 5 प्रतिशत लागत अधिक आयेगी, पर सड़क स्तर की बनेगी । इसलिए हम उसे स्वीकार करने के

लिये तैयार हैं । एक स्थिति और है कि सड़क बनाने वाले विभाग अब कई हो गये हैं । पहले अकेला लोक निर्माण विभाग ही यह कार्य करता था, अब ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के द्वारा भी मार्ग निर्माण किया जाता है और गन्ना समिति, कृषि मंडी समिति के द्वारा वह मार्ग बनाये जाते हैं। मेरा यह सुझाव है कि 5 किलो मीटर से नीचे की सड़कें ग्रामीण अभियंत्रण सेवा और अन्य समिति आदि के माध्यम से बनवा ली जायं, बड़ी सड़कें केवल लोक निर्माण विभाग से ही बनवाई जायं, किन्तु इसमें चौड़ाई का ऊंचाई का और मोटाई का जो स्तर विभाग का है, वह यथावत रहना चाहिए ।

एक समस्या मान्यवर, सड़कों के अनुरक्षण की है, सड़कें बनती हैं, टूटने लगती हैं, हम लोगों को चिन्ता होती है कि आगरे की सड़कें बनवायें या पुरानी टूटी सड़कों की मरम्मत करायें । इसलिए मेरा अनुरोध है कि स्वीकृत सड़कों का वार्षिक अनुरक्षण स्वीकृत करा दिया जाय, हम लोग निश्चिन्त हो सकें कि जो सड़कें बन गयी हैं, उसकी सुरक्षा की गारंटी अब विभाग की है, वह अपने आप बन जायगी मान्यवर, एक बहुत बड़ी समस्या है और वह समस्या सड़कों की सुरक्षा की है । एक बात कहना चाहता हूं कि यह एक ऐसा रोग फैल चुका है कि इन्जीनियर का मतलब केवल सड़क बनाने से रह गया है और उसका रिश्ता कमीशन से रह गया है । सड़क चाहे जिस प्रकार की बने उससे कोई मतलब नहीं रह गया है । इसलिये ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है । सड़क पर किसान अपनी मेड़ बना लेता है, नाली बना लेता है और वह सड़क नहीं रह जाती है । इस सम्बन्ध में मेरा आपसे निवेदन है कि जिस इन्जीनियर के क्षेत्र में इस तरह के इनक्रोचमेंट हों, उसका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाये और उसे दंड भी दिया जाये । उससे सड़के ठीक रहेंगी । मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि गांव में जो सड़कें बनती हैं, वह पहले से बने कच्चे मार्ग या चकरोड पर ही बनायी जाती हैं, जिससे उनमें इतने मोड़ होते हैं कि बड़ी गाड़ियां निकल नहीं पाती हैं, तो मेरा सुझाव है कि इन मोड़ों पर जिन किसानों की जमीन पड़े उसे मुआवजा देकर, सीधा कर दिया जाना चाहिये ।

मान्यवर, जहां पर सड़कों पर से पानी निकाला जाता है, उसकी रिपोर्ट थाने में की जानी चाहिये और जो इन्जीनियर ऐसा न करे, उसके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये । अगर ऐसा नहीं किया जायेगा तो सड़कें सड़कें नहीं रह जायेगी । उसका उत्तरदायित्व निश्चित किया जाना चाहिये, केवल परसेंटेज खाने से ही रिश्ता न रखें । सड़कों का निरीक्षण भी होना चाहिये । नहर का पानी सड़क पर से चलेगा तो सड़क का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जायेगा, इसलिये सड़कों की सुरक्षा के लिये यह नियम लागू कर देना चाहिये । एक बात और कहना चाहता हूं कि जहां पर सड़क टेढ़ी मेढ़ी है, और वहां पर चकबन्दी हो रही है, तो उसके माध्यम से उसको सीधा कराने की कार्यवाही आसानी से की जा सकती है, तो इस प्रकार से सम्पर्क मार्ग सीधे हो जायेंगे ।

कुंवर सुभाष पटेल-

मान्यवर, पिछली बार भी इनकी संख्या 13 रह गयी थी और आज भी 13 रह गयी है ।

श्री अध्यक्ष-

कोरम पूरा है ।

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, जहां तक क्षेत्रीय असंतुलन की बात है, माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है । मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने बचन पर और जिस शैली में भाषण दिया है, उस पर कायम रहिए । क्षेत्रीय सन्तुलन स्थापित होना चाहिए । कहीं पर सौ-सौ किमी० की सड़कें बनेंगी और कहीं पर

एक कि०मी० की सड़क भी नहीं बनेगी । हर माननीय सदस्य को एक ही पैमाने पर रखकर देखिए । हर माननीय सदस्य को अपनी जनता का आक्रोश झेलना पड़ता है । इसके अलावा मेरा पुनः आपसे अनुरोध है कि जो परियोजनाओं में कटौती कर दी है आंख बन्द करके केवल विभागीय अधिकारियों के परामर्श पर, उसे रोक दें । उसको प्रायरटी फिक्स करके ले लें । क्षेत्रीय सन्तुलन के हिसाब से भी होना चाहिए । उसके हिसाब से प्राथमिकता तय कर दें । उसे निरस्त न करें । अगर पूर्ववत बेईमानी भी है तो उसे झेल लेंगे लेकिन निरस्त होना नहीं झेल पायेंगे ।

(लाल बत्ती जलने पर)

इस विधेयक को कम से कम दो दिन का समय मिलना चाहिए था, कार्य मंत्रणा समिति के आप संरक्षक हैं ।

श्री अध्यक्ष–

कार्यक्रम तो माननीय नेता, विरोधी दल के परामर्श से ही तय होता है । आप शीघ्र समाप्त करें ।

श्री विजय सिंह राणा–

अन्त में माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि लोक निर्माण विभाग में यहां विधान सभा में एक विद्युत अनुरक्षण खण्ड-2 है वहां पर कुछ कर्मचारी 6-7 साल से दैनिक वेतन पर काम कर रहे हैं, हमारी उनके साथ सहानुभूति है, उनका विनयमितीकरण हो जाना चाहिए ।

इन्हीं शब्दों के साथ कहना तो बहुत कुछ था लेकिन समय नहीं है, मैं पुनः धन्यवाद देता हूं कि इस पक्ष के माननीय सदस्यों का और उस पक्ष में बैठे हुए माननीय सदस्यों का भी कि उन्होंने परोक्ष या अपरोक्ष रूप से मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया है ।

श्री किशन गोपाल–

(बिना अनुमति के बोलते हुए)

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । राणा जी पुराने सदस्य हैं, इन्होंने दो मंत्रियों का नाम लिया है ।

श्री अध्यक्ष–

इसमें क्या व्यवस्था का प्रश्न है, इसमें कोई व्यवस्था नहीं है ।

(श्री किशन गोपाल के पुनः खड़े रहने पर)

आप व्यवस्था पर एक पुस्तक लिख डालिये और सारे सदस्यों में वितरित कर दीजिये ।

श्री किशन गोपाल–

इनकी बात को कार्यवाही से निकलवा दें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं दिखवा लूंगा, आप बैठें ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, लोक निर्माण विभाग का बजट जब मैंने प्रस्तुत किया था तो यह मेरी यह अपेक्षा थी कि केवल परम्पराओं का निर्वाह मात्र के लिए कटौती का प्रस्ताव ला करके उसकी आलोचना करने का

उद्देश्य विपक्ष का नहीं होगा । मेरी अपेक्षा यह भी थी कि कुछ आलोचनात्मक सुझाव आयेंगे, मेरी अपेक्षा थी कि किसी प्रकार से इस विभाग को सुधारा जाय इस संदर्भ में विपक्ष के अनुभवी सदस्यों की ओर से ऐसे सुझाव आयेंगे जिससे मुझे सहयोग मिलेगा, सहायता मिलेगी लेकिन मेरी आशाओं पर मेरी अपेक्षाओं पर तुषारापात हो गया जब माननीय विजय सिंह राणा जैसे वरिष्ठ सदस्य ने बड़ी उत्तेजना के साथ तथ्यों को तोड़ते मरोड़ते हुए सदन के सामने प्रस्तुत किया । मान्यवर, माननीय राणा जी ने कहा कि जिस तरह से कुत्ता हड्डी चबाता है मान्यवर, सच्चाई तो यह है कि मुझे न तो कुत्ते के बारे में जानकारी है न हड्डी के बारे में जानकारी है और अगर है तो कुत्ता हड्डी चबाता है उसको कैसा आनन्द आता है, इनको मालूम होगा, मुझे इनसे कोई ईर्ष्या नहीं है । यह इनको मुबारक । मान्यवर, एक बात और कही औकात और सौगात की कि जिसकी औकात होगी उसको वैसी ही सौगात मिलेगी । मान्यवर, यह जनता ने निर्णय कर दिया जिसकी जैसी औकात थी उसको वैसी सौगात मिल गयी और जिसकी जो सौगात थी उसको वह औकात मिल गयी ।

मान्यवर, आंकड़े समझने में माननीय राणा जी को दिक्कत हुई होगी, मान्यवर, इन्होंने सदन के सामने यह प्रश्न करने का प्रयत्न किया कि पिछले वित्तीय वर्ष में जो लोक निर्माण विभाग का बजट था वह ज्यादा था और इस बार कम है । मैं चाहूंगा कि एक बार फिर पूरे ध्यान से अभिलेखों का अध्ययन कर लें । पिछले वर्ष की तुलना में 1991-92 में 567.71 करोड़ रुपये की व्यवस्था थी और 92-93 में 595.67 करोड़ रुपये की व्यवस्था थी । मैं यह आपको याद कराना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार की प्रतिबद्धता थी वह कि संसाधन उपलब्ध न होने के कारण वास्तव में जिला सेक्टर में बाह्य सहयोग योजना की मदों में कटौती ही करनी पड़ी और तथ्य यह है कि वर्तमान सरकार ने संचार साधनों की महत्ता को समझते हुए इस वर्ष जन अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार की कठिनाई को संचार साधनों को लेकर प्रदेश में है इसको मद्दे नजर रखते हुए किस प्रकार से उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है, क्षेत्र में इसको मद्देनजर रखते हुए परिव्यय को बढ़ाया । दूसरा एक बिन्दु जिस और इन्होंने सदन का ध्यान आकृष्ट करने की चेष्टा की है 152 गांव 32 असाध्य गांवों को छोड़कर 120 गांव जो 1500 की आबादी से ऊपर 1991 की जनगणना के अनुसार हैं उसको जोड़ेंगे । मान्यवर, मैंने तो आपके सामने स्पष्ट कर दिया ऐसा नहीं है कि उनके साथ सौतेला व्यवहार होगा, उन पर विचार किया जायेगा । मगर 120 गांव बचे हैं तो 500 गांवों की प्रतिबद्धता कैसे कर लेते, जो बचे हैं उसको इस वर्ष पूरा कर देंगे ।

मान्यवर, राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए हमने 4 प्रस्ताव भेजे थे इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कि राष्ट्रीय राजमार्गों में.....

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, इन्होंने कहा कि 120 गांव ही बचे थे 1500 से नीचे की आबादी वाले थे, हजार से नीचे वाले गांवों अगर वह केवल 120 गांव ही बचे थे तो नीचे के गांव तो जोड़े जा सकते थे ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मैं आ रहा हूं, उस पर सीधे कहूं तो आपको बहुत अच्छा नहीं लगेगा । वह इस नाते कि आपकी मेहरबानियां रही हैं पिछले सालों में आज जिनकी आप आलोचना कर रहे हैं पिछले साल तक उनको अपना नेता कहते-कहते नहीं थकते थे ।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा–

आप तो कुकरमुत्ते की तरह खड़े हैं। हमें जिसे नेता मानना होगा मानेंगे, जिसे नहीं मानना होगा, नहीं मानेंगे।

डा० सरजीत सिंह डंग–

एक शैर पढ़ना चाहता हूं। "गुस्ताखियों से आपके उजड़ा है नशेमन, आशियां अब सरे-नौहीं सजाना होगा"।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

"बरबाद चमन को करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पर उल्लू बैठे हैं, अंजामें गुलिस्तां क्या होगा"।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैं व्यवसाय से चिकित्सक हूं, राणा जी व्यवसाय से प्रवक्ता हैं, बोलने की इनकी जीविका है, लेकिन कभी-कभी बोलते-बोलते ज्यादा बोल जाते हैं। अब आगरे के बारे में चर्चा नहीं करूंगा। 1500 से नीचे की आबादी के गांवों के बारे में सातवीं योजना की समाप्ति पर लक्ष्य यह रखा गया था कि 50 प्रतिशत इस तरह के गांव सम्बद्ध हो जायेंगे। सातवीं योजना के अन्त में हमने इस लक्ष्य को प्राप्त भी कर लिया। मान्यवर, अभी आठवीं योजना में कोई लक्ष्य का निर्धारण नहीं हुआ। जब जिला योजना जायेगी, राज्य योजना जायेगी तो परिणामस्वरूप स्वाभाविक रूप से यह गांव जुड़ेंगे। अम्बेदकर गांव की जो बात है वह अधिकांश ऐसे हैं जो 1500 की आबादी के नीचे के गांव हैं हमने उनको प्राथमिकता दी है। स्वाभाविक रूप से 1500 की आबादी के नीचे के गांव जुड़ेंगे।

(व्यवधान)

मान्यवर, महारानीबाग पुल की चर्चा आप कर रहे हैं यह तो उत्तर प्रदेश विधान सभा के सामने गलत बयानी हो रही है। मैं कहना चाहता हूं कि यह जो प्रस्तावित पुल है यह वहां से दो किलोमीटर की दूरी पर हैं मैं इसे खुले मन से चुनौती देता हूं कि दो किलोमीटर की दूरी पर कोई भी पुल वहां नहीं बना है।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। वह यह है कि पटपरगंज का पुल वहां से कितनी दूरी पर है?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जिन दो क्षेत्रों की बात हो रही है मैं उसके सम्बन्ध में बात कर रहा हूं। यह इनकी गलतफहमी है और हम उम्मीद करते हैं कि जब यह दिल्ली जायेंगे तो देख लेंगे। मान्यवर, हमारे एक माननीय मित्र श्री शिव बालक पासी ने जो भूतपूर्व मंत्री भी रहे हैं ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए आप केन्द्र के पास क्यों जाते हैं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके लिए केन्द्र धन स्वीकृत करता है। मान्यवर, इन 44 सालों का इतिहास देख लीजिये एक इन्च भी इसमें बढ़ोत्तरी नहीं हुई है जबकि भारतीय जनता पार्टी इस समय सरकार में आयी है तो इसमें बढ़ोत्तरी हुई है यह मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। जो आपने कहा कि केन्द्र के सामने क्यों रोते हो तो यह कहेंगे कि यह उत्तर प्रदेश का अधिकार है, हम उत्तर प्रदेश

साथ जो अन्याय हुआ है उसके विरुद्ध अपनी बात उनके सामने रखते हैं। वैसे तो आप जानते ही हैं कि जब केन्द्र में और प्रदेश में भी इनकी सरकार थी तब भी यह कुछ नहीं करवा पाये। मान्यवर, यह भी कहा गया कि उत्तर प्रदेश राजकीय सेतु निगम में तीन-तीन माह से वेतन नहीं मिल रहा है। माननीय राणा जी को चाहिए कि वह अपनी सूचना ठीक कर लें। सभी निगमों में प्रत्येक माह बराबर वेतन मिल रहा है और जो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं चाह वह किसी भी निगम में काम करते हों उनके खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेंगे वह हमसे बच नहीं सकते और जो ईमानदार व्यक्ति होंगे उन्हें हम प्रोत्साहन देंगे और आज हमारे यहां ईमानदार व्यक्तियों की एक लम्बी सूची है।

मान्यवर, अखबार की खबरों के बारे में माननीय राणा जी ने चर्चा की। तो मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि जुलाई 91 के बाद से फैजाबाद में 3-92 को, मैनपुरी में 9-91 को, इटावा में 9-91 को इस प्रकार पुलों की लम्बी श्रृंखला इस कार्य काल में बढ़ी है। इस कार्यकाल में देंगे। अखबार वाले मित्र इस समय यहां पर नहीं हैं, यदि राणा जी के मित्र हों, तो वह उन्हें बुलाकर समझा दें कि विभाग से ठीक-ठाक सूचना लेकर छापने का कष्ट किया करें, नहीं तो इससे भ्रान्ति फैलती है। मान्यवर, उधर के एक माननीय सदस्य ने कह दिया कि वाराणसी में एक इंच भी सड़क नहीं बनी है। मैं उनको बताना चाहूंगा कि वाराणसी में जिला योजना में 227.66 लाख रुपया और राज्य योजना में 177.68 लाख रुपया और कुल मिलाकर 4 करोड़, 5 लाख, 34 हजार रुपया व्यय हुआ है और माननीय सदस्य कहते हैं कि एक इंच भी सड़क नहीं बनी। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप चश्मा लगवाइये और यदि ठीक से दिखाई नहीं देता तो किसी अच्छे डाक्टर से जांच करवाइये। मान्यवर, अन्तिम बात कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार उन्मूलन के संबंध में। मान्यवर, 1-7-91 से आज की तारीख तक 64 अधिकारी दंडित हुये हैं जिनमें 39 को चेतावनी देकर, 11 वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने, 5 वसूली करने, 9 प्रतिकूल प्रविष्टि करके दंडित किये गये हैं। आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि निलम्बित किये गये अधिकारियों की संख्या इससे अलग है, यह 41 हैं। इसमें 16 अधिशासी अभियन्ता, 15 सहायक अभियन्ता और 10 अवर अभियन्ता शामिल हैं। मान्यवर, इससे सरकार की नीयत स्पष्ट होती है।

हम किसी अधिकारी को किसी कीमत पर किसी प्रकार का संरक्षण नहीं देंगे, जैसा पिछले वर्षों में किया जाता रहा है। मान्यवर, एक सदस्य ने कह दिया कि सबके सब अधिकारी बेईमान हैं, मैं इस बात का विरोध करता हूं, जो अधिकारी गलत हैं, गलत हैं, लेकिन यदि वहां ईमानदार लोग नहीं होते, तो अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति इस निगम की न होती। मैं कहना चाहता हूं कि अगर किसी भी सार्वजनिक उपक्रम का यदि पतन हुआ है, तो उसका कारण राजनीति में बैठे हुये लोग हैं, जिनकी न तो कोई नीति थी और न ही नीयत ठीक थी। इस सरकार की नीयत भी ठीक है और नीति भी ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूरे विभाग के अधिकारियों, जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में, प्रस्तुत करने में, आंकड़े जुटाने में मेरा बहुत बड़ा सहयोग किया है, साथ ही पक्ष और विपक्ष के उन सदस्यों का जिन्होंने बहुमूल्य सुझाव दिये हैं, आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही विशेषकर माननीय राणा जी, जो हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, भाई हैं ....

श्री विजय सिंह राणा–

माननीय मंत्री जी ने जो कुछ झूठ या सत्य बोला, वह अलग है, लेकिन मैंने कुछ सुझाव दिये थे, उन सुझावों पर अमल करने की कोई बात नहीं कही।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, माननीय राणा जी विद्वान व्यक्ति हैं, मैं जो कह रहा था, उसे उन्होंने धैर्य से सुन लिया होता । मैं कह रहा था कि चाहे इधर के या उधर के जो बहुमूल्य सुझाव आये, उन पर पूर्ण विचार करके हम प्रयत्न करेंगे कि लोक निर्माण विभाग के माथे पर जो कलंक का टीका पिछली सरकारों ने लगाया है, वह सदैव-सदैव के लिये धो दिया जाये । इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः पक्ष और विपक्ष के सभी मित्रों का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं और विनम्र निवेदन करता हूं कि लोक निर्माण विभाग के बजट को सर्वसम्मत से पारित करें और मैं माननीय राणा जी से अनुरोध करूंगा कि इन्होंने जो कुछ कहा है, मैंने उसको सुना और हम उसका सम्मान करते हैं, वह अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष–

राणा जी, आप प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

[समय 9 बजकर 20 मिनट]

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि गतवर्ष 567 करोड़ रुयए इस विभाग के लिए आवंटित हुआ था और इस वर्ष 595 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है, जो कि गतवर्ष से अधिक है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अगर इस 567 करोड़ रुपए में 12 प्रतिशत की मुद्रास्फीति को जोड़ दिया जाय तो तब आपका 595 करोड़ ज्यादा है या 567 करोड़ रुयए ज्यादा है ?

डा० सरजीत सिंह 5)।

डा० सरजीत सिंह– डा० सरजीत सिंह डंग

मान्यवर, एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बड़ी धनराशि खर्च करने से निकला परिणाम अपने स्थान पर है परन्तु सीमित आर्थिक संसाधनों में से कुशल प्रबन्ध व अच्छी नीतियों से परिणाम निकालना एक अलग बात है । मैं बता देना चाहता हूं कि इस बजट में जो परिव्यय रखा गया है उसका सदुपयोग हम इस तरह से करेंगे कि आपकी मुद्रास्फीति भी पीछे रह जायेगी और हां आप यह अवश्य कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के समय में लोक निर्माण विभाग ने एक नया रिकार्ड बनाया है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री राणा जी आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री विजय सिंह राणा–

मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–54 लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि को घटाकर एक रुपया कर दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 54– लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,12,08,61,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-55 लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपए कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च,1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 55-लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन ) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 23,17,34,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ )

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 56–लोक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपए कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ )

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 56–लोक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,54,98,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ )

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–57 लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ )

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 57– लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,31,54,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ )

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 58–लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 58–लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,43:25,73,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**अनुदान संख्या 40–नियोजन विभाग**

नियोजन राज्य मंत्री (श्रीमती शारदा चौहान)–

अध्यक्ष महोदय मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 40–नियोजन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनाराशि के अतिरिक्त 93,97,56,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 40–नियोजन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 93,97,56,000 रुपए के अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**अनुदान संख्या 61–वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)**

नियोजन राज्य मंत्री (श्रीमती शारदा चौहान)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 1993 को संमाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 61–वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनाराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,33,58,87,000रुपये से अनधिक स्वीकृत की जाए ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 61–वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,33,58,87,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**अनुदान संख्या 62–वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)**

नियोजन राज्य मंत्री (श्रीमती शारदा चौहान)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 62–वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,94,79,29,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 62–वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,94,79,29,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**अनुदान संख्या 63–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)**

नियोजन राज्य मंत्री (श्रीमती शारदा चौहान)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 63–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 16,64,52,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 63–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 16,64,52,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

## अनुदान संख्या 64–वित्त विभाग (राज्य लाटरी)

नियोजन राज्य मंत्री (श्रीमती शारदा चौहान)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 64–वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,16,66,67,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 64–वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,16,66,67,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

## अनुदान संख्या 65–वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)

नियोजन राज्य मंत्री (श्रीमती शारदा चौहान)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 65–वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 19,36,35,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 65–वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वरा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 19,36,35,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

## अनुदान संख्या 66–वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)

नियोजन राज्य मंत्री (श्रीमती शारदा चौहान)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 66–वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 19,72,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 66–वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के

लिये लेखानुदान द्वरा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 19,72,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**अनुदान संख्या 67–विधान परिषद् सचिवलय**

नियोजन राज्य मंत्री (श्रीमती शारदा चौहान)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 67–विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,36,02,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 67–विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,36,02,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**अनुदान संख्या 68–विधान सभा सचिवालय**

नियोजन राज्य मंत्री (श्रीमती शारदा चौहान)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 68–विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,84,18,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 68–विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,84,18,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**अनुदान संख्या 69–विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल)**

नियोजन राज्य मंत्री (श्रीमती शारदा चौहान)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 69–विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए

लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 60,83,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 69–विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 60,83,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**अनुदान संख्या 85–सार्वजनिक उद्यम विभाग**

नियोजन राज्य मंत्री (श्रीमती शारदा चौहान)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 85–सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 29,97,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 85–सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 29,97,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**अनुदान संख्या 88–संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)**

नियोजन राज्य मंत्री (श्रीमती शारदा चौहान)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 88–संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 61,76,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 38-संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 61,76,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**अनुदान संख्या 89–संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर)**

नियोजन राज्य मंत्री (श्रीमती शारदा चौहान)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 89–संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 44,93,46,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 89–संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 44,93,46,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**अनुदान संख्या 90–संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)**

नियोजन राज्य मंत्री (श्रीमती शारदा चौहान)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 90–संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,51,81,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 90–संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,51,81,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**अनुदान संख्या 91–संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)**

नियोजन राज्य मंत्री (श्रीमती शारदा चौहान)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 91–संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,86,36,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 91–संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,86,36,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**वित्तीय वर्ष 1992-93 की मांगों पर चर्चा एवं मतदान,**

**अनुदान संख्या 25–गृह विभाग (कारागार)**

**अनुदान संख्या 27–गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा), तथा**

**अनुदान संख्या 28–गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)**

कारागार एवं राजनैतिक पेंशन राज्यमंत्री (श्री उमानाथ सिंह)–

आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 25–गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 34,40,99,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(22) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वर्ष में अनुदान संख्या 27–गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 31,76,12,000 रुपये की अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(23) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 28–गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 16,94,65,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, कारागार विभाग का प्रमुख दायित्व एवं उद्देश्य अपराधियों से नागरिकों की रक्षा करना है ताकि समाज के बिगड़ी हुयी मनोवृत्ति के लोग कारागार में निरुद्ध किये जा सकें । मान्यवर, कारागार का बहुत पुराना इतिहास है । जहां भगवान कृष्ण का कारागार में जन्म होने से वह तीर्थ स्थल बन जाता है उसी प्रकार से आज का लोकतंत्र है वह भी कारागार से निकला है । महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, डा० हेडगेवार, सुभाष चन्द्र बोस, चन्द्रशेखर आजाद, भगत सिंह असंख्य ऐसे शहीद हैं जो कारागार के इतिहास से जुड़े हुये हैं ।

मान्यवर, आपात् स्थिति के कारण कारागार की स्थिति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया । अभी एक वर्ष पूर्व आप सभी अवगत हैं कि पूरा प्रदेश कारागार में परिवर्तित हो चला था जिसका परिणाम आपके सामने है । कारागार के महत्व को कम आंका जा रहा है क्योंकि कारागार पर चर्चा हो रही है और विपक्ष के लोग अनुपस्थित हैं । मान्यवर, सदन नियमों के अन्तर्गत चलाया जाता है...नियमों की परिधि में हमको बंधना पड़ता है । मान्यवर, हम सभी परिचित हैं कि बाल्यकाल से हमारे संस्कारों पर ऐसा

प्रभाव डाला जाता है, माता-पिता भी गलतियों पर दण्डित करते हैं । विद्यालय में प्रवेश लेने पर अनुशासन से बांधा जाता है हमारे उज्जवल भविष्य के लिये । जहां तक उन विद्यालयों की चर्चा चली, हमारे द्वारा पारित अध्यादेशों की चर्चा की जाय तो नकल अध्यादेश का हमारे साथियों ने विरोध किया था । उस अध्यादेश के बारे में हमने कार्यवाही की व्यवस्था की । कौन सी ऐसी परिस्थिति आयी कि नकल अध्यादेश में कारावास को जोड़ा गया । मैं मानता हूं कि छात्रों को बन्दीगृहों में डाला जा रहा है । हम मानते हैं कि शरीर को स्वस्थ बनाने की आवश्यकता पड़ती है तो दवा के द्वारा रोगों का निदान करते हैं । दवा से निदान नहीं होता तो चीड़-फाड़ भी करते हैं । हमारा उद्देश्य यह है कि कारागार के महत्व को भी कम नहीं आंका जा सकता है । राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का लम्बा जीवन कारावासों में व्यतीत हुआ था । उन्होंने वर्तमान कारागारों का स्वरूप बदल कर "सुधार गृह" करने की व्यवस्था की थी । साथ ही बन्दियों के संबंध में उनका विचार था कि "तब तक उनको निरुद्ध रखें जब तक कि सुधार न हो जाय ।" उस प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी प्रयत्नशील है और सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है आज हमारे साथी, सहयोगी, विधायक निरन्तर दबाव डालते हैं कि बन्दियों को समय से पूर्व छोड़ दें या पेरोल पर छोड दें । मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी परिस्थितियां क्यों होती हैं । इसके कारण कारावासों में बन्दियों की संख्या घटती जा रही है ।

आजादी के बाद 1951 में 60 परसेंट सिद्ध दोष बन्दी कारावासों में रहते थे, आज वे 20 परसेंट हैं । कितना घट रहा है । एक तरफ तो कहते हैं कि अपराधों में बढ़ोत्तरी हो रही है और माननीय विधायक निरन्तर इसी सदन में चर्चा करते हैं, किसी को शैडो की जरूरत है, किसी को क्षेत्र में असुरक्षा की भावना बलवती हो रही है । वे भूल जाते हैं । मैं न्यायालयों को दोषी नहीं ठहरा सकता, लेकिन न्यायालय में दण्ड की व्यवस्था इतनी असफल हो गयी है कि दण्डात्मक कार्यवाही पूरी नहीं कर पाते । राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी हो गयी है कि कहीं न कहीं अपराधियों का संरक्षण मिलता है । इसके कारण आज अपराधी कारावासों में सजा नहीं प्राप्त कर रहे हैं । मैं नहीं कहता कि कारावासों में सजा दी जाय ।लेकिन उसके माध्यम से अपराधियों पर नियंत्रण नहीं पाया जायगा 20 साल पूर्व हम विधान सभा में बैठ चुके हैं । शैडो और गनर की आवश्यकता ही नहीं होती थी । पहली बार गनर मिला या सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की गयी तो ऐसा लगा कि प्रदेश कितना अपराध की ओर बढ़ता जा रहा है । अपराधियों को संरक्षण देने के लिये मैं आलोचना नहीं करना चाहता हूं । मेरे विधायक बन्धुओं की जानकारी में है कि बड़ी संख्या ऐसे बन्दियों की है जिनको फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है, उनको समय से पूर्व ही नहीं अपितु एक वर्ष में ही छुड़ाने का प्रयास किया गया । इस तरह हजारों की संख्या में लोग छोड़ दिये गये । लेकिन मुक्त उनको करना चाहिये जो असहाय हैं, अपंग हैं, लम्बी सजा भुगत चुके हैं, हम उनको प्रोबेशन बोर्ड की संस्तुति पर छोड़ना चाहते हैं । हमने मुख्यालय पर प्रोबेशन बोर्ड का एक सेल स्थापित कर दिया है ताकि ऐसे असहाय और अपंग बंदियों को निरन्तर रिहा किया जा सके । उनकी समीक्षा करेंगे । उनका कारागार का इतिहास देखेंगे और चाहूंगा कि उनको शीघ्रता से छोड़े जहां मैंने कहा था कि प्रोबेशन बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है । इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि विगत स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो बन्दी 30 वर्ष की सजा भोग चुके हैं, ऐसे सिद्ध दोष बन्दियों को रिहा कर नया जीवन प्रदान किया गया है ।

इसी क्रम में युग पुरुष श्रद्धेय पं० दीन दयाल उपाध्यक्ष के जन्म दिवस पर बन्दियों को विशेष परिहार दिया गया । 24 जून को जब यह सरकार शपथ ली थी, तब भयमुक्त समाज की परिकल्पना की थी । उस परिकल्पना को साकार करने का श्रेय हमारे मुख्य मंत्री जी को जाता है । आप रामायण काल का अध्ययन करते हैं, जब असुरों के कारण भगवान राम को कहना पड़ा था कि "निशिचर हीन करु

महि, भुज उठाय प्रण कीन्ह ।" मान्यवर, इसको आप ध्यान से देखें कि हमें भयमुक्त समाज की चर्चा क्यों करनी पड़े । आज अपने प्रदेश में हम कहते हैं कि हमारा प्रदेश औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है । क्या इस तरफ भी हमारा ध्यान नहीं जाता है कि गाजियाबाद में लगे उद्योग ठप होते जा रहे थे भय के कारण लेकिन हमने अनेक बार पब्लिक अंडर टेकिंग कमेटी के माध्यम से अनेक लोगों को आमंत्रित किया है कि हमारे प्रदेश में आकर उद्योग लगायें । इस तरफ भी हमारा ध्यान जाना चाहिए । इस तरफ भी हम आपका ध्यान ले जाना चाहते हैं । जिन परिवारों में हत्यायें, बलात्कार हो रहे हैं, डकैतियां हो जाया करती हैं, उन पर हम चिन्तन नहीं करते हैं । जब हम अपराधियों की मदद में लग जाया करते हैं, तो वह अपनी बीती घटनाओं को दर्ज करा कर वह चाहते हैं कि शासन और न्यायालय उनके साथ न्याय दिला सके और हम चिन्ता न कर सकें, तो वह अपराधी से बदले की भावना से कुछ भी कर बैठे, इसलिए हमें चाहिए कि जहां सुविधायें देने की बात करते हैं, वहीं अपराधियों के साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए कि वह अपने को यह अनुभव करें । मनु ने कहा था कि जेल राजपथ के किनारे होनी चाहिए, जिससे सभी लोग यह देख सकें कि किस प्रकार का दण्ड दिया जाता है ।

मान्यवर, कारागार की चर्चा रात्रि में प्रारम्भ हो रही है और रात्रि में कारावासों में विषम परिस्थिति रहती है, इसलिए मैं थोड़े में अपनी बात समाप्त करता हूं । वित्तीय वर्ष 1991-92 में देवबन्द तथा महोबा में बनी हुई नवनिर्मित उप कारागारों को कार्यशील बनाया गया है । इसके अतिरिक्त 8 करोड़ रुपये की लागत से निम्नलिखित निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं जिसके अन्तर्गत गाजियाबाद, हरिद्वार तथा मऊ में नई जिला कारागारों की स्थापना होने जा रही है । इसी प्रकार मान्यवर, निरन्तर मांग हो रही है कि व्यवस्था में सुधार लायें । पांच क्षेत्रीय उपकारागार निरीक्षकों के कार्यालय भवन, जिला कारागार, मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर, उरई, एटा, फतेहगढ़, आगरा, बांदा, बिजनौर, वाराणसी, मुरादाबाद, फैजाबाद, कानपुर, झांसी एवं लखनऊ में एक-एक कुल 14 बैकों का निर्माण, 19 कारागारों में श्रेणी–1के 176 आवासों का निर्माण, पांच-पांच क्षेत्रीय उप कारागार महानिरीक्षकों के लिए आवास, जिला कारागार आगरा, अलीगढ़ एवं सुल्तानपुर में एक-एक ट्यूबवेल का निर्माण, 138 इण्डिया मार्क–2 हैण्ड पम्पों की स्थापना, 464 स्वच्छ शौचालयों का निर्माण । मान्यवर, कारावासों का निर्माण 100-150 वर्षों पहले हुआ था । वर्तमान में इसको सरकार ने ध्यान में रखकर अनेक कारावासों में नए बैरिकों का निर्माण कराने के प्रयास किये हैं । कारागार कर्मियों का लिए आवासों की समस्या बड़ी जटिल है। क्षेत्रीय उप कारागार महानिरीक्षकों के लिए आवास की व्यवस्था की जा रही है।

इस बात की निरन्तर आवश्यकता महसूस की गयी कि कारागारों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी, पुरानी परम्परा के अनुसार पुर से पानी निकालने की व्यवस्था थी । इस बात को हम सभी लोग जानते हैं । वर्तमान सरकार द्वारा इस पुरानी परम्परा को समाप्त करके इण्डिया मार्क–2 के हैण्ड पम्प लगाने की व्यवस्था की जा रही है । इस प्रकार से पानी की समस्या हल हो जायेगी । इसके अतिरिक्त वहां पर शौचालयों की स्थिति बड़ी खराब रहती है, उनमें भी हम सुधार करने जा रहे हैं । मान्यवर, महात्मा गांधी जी की कल्पना थी, कि जब कोई बन्दी जेल से बाहर निकले तो वह सुधर कर निकले ।

मान्यवर, जेलों में लोग बन्दियों से मिलाई करने के लिये जाते हैं, ऐसा देखा गया है कि जो लोग मिलाई के लिये जाते हैं, उनके पास अस्त्र पाये गये हैं, इसलिये हम हर जेलों में मेटल डिटेक्टर की व्यवस्था करने जा रहे हैं इसी प्रकार से हम जेलों में इमरजेन्सी लाइट की भी व्यवस्था बैरकों में करने जा रहे हैं इसी प्रकार से हम जेलों में एनाउसिंग की भी व्यवस्था करने जा रहे हैं और साथ ही साथ जेलों में

टैलेक्स की भी व्यवस्था करना चाहते हैं, जिससे एक जेल से दूसरी जेल तक सूचना आसानी से पहुंचायी जा सके । इसके अतिरिक्त मान्यवर, हम इन्टरकाम की भी व्यवस्था करने जा रहे हैं और जो सम्वेदनशील जेलें हैं, वहां पर मोटर साइकिल आदि का क्रय करना चाहते हैं । इस प्रकार से हम काफी सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं ।

मान्यवर, अब हम उद्योग की बात कहना चाहते हैं । अभी तक जेलों में दरियां और चटाइयां ही बनायी जाती थीं लेकिन अब हम यह प्रयास कर रहे हैं कि विभिन्न उद्यमों, लघु कुटीर उद्योगों, कृषि पर आधारित उद्योगों आदि में व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने की सुनियोजित योजनायें चालू की जायं । सभी कारागारों में लोहारगीरी, बढ़ईगीरी, विद्युत वायरिंग, प्लम्बरिंग राज मिस्त्री, सिलाई, कढ़ाई, सायकिल मरम्मत पम्प मैकेनिक दफ्तरी का कार्य जूते चप्पल बनाने के कार्य में व्यवहारिक प्रशिक्षण की योजना है । इसके अतिरिक्त केन्द्रीय कारागारों में फेब्रीकेशन, पीतल के बर्तन में वेल्डिंग तथा नाम की खुदाई आदि में व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा । अब मान्यवर, माडल जेल लखनऊ के बारे में कहना चाहता हूं । माडल जेल लखनऊ की व्यवस्था यह है कि यहां अनेक बैरकें ऐसी हैं जिनके नामकरण भी बड़े प्रभावी हैं उसमें मान्यवर, आगवानी भवन भी है, यमुना भवन भी है, गंगा भवन भी है, कृषि फार्म के लिये भी भवन बनाया गया है । मान्यवर, मैं सिर्फ दो बातों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं एक तो माडल जेल के बन्दी बिना किसी रोकटोक के वहां उत्पादित सब्जियों को लेकर लखनऊ बाजार में आया करते हैं और शाम को लौट जाया करते हैं । वहां के बन्दी बैण्ड बजाकर अनेक अवसरों पर आकर चले जाया करते हैं । उत्तर प्रदेश सहकारी खेती के माध्यम से सम्वासियों को काम मिलता है । मान्यवर, वह बन्दी सभी अपना जीवन बनाने के लिये प्रयत्नशील हैं । इन बन्दियों के अन्दर वहां रहते-रहते धार्मिक भावना भी जग जाया करती है क्योंकि उनके मन में अपने किये की पीड़ा रहती है । उनकी धार्मिक आस्था को देखते हुए हमारा प्रयास है कि उनको धार्मिक पुस्तकें मिलें । इसके साथ ही साथ टी० वी० की व्यवस्था भी की गयी है, समय-समय पर धार्मिक चित्रों के माध्यम से उनका मार्गदर्शन करना चाहते हैं और ऐसे कुछ सन्त महात्माओं को कारावासों में भेजकर उनके उपदेश देने की व्यवस्था बना रहे हैं । जिससे उनके जीवन में कुछ सुधार हो सके । प्रदेश की कारागारों में हो रहे औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा विभाग को यह निर्देश दिये गये हैं कि जेलों में उत्पादित होने वाली वस्तुओं का क्रय कारागार विभाग से किया जाय ।

मान्यवर, हमारे पास होमगाईस विभाग भी है । यह एक स्वयं सेवी संस्था है जिसकी आधारशिला निष्काम सेवा तथा राष्ट्र प्रेम पर आधारित है । इस विभाग के अधिकांश सदस्य ग्रामीण अंचलों से आते हैं और प्रत्येक वर्ग एवं सम्प्रदाय के नागरिक इस संस्था में सक्रिय योगदान देते हैं । ग्रामीण अंचल में ब्लाक स्तर पर एक कम्पनी स्वीकृत है जबकि नगरीय क्षेत्र में 25,000 आबादी पर एक-एक होमगाईस कम्पनी का सृजन किया गया है । इस प्रकार से सम्पूर्ण प्रदेश में 807 ग्रामीण एवं 358 नगरीय कम्पनियां शासन द्वारा स्वीकृत की गयी हैं । मई जून, 1991 तक कुल होमगाईस की संख्या एक लाख ग्यारह हजार पांच सौ सत्ताइस थी इस होमगाईस की स्थापना चीन युद्ध के समय सन् 1962 में हुई थी ।

मान्यवर, आज आतंकवादियों से जूझने के लिये, अपराधियों से जूझने के लिये पुलिस के साथ यह सहयोग कर रहे हैं विधान सभा के परिसर में भी यह लगे हुए हैं । कल की ही घटना को देखें जो उधर से पर्चा विपक्ष की साजिश से फेंका जा रहा था उसको तुरन्त उस महिला समाज सेविका ने पकड़ लिया और बड़ी ही बधाई का कार्य किया था ।

मान्यवर, नागरिक सुरक्षा भी ठीक होमगार्ड जैसी ही स्वयं सेवी संस्था है पूरे प्रदेश में 20 स्थानों पर यह योजना चलाई जा रही है । 2 नगरों में यह योजना राज्य सरकार अपने ही संसाधनों से चला रही है। इन जिलों को मैं नहीं बताना चाहता हूं क्योंकि इससे समय जाया होगा । इसमें ऐसे लोग सम्मानित और प्रतिष्ठित लोग शामिल हैं जो नागरिक संगठन और सुरक्षा संगठन के माध्यम से समाज की सेवा करना चाहते हैं उन्होंने बड़ा सराहनीय कार्य किया है अभी जब मैं चर्चा कर रहा था तो मैंने सरदार पटेल, महात्मा गांधी और अनेक लोगों की चर्चा कर डाली । राजनीतिक पेन्शन का महत्वपूर्ण और पवित्र कार्य मुझे मिला हुआ है । आज प्रदेश में 15-16 हजार लोग स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी लेने वाले बुजुर्ग पेंशन प्राप्त कर रहे हैं । उनके आश्रितों की संख्या भी 3-4 हजार है । चिकित्सा अनुदान के लिये भी जितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं, उनको अनुदान दिया जाता है । स्वतंत्रता संग्राम में शहीद होने वाले सेनानियों के लिये कई स्मारकों का निर्माण कराया जा रहा है । इस पर पूर्व में बहुत ध्यान दिया जाना चाहिये था । पाण्डेय जी ने एक संकल्प इसी विधान सभा में प्रस्तुत किया था एक स्थान के सम्बन्ध में, जहां पर कि 36 लोगों ने अपने को शहीद कराया था । प्रदेश में बहुत से ऐसे स्थान हैं । पूर्वांचल में श्री मंगल पाण्डेय, कुंवर सिंह, चन्द्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल की प्रतिमा अभी तक नहीं लग पायी । इस सम्बन्ध में आप सभी से सुझाव चाहूंगा । वैसे तो कोई मेरे विभाग से कुछ मांगेगा नहीं क्योंकि यह कारागार विभाग है, लेकिन शहीद स्थल के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि ऐसे स्थल बताये जायं जहां 5 से अधिक लोगों को शहीद होना पड़ा था। जौनपुर जनपद में धनिया मऊ में शहीद स्थल है, अलीगढ़ में रानी अवन्ती बाई का शहीद स्थल है, यहां के लिये 2 लाख 14 हजार रु० दिया है, इसी प्रकार मिर्जापुर में शहीद स्थल है.....

(माइक पर आवाज न आने से व्यवधान)

धानापुर बनारस जिले का ऐसा स्थल है, जहां पूरे स्थल को शहीद गांव के रूप में जाना जाता है । उस गांव के आसपास के लोग बड़ी संख्या में शहीद हुए थे । यहां के लिये 6 लाख 24 हजार रु० दिया है । गणेश शंकर विद्यार्थी का स्थल कानपुर में है, वहां पर शहीद स्मारक के निर्माण की व्यवस्था की गयी है । चन्द्रशेखर आजाद को भी अंग्रेजों की सरकार ने 15 दिनों के लिये निरुद्ध कर दिया था । इनकी प्रतिमा वाराणसी केन्द्रीय कारागार के सामने बनायी जायगी । इसके लिये एक लाख 20 हजार रुपया आवंटित है । लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा की स्थापना की भी जनपद वाराणसी में हरिश्चन्द्र कालेज में व्यवस्था की जा रही है । राजर्षि पुरूषोत्तम दास टण्डन को भी कारावास दिया गया था वहां भी प्रतिमा लगाई जायेगी चन्द्रशेखर आजाद की शहीद स्थली भी इलाहाबाद में है । उसको भी तीर्थ स्थल के रूप में प्रतिष्ठित करने चाहते हैं । मैं समझता हूं कि हमारे सभी माननीय सदस्य इसमें साथ देंगे और बिना कटौती के इस प्रस्ताव को पारित करते हुए सर्वसम्मति से हमारा समर्थन करेंगे । उनके जो सुझाव होंगे उन सुझावों को मैं समायोजित करने का प्रयास करुंगा ।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मद संख्या 19 पर चर्चा लगी हुई है, मैंने एक पत्र लिखकर आपको भेजा है । माननीय सिंचाई मंत्री से बात हुई थी, उसको स्थगित कर दें ।

श्री अध्यक्ष–

राणा जी, ऐसा है जब मद आ जायेगी तब उस मद को पुकारेंगे नहीं तो फिर कोरम की समस्या आ जायेगी । आप पाण्डेय जी से अनुरोध कर लें कि कटौती का प्रस्ताव संक्षेप में प्रस्तुत कर लें ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, इनके होमगार्ड तो सूखे पतले दिखाई पड़ते हैं यह उन्हें अपनी तरह बना दें तो हम कटौती की बात ही न करें ।

श्री अध्यक्ष–

राणा जी, आपकी सूचना के लिये मैंने उसको स्थगित कर दिया है ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 25–गृह विभाग (कारागार) के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 27–गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 28–गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है । मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी का भाषण बड़े ध्यान से सुना ।

मान्यवर, अब देखें 10 बजकर 10 मिनट पर इस पर मौका मिला अब इस पर ज्यादा क्या कहें, संक्षेप में सुझाव ही दूंगा । मान्यवर, जो पुस्तिका बंटी है उसमे 90-91, 91-92, 92-93 देखें केवल एक ही प्रस्तावना इस पर है, कारागारों का प्रमुख उद्देश्य अपराधियों से समाज की सुरक्षा करना तथा अपराधियों की मानसिकता एवं मनोवृत्ति में समाज की आवश्यकता के अनुकूल सुधार लाना और उन्हें पुनर्वासन के लिये तैयार कर उन्हें समाज की मुख्य सामाजिक धारा से जोड़ना है । यह इन तीन वर्षों की पुस्तिका में पढ़ा है जब पढ़ा तो लगा कि क्या सुधार करेंगे मूलरूप में जो पुस्तक थी उसी को रख दिया । 1989-90 में कारागार में 23 करोड़ 37 लाख 82 हजार का परिव्यय था श्रीमन्, 1990-91 में 21 करोड़ 12 लाख 74 हजार का परिव्यय था 1991-92 में 34 करोड़ 40 लाख 99 हजार का परिव्यय वही परिव्यय 92-93 में 34 करोड़ 40 लाख 99 हजार का है । वही परिव्यय रखा है तो आप समझें कि कितना सुधार आप कर पायेंगे । पूरे को 5 परिशिष्टों में बांटा है । आगरा, मेरठ, कानपुर, फैजाबाद और गोरखपुर इन पांच खण्डों में इसे बांटा गया है । मेरा आपसे सुझाव है कि इसे मण्डलवाइज कर दें तो इसमें कुछ सुधार हो सकता है । दूसरा प्वाइन्ट यह है कि जो जेल का मैनुअल है वह 1894 में बना था, अंग्रेजों का बनवाया हुआ है और आज भी आजाद हिन्दुस्तान में वह काम कर रहा है ।

मैं यह नहीं कहता कि दस महीनों में इसे क्यों नहीं बदल दिया गया लेकिन यह कहना चाहता हूं कि जितनी भी सरकारें आयीं उन्होंने उस मैनुअल को नहीं बदला और उसे चलने दिया तो इसमें कुछ

सुधार की आवश्यकता है और इस सुझाव के लिये 1993 में एक मुल्ला समिति भारत सरकार ने बनायी थी उसी परिप्रेक्ष्य में एक समिति 1986 में कपूर समिति के नाम से बनी थी इन दोनों समितियों को अगर आप देखें और उसमे जो सुझाव दिये हैं अगर उसे आप देखें और उसका अनुपालन करें तो इसमें कुछ सुधार हो सकता है । सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो बातें आयीं वह यह है कि 1979,80,81 में यह तीन चार वर्षों में वहां के कर्मचारियों और अधिकारियों ने आंदोलन किया । उसका मुख्य कारण यह था कि मुल्ला समिति ने जो सुझाव दिये थे कि जो जेल के पुलिस कर्मी हैं जो अधिकारी हैं उनका वेतन अन्य जो पुलिस कर्मी हैं उनके बराबर मिलना चाहिए जबकि वह नहीं मिल रहा है। दूसरा यह था कि पुलिस कर्मियों की तरह प्रशासनिक और अन्य स्टाफ की तरह उन्हें भी आवास की सुविधा मिलनी चाहिए । तीसरा जो था वह यह था कि नगर से दूर जो भी कारागार हैं और जिसमें कार्यरत कर्मचारियों के बच्चे पढ़ने के लिये शहर जाते हैं तो उनके लिये बस की व्यवस्था करनी चाहिए चौथा यह था कि जो राजपत्रित अधिकारी हैं उनको उसी के बराबर समान वर्दी और मेन्टीनेंस की व्यवस्था की जाये तो कहने का अर्थ यह हुआ कि अगर मुल्ला कमेटी और कपूर कमेटी को देख लें और उसे लागू कर दें तो कुछ सुधार हो सकता है । श्रीमन्, अभी हमारे माननीय वित्त मंत्री जी चले गये । मैंने नियम-56 के अंतर्गत नोटिस दी थी कि शिक्षा विभाग पर और जिसे इन्होंने संज्ञेय अपराध घोषित किया है । राजस्थान में आपकी सरकार है आप वहां से पूछ लीजिये मैं उनको सुनाता । आपकी पार्टी की सरकार राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश, राजस्थान में पुलिस कर्मियों तथा जेल के पुलिसकर्मियों का वेतन बराबर है, अगर आप अपनी पार्टी की सरकारों का ही अनुश्रवण कर लें तो भी समस्या का समाधान हो जायेगा । मान्यवर, हरियाणा मे काग्रेंस पार्टी की सरकार है, वहां पर कारागार के पुलिसकर्मियों की तनख्वाह पुलिमकर्मियों की तनख्वाह से ज्यादा है, इसलिये मैं चाहूंगा कि आप हरियाणा को ही दिखवा लें और कारागार मंत्री जी कम से कम आप हरियाणा के बराबर ही यहां पर कर दीजिये, इसी वजह से कारागार कर्मी आन्दोलित हुये हैं । तीसरा सुझाव देना चाहता हूं आप देखें कि सरकार ने तिहाड़ जेल कर्मियों को केन्द्र के समान वेतनमान देना 6 जनवरी, 1991 से स्वीकार कर लिया । सब एक ही वर्ग के लोग हैं, चाहे वह तिहाड़ जेल में हो या लखनऊ की किसी जेल में, उनको सबको बराबर वेतन दिया जाना चाहिये ।

श्रीमन्, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जेलों में अपराधियों की दशा में विशेष सुधार होना चाहिये । हमने देखा है कि लड़कों, लड़कियों को, बच्चों को एक साथ जेल में ठूंस कर रखना ठीक नहीं है, इससे आप इनको बड़े कत्ली अपराधियों के साथ रखकर अपराधी बना रहे हैं, इन्हीं जेलों में नौनिहाल बच्चों को डाल देगें तो उनका सुधार कैसे होगा ? मान्यवर, जेल का मतलब यह भी होता है कि हम अपराधियों में सुधार करके समाज लायक बनाये । मान्यवर, आपने इसे स्वीकार किया और मेरा स्पष्ट मत है कि कारागारों में अपराधियों के लिये वर्गीकरण होना चाहिए । राज़नीतिक लोगों के लिये अलग, बच्चों के लिये अलग, महिलाओं के लिये अलग और संज्ञेय अपराध वालों के लिये अलग तथा विचाराधीन कैदियों के लिये अलग । यदि आप इस तरह की व्यवस्था नहीं करेंगे तो छोटे बच्चे अपराधियों के पास बैठकर अपराधी बनकर ही निकलेंगे, उनका कहां से सुधार होगा ? इसलिये मेरा विचार है कि आप जेलों में वर्गीकरण की व्यवस्था करें । मान्यवर, आप पूरे प्रदेश की स्थिति को देखें । यहां प्रमाणित दोषी अपराधियों की संख्या 6,469 और विचाराधीन अपराधियों की संख्या 18,943 थी यही संख्या वर्ष 91 में सिद्धदोषियों की 5,534 और विचाराधीन कैदियों की 22,170 हो गयी । इस संबंध में मेरा स्पष्ट मत है कि विचाराधीन अपराधियों को जबरदस्ती जेलों में झूठे आरोपों में बंद करके और अपराधी बनाने का काम किया जाता है और अदालतों में इतना भार है, जिसकी वजह से जो

विचाराधीन अपराधी हैं, उनकी समस्याओं का हल नहीं हो पाता है। मेरा सुझाव है कि अलग से लोक अदालतों का गठन करके जल्दी उनके मामलों को निपटारा कराया जाय, इससे बहुत सी समस्यायें हल हो जायेंगी । श्रीमन् मैं आपका बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा ....

[ समय 10 बजकर 20 मिनट ]

श्री श्याद अली—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जिन लोगों को कैद कर रखा है, वे सो रहे हैं, कृपया पानी मंगाकर उनका मुंह धुलवा दें ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, हमारे कारागारों में उद्योगों की व्यवस्थायें हैं, जिसमें रचनात्मक कार्यों में लगाकर अपराधियों को सामाजिक बनाया जाता है । वाराणसी में पीतल का उद्योग है, नैनी में कंबल का उद्योग है, फतेहगढ़ में और अन्य जेलों में इस तरह के कई उद्योग हैं लेकिन श्रीमन्, आप देखें कि 1987 में 339.19 लाख रुपये का इन्हें लाभ हुआ इन उद्योगों से 1988 में 372.65 लाख रुपये, 1989 में 459.60 लाख रुपये, 1990 में 290.69 लाख रुपये तथा 1991 में 264.71 लाख रुपये इन्हें इन उद्योगों से लाभ हुआ । 1987 से 1991 तक निरन्तर लाभ घटा है । इसलिए मेरा सुझाव है कि आप यहां पर उद्योगों को लगावें और जो उत्पादन में कमी आ गयी है, उसे बढ़ायें । दो रुपये से लेकर चार रुपये तक वहां के मजदूरों को आप पारिश्रमिक देते हैं । इससे सस्ता मजदूर कहीं और आपको नहीं मिलेगा । यदि यह सही है तो आप उनसे काम लीजिए और उत्पादन को बढ़ाइये ।

श्रीमन्, पिछले वर्ष इन्होंने कृषि से 62,62,625.00 लाख रुपये की आय की और इस पर इन्होंने व्यय किया 38,28,000.00 लाख रुपये । इस प्रकार इन्हें 24,34,625.00 लाख रुपये का लाभ हुआ । परन्तु इसके रख-रखाव पर कोई खर्च नहीं होता है । अधिकारी लोग उसे मिलकर खा जाते हैं । इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप इसके उत्पादन को भी बढ़ावें । आपने एक बात और कही कि 70 वर्ष से कम या उससे अधिक उम्र के जो लोग कारागारों में बन्द हैं, उन्हें छोड़ दिया जायेगा । 1990-91 में इन्होंने 32 लोगों को छोड़ा । मान्यवर, सब जानते हैं कि जिला स्तर पर एक एडवाइजरी बोर्ड बना हुआ है, जो अपनी संस्तुति शासन को देता है । जिन 32 लोगों को इन्होंने छोड़ा, उनमें से 18 लोगों का जिला प्रशासन ने विरोध किया, 8 के बारे में उन्होंने संस्तुति दी और 6 के बारे में अनापत्ति जाहिर की । सचिव स्तर पर 32 में से 26 लोगों का विरोध किया गया, तीन के बारे में उन्होंने संस्तुति दी। फिर भी आपने 32 लोगों को छोड़ दिया । कोई आदमी गया और उसके दबाव में आकर आपने उसके आदमी को छोड़ दिया ।

श्रीमन्, अब कारागार के आधुनिकीकरण की बात है । 1991 में केन्द्र सरकार ने 96.25 लाख रुपये केन्द्रीय अंशदान के रूप में दिया है । श्रीमन्, 50 प्रतिशत मैचिंग ग्रांट की व्यवस्था भारत सरकार ने कर दी है और अपना अंशदान दे दिया है । श्रीमन्, बन्दी गृहों में शौचालयों की बड़ी खराब दशा है अब भी वहां शौचालयों की पुरानी व्यवस्था चल रही है और पाखाना उठाया जाता है । हमारे वित्त मंत्री जी ने देखा होगा, वह कई बार जेल गये होंगे। तो श्रीमन्, दो तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनका होना अति आवश्यक है उसमें शौचालय, पानी की व्यवस्था आवश्यक है । (व्यवधान) आप चाय की व्यवस्था कर दें बजट तो पास हो ही जायेगा ।

श्री रवीन्द्र प्रताप–

इनको घर में कोई पूछने वाला नहीं है। साढ़े दस बज रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

जब कारागार पर चर्चा करेंगे तो कौन पूछेगा ? (व्यवधान) जरा संक्षेप करें।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

मैं संक्षेप कर रहा हूं। 15 मिनट बैठ लें। जेलों में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार खाद्य सामग्री में है।.भोजन जो दिया जाता है उसके बारे में संयोग से मैंने मंत्री जी से पूछा वहां अधिकारी बैठे हुए थे तो मुझे बताया गया दवा और भोजन को मिलाकर एक कैदी पर 7 रुपये 10 पैसा खर्च आता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं आज के जमाने में 7 रुपया 10 पैसे में क्या चीज आती है उसमें क्या भोजन व्यवस्था होगी और उसमें भी भ्रष्टाचार होगा आप जो यहां नाश्ता देते हैं उसमें मैं समझता हूं कम से कम 20रु० खर्च आता होगा (व्यवधान) एक चीज कह कर खतम करता हूं हमारे चाचा जी जागेश्वर जी चले गये फतेहपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी विजय शंकर पाण्डे के पास शिकायत गयी थी उन्होंने जेल का निरीक्षण किया था 24 अक्तूबर, 91 को उन्होंने सीधा आरोप लगाया था कि खाद्य सामग्री में भ्रष्टाचार होता है। अपनी रिपोर्ट उन्होंने शासन को भेज दी है लेकिन उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। मान्यवर, इनकी सरकार थी, वह दूसरी सरकार नहीं थी। इस पर अभी तक कोई रिपोर्ट शासन को नहीं भेजी है। 1985–90 में रख-रखाव के लिए 80 लाख रुपये का परिव्यय रखा गया था इसमें 528 लाख रुपये खर्च हुए थे। आठवीं पंचवर्षीय योजना में इसके लिए कोई परिव्यय की व्यवस्था नहीं है। एक बात और कहना चाहता हूं सेवाकाल में मृत लोगों के लिए जी० ओ० है कि उनके आश्रितों को नौकरी दी जायेगी योग्यता के आधार पर। मान्यवर, जब कोई पुलिस अधिकारी राजपत्रित अधिकारी की सेवा काल में मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रितों को पुलिस इन्स्पेक्टर बना दिया जाता है और कारागार के पुलिस अधिकारी की यदि मृत्यु हो जाती है सेवाकाल में तो उसके आश्रित को योग्यता के आधार पर भी लिपिक ही बनाया जाता है, टाइपिस्ट बनाया जाता है। मान्यवर, यह विसंगति है, इस पर भी आप ध्यान दें। मान्यवर, होमगार्ड के लिए 9-12-80 में तत्कालीन मुख्य मंत्री ने आदेश दिया था कि कोई होमगार्ड अपने सेवाकाल में मर जाता है तो उसको राज्य कर्मचारी के बराबर पेंशन और ग्रेच्युटी दी जायेगी वर्तमान में जो मुख्य मंत्री हैं, श्रीमन्, उन्होंने भी श्रीमन् परेड ग्राउण्ड में यह घोषणा की थी कि मुठभेड़ में मारे गये होमगार्ड के कर्मचारियों को अनुदान के रूप में एक लाख रुपया दिया जायेगा। श्रीमन्, अभी मुरादाबाद में 10 अक्टूबर, 1991 को एक होमगार्ड जवान और चार पुलिस कर्मचारी मारे गये थे। पुलिस कर्मचारियों के साथ-साथ मृत होमगार्डस के जवान आश्रितों को एक-लाख रूपया व नौकरी देने की बात कही गयी थी परन्तु मान्यवर, पुलिस कर्मचारियों के आश्रितों को तो यह एक लाख रुपये की धनराशि मिल गयी और उनके आश्रितों को नौकरी भी मिल गयी परन्तु इस होम गार्ड के परिवारजनों को न तो एक लाख रुपये की धनराशि ही मिली न ही किसी आश्रित को नौकरी मिली। श्रीमन्, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि भत्ते के रूप में 25 रुपये आप देते हैं।

(व्यवधान)

मान्यवर, गांव में जो मजदूर हैं उन्हें भी 35-40 रुपये से कम नहीं मिलता है और श्रीमन्, आप होम गाडर्स को जो ड्यूटी करता है उसे 25 रुपये देते हैं। आपकी ही सरकार मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है। वित्त मंत्री जी अभी नहीं थे, मैंने अभी कहा था कि मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है वहां कितना

रुपया मिलता है ? आप मंगवा कर दिखवा लें । वहां 34 रुपये मिलता है । आप दे रहे हैं 25 रुपया । श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि इस राशि को बढ़ाकर 35 रुपये कर दिया जाय । होम गाड्स पहले बाहर ड्यूटी पर जाते थे तो उन्हें 7.50 रुपये अलग से भत्ता दिया जाता था । अब वह भी नहीं मिलता है । मैं चाहता हूं कि इसको बढ़ा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

अन्तिम बात कह रहा हूं बाकी सब छोड़ दिया है । मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संकल्प भी लाया । मुझे स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों से बड़ा प्रेम है । जिसने हिन्दुस्तान को आजाद कराया, आजादी की लड़ाई लड़ी, उसी का परिणाम है कि आज वित्त मंत्री जी यहां बैठे हैं और आप वहां विराजमान हैं यह सदन उन्हीं के त्याग और बलिदान से बना है । मान्यवर, आपने हिन्दुस्तान का इतिहास देखा होगा । एक तरफ बन्दूक और असलहे से लैस लोग थे दूसरी तरफ निहत्थे लोग थे, निहत्थे लोगों ने देश को आजाद कराया । और यह भाजपा की सरकार है उन लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही है । मैं वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि पूर्व मुख्य मंत्री जी को मैं बधाई देता हूं कि 401 रुपया पेंशन उत्तर प्रदेश सरकार देती थी उन्होंने इस सदन में उनको 500 रुपये पेंशन देने की घोषणा की थी । आपने वित्त मंत्री जी की हैसियत से बजट पेश किया यहां आपने 50 रुपया या 10 रुपया भी बढ़ा दिया होता तो आप धन्यवाद के पात्र होते । मैं मुलायम सिंह यादव पूर्व मुख्य मंत्री जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने 90 रुपये बढ़ाये । कारागार मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप भी कुछ रुपये बढ़ा दें । मान्यवर, आप जो स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को जो देते हैं यह एक बटा चार स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को मिल पाता है । अगर एक बटा चार अनुदान मिलता है तो सौ बटा चार में एक करोड़ बीस लाख रुपया आपने अनुदान के रूप में खर्च किया तो इस एक करोड़ बीस लाख को आप हर स्वतन्त्रता संग्राम को पेंशन में डाल दें तो कम से कम 50 रुपया हर स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी को मिल जाएगा, 100 रुपया देंगे तो 80 लाख रुपया और देना पड़ेगा ।

(व्यवधान)

20 लाख रुपया देकर 100 रुपये वेतन बढ़ा दें । इससे स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों का मनोबल बढ़ेगा । इन्दिरा गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मान दिया था । लेकिन भाजपा सरकार ने कुछ नहीं किया है । पिछली सरकार ने 3 लाख 6 हजार रुपया दिया है । मान्यवर, इसी तरह से मैं मधुवन स्मारक के लिए कई बार संकल्प लाया लेकिन इसमें कुछ कार्य नहीं हुआ, तो इस पर भी आप विचार करें ।

(व्यवधान)

मेरा दुर्भाग्य है मैं दो घण्टे बोलता लेकिन समय नहीं है मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

समय को देखते हुए बहुत ही कम शब्दों में अपने विचार रखें ।

श्री लाजकृष्ण गांधी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं आपने मुझे बोलने का समय दिया मान्यवर, कारागार मंत्री जी से जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं जघन्य अपराधों के लिए आजीवन कारावास से दण्डित बन्दियों की समय पूर्व रिहाई के संबंध में पूर्व प्रचलित अव्यवस्था एवं पक्षपातपूर्ण रवैया के स्थान पर एक निश्चित एवं संयत नीति जो बनाई गई है उसके लिए मैं इन्हें बधाई देता हूं । मान्यवर, 1990 में तत्कालीन सरकार ने 740 तथा 1-1-91 से 15-5-91 तक 357 बन्दियों को पैरोल दिया । इसके अतिरिक्त सत्ता में आते-आते दिसम्बर 89 तथा जाते-जाते जून, 91 में भी बन्दियों को पैरोल दिया । इनमें कई ऐसे खूंखार अपराधी हैं जिन पर हत्या और अपरहण के एक साथ कई-कई मुकदमें हैं ।

मान्यवर, पन्द्रह वर्ष से कार्यरत परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षकों के कार्यालय और आवासों के लिए पहली बार व्यवस्था की गयी है । इसके लिए माननीय मंत्री जी बधाई के पात्र हैं । भारत सरकार की आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत वर्ष 1991-92 में पूर्व में किसी वर्ष में स्वीकृत धनराशि की अपेक्षा सबसे अधिक धनराशि (लगभग 6 करोड़ रुपये) की स्वीकृत प्रदान की गयी है । जिसके लिए मंत्री जी बधाई के पात्र हैं । मान्यवर, 1966 में एक महीने मुझे पंजाब में जेल में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है । मेरा निवेदन है कि जेलों में जो बन्दी हैं उनके लिए जो मंत्री जी कुटीर उद्योग धन्धों की योजना चलाई है ताकि वह अपना जीवन यापन कर सकें यह योजना अत्यन्त उत्तम है इसके लिए मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप अपना भाषण समाप्त करें ।

श्री लाजकृष्ण गांधी–

इसी के साथ मैं कारागार मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसका समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री भगवती सिंह विशारद–

अध्यक्ष महोदय, माननीय कारागार मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसके संबंध में कुछ बातों को कहने के लिए मैं खड़ा हूं । माननीय मंत्री जी की सौम्यता से मैं भली-भांति परिचित हूं । अभी कारागार का मूल्यांकन करते समय मंत्री जी ने हम लोगों के भविष्य की बड़ी चिन्ता की, मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि वह जा रहे हैं, हम आ रहे हैं । मान्यवर, वह मूल्यांकन कुछ भी हो लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं, खासतौर से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में । मान्यवर, शहीदों का पुण्य स्मरण करते हुए माननीय कारागार मंत्री जी ने कुछ स्थानों पर शहीद स्मारक बनाने की घोषणा की है मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं । जो स्मारक पहले से निर्माणाधीन हैं उसके लिए धनराशि न प्राप्त होने के कारण जिस स्थिति में पहले थे उसी स्थिति में पड़े हैं । उनके निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है । हमारे उन्नाव जनपद में अमर शहीद राव राम बख्श सिंह के बलिदान स्थल पर जो स्मारक बन रहा है उसके लिए 3-4 वर्ष पहले एक लाख रुपये का अनुदान दिया गया था । जिस कार्य के लिए वह अनुदान दिया गया था वह अभी तक पूरा नहीं हो सका है, सारा धन व्यय हो चुका है । मेरा अनुरोध है कि अमर शहीद राव राम बख्श सिंह के स्मारक के लिए धन देने की कृपा करें । मान्यवर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की यह पीढ़ी धीरे-धीरे समाप्त हो रही है । इनमें से ज्यादातर लोग वृद्ध हैं और अधिकांश लोग बीमार रहते हैं, चारपाई पर पड़े रहते हैं । उनकी दवा दारु की नितान्त आवश्यकता है । उनके प्रार्थना पत्र जो आते हैं उनका निस्तारण होने में समय लगता है। मैं माननीय राज्य पेंशन मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि ऐसे प्रार्थना पत्रों का जितनी शीघ्रता से निस्तारण हो सके उसके सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करे ।

एक अधिकार माननीय राज्य पेंशन मंत्री जी को प्राप्त है । स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों की जो नियमावली है, उसमें नियम 12 में यह अधिकार प्राप्त है कि बिना जेल यात्रा गये हुए लेकिन स्वतंत्रता संग्राम में जिस व्यक्ति ने अत्यधिक योगदान किया है, उसे भी पेंशन प्रदान कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक बन्धन लगाया गया जिसके कारण ये निर्णय करने में सदैव असमर्थ रहते हैं क्योंकि जब वित्त विभाग कोई स्वीकृति प्रदान करेगा तभी पेंशन दी जा सकती है । माननीय कारागार मंत्री जी का निर्णय वित्त

विभाग पलट देता है, स्वीकृति नहीं देता है । हमारा अनुरोध है कि उस नियमावली में कुछ संशोधन किया जाय जिसमें माननीय मंत्री जी अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकें । वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की सरकार में उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से 500 रूपया पेंशन अनुदान दिया जाता है । मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन है कि जैसा कि जीवन यापन का व्यय बढ़ता जा रहा है, उसी हिसाब से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पेंशन में बढ़ोत्तरी होने की आवश्यकता है और मुझे विश्वास है कि माननीय कारागार मंत्री जी और इस समय वित्त मंत्री जी स्वयं उपस्थित हैं, इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे और यदि इसमें कुछ बढ़ोत्तरी कर सकें तो समझूंगा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं । मुझे विश्वास है कि मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे ।

श्रीमती उर्मिला राजपूत–

मान्यवर, आपने मुझे कारागार बजट पर बोलने का मौका दिया, मैं आपकी आभारी हूं । मान्यवर, भा०ज०पा० सरकार के भयमुक्त समाज के नारे की हमारे विपक्ष के सार्थकता का ही परिणाम है कि मा० सदस्यों को कारागारों की चिन्ता नहीं है, मैं समझती हूं कि इसी वजह से इस बजट की चर्चा में अधिकांश विपक्षी सदस्य अनुपस्थित हैं । हमारे माननीय कारागार मंत्री जी ने जब बजट पेश किया, मैं देख रही थी कि हमारे माननीय सदस्य अमरेश पाण्डेय जी अपना भाषण रट रहे थे उन्होंने अभी अपने भाषण में कहा कि कारागार मंत्री जी आप जेल कर्मियों के आवास और परिवहन की व्यवथा पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि माननीय मंत्री जी बोल रहे थे तो सबसे पहले जेल कर्मियों के आवास की व्यवस्था और संवेदनशील कारागारों में परिवहन की व्यवस्था की बात कही थी । मैं बन्दियों के सुधार तथा पुनरुत्थान के लिए पीने के पानी और शौचालयों की उचित व्यवस्था की गयी है । तमाम उद्योग धन्धों की व्यवस्था और रोजमर्रा की जीवन उपयोगी वस्तुओं के निर्माण की व्यवस्था की गयी है । 14 बैरकों का अतिरिक्त निर्माण और बन्दियों के अवमुक्त होने के बाद समाज में उचित स्थान दिलाने के लिए व्यवस्था, जेलों का आधुनिकीकृत तथा सुरक्षा की दृष्टि से मेटल डिटेक्टर इमरजेंसी लाइट, इन्टरकाम, टैलेक्स की व्यवस्था और तमाम सारे ठोस कदम उठाये गये हैं । लेकिन मैं कुछ सुझाव के तौर पर कहना चाहूंगी कि जेल में बन्दियों के भोजन की गुणवत्ता पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है । उनका दैनिक पारिश्रमिक बहुत कम है, जिसे बढ़ाया जाना चाहिए । यही नहीं आज की मौजूदा परिस्थितियों में आतंकवादियों को अधिक संख्या में जेलों में निरुद्ध किया जा रहा है । हो सकता है कि उनको छुड़ाने के लिए उनके साथी कारागारों पर वार कर सकते हैं । इसलिए कारागारों में सुरक्षा के लिए वहां पर तैनात कारापाल और उप कारापाल तथा उनके अधीनस्थ को आधुनिक हथियारों की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए और उनके रखरखाव के लिए उचित प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए, जिस प्रकार से पुलिस विभाग के अधिकारियों, निरीक्षकों को शस्त्र प्रदान किये जाते हैं, उसी प्रकार से कारागार विभाग में भी व्यवस्था की जानी चाहिए ।

वेतन, वर्दी, बन्दियों के दैनिक जीवन की सुविधाओं का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, जिस प्रकार पुलिस विभाग को त्योहारों पर ड्यूटी के एवज में छुट्टी दी जाती है, उसी प्रकार की व्यवस्था कारागार विभाग में भी होनी चाहिए, क्योंकि यहां भी त्योहारों पर सतर्कता से कार्य किया जाता है, रात में भी बंदियों के आने पर समय देना पड़ता है । कारागार उद्योगों में लगे पुराने यंत्रों को बदल कर आधुनिक यंत्र लगाये जाने एवं बंदियों को उच्च तकनीकी विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, साथ ही उद्योगों के द्वारा निर्मित उत्पादन के विपणन के स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए । मान्यवर, समाज में अपराधी न हों और सभी लोगों को नियमानुसार हक मिले, इसके लिए पुलिस विभाग, न्याय विभाग

और जेल विभाग है, जिसके दायित्व बराबर हैं, परन्तु न्याय व पुलिस विभाग की तुलना में जेल विभाग के अधिकारियों को उस प्रकार के अधिकार नहीं दिये गये हैं, जबकि ये दोनों विभागों से अधिक दायित्व जेल विभाग के अधिकारियों को वहन करना पड़ता है । पुलिस विभाग की तुलना में जेल अधिकारियों की वेतन विसंगतियों को दूर किया जाना चाहिए । इसी प्रकार पहले होम गार्ड संगठन के इंस्पेक्टर, सब-इन्सपेक्टर, हेड कांस्टेबिल रैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों को उन्हीं पदों के समकक्ष पुलिस विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों के समान वेतन मिलता था, लेकिन मेरी जानकारी में अब इस वक्त ऐसा नहीं है । पुलिस विभाग व होम गार्ड विभाग के अधिकारियों के अधिकार एक हैं, लेकिन वेतन विसंगति है, जिसे दूर करने का प्रयास होना चाहिए । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय कारागार मंत्री जी के बजट का समर्थन करती हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं ।

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय कारागार मंत्री जी जो कारागार का मूल्यांकन किये, कारागार के महत्व को दर्शाया, उसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पहचान को जीवित करने के लिए, उनका स्मारक बनाने की घोषणा की, हम इसका स्वागत करते हैं । इसके साथ-साथ श्री विश्वनाथ सिंह गहमरी जनपद गाजीपुर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं तथा वहां के एम० पी० भी रहे हैं, उन्होंने देश की लोक सभा में पूर्वांचल की, गरीबी का मार्मिक चित्रण किया था, जिस पर कि पटेल आयोग का गठन हुआ था । ऐसे व्यक्ति का, जिसको कि पिछली सरकार में दो लाख 68 हजार रुपये स्मारक बनाने हेतु स्वीकृत हुआ, लेकिन अभी तक शहीद स्मारक बनाने में नाम नहीं है वे 218 लोग जब द्वितीय युद्ध में मित्र राष्ट्र के सहयोग का आह्वान किया, तब गहमर गांव के 218 लोग उस युद्ध में देश की तरफ से शहीद हो गये, उनका आज भी स्मारक गहमर गांव में लगा हुआ है, लेकिन आज तक उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया जा सका है । साथ ही साथ 1857 के संग्राम में कुंवर सिंह के सेनापति, के रूप में बाबा मगर सिंह ने उस लड़ाई की अगुआई की थी, जिसकी शिलान्यास स्वर्गीय जगजीवन राम बाबू द्वारा हुआ, जिसकी आज तक मूर्ति नहीं लग सकी । माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करुंगा कि उन स्वीकृत स्मारक स्थलों के साथ साथ इन स्थलों को भी धन आवंटन कर कार्य कराने का कष्ट करें, जिससे पूर्वांचल के नवजवानों और खासतौर से गहमर के लोगों का जो हिन्दुस्तान की सबसे अधिक आबादी वाला गांव है, का सम्मान बढ़ सके । मैं आपका ध्यान स्वास्थ्य विभाग की ओर दिलाना चाहता हूं जो जिलों में जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं । वह लगता ही नहीं है कि जिला कारागार का अस्पताल है या दूसरा कारागार है । मैं आपसे निवेदन करुंगा कि उन अस्पतालों में उचित रख-रखाव और उत्तम व्यवस्था कराने का कष्ट करें ।

श्री किशोरी श्याम-

मान्यवर, आपने जो कारागार बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिये मैं आप का आभारी हूं । माननीय मंत्री जी ने जो कारागार का बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं और माननीय पाण्डेय जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका विरोध करता हूं । मान्यवर, एक बात कहना चाहता हूं अगर कहीं सदन की अवमानना हो जाये तो क्षमा करेगें ।

श्री अध्यक्ष-

आप ऐसी कोई बात न कहें ।

श्री किशोरी श्याम-

मान्यवर, मेरे यहां की एक कहावत है कि हमारे यहां पर एक भोज हो रहा था। उस समय जाति विरादरी का जमाना था। ऐसा हुआ कि ब्राह्मण जाति के लोग एक ओर, बैठे थे और दूसरी ओर कई जाति के लोग जैसे गड़रिया कुम्हार जाटव, हरिजन मल्लाह बैठे। हमारे यहां पुरानी आर्य समाज चलती थी। गड़रिया और दूसरी जाति के लोगों में झगड़ा हो रहा था, और आपस में कह रहे थे आप दूर बैठें, तो मान्यवर मेरा कहना है कि जो लोग गैलरी में देखों वह लोग बैठे हैं वह लोग ऊंचे हैं और हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन पर किस प्रकार से कन्ट्रोल किया जाये। मैं तो कहूंगा कि आप लोग हमारा साथ दीजिये, जिससे वातावरण सही बन सके। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जेलों में जो तनहाई की कोठरी बनी हैं, वह 8×8 की है और हमारे पहले शासन ने बनाई है वह अंग्रेजो से भी गई बीती है अंग्रेजों ने तो मानवता से काम लिया था। उस समय की बनाई 8×12 व 10 फुट ऊंची है। दो दरवाजे हैं दरवाजा बहुत छोटा होता है। मैं उसमें रहा हूं। छत में मेरा सिर लग जाता था। तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कम से कम तनहाई को बड़ा बनाया जाये और उसमें परिवर्तन किया जाये। तनहाई में एक मोरी होती है, उसी से सांप आते है, सांप कभी भी दरवाजे से नहीं आते हैं, तो उससे कैदियों को खतरा रहता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि उस मोरी में जाली लगा दी जाये जिससे सांप अन्दर न आ सकें। मान्यवर, एक बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जेलों में खेती की व्यवस्था है, उसकी ठीक प्रकार से व्यवस्था की जानी चाहिये और जो आय हो उसका हिसाब मंगाना चाहिये। मान्यवर 1857 में कई लोग छाता में शहीद हुये थे, इसलिये वहां पर स्मारक बनवाया जाये। मान्यवर, छाता में भी कोई ऐसा स्थान बनाया जाय, कोई स्मारक बनवाया जाय जिससे स्वतंत्रता सेनानियों की यादगार रहे। मान्यवर, मेरे सुझाव पर ध्यान दीजिए इसके साथ ही साथ मैं मंत्री जी दवारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि यह जो मेरे सुझाव हैं माननीय मंत्री जी उस पर अमल करें और सारा सदन यह देखे कि गड़बड़ी कहां से हो रही है, आप हमारा साथ दें और हम आपका साथ देंगे।

श्री विजय पाल सिंह तोमर-

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, माननीय मंत्री ज़ी ने अपने बजट भाषण में कुछ सुधार की बात कही है कि कारागारों में सुधार करने जा रहे हैं तो इसके लिये मैं उसको धन्यवाद देता हूं। लेकिन अभी भी जो जेलों में देखने को मिल रहा है जैसा पहले बताया गया कि खाने की बड़ी अव्यवस्था है, हम लोग कई बार सत्याग्रह में जेल गये तो देखा है कि वहां पर खाने की बड़ी अव्यवस्था है वहां का वातावरण इतना खराब है कि वहां जाने के बाद अच्छा आदमी भी अपराधियों में मिल जाता है। वहां पर शराब से लेकर हर ऐसी चीज उपलब्ध होती है जो उपलब्ध होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि इन मामलों में सख्ती की जाय। जेल के अन्दर इतना भ्रष्टाचार है कि उसके अन्दर जो पैसा उपलब्ध करा देता है उसके लिए सब चीज वहां पर उपलब्ध हो जाती है तो एक तो यह चाहूंगा कि खाने में सुधार हो और दूसरी चीज जो वहां भ्रष्टाचार है, वैसे तो चारो तरफ भ्रष्टाचार है लेकिन जेल में जो भ्रष्टाचार है मिलाई से लेकर अन्दर तक उस पर अंकुश लगाया जाये।

मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े क्रान्तिकारी स्व० विष्णु शरण दुबलिश जी मेरठ के निवासी थे उन्हें काकोरी काण्ड में आजीवन कारावास की सजा हुई थी जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी हुई थी। स्व० दुबलिश जी 18 वर्ष तक काला पानी (अंडमान) की जेल में रहे थे। मान्यवर,

आपके माध्यम से मांग करता हूं और निवेदन करता हूं कि स्व० विष्णु शरण दुंबलिश जी की याद में मेरठ में एक शहीद स्मारक बनाने हेतु अनुदान स्वीकृत करने का कष्ट करें। अन्त में मैं माननीय पाण्डेय जी द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री राम किशन ददाजू–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा जो बजट रखा गया है इसका मैं समर्थन करता हूं। मान्यवर, जेलों में अच्छी व्यवस्था बनाने के लिए तरह-तरह के सुधार किये गये हैं। मान्यवर, 7 जेलों में कम्प्यूटर की स्थापना की गयी और 26 जेलों में भोजनालयों के आधुनिकीकरण हेतु आटा गूंथने की मशीन, चपाती बनाने की मशीन, डीजल बर्नर, सभी जेलों में किचन के एक्जास्ट फैन तथा तराजू की व्यवस्था की गयी है। कृषि फार्मों के आधुनिकीकरण हेतु 47 लाख 8 हजार की धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

मान्यवर, कारागार प्रशासन का आधुनिकीकरण किया जा रहा है जो बन्दी हैं इनके लिए कुटीर उद्योगों की व्यवस्था की जा रही है तथा कृषि कार्यों में कार्यकुशल बनाने के लिए सुनियोजित योजनायें व कार्यक्रम लागू किये जा रहे हैं।

मान्यवर, फिरोजाबाद नया जिला है। 1991-92 में गाजियाबाद, मऊ व हरिद्वार के लिए कारागार का प्रविधान किया गया है और इसके लिए 8 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है इसी प्रकार से फिरोजाबाद में भी जल्द ही जेल बनवाई जाय क्योंकि अभी आगरा व मैनपुरी जिलों को इसका क्षेत्र बनाया गया है जिससे जनता को मिलने में बड़ी परेशानी होती है।

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

मान्यवर, आपने माननीय अमरेश चन्द्र पाण्डेय जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, अभी कई माननीय सदस्यों ने कई महत्वपूर्ण बिन्दुओं की तरफ ध्यान आकर्षित किया है। कारागार के महत्व पर तथा आपात स्थिति के समय में कारागार के बारे में बात कही गयी है। मान्यवर, मैं भी आपात स्थिति में नैनी कारागार में निरुद्ध था। इस सन्दर्भ में मैं शासन का ध्यान इस और दिलाना चाहूंगा कि जब बड़े-बड़े शहरों में कारागार के क्षेत्र का चुनाव हुआ था तो वे शहरों के बाहर हुआ करते थे। आज प्रदेश के ऐसे जिले हैं जहां कारागार शहरों के बीच में आ गये हैं क्योंकि उनके चारों तरफ बस्तियां बस गयी हैं। जेलों का स्थानान्तरण बहुत बड़ी परियोजना होगी, इसके लिये शासन को मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। भविष्य में क्या उन तमाम जेलों को, जिनके चारों तरफ बस्तियां बस चुकी हैं, उसको दूर करने के लिये विचार करेंगे ? तोमर जी ने कहा कि जेल के अन्दर बन्दियों के रहने की व्यवस्था की जाती है लेकिन जो बड़े-बड़े अपराधी लोग हैं, उनको पैसे के बल पर जेल के अन्दर सारी सुख-सुविधा प्राप्त हो जाती है जो उन्हें जेल के बाहर मिलता है। शासन को नियमों के अन्तर्गत कठोरता के साथ पाबन्दियों को लगाने के लिये कार्य करना होगा। होमगार्ड के नौजवान भी पुलिस से कम जनता की सेवा नहीं करते हैं। उनकी वेतन की विसंगतियों को दूर किया जाना चाहिये। इसी के साथ ही मैं पाण्डेय जी के कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री राजेन्द्र सिंह (एटा)––

माननीय कारागार मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। पाण्डेय जी से अनुरोध करता हूं कि अपना कटौती का प्रस्ताव इसलिये वापस कर लें कि राजनीतिक जीवन में जब बुरा समय आता है तो जेल ही साथ देती है। पिछली सरकार ने 1200 कैदियों को पैरोल पर रिहा किया, 64

कैदी अभी तक फरार है । पिछली सरकार ने जेल के कैदियों को राजनीति में प्रेरित करके उनका दुरुपयोग किया । 32 कैदी ऐसे छोड़ दिये गये जिनके विषय में जिलाधिकारी या सचिव, कारागार ने संस्तुति ही नहीं की थी । मेरे जिले में श्री महाबीर सिंह शहीद हुए थे, उनका स्मारक एटा में बनाया जाय । साथ ही आपसे भी अनुरोध करता हूं कि बजट आज 8-4-92 को ही समाप्त कर दिया जाय, कहीं 9-4-92 न आ जाय । इसी के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं ।

[समय 11 बजकर 20 मिनट ]

श्री श्याद अली—

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं । मैं प्रतापगढ़ जनपद की जेल के पास रहता हूं । आज जेल के अन्दर इतना भ्रष्टाचार है कि जो बन्दियों को भोजन सामग्री दी जाती है उसमे कंटौती होती है । आटा, चावल, दाल आदि बेच ली जाती है । फतेहपुर के कारागार अधीक्षक ने बन्दियों के राशन को अपने स्टोर में रख लिया था । जब यह आवाज सरकार तक पहुंची, कारागार अधीक्षक ने सामान नाली में फिकवा दिया । जेल में भ्रष्टाचार है, उसको दूर करने के लिये आप इन पर अंकुश लगायें । मान्यवर, जो जेल के सिपाही होते हैं उनकी तनख्वाह कम होती है आपके जो कारनामें हैं जब आप जेल में जायेंगे आपको बक्शा नहीं जायेगा अगर उन सिपाहियों की तनख्वाह नहीं बढ़ेगी तो जो पचासा का घंटा होता है तो वे लाठी न्यौछावर करेंगे । धन्यवाद ।

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय—

मान्यवर, आज देखें इतनी रात में भी लोग सुझाव देना वांछित समझते हैं मैं इस व्यापक बजट की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए समर्थन करता हूं । जेल में जेल मैनुअल इतना पुराना है, उसको देखकर समीक्षा की जानी चाहिये । आज भी 3 ग्राम चाय राजनीतिक बंदियों को अन्य सामान्य बंदियों को मिलती है । राजनीतिक बंदियों को भोजन बनाने के लिये कैदी मिल जाता है लेकिन लकड़ी समय से नहीं मिल पाती है कम मिलती है कि लोग अधपका खाना खाते हैं । राजनीतिक बंदियों को अन्य बंदियों को जिनको कैदी मिले भोजन के लिये उसमें लकड़ी की मात्रा बढ़ायी जाय । जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं व्रत रखते हैं उनको उस अनुरूप सामग्री भोज्य पदार्थ जेल में मिले । माननीय वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि रोज ही लोग व्रत रखने लगेगें मान्यवर, वह भी अच्छी बात होगी हम तो सामाजिक सांस्कृतिक भारतीय विचारधारा के संगठन से आये हैं यदि लोग जेलों में रोज व्रत रखेंगे तो भी अच्छा होगा । (व्यवधान) जेल में ही शाखा लगाकर जनता पार्टी को यहां और केन्द्र में पहुंचा दिया था । जेल में नैतिक शिक्षा में सर्वधर्म सद्भाव के आधार पर केवल वाक्य रहते हैं चित्र और झांकी के आधार पर भी व्यवस्था रखी जाय । मान्यवर, इसी तरह से जो इस एडिक्ट्स है या माफिया हैं उनको अलग जेल में रखा जाना चाहिये । अभी माननीय ओम प्रकाश सिंह ने जो गाजीपुर में विश्वनाथ सिंह गहमरी जी के स्मारक की बात कही मैं भी उस प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री सुरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, अभी माननीय सदस्य सैदपुर ने विश्वनाथ सिंह गहमरी जी की प्रतिमा के बाबत कहा । मान्यवर, वे पूर्वांचल के पिछड़ेपन के बारे में पार्लियामेंट में काफी बात रखते थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिस गांव के वे रहने वाले थे वह एरिया का सबसे बड़ा गांव है एक स्मारक की जो बात है जितनी जल्दी हो सके इस बजट में उसे किया जाय । मान्यवर, जो ड्रग एवं अफीम माफिया आदि की बात कही

गयी, गाजीपुर में अनेक समस्या आ गयी जैसा कि सैदपुर के माननीय सदस्य ने सुझाव रखा है उनके लिये अलग से जेल में व्यवस्था रहनी चाहिये ताकि सामान्य कैदियों से वे अलग रहे। होमगार्ड की जो व्यवस्था है, आज स्किल लेबर को 35 रु० मिलता है उनको 25 रु० मिलता है उनको 25 रु० की व्यवस्था है। अतः होम गार्ड को भी 35 रु० कम से कम किया जाना चाहियें। मान्यवर, जो पी० सी० एस० में डी० एस० पी० रैंक के हैं पुलिस में दूसरी व्यवस्था रहती है एक साथ प्रमोशन मिलता है। इनके लिये कम से कम 3 प्रमोशन की व्यवस्था की जाय। जो डिवीजनल कमांडर हैं इलाहाबाद में बैठते हैं उसमें एस० पी० रैंक के सीनियर स्केल के अधिकारी की व्यवस्था की जाय। एक बात मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि कारागार में जो अन्धे हो गये हैं, या जो अपाहिज हो गये हैं और दीवाल का सहारा लेकर चलते हैं उन्हें छोड़ने (रिहा) करने की भी व्यवस्था आप करें।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ दो तीन सुझाव देना चाहूंगा। श्रीमन्, मैं विधान सभा की लाइब्रेरी में बैठा था। एक प्रश्न के उत्तर में 89 में तत्कालीन कारागार मंत्री ने उत्तर में कहा था कि बन्दियों के मरने पर दाह संस्कार के रूप में यह उत्तर प्रदेश सरकार 36 रुपया देती है तो मान्यवर, यह जो 36 रुपया मिलता है यह बहुत ही कम है इसलिये इसको बढ़ाकर पांच सौ कर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष—

कटौती के प्रस्ताव और सुझाव दोनों एक साथ कैसे चलेंगे ?

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय—

मान्यवर, मेरा सुझाव है। एक बात और है। और वह यह है कि वेतन विसंगति बहुत है इसको दूर किया जाये और उत्तराधिकारी की नियुक्ति जो पुलिस कर्मियों को दी जाती है वैसी है इन्हें भी दी जाये एक बात और है जो जेल विकास कोष की स्थापना तीन वर्ष पहले जब माननीय नारायण दत्त तिवारी जी मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने इसकी घोषणा की थी मैं चाहूंगा कि सरकार इसका परीक्षण करा लें और उसे लागू करें। एक बात और वह यह है कि जो नव निर्मित जनपद हैं उनमें जेल नहीं है। तीन जनपदों में तो माननीय मंत्री जी ने घोषणा की है गाजियाबाद, हरदोई और मऊ लेकिन और जो बचे हैं उनमें जेल बनायी जाये। एक अनुरोध और है मान्यवर, उसमें पैसा नहीं लगना है हमारे काकोरी काण्ड में उत्तर प्रदेश की पांच महान विभूतियों जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, राजेन्द्र लाहिरी, अशफाक उल्ला, चन्द्रशेखर आजाद और रोशन सिंह यह पांच मुल्जिम रहे यह विभिन्न जेलों में रहे तो मैं चाहूंगा कि इनके नाम पर विभिन्न जेलों में जो रहे हैं, जेलों का नामकरण किया जाये। यदि उनके नाम पर जेल रहेंगी तो आने वाली पीढ़ी उन्हें याद रखेगी।

एक बात श्रीमन्, मैं होमगार्ड के बारे में कहना चाहता हूं होम गार्ड को पुलिस कर्मी के बराबर वेतन दिया जाये। इस संबंध में आर० रमणी, उप सचिव, उत्तर प्रदेश नागरिक सुरक्षा ने 31 मार्च, 1977 को आदेश दिया था तो उसको लागू किया जाये। अंत में श्रीमन्, मैं यह कहना चाहूंगा कि "इस शान पर कौन न मर जाये ये खुदा, लड़ते हैं मगर तलवार भी नहीं है।" तो मान्यवर, हिन्दुस्तान की आजादी में वह शहीद भी हुए हैं जिनके हाथ में तलवार भी नहीं थी और वह बहादुरी से उनका मुकाबला करते रहे यह हमारी हिन्दुस्तान की संस्कृति थी अगर कहीं इनकी आत्मा जिन्दा होगी, तो वह भी आपको और आपकी सरकार को आशीर्वाद देगी। इसी प्रकार जो वर्तमान समय में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्दा हैं वह भी आपको आशीर्वाद देंगे और जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मृत्यु हो चुकी है, यदि उनकी विधवा जिन्दा होंगीं, उनके पुत्र होंगे, तो वह भी आपकी सरकार को आशीर्वाद देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री उमा नाथ सिंह—

मान्यवर, कटौती प्रस्ताव अवश्य प्रस्तुत हुआ, लेकिन लगता है कि कटौती पर बल नहीं देना चाहते, इसके लिये मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भी बड़े महत्वपूर्ण सुझाव दिये, उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं विशेषकर पाण्डेय जी, जिन्होनें जेल मैनुअल की बात कही, मैं भी इस बात को मानता हूं कि जेल मैनुअल जो दासताकाल का मैनुअल है, उसमे परिवर्तन होना चाहिये। परिवर्तन की दिशा में हम प्रयत्नशील हैं। आज रात्रि के साढ़े 11 बज रहे हैं और हम इसमें बड़ी भागीदारी नहीं ले सके। मैं भी समय की कमी के कारण अपने विचारों को पूर्ण रूप से नहीं रख सका और प्रतिपक्ष के सदस्यों ने भी पूरे विचार नहीं रखे। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम ऐसे सेमिनार का आयोजन करेंगे जिसमें माननीय सदस्यों की भी भागीदारी होगी और विशेषज्ञों को भी उसमें आंमत्रित करेंगे, तब उनसे जेल मैनुअल में परिवर्तन के संबंध में विचार करेंगे। मान्यवर, यहां पर बन्दियों के वर्गीकरण की भी बात आयी। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि 18 बाल कारागार अलग हैं, महिलाओं के भी 3 कारागार अलग हो चुके हैं। मान्यवर, उद्योग में गिरावट की बात कही गयी। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि पुरानी सरकारों के काल में हर दिशा में गिरावट आई। मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जिनके कारण गिरावट आयी थी, उस उद्योग निदेशक को हमने हटा दिया है और उनके स्थान पर नये व्यक्ति की नियुक्ति कर दी गयी है। मान्यवर, मजदूरी बहुत कम है, इसे कौन नहीं मानता ? लेकिन हम बंदियों को मजदूरी के लिये नहीं लाते, हम तो बंदियों को उसके अपराध के दंड स्वरूप लाते हैं, लेकिन उसके साथ उनको भोजन देते हैं, वस्त्र भी देते हैं, इसके कारण हो सकता है कि मजदूरी कम हो, फिर भी इसको देख लिया जायेगा। मान्यवर, हमारे पुराने साथी श्री भगवती सिंह जी ने अपने जनपद के शहीद राम बक्श सिंह के स्मारक की बात कही। मैं बताना चाहूंगा कि सन् 83 से इसका निर्माण हो रहा है और वह आज तक पूरा नहीं हुआ है। मैं उनका सम्मान करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि उनके स्मारक के निर्माण में अब रुकावट नहीं आने दी जायेगी तथा पर्याप्त धन की व्यवस्था की जायेगी। कुछ माननीय सदस्यों ने विश्वनाथ सिंह गहमरी की चर्चा की। मान्यवर, वही ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होनें पूर्वांचल के पिछड़ेपन के लिए सबसे पहले लोक सभा में आवाज उठायी उन्होंने वहां की व्यथा को इस तरह कहा कि जवाहर लाल जी की आंखों में आंसू आ गये। माननीय सुरेन्द्र सिंह, मा० पान्डेय जी, चाहे इधर के हों या उधर के, कहा है कि उनकी प्रतिमा लगाई जाय, मैं विश्वास दिलाता हूं कि उनकी प्रतिमा लगाये जाने की पूरी व्यवस्था की जायेगी वर्गीकरण की बात आयी। माफिया लोगों की बात कही गई। 301, 51 आदि नियमों में जो व्यवधान पैदा कर दिया जाता है, अगर इन माफिया लोगों के खिलाफ आप हमें सहयोग दें तो मैं बताना चाहता हूं कि केवल कारागार के अन्दर ही नहीं अपितु हम उन्हें बाहर भी कड़ी से कड़ी सजा देंगे। यदि कोई जेल कर्मी माफिया लोगों को रियायत देते हुए पाया गया तो हम उसे भी सजा देंगे। जिला स्तर पर कृषि में सुधार लाने के लिये हम विशेषज्ञों की भी मदद लेंगे। इसके लिये हमने मुख्य विकास अधिकारी के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया है। आज भोजन आदि पर हमारा जो व्यय बढ़ रहा है, उसे हम कम कर सकें। श्री राजेन्द्र सिंह चौहान ने एटा में स्मारक बनाने की बात कही। मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी शहीद स्थलों के बारे में हमारे पास सुझाव आयेंगे, हम उन पर विचार करेंगे। एक सुझाव आया नगर की सीमा के बाहर कारागार की। इसमें भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि बनारस का जो जिला जेल हैं, उसे केन्द्रीय कारागार में स्थानान्तरित करने की हमारी योजना है। बुलन्दशहर में भी शहर के बाहर नया जेल बन गया है। अन्य जनपदों में भी जेल बनाने की हमारी योजना है। पाण्डेय जी ने लकड़ी की बात कही। हमने तो डीजल व बर्नर आदि की बात कही है। पहले आटा गूंथने के लिये सजा के रूप में कैदियों को

लगाया जाता था, परन्तु अब हम चपाती बनाने की मशीन, आटा गूंथने की मशीन इत्यादि की व्यवस्था कर वहां पर भी आधुनिकीकरण करना चाहते हैं। माननीय श्री पाण्डेय जी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र हैं। इसलिये वह अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें। हमने तो उनकी सारी बातें मान ली हैं।

**श्री अध्यक्ष—**

श्री पाण्डेय जी आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

**श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय—**

अगर माननीय मंत्री जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पेंशन में बढ़ोत्तरी कर दें तो मैं अपना प्रस्ताव वापस लेने को तैयार हूं। उन्होंने कहा भी है कि मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का पुत्र हूं। नहीं तो मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

**श्री अध्यक्ष—**

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 25–गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

**श्री अध्यक्ष—**

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 25–गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 34,40,99,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

**श्री अध्यक्ष–**

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 27–गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

**श्री अध्यक्ष–**

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 27–गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 31,76, 12,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

**श्री अध्यक्ष–**

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 28–गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 28–गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 16,94,65,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ ।)

## श्री उमाकान्त यादव, स० वि० स० को गोरखपुर के न्यायालय से जिला कारागार गोरखपुर में दाखिल किये जाने की सूचना

श्री अध्यक्ष–

मुझे सदन को एक सूचना देनी है–अधीक्षक, जिला कारागार, गोरखपुर ने अपने वायरलेस संदेश, जो आज दिनांक 8 अप्रैल, 1992 को प्राप्त हुआ, द्वारा सूचित किया है कि विचाराधीन कैदी श्री उमाकान्त यादव, सदस्य, विधान सभा (जौनपुर) को जनपद गोरखपुर के थाना बोराभर में पंजीकृत अपराध संख्या 486/92, भारतीय दण्ड संहिता की धारा–384 के अन्तर्गत अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी–5 गोरखपुर के न्यायालय से जिला कारागार, गोरखपुर में दाखिल किया गया है ।

## नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 8 अप्रैल 92 को नियम 51 के अंतर्गत कुल 16 सूचनायें प्राप्त हुईं जिनमें से एक श्री रमेश पोखरियाल निशंक की सूचना को वक्तव्य के लिये स्वीकार करता हूं ।

दूसरी श्री दीनानाथ सिंह यादव और श्री हृदय नारायण दीक्षित की है जो नियम 311 और नियम 56 में प्राप्त हुई, को केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार करता हूं । तीसरी श्री पवन कुमार पाण्डेय की है, जो नियम 300 में भी प्राप्त हुई पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं । चौथी श्री भोलाशंकर मौर्य, श्री राम खिलाड़ी सिंह, श्री कृष्णवीर सिंह की है, पर भी शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं । पांचवी सूचना श्री स्वामी नाथ यादव की है, पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं ।

शेष सूचनायें अस्वीकार हो गयीं ।

## नील गायों की बढ़ती संख्या से फसलों की तबाही से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या 15 संबंधित सदस्य के अनुरोध पर स्थगित की जाती है ।

## जनपद गढ़वाल के राजकीय महाविद्यालयों में व्याख्याताओं की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-51 के अन्तर्गत उच्च शिक्षा, श्रम तथा सेवायोजन मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष–

यह पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

उच्च शिक्षा, श्रम तथा सेवायोजन मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)—

[ प्रदेश में कुल 55 राजकीय महाविद्यालय हैं जिनमें उत्तरांचल क्षेत्र में 24 तथा मैदानी क्षेत्र में 31 हैं । उत्तरांचल के 24 राजकीय महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों में प्रवक्ता के कुल 735 पद सृजित हैं जिनमें से स्नातक स्तर पर त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम लागू किये जाने के कारण 110 प्रवक्ता पद वर्ष 1989-90 में सृजित किये गये हैं । उत्तरांचल क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालयों में 208 प्रवक्ता के पद रिक्त हैं । शिक्षकों की कमी केवल उत्तरांचल क्षेत्र में न होकर मैदानी क्षेत्र के 31 महाविद्यालयों में भी है । मैदानी क्षेत्र के महाविद्यालयों में प्रवक्ताओं के कुल 594 पद स्वीकृत हैं तथा जिसमें 117 पद रिक्त हैं ।

राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता पदों पर नियुक्ति उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की संस्तुति पर शासन स्तर से की जाती है । लोक सेवा आयोग द्वारा प्रवक्ताओं के चयन में विलम्ब होने का मुख्य कारण समय-समय पर नियुक्ति किये गये तदर्थ अथवा समयबद्ध नियुक्त प्रवक्ताओं द्वारा मा० उच्च न्यायालय में याचिका योजित कर लोक सेवा आयोग की चयन प्रक्रिया को प्रभावित कराना है । कतिपय तदर्थ प्रवक्ताओं द्वारा मा० उच्च न्यायालय में याचिका योजित कर अन्तरिम आदेश द्वारा सेवा आयोग की चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी गयी । मा० उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश में संशोधन होने के उपरान्त ही आयोग द्वारा प्रवक्ताओं का चयन जनवरी, 1990 से आरम्भ हो सका तथा विभिन्न विषयों में 148 अभ्यर्थियों की संस्तुति प्राप्त हो चुकी है ।

शासन द्वारा तदर्थ नियुक्तियों पर वर्ष 1984 से पूर्णरूपेण प्रतिबन्ध लगाये जाने के उपरान्त प्राचार्यों को यह निर्देश दिये गये कि स्थानीय तौर पर प्राचार्य 700-1600 के वेतनक्रम में न्यूनतम रु० 700 नियत तथा उस पर अनुमन्य भत्तों पर अधिकतम 120 दिन के लिए शिक्षकों की व्यवस्था कर ली जाये । इन प्रवक्ताओं द्वारा अन्तरिम स्थगन आदेश प्राप्त कर लेने के उपरान्त शिक्षण कार्य को सुचारु रूप से चलाने हेतु अंशकालिक स्वयंसेवी योजना लागू की गयी जिसके तहत प्रति व्याख्यान निश्चित मानदेय पर इन अंशकालिक स्वयंसेवियों को आमंत्रित करके शिक्षण कार्य कराया जाता रहा । कालान्तर में इन स्वयंसेवियों द्वारा भी मा० उच्च न्यायालय में कई याचिकायें योजित कर दी गयीं और स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये गये जिससे विवश होकर शासन को स्वयंसेवी योजना भी समाप्त करनी पड़ी किन्तु पूर्व में आमंत्रित स्वयंसेवियों से मा० उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के तहत शिक्षण कार्य लिया जा रहा है ।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि राजकीय महाविद्यालय में रिक्त प्रवक्ता पदों को भरे जाने का एक मात्र विकल्प लोक सेवा आयोग द्वारा चयन कराया जाना है । इसके लिए लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष/सचिव से व्यक्तिगत सम्पर्क करके तथा प्रयास से प्रवक्ता के 406 पदों को विज्ञापित कराया जा चुका है । यहां यह भी संकेत करना समीचीन होगा कि लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 1990 के बाद जो चयन किये गये हैं उनमें से पर्वतीय क्षेत्र के महाविद्यालयों में आवश्यकतानुसार वरीयता के आधार पर नियुक्तियां की गयी हैं ।

उपरोक्त के अतिरिक्त सभी प्राचार्यों को यह निर्देश दिये गये हैं कि पूर्व में किसी भी महाविद्यालय में कार्यरत रहे अंशकालिक स्वयंसेवी को आमंत्रित कर शिक्षण कार्य लिया जाये । ऐसे स्वयंसेवी की सूची सभी प्राचार्यों को भेज दी गयी है ।

---

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

आयोग द्वारा 28/29 फरवरी, 1992 (28 फरवरी, को टाइम्स आफ इण्डिया लखनऊ एवं 29 फरवरी, इम्प्लायमेंट न्यूज) में विज्ञापित 406 प्रवक्ता पदों में ऐसी सम्भावित रिक्तियों को भी शामिल कर लिया गया है जो नये राजकीय महाविद्यालयों के खुलने, छात्रों की संख्या में वृद्धि के कारण नये पद सृजित होने अथवा प्रवक्ताओं के सेवानिवृत्त आदि से उपलब्ध होगी । आयोग से चयनित अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने पर नियुक्ति की कार्यवाही तत्परता से की जा सकेगी और शिक्षकों की कमी दूर हो सकेगी । आयोग से विज्ञापित पदों के लिए प्राथमिकता के आधार पर चयन कराये जाने का प्रयास भी किया जा रहा है । राजाज्ञा संख्या 966/15-17-92(100)/90, दिनांक 4-4-1992 द्वारा शासन से उत्तरांचल क्षेत्र के रिक्त पदों पर राजकीय महाविद्यालंयों के सेवानिवृत्त प्रवक्ताओं/प्रधानाचार्यों/प्राचार्यों को अप्रैल, 1992 से 30 जून, 1992 तक निर्धारित मानदेय के आधार पर स्वयंसेवी अभ्यर्थियों को लेक्चर देने हेतु आमंत्रित करने की व्यवस्था लागू की गयी है । जिससे रिक्त पदों पर यथासम्भव व्यवस्था कर ली जायेगी । ]

**जनपद गाजीपुर के थाना बरेसर के अन्तर्गत हुई श्री चन्द्र बहादुर गुप्त की हत्या तथा पुलिस की निष्क्रियता से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री गामा राम शास्त्री द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन**

श्री अध्यक्ष–

शासन के अनुरोध पर स्थगित की जा रही है ।

**जनपद गाजीपुर के देवकली पम्प नहर के मरदह रजवहा को बिजली न मिलने से कृषकों की क्षति के संबंध में दिनांक 26 फरवरी, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 55 नत्थी (ग) के संबंध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा का स्थगन**

श्री अध्यक्ष–

शासन के अनुरोध पर स्थगित की जा रही है ।

**मध्य गंगा कैनाल को मांट फीडर तथा जेवर रजवहा द्वारा आगरा कैनाल से जोड़े जाने विषयक दिनांक 11 मार्च, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 55 नत्थी (ग) के संबंध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा का स्थगन**

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य के अनुरोध पर स्थगित की जा रही है ।

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं कल 11 बजे मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन 11 बजकर 35 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया । )

लखनऊ :
8 अप्रैल, 1992

**प्रेम चन्द्र सक्सेना,**
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

**नत्थी 'क'**

(देखिये अता० प्र० सं० 92 का उत्तर पीछे पृष्ठ 59 पर)

अनुलग्नक "क"

**स्थानान्तरित किन्तु परिषदीय आवास न खाली करने वाले अवर अभियन्ताओं का विवरण**

| क्रम सं० | कर्मचारी का नाम | आवास सं० | इस विद्युत ग्रुप से कम्पेयर्स होने की तिथि |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | श्री रूप किशोर शर्मा | वी-1, पुरानी कालोनी | 1-7-86 |
| 2 | श्री मो० क्वासिम | तृतीय–72/13, नई कालोनी | 31-7-91 |
| 3 | श्री वीर पाल सिंह | तृतीय–12/3, नई कालोनी | 19-3-91 |
| 4 | श्री एम० सैयद | तृतीय–46/12, नई कालोनी | 30-10-91 |
| 5 | श्री शिव कुमार गुप्ता | तृतीय–59/15, नई कालोनी | 2-8-85 |
| 6 | श्री आर० आर० सिंह | ए–14, नई कालोनी | 30-4-84 |
| 7 | श्री सी० बी० भारद्वाज | जी–2, नई कालोनी | 1-7-88 |
| 8 | श्री एस० आर० शर्मा | बी–12, नई कालोनी | 31-7-90 |
| 9 | श्री अकील अहमद | बी–10, नई कालोनी | 31-7-90 |
| 10 | श्री वी० पी० सिंह | बी–56, कालोनी | 6-6-87 |
| 11 | श्री के० के० सिंह | तृतीय–114/29, नई कालोनी | 20-10-91 |
| 12 | श्री देश राज सिंह | तृतीय–पुरानी कालोनी | 1-8-90 |
| 13 | श्री हरि मोहन शर्मा | आर०आर०–23, पुरानी कालोनी | 29-10-91 |

## नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं० 122 का उत्तर पीछे पृष्ठ 69 पर)

**अन्तिम भुगतान किये गये अनुबन्ध एवं उससे काटी गयी धनराशि का अनुबन्धवार विवरण निम्नानुसार है**

| क्रम सं० | अनुबन्ध संख्या | धनराशि | दर | माह |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/एस०ई०/90-91 | 25,840/- | समाधान योजना धारा 7 डी | 1 प्रतिशत 6/91 |
| 2 | 1/स०अ०-1/90-91 | 383/- | ,, | 2.2 प्रतिशत 6/90 |
| 3 | 2/स०अ०-1/90-91 | 418/- | ,, | ,, 6/90 |
| 4 | 3/स०अ०-1/90-91 | 432/- | ,, | ,, 6/90 |
| 5 | 4/स० अ०-1/90-91 | 401/- | ,, | ,, 3/91 |
| 6 | 5/स० अ०-1/90-91 | 438/- | ,, | ,, 6/90 |
| 7 | 6/स० अ०-1/90-91 | 253/- | ,, | ,, 6/90 |
| 8 | 7/स० अ०-1/90-91 | 399/- | ,, | ,, 6/90 |
| 9 | 8/स० अ०/1/90-91 | 288/- | ,, | ,, 6/90 |
| 10 | 9/स० अ०-1/90-91 | 406/- | ,, | ,, 6/90 |
| 11 | 10/स० अ०-1/90-91 | 428/- | ,, | ,, 6/90 |
| 12 | 11/स० अ०-/90-91 | 427/- | ,, | ,, 3/91 |
| 13 | 12/स० अ०-1/90-91 | 396/- | ,, | ,, 6/90 |
| 14 | 13/स० अ०-1/90-91 | 403/- | ,, | ,, 6/90 |
| 15 | 20/स० अ०-1/90-91 | 436/- | ,, | ,, 6/90 |
| 16 | 21/स० अ०-1/90-91 | 361/- | ,, | ,, 6/90 |
| 17 | 22/स० अ०-1/90-91 | 337/- | ,, | ,, 6/90 |
| 18 | 23/स० अ०-1/90-91 | 455/- | ,, | ,, 3/91 |
| 19 | 24/स० अ०-1/90-91 | 781/- | ,, | ,, 3/91 |
| 20 | 7/स० अ०-11/90-91 | 802/- | ,, | ,, 2/92 |
| 21 | 2/स० अ०-111/90-91 | 633/- | ,, | ,, 3/92 |
| 22 | 3/स० अ०-111/90-91 | 897/- | ,, | ,, 3/91 |
| 23 | 4/स० अ०-111/90-91 | 897/- | ,, | ,, 3/91 |
| 24 | 5/स० अ०-111/90-91 | 434/- | ,, | ,, 3/91 |
| | योग = | 36,945/- | | |

## नत्थी 'ग'

(देखिये अता० प्र० सं० 132 का उत्तर पीछे पृष्ठ 73 पर)

अनुलग्नक –"क"

### तदर्थ नियुक्त कर्मचारियों का विवरण

| क्रमांक | नाम | पदनाम | तैनाती स्थान |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | कार्यालय |
| 1 | श्री विनय कुमार गुप्ता | दै० श्रे० लि० | मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), लखनऊ । |
| 2 | श्री राजीव कुमार अवस्थी | –तदैव– | –तदैव– |
| 3 | श्री आलोक कुमार सिन्हा | –तदैव– | –तदैव– |
| 4 | कु० साधना त्यागी | –तदैव– | मुख्य अभियन्ता (मेरठ जोन), मेरठ । |
| 5 | कु० मधु पाण्डेय | –तदैव– | मुख्य अभियन्ता (थर्मल मानीटरिंग), लखनऊ। |
| 6 | श्री गोपाल कृष्ण गौतम | –तदैव– | मुख्य अभियन्ता (मेरठ जोन), मेरठ । |
| 7 | श्री सुहेल आबिद | –तदैव– | मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) लखनऊ । |
| 8 | श्री सुभाष चन्द्र मिश्रा | –तदैव– | –तदैव– |
| 9 | श्री विजय कुमार दीक्षित | –तदैव– | –तदैव– |
| 10 | श्री नाहर सिंह | –तदैव– | मुख्य अभियन्ता (आगरा जोन), आगरा । |
| 11 | श्री मुकेश कुमार शुक्ला | –तदैव– | मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), लखनऊ । |
| 12 | श्री श्रीपति (अ०जा०) | –तदैव– | –तदैव– |
| 13 | श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा | –तदैव– | –तदैव– |
| 14 | श्री सुनील श्रीवास्तव | –तदैव– | –तदैव– |
| 15 | श्री अखिलेश कुमार सिंह | –तदैव– | –तदैव– |
| 16 | श्री मो० सलीम | –तदैव– | मुख्य अभियन्ता (वितरण), पश्चिमी क्षेत्र, मेरठ । |
| 17 | श्री कोहनूर | –तदैव– | मुख्य अभियन्ता (पारेषण पश्चिम), मेरठ । |
| 18 | श्री जय प्रकाश | –तदैव– | |
| 19 | श्री नरेश चौधरी | –तदैव– | मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), लखनऊ । |
| 20 | श्री राम सेवक यादव | –तदैव– | –तदैव– |
| 21 | श्री हरी राम | –तदैव– | –तदैव– |
| 22 | श्री चन्द्रिका राम | –तदैव– | –तदैव– |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 23 | श्री सन्तोष कुमार वर्मा | दै० श्रे० लि० | मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) लखनऊ । |
| 24 | श्री जुबैर अहमद सिद्दीकी | –तदैव– | मुख्य अभियन्ता (गोरखपुर जोन)। |
| 25 | श्री अनूप कुमार द्विवेदी | –तदैव– | मुख्य अभिय़न्ता (जल विद्युत), लखनऊ । |
| 26 | श्री अखिलेश कुमार | –तदैव– | –तदैव– |
| 27 | श्री मोती लाल पटेल | –तदैव– | –तदैव– |
| 28 | श्री श्रीपाल यादव | –तदैव– | –तदैव– |
| 29 | श्री बलवीर सिंह नेगी | –तदैव– | मुख्य अभियन्ता (देहरादून जोन)। |
| 30 | श्री स्व० किशनपाल सिंह | –तदैव– | |
| 31 | श्री ओम प्रकाश सिंह | –तदैव– | मुख्य अभियन्ता (आगरा जोन) । |
| 32 | श्री शिव शंकर सिंह | –तदैव– | मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत)। |
| 33 | श्री सुशील कुमार श्रीवास्तव | –तदैव– | –तदैव– |
| 34 | श्री सन्तोष कुमार विश्वकर्मा | –तदैव– | –तदैव– |
| 35 | श्रीमती कान्ती यादव | –तदैव– | –तदैव– |

विद्युत परिषद

**नत्थी 'घ'**

(देखिये अता० प्र० सं० 137 का उत्तर पीछे पृष्ठ 75 पर)

संलग्नक 'क'

**विद्युत वितरण मंडल, बुलन्दशहर में 1988 से दिसम्बर, 91 तक दिये गये निजी नलकूप के स्वीकृत लोड एवं दिये गये सामान की सूची**

(अ) स्वीकृत भार :– 20631 अश्व शक्ति

(ब) सामान की सूची :–

| क्रम संख्या | सामग्री का नाम | इकाई | निजी नलकूप पर लगे सामान की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | सीमेन्ट | बोरे | 209 |
| 2 | कैबिल 4≠6 एम० एम० | मीटर | 7242 |
| 3 | ऐंगिल आयरन | कि०ग्रा० | 60298 |
| 4 | एम० एस० चैनल | कि०ग्रा० | 81377 |
| 5 | बोल्ट्स एण्ड नट्स आफ साइज | कि०ग्रा० | 24351 |
| 6 | पी० सी० सी० पोल 8.5 मी० लम्बे | नग | 14752 |
| 7 | 11 के० वी० क्रास आर्म्स | नग | 4310 |
| 8 | 11 के० वी० डिस्क इंसुलेटर फिटिंग सहित | नग | 8112 |
| 9 | 11 के० वी० पिन इंसुलेटर पिन सहित | नग | 19201 |
| 10 | एल० टी० शेकिल इंसुलेटर | | 27092 |
| 11 | ए० सी० एस० आर० बीजल कंडक्टर | कि०मी० | 2602.3 |
| 12 | स्टे रोड | नग | 12716 |
| 13 | स्टे वायर | कि०ग्रा० | 52032 |
| 14 | अरर्दिंग राड | नग | 4102 |
| 15 | जी० आई० वायर 5 एम० एम० | कि०ग्रा० | 9562 |
| 16 | 11 के० वी० टी० पी० एम० ओ० | नग | 418 |
| 17 | 25 के० वी० ए० ट्रान्सफार्मर | नग | 1336 |
| 18 | 63 के० वी० ए० ट्रान्सफार्मर | नग | 9 |
| 19 | एल० टी० पिन क्लैम्प (पी० सी० सी० पोल) | नग | 24630 |
| 20 | स्टे क्लैम्प (पी० सी० सी० पोल) | नग | 9263 |
| 21 | अर्थ क्लैम्प (पी० सी० सी० पोल) | नग | 3140 |
| 22 | एफ क्लैम्प | नग | 5310 |

संलग्नक ख

**विधान सभा के प्रथम सत्र के अन्तर्गत माननीय श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल जी द्वारा पूछे गये प्रश्न संख्या 137 के उत्तरालेख का संलग्नक**

**5266 निजी नलकूपों में लगाये गये सामान का विवरण**

सामान का विवरण, विद्युत वितरण खण्ड, प्रथम, मेरठ व द्वितीय, मेरठ से वास्तविक रूप में प्राप्त हुआ है उसी के आधार पर मण्डल में 5266 निजी नलकूपों के सामान का आंकलन किया गया है, जो निम्न प्रकार है :—

| | | |
|---|---|---|
| 1–पी० वी० सी० केबिल 4×6 स्क्वा० एम० एम० | 59130 | मीटर |
| 2–पी० सी० सी० पोल | 19840 | नं० |
| 3–11 के० वी० क्रोस आर्म | 4272 | नं० |
| 4–डिस्क इन्सुलेटर | 11308 | नं० |
| 5–पिन इन्सुलेटर | 16962 | नं० |
| 6–पिन | 16962 | नं० |
| 7–डिस्क फिटिंग | 11308 | नं० |
| 8–ए० सी० एस० आर०विजिल कंडक्टर | 54488 | कि० मी० |
| 9–स्टे सैट | 12238 | नं० |
| 10–स्टे वायर | 51805 | कि०ग्रा० |
| 11–अर्थिंग रोड | 8041 | नं० |
| 12–जी० आई० वायर | 101 | मी० टन |
| 13–25 के० वी० ए० ट्रान्सफार्मर | 1791 | नं० |
| 14–63 के० वी० ए० ट्रांसफार्मर | 104 | नं० |
| 15–100 के० वी० ए० ट्रांसफार्मर | 19 | नं० |
| 16–सैकेल इन्सुलेटर | 36488 | नं० |
| 17–एम० एस० चैनल | 202 | मी० टन |
| 18–एल० टी० पिन क्लैम्प पी० सी० सी० पोल | 24630 | नग |
| 19–स्टे क्लैम्प (पी० सी० सी० पोल) | 9263 | नग |
| 20–अर्थ क्लैम्प (पी० सी० सी० पोल) | 3140 | नग |
| 21–एफ क्लैम्प | 5310 | नग |

संलग्नक ग

## विद्युत वितरण मण्डल, गाजियाबाद

**जनपद गाजियाबाद में अप्रैल, 1988 से दिसम्बर, 1991 तक दिये गये नलकूप संख्या व सामान का विवरण**

| ऊर्जीकृत नलकूप संख्या | नलकूपों का भार कि० वा० | लगायी गयी मुख्य सामग्री | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ट्रांसफार्मर संख्या | | वीजल कन्डक्टर (कि०मी०) | खम्भे पी० सी० सी० संख्या | अर्थ तार मीटर टन |
| | | 25 के०वी०ए० | 63 के०वी०ए० | | | |
| 1691 | 6058.803 | 764 | 11 | 1112.00 | 5348 | 21.73 |

टिप्पणी :––प्राप्त आंकड़ों के आधार पर सामान्यतः सभी एल० टी० लाइनों पर अर्थ तार लगाया जाता है । यदि किसी कारण सामान की कमी से अर्थ तार नहीं मिला तो खम्भे को अर्थ रोड से अर्थ किया जाता है ।

**परिशिष्ट 'ङ'**

(देखिये अता० प्र० सं० 177 का उत्तर पीछे पृष्ठ 87 पर)

**सिंचाई राज्य के प्रथम सत्र 1992 के पांचवें बुधवार के लिये निर्धारित श्री घनश्याम शुक्ला द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 177 का संलग्नक**

30 अप्रैल, 1991 के बाद शासन/प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लखनऊ द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार तथा प्रशासकीय आधार पर मुख्य अभियन्ता द्वारा निम्नांकित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता का स्थानान्तरण किया गया :—

| खण्ड का नाम जहां से स्थानान्तरित किया गया | सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता का नाम |
|---|---|
| | सर्वश्री |
| सरयू नहर खण्ड-1, नानपारा | गोपाल कृष्ण टण्डन, सहायक अभियन्ता |
| —तदैव— | बृजेन्द्र सिंह, सहायक अभियन्ता |
| सरयू नहर खण्ड-3, नानपारा | सुखदयाल, सहायक अभियन्ता |
| सरयू नहर खण्ड-4, बहराइच | ओम नारायन रस्तोगी, सहायक अभियन्ता |
| चित्तौड़गढ़ बांध निर्माण खण्ड, बलरामपुर | हरीराम गुप्ता, अवर अभियन्ता |
| सिंचाई खण्ड, गोण्डा | राजेन्द्र, अवर अभियन्ता |
| —तदैव— | जितेन्द्र बहादुर, अवर अभियन्ता |
| —तदैव— | कौशल किशोर श्रीवास्तव, अवर अभियन्ता |
| सरयू नहर खण्ड-6,बहराइच | सुखवासी लाल वर्मा, अवर अभियन्ता |
| लिफ्ट सिंचाई खण्ड, फैजाबाद | रमाशंकर सिंह, अवर अभियन्ता |
| सरयू नहर खण्ड-1, नानपारा | जिया अहमद, अवर अभियन्ता |

पी० एस० यू० पी०—एल० 184 वि० सभा (289)—1993—572 (डी० टी० पी०) ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा